सप्तम माला, 1 December 1980

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

Fourth-Session

(सातवीं लोक सभा)



लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय सूची

अंक 10, सोमवार, 1 दिसम्बर, 1980/10 अग्रहायण, 1902 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1—2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	2—22
*तारांकित प्रश्न संख्या 182 से 184, 186 और 187	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	23—181
तारांकित प्रश्न संख्या 185 और 188 से 204	
अतरांकित प्रश्न संख्या 1793 से 1836, 1838, 1340 से 1866 1868 से 1897, 1899 से 1954 और 1956 से 1992	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	181—184
लोक लेखा समिति के विवरण	184—185
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के विवरण	185—186
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	186—201
बिहार में कुछ संदिग्ध अपराधियों को अन्धा किया जाना	186
श्री धनिक लाल मंडल	189
श्री पी० वेंकटसुब्बय्या	191
श्री आर० के० महालगी	195
श्री अटल बिहारी बाजपेयी	196
श्री जैलसिंह	199
विधेयक—पुरःस्थापित	201—210
(एक) जूट कम्पनी (राष्ट्रीयकरण) विधेयक	201—202
(दो) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	202—209

* किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह †इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य से पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(तीन) नेत्र (चिकित्सीय प्रयोजन के लिए उपयोग का प्राधिकारी) विधेयक	210
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 1980 के संबंध में विवरण	209
नियम 377 के अधीन मामले	210—215
(एक) बोध गया के महत्व द्वारा अत्याधिक भूमि पर कब्जा रखे जाने के सम्बन्ध में आंदोलन	210
श्री राम विलास पासवान	
(दो) नई दिल्ली स्थित केरल भवन में केरल के मुख्य मन्त्री तथा उद्योग मन्त्री को कमरे में बन्द किये जाने के बारे में	211
श्री ए० के० बालन	
(तीन) राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में पीने के पानी की सप्लाई	212
(चार) जयपुर में रसोई गैस और मिट्टी के तेल की कमी	212
श्री सतीश अग्रवाल	
(पांच) दिल्ली में एक सती के सम्मान में जलूस	214
श्रीमती प्रमिला दंडवते	
(छः) हिमाचल प्रदेश में रेल लाइनें	215
श्री कृष्ण दत्त	
एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अध्यादेश, 1980 के बारे में सांविधिक संकल्प	216—259
तथा	
एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक विचार किये जाने का प्रस्ताव	
श्री चित्त बसु	216
श्री पी० शिवशंकर	220
श्रीमती गीता मुखर्जी	222
श्री जगन्नाथ राव	225
श्री सोमनाथ चटर्जी	228
श्री वाई० एस० महाजन	235

विषय	पृष्ठ
श्री जयपाल सिंह कश्यप	237
श्री जनार्दन पुजारी	239
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	241
श्री रतनसिंह राजदा	243
श्री मूलचन्द डागा	244
खण्ड 2, 3 और 1	256
पास किए जाने का प्रस्ताव	
श्री पी० शिवशंकर	256
श्री ज्योतिर्मय बसु	257
सभा पटल पर रखे गये पत्र	259—260

लोक-सभा

सोमवार, 1 दिसबर, 1980/10, अग्रहायण 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को अपने दो भूतपूर्व साथियों, ठाकुर जुगलकिशोर सिन्हा और श्री के० हनुमंतैया के दुःखद निधन की सूचना देनी है ।

ठाकुर जुगलकिशोर सिन्हा 1953-57 की अवधि में प्रथम लोकसभा के सदस्य थे और वह बिहार के मुजफ्फरपुर उत्तर-पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे ।

उन्होंने स्वाधीनता आन्दोलन में भाग लिया और जेल गए ।

वह एक प्रमुख मजदूर नेता थे और कई मजदूर संगठनों, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के चीनी मिल मजदूरों के संगठनों से सम्बम्द्ध थे । उन्होंने सहकारिता आन्दोलन तथा सामाजिक कार्यों में गहन रुचि ली ।

72 वर्ष की अवस्था में 28 नवम्बर, 1980 को पटना में उनका निधन हो गया ।

श्री के. हनुमंतैया संविधान सभा तथा 1948-52 की अवधि में अस्थायी संसद तथा 1962-77 की अवधि में तीसरी चौथी और पांचवी लोकसभा के सदस्य रहे ।

वह 19 2 से 1962 तक तत्कालीन मैसूर राज्य विधान-सभा के सदस्य रहे और 1952 से 1956 तक मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री रहे ।

वह एक वयोवृद्ध स्वाधीनता सेनानी थे और उन्होंने स्वाधीनता आन्दोलन में भाग लिया तथा कई बार जेल गए ।

वह पंजाब प्रशासनिक सुधार आयोग के चेयरमैन रहे तथा 1967-70 की अवधि में भारत सरकार के प्रशासनिक सधार आयोग के सदस्य रहे । बाद में वह उसके चेयरमैन हो गए । 1966 में ओटावा में आयोजित राष्ट्रमण्डल संसदीय सम्मेलन में उन्होंने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया । उन्होंने 1970 में मनीला में आयोजित समाज-कल्याण सम्बन्धी पन्द्रहवें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी भारतीय प्रतिनिधि-मंडल का नेतृत्व किया ।

वह 1970-71 में केन्द्रीय विधि एवं समाज कल्याण मंत्री बने और 1971-72 के दौरान केन्द्रीय रेलमंत्री रहे ।

मैसूर में आज प्रातः 72 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हो गया ।

हमें इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक है और मुझे विश्वास है, शोक संतप्त परिवारों को हमारी संवेदना प्रेषित करने में सदन मेरे साथ होगा ।

अपना शोक व्यक्त करने के लिए सदन के सदस्य कुछ देर के लिए मौन खड़े होंगे । तत्पश्चात् कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े रहे ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

निःशुल्क शिक्षा

*182 श्री के० प्रधानी : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपना यह मत व्यक्त किया है कि निःशुल्क शिक्षा का लक्ष्य 1990 से पूर्व प्राप्त नहीं किया जा सकेगा;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या संविधान के अन्तर्गत इस लक्ष्य को इससे बहुत पहले ही प्राप्त किया जाना था; और

(घ) इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ग) जी, हां ।

(ख) और (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

I. प्रारम्भिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक और दस वर्ष की समयावधि का प्रस्ताव करने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) समस्या के विराट स्वरूप को देखते हुए लक्ष्य यथार्थवादी रखने चाहिए ।

(2) अनुभव यह बताता है कि ऊंचे लक्ष्य यथार्थवादी नहीं होंगे ।

(3) ज्यादातर समस्या उन राज्यों के सम्बन्ध में है जहां सामान्य शैक्षिक पिछड़ापन अतिरिक्त कठिनाइयां पैदा करता है ।

(4) शामिल किये जाने वाले बच्चों में अधिकांश लड़कियां हैं और ये बच्चे समाज के उपेक्षित वर्गों के हैं जिससे कठिनाइयां और अधिक बढ़ जाती हैं ।

II. इस संदर्भ में निम्नलिखित उपायों की परिकल्पना की गई है :—

(1) 1980-85 के दौरान प्राथमिक शिक्षा पर और 1985-90 के दौरान मिडिल शिक्षा पर अधिक ध्यान देना ।

(2) प्राथमिक/मिडिल स्कूलों को नजदीक ही खोलना और जिन बस्तियों में स्कूल नहीं हैं उन पर पहले ध्यान देना ।

(3) मौजूदा स्कूल सुविधाओं के उपयोग को बढ़ाना ।

(4) अनौपचारिक अंशकालिक शिक्षा की व्यवस्था करना ।

(5) लडकियों तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, भूमिहीन कृषि श्रमिकों और शहरी गन्दी बस्तियों में रहने वालों जैसे वर्गों की ओर विशेष ध्यान देना ।

(6) राज्य योजनाओं में पिछड़े क्षेत्रों और पिछड़े समुदायों की ओर विशेष ध्यान देना ।

(7) प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों और लेखन सामग्री, निःशुल्क वर्दी, लड़कियों के लिए उपस्थिति छात्रवृत्तियों और मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था जैसे प्रोत्साहनों को बड़े पैमाने पर प्रदान करना ।

(8) पाठ्यचर्या को विकेन्द्रीकृत करना और इसे अधिक उपयुक्त बनाना ।

(9) शिक्षक क्षमता/योग्यता में सुधार करना ।

(10) भौतिक सुविधाओं, विशेषकर भवनों में सुधार करना ।

(11) शैक्षिक प्रोद्योगिकी, विशेषकर शैक्षिक प्रसारण की अधिक सहायता लेना ।

श्री के० प्रधानी : इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में, कि उड़ीसा देश के सर्वाधिक पिछड़े राज्यों में एक है और खास तौर पर आदिवासी क्षेत्र, देश में सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हम आदिवासी क्षेत्रों को और ज्यादा सहायता देने का सरकार का विचार है और यदि है तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्री एस० बी० चव्हाण : जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है देश में नौ पिछड़े राज्य हैं और उड़ीसा उन में से एक है । सम्पूर्ण देश की औसत की तुलना करने पर जब हम देखते हैं कि कोई राज्य इस मामले में पिछड़ रहे हैं तो उन्हें अनौपचारिक शिक्षा के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है ।

श्री के० प्रधानी : मैंने आदिवासी क्षेत्रों के बारे में जानना चाहा था कि क्या उन्हें कोई विशेष सहायता दी जाती है ।

श्री एस० बी० चव्हाण : जो केन्द्रीय सहायता दी जाती है उसे बाद में आदिवासी और गैर-आदिवासी योजनाओं में विभाजित कर दिया जाता है । आदिवासी योजनाओं में आदिवासी क्षेत्रों की आवश्यकता को शामिल किया जा रहा है ।

श्री के० प्रधानी : इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में कि आवासीय स्कूल ही एकमात्र ऐसी संस्थाएं हैं जहां आदिवासी क्षेत्रों को सफल शिक्षा दी जाती है, मैं जान सकता हूं कि क्या आगामी योजना में आवासीय प्रणाली के स्कूलों में वृद्धि करने का सरकार का विचार है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : यह बात छठी योजना के लिए उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करेगी, परन्तु इस सम्बन्ध में अतिरिक्त कदम उठाने के बारे में विचार करना अपेक्षाकृत कठिन लगता है ।

श्री डी० पी० यादव : फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन की बात हम 1950 से करते आ रहे हैं लेकिन अभी तक यह हुई नहीं है । मैं समझता हूं कि इसके चार एलीमेंट्स हैं, फ्री टीचर्ज,

फ्री बुक्स, फ्री स्कूल यूनिफार्म और फ्री मिड डे मील। इन चार एलीमेंट्स में से कौन-कौन से एलीमेंट्स आप 1980-85 में बजट में पेश करना चाहते है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : बजट की बात तो अभी नहीं कही जा सकती है। जब बजट पेश होगा तब बतायेंगे।

श्री डी० पी० यादव : मेरा मतलब प्लान से है।

श्री एस. बी. चव्हाण : सभी चारों योजनाओं को छठी योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है। परन्तु अभी यह नहीं कहा जा सकता कि कितनी धनराशि की व्यवस्था की जाएगी।

श्री शिवकुमार ठाकुर : बहुत से ग्राम ऐसे हैं जो पहाड़ी अंचलों में हैं और राज्य शासन ने जो क्राइटिरिया बना रखा है कि तीन सौ आबादी होगी तब प्राइमरी स्कूल खोलेंगे उसमें वे नहीं आते हैं। वे ग्रांव बहुत दूरी पर होते हैं स्कूल से और उनमें बच्चों को वहां के लोगों के लिए भेजना सम्भव नहीं होता है। उनकी आबादी भी कम होती है पहाड़ी इलाका होने की वजह से। यदि उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी तो शिक्षा के क्षेत्र में वे पिछड़ जायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय शासन इसके बारे में क्या कुछ विचार कर रहा है ?

बहुत से ग्राम ऐसे भी हैं जिन्होंने फैमिली प्लानिंग की शासन की योजना को अपना लिया है और वे अपनी जन संख्या नहीं बढ़ाते हैं। उन्होंने क्या अपराध किया है जो आप उनके लिए स्कूल नहीं खोल रहे हैं ?

श्री एस० बी० चव्हाण : जहां तक सम्भव हो, प्राथमिक स्कूल सुविधाएं, गांव से, जहां लड़के या लड़कियां रहते हैं, एक किलोमीटर की दूरी पर उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव किया गया है। मिडिल स्कूलों के मामले में, ये सुविधाएं 3 किलोमीटर के अन्तर्गत होनी चाहिए।

श्री शिवकुमारसिंह ठाकुर : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मैंने पूछा है कि तीन सौ से कम की आबादी हो तो आप स्कूल नहीं देते हैं ?

श्री एस० बी० चव्हाण : ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आबादी के ऊपर ही स्कूल खोले जाएं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मंत्री महोदय का उत्तर सामान्य किस्म का है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और कृषि मजदूरों के उन बच्चों का प्रतिशत, जिन्हें स्कूल योजना बंद कर दिया गया, 80 प्रतिशत है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को आकर्षित करने के लिए, न केवल छात्रवृति देने और अनुसूचित जातियों एवं आदिवासी क्षेत्रों में आवासीय स्कूल खोलने अपितु अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के अभिभावकों को कुछ सहायता दिए जाने के बारे में क्या सरकार विचार करेगी, ताकि बच्चों को स्कूल भेजना बंद करना कम हो सके ?

क्या मन्त्री महोदय को मालूम है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने दसवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा की घोषणा की है, और आगामी वर्ष, ग्यारहवीं कक्षा तक निःशुक्क शिक्षा दिए जाने की घोषणा करने का विचार है ? यदि हां तो क्या सरकार छठी पंच वर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को विशेष सहायता देने जा रही है ? यदि हां तो कितनी ?

श्री एस० बी० चव्हाण : जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के बच्चों के अभिभावकों को कुछ भी देने का हमारा विचार नहीं है। हम अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उन छात्रों को जो फीस माफी, दोपहर का भोजन किताबें तथा अन्य रियायतों के रूप में सुविधाएं देने का प्रयास करते रहे हैं स्कूलों में अपने नाम लिखाते हैं।

जहां तक पश्चिम बंगाल सरकार की योजना का सम्बन्ध है, संवैधानिक बाध्यता केवल 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक है, जिसका मतलब है। पहली कक्षा से आठवीकक्षा तक। यदि पश्चिम बंगाल सरकार ने नवीं एवं दसवीं कक्षा के छात्रों को छूट देने को ठीक माना है तो उसके लिए उसी को वित्तीय प्रबन्ध करने हैं। केन्द्र सरकार उनको आर्थिक सहायता नहीं दे सकेगी।

श्री राम प्यारे पनिका : मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले 30, 35 वर्षों में, जहां तक प्राइमरी एजुकेशन के फैलाव का प्रश्न है, इन्होंने स्कूलों का नम्बर तो बढ़ाया है, लेकिन यह सदन पूरी तरह से अवगत है कि शिक्षा का स्तर, क्वालिटी इतने नीचे गिरती जा रही है, खास तौर से ट्राइबल एरिया में और शिडयूल्ड कास्ट्स एरिया में बैकवर्ड रीजन में अपेक्षित स्कूलों में ट्रेन्ड अध्यापक नहीं रखे जाते. क्या मन्त्री जी इस सदन को आश्वस्त करेंगे कि छटी पंचवर्षीय योजना में खासतौर पर बैकवर्ड एरिया में शिक्षा के फैलाव और उसकी क्वालिटी पर ध्यान दिया जायेगा ? यदि हां, तो वह इस बारे में क्या करना चाहते हैं ?

श्री एस० बी० चव्हाण : माननीय सदस्य महोदय के दिमाग में उस शैक्षणिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की बात है, जिसमें कहा गया है कि आदिवासी क्षेत्रों के मामलों में स्कूल सम्बन्धी सुविधाएं यथेष्ट नहीं है। यही कारण है, आदिवासियों के बच्चों को स्कूल भेजने सम्बन्धी सुविधाओं पर जोर देने का हमारा विचार है।

श्री जगदीश टाइटलर : क्या यह सच नहीं है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के 160 लाख से ज्यादा बच्चे कारखानों और दुकानों में काम कर रहे हैं और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं का लाभ नहीं उठा रहे हैं ? इस साल मजदूरी के सम्बन्ध में सरकार क्या करना चाहती है ताकि ये बच्चे भी निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा सुविधाओं से लाभान्वित हो सकें ?

श्री एस० बी० चव्हाण : जहां तक गंदी बस्तियों में रहने वाले छात्रों का सम्बन्ध है, हम नवीनतम सर्वेक्षण करना चाहते हैं।

श्री जगदीश टाइटलर : गंदी बस्तियों के बच्चों के बारे में नहीं अपितु कारखानों और दुकानों में काम कर रहे बच्चों के सम्बन्ध में।

श्री एस० बी० चव्हाण : भले ही वे कारखानों में काम कर रहे हों हमारा अनौपचारिक किस्म की शिक्षा शुरू करने का विचार है जिसमें उनको ऐसे व्यावसाय की जो वे कर रहे हैं अथवा करने जा रहे हैं, की शिक्षा दी जाएगी। हम परम्परागत किस्म की शिक्षा देने का प्रयास करते हैं।

भारतीय खाद्य निगम, हारदा (मध्य प्रदेश) में "बाल घोटाला"

*183. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** :

डा० वसन्त कुमार पण्डित :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को होशंगाबाद क्षेत्र में हारदा स्थित भारतीय खाद्य निगम में 'दाल' से सम्बन्धित अत्यधिक अनियमिताओं तथा उसके भंडार में कमी का पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो इस घोटाले में सम्मिलित अधिकारी का नाम क्या है, उसकी हैसियत क्या है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी: हां ।

(ख) अनियमित खरीदारी के लिए जिम्मेदारी अधिकारी भारतीय खाद्य का तकनीकी सहायक था और उसे तुरन्त निलम्बित कर दिया गया था । भारतीय खाद्य निगम ने इस मामले की और जांच करने के लिए इसे केन्द्रीय जांच ब्यूरों को भेज दिया था । ब्यूरों की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री वसन्त कुमार पण्डित : क्या मन्त्री महोदय को विदित है कि लगभग दो महीने पूर्व पिछले सत्र में ३ करोड़ रुपए की चीनी से भरी रेल गाड़ी गुम होने के घोटाले का प्रश्न पूछा गया था । उसकी अभी भी जाच हो रही है । हमें नहीं पता उसका क्या बना ? दाल के मामले में भी घोटाला हुआ था । गम्भीर अनियमितताओं में पाया गया है कि थोड़ी अवधि में भारतीय खाद्य निगम ने 50 लाख रुपए की दाल खरीदी जिसमें उन्हें 10 लाख रुपए का घाटा हुआ । यदि यह सही है तो मेरा अगला प्रश्न होगा—क्या सरकार क्रय तथा वितरण के मामले में खाद्य निगम के प्रशासन में नियमितता ला रही है । इस बात पर ध्यान देते हुए कि मध्य प्रदेश में थोड़ी सी अवधि में दो घोटाले हो चुके हैं, क्या आप इस मामले में सख्ती बरतेंगे और इस बारे में नीति क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मन्त्री

श्री वीरेन्द्रसिंह राव : इस कदाचार को समाचार पत्रों में छपने से पूर्व पर्यवेक्षक व्यवस्था द्वारा पकड़ा गया था । वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कार्यवाही पहले ही की जा चुकी थी । एक वार्ता को निलम्बित किया गया था । इस मामले में लगभग 3000 क्विंटल माल आता है । उसमें से लगभग 2900 क्विंटल अरहर की अदायगी की गई थी । शेष खरीदे गये माल को उत्पादकों को वापिस कर दिया गया था और इसमें कोई हानि नहीं हुई । केन्द्रीय जांच ब्यूरों मामले की जांच कर रहा है कि हानि की पूर्ति किस प्रकार की जा सकती है । माल की खरीद सेना के लिए की गई थी ।

डा० वसन्त कुमार पण्डित : दाल की पूरी मात्रा उत्पादकों से नहीं अपितु व्यापारियों से खरीदी गई थी । जिस माल की अदायगी की गई थी क्या वह उत्पादक का था अथवा व्यापारी का ? मुझे पता चला है कि इस घोटाले से जिस व्यापारी ने लाभ उठाया वह राजनीतिक दबाव डलवाने की चेष्ठा कर रहा है ताकि केन्द्रीय जांच ब्यूरों की जांच समाप्त हो सके । सरकार भारतीय खाद्य निगम प्रशासन द्वारा खरीद एवं वितरण के स्तर में दृढ़ता लाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री वीरेन्द्रसिंह राव : खरीद तथा वितरण में नियमितता लाने के लिए सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं । भारतीय खाद्य निगम एक बहुत बड़ा निगम है । सभा में समय-समय पर हम इस बारे में उत्तर देते रहे हैं । परन्तु मुझे ठीक पता नहीं है कि क्या दाल मंडी में सीधे उत्पादकों से

खरीदी गई थी अथवा व्यापारियों से ली गई थी। जहां तक मैं जानता हूं इस बारे में नीति यह है कि यदि खरीद व्यापारियों के माध्यम से की जाती है तो भारतीय खाद्य निगम को सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। प्रथा यह है कि खरीद सीधे उत्पादकों से मन्डी में करनी होती है।

(व्यवधान)

सेवा कुटीर, दिल्ली में रहन-सहन की स्थिति का मूल्यांकन

*184 श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में भिखारियों के लिए रिमान्ड होम सेवा कुटीर में रहन-सहन सम्बन्धी स्थिति और बम्बई भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959 (दिल्ली पर लागू) के परिचालन के सम्बन्ध में मूल्यांकन करने का कोई प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो कब और उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में ऐसे मामले आये हैं जिनमें गैर-भिखारी को अधिनियम के अन्तर्गत पकड़ा गया और सेवा कुटीर में रखा गया; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने सेवा कुटीर में रहन-सहन की स्थिति सुधारने के लिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एसः बी. चव्हाण) : (क) और (ख) राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान ने उन आर्थिक कारणों के, जिनसे व्यक्ति भिक्षा मांगने लगते हैं, तथा भिखारियों पर संस्थागत कार्यक्रमों के प्रभाव के सम्बन्ध में 1978-80 में एक सामान्य अध्ययन किया है। यह अध्ययन सेवा कुटीर में स्थित दो संस्थाओ से नमूने पर आधारित था। इस अध्ययन में इन संस्थाओं में कुछ भवनों की टूटी फूटी दशा का उल्लेख किया गया है। स्थिति में सुधार करने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा किए गए उपायों के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है। बम्बई भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959 (जैसा दिल्ली में लागू) के परिचालन के सम्बन्ध में मूल्यांकन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार निर्दोष व्यक्तियों को भिखारी समझ कर पकड़े जाने के कोई मामले नहीं हुए है। परन्तु सरकार को इस सम्बन्ध कुछ शिकायतें प्रेस रिपोर्टो से तथा राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान द्वारा किए गए एक अध्ययन से मिली है जिनकी जांच की जा रही है।

(घ) सेवा कुटीर में रहन-सहन की स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से 400 भिखारियों को रखने के लिए एक नया आवासीय कम्पलेक्स निर्माण करने का प्रस्ताव है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह बताया है कि राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान ने 1978 में भिक्षुकों के सम्बन्ध में एक स्टडी किया था जिसमें कि वहां की टूटी फूटी इमारतों, वहां की अव्यवस्था, अधिकारियों के रूखे व्यवहार, दी गई सहायताओं के दुरुपयोग आदि का वर्णन किया गया है। हमने उस रिपोर्ट को डीटेल में देखा है। उस रिपोर्ट में राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान ने यह भी बताया है कि उन भवनों की स्थिति ऐसी है कि वह एक

भी आदमी के रहने काबिल नहीं है, उन भवनों को तत्काल ठीक किया जाय। 1978 में यह रिपोर्ट मंत्रालय को मिली थी। उस के बाद से अब तक सरकार ने इस रिपोर्ट को प्राप्त करने के बाद क्या कार्यवाही की और क्या इस स्थिति में सुधार किया, यह बताने की कृपा मंत्री महोदय करें।

श्री एस० बी० चव्हाण : भारत सरकार ने 400 निवासियों तथा 26 कर्मचारियों के आवास के लिए स्वीकृति दी है, दोनों पर मिलाकर 50 लाख रु० व्यय होंगे। दिल्ली प्रशासन भी प्रशासनिक अनुमति दे रहा है। इन भवनों के कार्य को प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। स्वयं उप-राज्यपाल दो बार संस्थान गये थे तथा उन्होंने वहां के हालात सुधारने के अनुदेश जारी किए हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में आगे बताया है कि दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार निर्दोष व्यक्तियों को भिखारी समझकर पकड़े जाने का कोई मामला सरकार को नहीं मिला है। आगे यह भी कहा गया है—परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्रेस रिपोर्ट तथा राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन से मिली हैं और उसकी जांच भी करायी जा रही है।

हमें बड़ा दुख है कि सरकार को कोई शिकायत नहीं मिली, केवल प्रेस से और इधर उधर से शिकायत मिली। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्या तमिलनाडु से आए हुए एक देहाती जिस का नाम कुप्पू स्वामी था, उसकी बहन यहां एक होटल में काम करती थी जिसकी मृत्यु हो गई और वह उस होटल में उससे मिलने के लिए आया लेकिन उसको पुलिस ने पकड़ा, पकड़े जाने के बाद वह बार बार कहता रहा कि मैं भिखारी नहीं हूँ, लेकिन उसको पुलिस ने बहुत बुरी तरह से पीटा और पीटकर भिक्षा गृह में ले जाकर बन्द कर दिया···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गनीमत है कि उसकी आंख नहीं निकाली, दिल्ली पुलिस को उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए।···(व्यवधान)···

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह तो कुप्पु स्वामी की एक बात हो गई। मंत्री जी बताएं कि क्या यह बात सही है या नहीं ?

दूसरी बात—वाराणसी का एक शंकर नाम का व्यक्ति···

अध्यक्ष महोदय : यह तो आप इंडिविजुअल केसेज ले रहे हैं।

आप ऐसा किस प्रकार कर सकते हैं ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : तो हम मंत्री जी से यही पूछना चाहते हैं कि क्या इस प्रकार की ये सब घटनाएं उनके नालेज में हैं या नहीं ? यदि हैं तो जो भिखारी नहीं हैं उनको जो बराबर पकड़ा जा रहा है पूरे देश में उन पर मंत्री जी क्या कार्यवाही कर रहे हैं और कुप्पू स्वामी की घटना क्या है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : इस बारे में कुछ भी कहना मेरे लिए कठिन है···(व्यवधान) हम निश्चय ही जांच करेंगे। दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई जानकारी में श्री कुप्पू स्वामी का नाम नहीं है, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं। यदि माननीय सदस्य गिरफ्तारी की तारीख बतायें तो हम मामले की जांच करवायेंगे। परन्तु हमें पता चला है कि निर्दोष व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि दिल्ली प्रशासन को अनुदेश दिये जायें कि वास्तव

में भिक्षा मांगने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाये, निर्दोष व्यक्तियों को नहीं।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, यदि मंत्री जी 18-10-80 का इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लिए होते तो मैं समझता हूं उनको पूरी जानकारी मिल जाती । 18-10-80 के इंडियन एक्सप्रेस में कुप्पू स्वामी और जितने स्वामी हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस पर आपत्ति है ।

एक माननीय सदस्य जितने भी स्वामी हैं।'''व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : मुझे स्वामियों का संरक्षण करना है। जो कि इस सभा के सदस्य हैं।

श्री रामविलास पासवान : यह बात अलग है कि कुप्पू स्वामी को ही पकड़ा गया, दूसरे स्वामी बच गए। (व्यवधान) तो मैं यह कह रहा था कि मंत्री महोदय 18-10-80 का इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते तो उसमें पूरे डिटेल्स में दिया हुआ है और मैं समझता हूं इस पर क्वैश्चन नहीं बल्कि डिस्कशन की आवश्यकता है। जिस तरह से आंख निकालने की बात कही गई है उसी तरह से यह भी एक रैकेट है।

मैं जानना चाहता हूं क्या अभी तक सरकार ने पता लगाया है कि जो बेगर्स हैं उनकी बेगिंग का कारण क्या है, वे भिखमंगी क्यों करते हैं ? क्या बहुत से लोगों ने बच्चे, बच्चियों को उठाकर ले जाने, उनके हाथ-पैर तोड़ देने और उनके बेगिंग सिखाने का व्यापार कर रखा है ? पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास जो कौड़िया ब्रिज है वहां पर धड़ल्ले से यह काम होता है जो कि पुलिस, प्रशासन और सरकार की जानकारी में है। क्या आपने इस बात का पता लगाया है और यदि लगाया है तो कितने प्रोफेशनल बेगर्स तैयार किए गए हैं ? (व्यवधान)

मंत्री जी ने सेवा कुटीर का भी उल्लेख किया है। सेवा कुटीर की हालत जेल से भी बदतर है। जेल में जिस तरह कैदी के पैसे छीन लिए जाते हैं उसी तरह सेवा कुटीर में बेगर्स के पैसे-कौड़ी और कपड़े-लत्ते सब उतार लिए जाते हैं, उनको खाना तक नहीं दिया जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि इस पर पूरे डिस्कशन की आवश्यकता है।

मेरे प्रश्न के तीन भाग हैं। एक, क्या सरकार ने पता लगाया है कि भिखमंगी के कारण क्या हैं ? दो, कितने ऐसे व्यापार चल रहे हैं जोकि भिखमंगे पैदा करते हैं ? तीन—सेवा कुटीर, जोकि जेल के समान है उसको सुधारने के लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री एस० बी० चव्हाण : मामला सेवा कुटीर तक सीमित है। अतः मेरे पास उतनी ही जानकारी है यदि सदस्य अधिक जानकारी चाहते हैं तो मुझे सूचना चाहिए।

सरकार ने 15-9-80 का, इंडियन एक्सप्रेस, देखा है । मेरी जानकारी के अनुसार उसमें कुप्पू स्वामी का नाम नहीं है।

श्री राम बिलास पासवान : अगर मंत्री जी ने तैयारी नहीं की है तो समय ले लें। मेरे पास पेपर है, इसको मंत्री जी पढ़ सकते हैं । इसके शुरु में ही है :

कुप्पू स्वामी तमिलनाडु के एक ग्रामसे वर्ष के आरम्भ में आये।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है मेरे पास भेज दीजिए।

श्री राम बिलास पासवान : वे कहते हैं कि पेपर पढ़ा है, उसमें यह है ही नहीं।

अध्यक्ष महोदय : उनके पेपर में नहीं है, उनके पास आप भेज दीजिएगा।

खाद्य वस्तुओं से राज सहायता हटाना

*186. **श्री चित्त बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्य वस्तुओं पर से राजसहायता हटाने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गेहूं, धान, मोटा अनाज (मिलिट), ज्वार और मक्का के लिए वार्षिक कितनी राज सहायता राशि दी गयी;

(ग) क्या राजसहायता को वापस लिए जाने के परिणामस्वरूप इन खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ेंगी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार गरीबों, वेतन पाने वालों और मध्यम आय वर्ग के लोगों के हितों की किस प्रकार रक्षा करने का है जिन पर इसका सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) सरकार का विचार है कि कुछ समय बाद राजसहायता के भार को कम कर दिया जाए।

(ख) राजसहायता की मात्रा वसूली और निर्गम मूल्यों, वसूली और वितरण सम्बन्धी प्रासंगिक खर्चों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची गई मात्रों पर निर्भर करते हुए प्रत्येक वर्ष भिन्न-भिन्न होती है। 1980-81 के लिए बजट अनुमानों में की गई व्यवस्था के अनुसार उपभोक्ता राजसहायता की प्रति क्विंटल दर इस प्रकार है—गेहूं—33.49 रुपये, चावल-26.60 रुपये और मोटे अनाज—32.84 रुपये।

(ग) केन्द्रीय पूल से जारी किए गए खाद्यान्नों के मूल्य पर उस सीमा तक बढ़ाने होंगे जिस सीमा तक उपभोक्ता राजसहायता को कम करना है।

(घ) सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए हुए है, जहां लोगों को बाजार भाव से सस्ते मूल्यों पर खाद्यान्न मुहैया किए जाते हैं। निर्गम मूल्य की दर निर्धारित करते समय तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जाने वाली उपभोक्त राजसहायता की मात्रा निर्धारित करते समय उपभोक्ताओं के हितों तथा साथ-साथ उत्पादन की बढ़ती हुई लागत के कारण उत्पादक के लिए समर्थन मूल्य में वृद्धि जैसी अन्य बातों को ध्यान में रखा जाता है।

श्री चित्त बसु : उत्तर से ऐसा मालूम होता है कि सरकार ने खाद्यान्नों पर से राजसहायता वापस लेने का एक नीति सम्बन्धी निर्णय लिया है। महोदय, यह भी मालूम होता है कि सरकार ने खाद्यान्नों के निर्गम मूल्य में वृद्धि करने के बारे में ठोस निर्णय लिया है। मैं समझता हूं कि ये बातें मेरे प्रश्न के भाग (क) और (ग) के उत्तरों से बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं।

इनको ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह इस पर विचार कर रहे हैं तथा क्या वह यह आवश्यक अथवा वांछनीय समझते हैं कि मूल्य नियंत्रण की दुहरी पद्धति अर्थात् कमजोर और गरीब वर्गों के लिए सस्ती कीमतें (सार्वजनिक वितरण पद्धति के जरिये उपलब्ध करना) तथा सम्पन्न वर्गों और धनी वर्गों के लिए ऊंचे मूल्य, आरम्भ किये जायें। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार खाद्यान्नों के लिए इस प्रकार की दुहरी मूल्य नीति जिसमें खाद्यान्नों का वितरण सार्वजनिक वितरण पद्धति से हो, लागू करने की सोच रही है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : खाद्यान्नों के मामले में दुहरी मूल्य पद्धति शुरू करने के बारे में माननीय सदस्य का सुझाव नया नहीं है ऐसे सुझाव पहले भी आये हैं। इसमें कुछ कठनाइयां हैं और सरकार इसके बारे में सोचती रही है। किन्तु, फिलहाल मैं कह सकता हूं कि हम इसे अधिक व्यावहारिक नहीं समझते हैं। सरकार निश्चित रूप से यह सोचती रही है कि राजसहायता को धीरे-धीरे वापस लिया जाये किन्तु इस वर्ष राज-सहायता की राशि वही है जो पिछले वर्ष थी। 1979-80 में खाद्यान्नों पर 600 करोड़ रुपये की राजसहायता दी गई थी। वर्ष 1980-81 में भी हमारे बजट अनुमानों में इतनी ही धनराशि की व्यवस्था की गई है और इस समय सरकार जो राजसहायता देती रही है उसे वापस लेने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री चित्त बसु : मेरे प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में माननीय मंत्री ने इस प्रकार कहा है : "1980-81 के लिए बजट अनुमानों में की गई व्यवस्था के अनुसार उपभोक्ता राजसहायता की प्रति क्विंटल दर इस प्रकार है—गेहूं-34.49 रुपये, चावल 26.60 रुपये और मोटे अनाज 32.84 रुपये।"

इसका अर्थ यह है कि गेहूं उपभोक्ताओं तथा चावल उपभोक्ताओं को दी गई राजसहायता में विषमता है। चावलों के उपभोक्ताओं को दी जाने वाली राजसहायता कम है। इसका क्या कारण है ? गेहूं के उपभोक्ताओं को अधिक राजसहायता दी जाती है। चावलों के उपभोक्ताओं को कम राजसहायता दी जाती है। क्या देश के व्यापक चावल उत्पादक क्षेत्रों के हितों के विरुद्ध नहीं होगा ?

श्री वीरेन्द्रसिंह राव : खाद्यान्नों की इन तीन किस्मों के बीच राजसहायता का अन्तर कई कारणों से है। माननीय सदस्य इस बात से भी सहमत होंगे कि ये दोनों खाद्यान्न एक दूसरे से भिन्न भी हैं। धान का लगभग दो तिहाई चावल के रूप में प्राप्त होता है जबकि गेहूं शतप्रतिशत प्राप्त होता है। चावल पर दी जाने वाली इस प्रकार की राजसहायता का यह एक कारण है। यहां तक कि चावल का निर्गम मूल्य उसके क्रय मूल्य से अर्थात् धान का चावल के सम्बन्ध में मूल्य कम है। 105 रुपये प्रति क्विंटल धान की दर से चावल का मूल्य लगभग 157 रुपये प्रति क्विंटल बैठता है जबकि निर्गम मूल्य अब तक केवल 150 रुपये ही रहा है। अत: कोई भी भेद-भाव नहीं है। वास्तव में, यह तर्क भी दिया जा सकता है कि गेहूं की अपेक्षा धान के लिए अधिक राज-सहायता दी जा रही है।

श्री मलिक एम०एम० ए० खां : क्या यह सही है कि सब्सिडी के भारी बोझ का कारण यह है कि :—

(ए) 1972 से लेकर आज तक फूड कारपोरेशन के ओवर-हैड्स बराबर बढ़ते चले जा रहे हैं। यदि हां, तो कितने ?

(बी) गेहूं के गोडाउन में रखे जाने का जो शोटेज लास है, वह फर्जी दिखाया जाता है, जबकि एक्सपर्ट कमेटी के दो रिपोर्ट फूड-कारपोरेशन के पास हैं, जिनमें यह कहा गया है कि गेहूं जब गोडाउन में पहुंचता है और जब वहां से निकाला जाता है, तो वह बढ़ता है घटता नहीं है ?

(सी) क्या यह सही है कि जो गेहूं फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया के गोडाउन में रखा जाता है ···

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल सब्सिडी के बारे में है।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : मैं सब्सिडी के सिलसिले में ही पूछ रहा हूं, जाहिर है कि सब्सिडी का सारा बोझ कन्ज्यूमर्स पर आने वाला है। आपके बयान से मालूम हुआ है कि अब नहीं तो, एक साल या दो साल में, सब्सिडी विदड्रा करेंगे, इसका मतलब है कि फूड कारपोरेशन की सारी इनएफिसियेन्सी आप आप कन्ज्यूमर के सिर पर लायेंगे। मैं आपको जानकारी दूं कि फूड कारपोरेशन के गोडाउन में तो गेहूं रखा जाता है···

श्री वीरेन्द्रसिंह राव : आप जानकारी दे रहे हैं या ले रहे है ?

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : आप से भी लूंगा। मैं अर्ज कर रहा था कि फूड कारपोरेशन के गोडाउन में जो गेहूं रखा जाता है, वहां शार्टेज होती है, लेकिन सेन्ट्रल वेअरहाउसिंग कारपोरेशन के गोडाउन में जो रखा जाता है, वहां शार्टेज नहीं होती है--क्या यह बात सही है ?

श्री वीरेन्द्रसिंह राव : महोदय, लाने ले जाने में होने वाली कमी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : इसका सब्सिडी से ताल्लुक है।

श्री वीरेन्द्रसिंह राव : आप ने पूछा है कि यहां इतना लास होता है, जब कि दूसरी जगह नहीं होता है। दूसरी जगह होता है या नहीं, मैं इस वक्त नहीं बतला सकता, क्योंकि सबके बारे में मेरे पास इस वक्त पूरी इन्फर्मेशन नहीं है। फूड कारपोरेशन के बारे में बतला सकता हूं। ट्रांजिट और दूसरा लास एक क्विंटल पर 2 रुपये 46 पैसे आता है। जहां तक ओवर-हैड चार्जेज का ताल्लुक है, मैं पहले कई दफा अर्ज कर चुका हूं—1 रुपये 71 पैसे प्रति क्विंटल पड़ता है। इसलिए ओवर-हैड चार्जेज ज्यादा नहीं है···

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : 1972 से बराबर बढ़ रहे हैं।

श्री वीरेन्द्रसिंह राव : एक-दो पैसे बढ़ रहे हैं तो उसी तरह से प्राइसेज भी रही हैं। मैं इस वक्त डीटेल में तो नहीं बतला सकता कि साल-ब-साल कितना पैसा बढ़ रहा है, लेकिन कीमतें भी कहां से कहां पहुंच गई हैं। ऊंचे मूल्यों के कारण ऊपरी खर्च से होने वाली हानि में भी वृद्धि होती है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि और अच्छे प्रबन्ध कुशलता तथा सरकारी नियंत्रण को कड़ा करने से हानि को कम करने की फिर भी गुंजाइश है। हम हमेशा ही यह प्रयत्न करते रहे हैं।

श्री जेवियर अराकल : एक विरोधाभास की स्थिति है। जहां तक राजसहायता का संबंध है, औद्योगिक क्षेत्र को अधिकाधिक धनराशि दी जाती है और उद्योगों को दी जाने वाली राज सहायता की तुलना में कृषि क्षेत्र को कम राज सहायता दीजाती है। इस क्षेत्र को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। इस सभा के माननीय सदस्यों का यही विचार है। माननीय मंत्री के भाषण से मुझे यही जान पड़ता है कि कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली राजसहायता धीरे-धीरे कम होती जा रही है। जहां तक कृषि क्षेत्र का सम्बन्ध है क्या हम राज सहायता सम्बन्धी नीति में परिवर्तन

कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह राज सहायता कृषि क्षेत्र को नहीं दी जाती है। यह उपभोक्ताओं को दी जाती है।

श्री जेवियर अराकल : जब तक हम कृषि क्षेत्र को राज सहायता नहीं देते तब तक हम उपभोक्ता को कैसे राजसहायता दे सकते हैं ? हमें यह कृषि क्षेत्र को देनी है। अतः किसान अपना आन्दोलन फिर से शुरू करें क्या इससे पहले हम उपभोक्ता तथा किसानों को राज सहायता देने जा रहे हैं ?

श्री बीरेन्द्रसिंह राव : जैसा कि आपने सही कहा है कि इस प्रश्न का सम्बन्ध सार्वजनिक वितरण पद्धति में खाद्यान्नों के निर्गम पर राज सहायता से है माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र को क्या राज सहायता दी जा रही है। मैंने इससे पहले कहा था कि उर्वरकों, कीटनाशी औषधियों तथा यहां तक कि नहर के पानी, बिजली और विभिन्न अन्य चीजों पर राज-सहायता की व्यवस्था है। किन्तु यदि माननीय सदस्य एक अलग प्रश्न पूछें तो उन्हें निश्चित उत्तर मिलेगा।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जब सरकार से फर्टीलाइजर्स के दाम बढ़ाने का फैसला किया था, तब सदन में यह बात कही गई थी कि अगर फर्टीलाइजर्स का दाम बढ़ाया जाएगा तो किसानों को पैदावार की कीमत ज्यादा देना पड़ेगी और फिर जो आम आदमी को अनाज सस्ती दर की दुकानों से दिया जाता है, उसकी कीमत बढ़ाने का भी फैसला करना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि यह विषम चक्र कब तक चलेगा। अभी मन्त्री महोदय कह रहे थे कि किसानों को हम हर चीज सब्सीडाइज्ड रेट पर देते हैं लेकिन सच्चाई यह है कि किसानों के लिए फर्टीलाइजर्स का दाम बढ़ा है, डीजल का दाम बढ़ा है, पानी और बिजली का दाम बढ़ा है और अगर ये दाम बढ़ेंगे तो कन्ज्यूमर को सब्सीडाइन्ड किये बिना, उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में अनाज कैसे दिया जा सकता है ?

श्री बीरेन्द्रसिंह राव : माननीय सदस्य ने वैसा ही सवाल किया है जो इससे पहले माननीय सदस्य ने एग्रीकल्चर के बारे में किया था। फर्टीलाइजर्स के दामों के बारे में भी कहा गया। मैं यह बताना चाहता हूं कि दोबारा प्राइसेज को ए० पी० सी० के द्वारा रिव्यू कराया गया है और उसके मुताबिक हम ने प्रोक्योरमेंट के लिए कीमतें रखी हैं। बाजपेयी जी, जो फाल्तू दाम फर्टीलाइजर्स के बढ़ाये थे, उसको बीच में डालकर किसानों को पूरा मुआविजा मिल जाए, इस बात को ध्यान में रखा गया है और प्रोक्योरमेंट के लिए हमने कीमतें बढ़ाई हैं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : बस ठीक है।

नेक्स्ट क्वेश्चन नं० 187।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्नों के सम्बन्ध में लेखे जोखे और या उपयोगिता प्रमाण पत्र

*187 **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री : निम्नलिखित जानकारी

दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन राज्यों को प्राप्त खाद्यान्नों के सम्बन्ध में उन राज्यों ने तत्संबंधी लेखे जोखे और अथवा उपयोगिता प्रमाणपत्र भेज दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और तारीख-वार कितनी-कितनी मात्रा के लिए ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां अधिकांश राज्यों ने चालू वर्ष के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत उनके द्वारा उपयोग में लाए गए खाद्यान्नों के लेखे जोखे-भेज दिए हैं।

(ख) राज्य सरकारों/केन्द्रशासित प्रशासनों द्वारा अब तक सूचित खाद्यान्नों के राज्यवार तथा तारीख-वार उपयोग को दर्शाने वाला विवरण भी सभा पटल पर रखा जाता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : विवरण से यह मालूम नहीं होता है कि विवरण में दर्शायी गई मात्राएं कब राज्यों को आबंटित की गई थी अथवा उन्हें दी गई थीं और उपयोग की प्रतिशतता क्या है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि नियतन अथवा बंटन की तारीख से कितनी अवधि के अन्दर उपयोग प्रमाणपत्र किसी राज्य द्वारा दिया जाना है। निर्धारित तथा संभावित अवधि क्या है ? साथ ही क्या बंटन अथवा आबंटन पहले ही दी गई मात्राओं के उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त होने से पहले किया जाता है।

श्री बीरेन्द्रसिंह राव : माननीय सदस्य इन तारीखों को अपने प्रश्न में नहीं चाहते थे किन्तु, मैंने माहवार तारीखें दी हैं। विवरण में प्रत्येक महीने उपयोग की गई मात्राएं दी गई हैं तथा उपयोग प्रमाण-पत्र और उसकी तारीखें दी गई हैं। हमारा नियम यह है कि आगे खाद्यान्न देने से पहले जो खाद्यान्न पहले दिये गये हैं उनकी 50 प्रतिशत मात्रा के सम्बन्ध में उपयोग—प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने चाहिये और सभी राज्यों को सिवाय.....

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि कितनी अवधि के अन्दर इसे प्राप्त करने की सम्भावना होती है, चाहे यह दो महीने या छः महीने अथवा कितने ही महीने की अवधि हो।

श्री बीरेन्द्रसिंह राव : मैं नहीं समझता कि कोई अवधि निर्धारित की है। यह राज्य सरकार की उसे दी गई मात्रा के उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर करता है और राज्य सरकार द्वारा उपयोग करने के बाद वे प्रमाणपत्र देते हैं और उन्हें दी गई खाद्यान्न की मात्रा के पचास प्रतिशत का उपयोग प्रमाणपत्र मिलने के बाद हम और मात्रा उन्हें और सभी राज्यों में यही पद्धति अपनाई गई है। जहां तक मुझे जानकारी है असम, पश्चिम बंगाल तथा मणिपुर और नागालैंड के सिवाय सभी राज्य आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते रहे हैं। मणिपुर और नागालैंड को इस कारण खाद्यान्न की कोई और मात्रा नहीं दी गई है। पश्चिम बंगाल के मामले में, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि हमने इस तथ्य के बावजूद कि पश्चिम बंगाल ने 50 प्रतिशत तक का उपयोग प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं किया है, उन्हें खाद्यान्न की कुछ मात्रा दी है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप उत्तेजित न हों।

वर्ष 1980-81 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत उपयोग में लाए गए खाद्यान्नों की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण ।

(मीटरी टनों में)

क्रम संख्या	राज्य केन्द्रशासित क्षेत्र	अप्रैल 1980		मई 1980		जून 1980	
		उपयोग में लाई गई मात्रा	सूचित करने की तारीख	उपयोग में लाई गई मात्रा	सूचित करने की तारीख	उपयोग में लाई गई मात्रा	सूचित करने की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	16.539.94	26-9-80	14,045.69	26-9-80	16,165.55	26-9-80
2.	असम	शून्य	2-7-80	शून्य	2-7-80	शून्य	21-8-80
3.	बिहार	22,659.44	7-10-80	27,007.64	7-10-80	32,319.09	7-10-80
4.	गुजरात	3,213.00	11-6-80	3,490.00	25-7-80	3,330.00	19-8-80
5.	हरियाणा	2,744.19	22-9-80	3,926.79	22-9-80	5,349.94	17-9-80
6.	हिमाचल प्रदेश	85.93	31-5-80	1,732.82	4-10-80	3,557.30	4-10-80
7.	जम्मू तथा काश्मीर	असूचित	—	असूचित	—	असूचित	—
8.	कर्नाटक	598.43	9-9-80	670.51	9-9-80	असूचित	—
9.	केरल	शून्य	—	2,678.80	3-10-80	2,123.92	3-10-80
10.	मध्य प्रदेश	42,647.00	30-5-80	40,619.00	13-10-80	36,272.00	13-10-80
11.	महाराष्ट्र	15,000.00	27-6-80	15,000.00	27-6-80	15,350.00	22-8-80
12.	मणिपुर	असूचित	—	असूचित	—	असूचित	—

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	मेघालय	असूचित	—	असूचित	—	असूचित	—
14.	नागालैण्ड	शून्य	—	127.85	18-6-80	असूचित	—
15.	उड़ीसा	19,504.29	24-5-80	25,446.08	21-6-80	25,430.44	25-7-80
16.	पंजाब	1,442.19	3-9-80	815.62	4-9-80	125.55	4-9-80
17.	राजस्थान	31,435.00	25-6-80	66,304.00	25-6-80	65,000.00	2-7-80
18.	सिक्किम	शून्य	—	शून्य	—	14.81	9-7-80
19.	तमिलनाडु	1,520.33	21-7-80	1,948.11	21-7-80	1,798.84	3-9-80
20.	त्रिपुरा	—	—	3,698.00	18-8-80	1,009.00	18-8-80
21.	उत्तर प्रदेश	37,097.20	19-7-80	44,898.15	19-7-80	50,072.27	23-8-80
22.	पश्चिम बंगाल	10,658.00	8-9-80	11,320.00	8-9-80	3,768.00	8-9-80
केन्द्र शासित क्षेत्र							
23.	अण्डेमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	असूचित	—	असूचित	—	असूचित	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	असूचित		असूचित		असूचित	
25.	चण्डीगढ़	असूचित		असूचित		असूचित	
26.	मिजोरम	असूचित		असूचित		असूचित	
27.	पांडिचेरी	53.80	12-6-80	201.00	12-6-80	234.16	23-9-80

वर्ष 1980-81 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत उपयोग में लाए गए खाद्यान्नों की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण।

(मीटरी टनों में)

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र	जुलाई 1980		अगस्त 1980		सितम्बर 1980		26-11-1980 तक
		उपयोग में लाई गई मात्रा	सूचित करने की तारीख	उपयोग में लाई गई मात्रा	सूचित करने की तारीख	उपयोग में लाई गई मात्रा	सूचित करने की तारीख	सूचित खाद्यान्नों का कुल उपयोग
1	2	9	10	11	12	13	14	15
1.	आन्ध्र प्रदेश	14,016.08	18-11-80	12,143.33	18-11-80	7,388.90	20-11-80	80,119.49
2.	असम	शून्य	21-8-80	असूचित		असूचित		—
3.	बिहार	असूचित	—	असूचित	—	असूचित	—	81,986.17
4.	गुजरात	3,074.00	18-9-80	2,506.00	3-11-80	असूचित	—	15,613.00
5.	हरियाणा	4,994.07	10-10-80	2,620.83	10-10-80	असूचित	—	19,635.82
6.	हिमाचल प्रदेश	5,095.73	4-10-80	असूचित	—	असूचित	—	10,471.78
7.	जम्मू तथा काश्मीर	असूचित	—	असूचित	—	असूचित	—	असूचित
8.	कर्नाटक	असूचित	—	असूचित	—	असूचित	—	1,268.94
9.	केरल	3,547.99	3-10-80	1,357.32	8-10-80	3,867.70	14-10-80	13,575.78
10.	मध्य प्रदेश	18,771.00	13-10-80	असूचित	13-10-80	8,328.00	—	1,47,087.00

1	2	9	10	11	12	13	14	15
11.	महाराष्ट्र	10,729.00	10-10-80	असूचित	—	असूचित	—	56,079.00
12.	मणिपुर	असूचित	—	असूचित	—	असूचित	—	असूचित
13.	मेघालय	असूचित	—	असूचित	—	असूचित	—	असूचित
14.	नागालैंड	असूचित	—	असूचित	—	असूचित	—	127.85
15.	उड़ीसा	13,707.28	25-8-80	10,556.94	27-9-80	6,962.84	29-10-80	1,01,607.87
16.	पंजाब	109.29	6-10-80	88.22	22-10-80	391.17	19-11-80	2,991.52
17.	राजस्थान	18,861.00	4-10-80	असूचित	—	असूचित	—	1,81,600.00
18.	सिक्किम	14.90	7-8-80	12.77	11-9-80	असूचित	—	42.48
19.	तमिलनाडु	4,965.79	16-9-80	4,072.52	1-10-80	6,561.69	27-10-80	20,867.28
20.	त्रिपुरा	1,912.00	18-9-80	असूचित	—	असूचित	—	6,619.00
21.	उत्तर प्रदेश	35,558.98	23-8-80	17,761.38	1-10-80	असूचित	—	1,85,387.98
22.	पश्चिम-बंगाल	10,695.00	28-10-80	8,444,00	28-10-80	असूचित	—	45, 88.00
केन्द्रशासित क्षेत्र								
23.	अण्डेमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	असूचित	—	असूचित	—	असूचित	—	असूचित
24.	अरुणाचलप्रदेश	असूचित	—	असूचित	—	असूचित	—	असूचित
25.	चण्डीगढ़	असूचित	—	असूचित	—	असूचित	—	असूचित
26.	मिजोरम	असूचित	—	असूचित	—	असूचित	—	असूचित
27.	पांडिचेरी	90.31	23-9-80	असूचित		असूचित		579.27
								9,70,848.23

26-11-1980 तक सूचित खाद्यान्नों का कुल उपयोग.....

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं उत्तेजित नहीं हो रहा हूं। मैं आपको उचित समय पर बताऊंगा कि कितने प्रकार के उत्तर दिये गये हैं।

अब, महोदय, यदि आप विवरण को देखें तो ऐसा मालूम होता है कि बिहार ने अप्रैल, मई, जून के सम्बन्ध में 7 अक्तूबर, 1980 को उपयोग प्रमाणपत्र पेश किया और जुलाई, अगस्त और सितम्बर के लिये कोई उपयोग प्रमाणपत्र नहीं दिये गये हैं। उनके विवरण से ही यह जान पड़ता है। महोदय, अब मैं जानना चाहता हूं कि ये मात्राएं कब उन्हें दी गई जिनके बारे में उपयोग प्रमाण-पत्र 7 अक्तूबर, 1980 को दिया गया था ? इनके विवरण के अनुसार अप्रैल, मई, जून के उपयोग के बारे में अक्तूबर में अर्थात् छः महीने के लिए उपयोग प्रमाणपत्र नहीं दिया गया।

महोदय, इसी तरह से महाराष्ट्र के बारे में अगस्त, सितम्बर में कोई उपयोग-प्रमाणपत्र नहीं है। कुछ भी नहीं दिया गया है। महोदय, जहां तक हरियाणा का सम्बन्ध है, सितम्बर, 1980 तक अप्रैल, मई और जून के बारे में कोई उपयोग प्रमाणपत्र नहीं दिया गया है।

अब, श्रीमान प० बंगाल राज्य के सम्बन्ध में क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि किस महीने का प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया है ? यदि सप्लाई पिछले महीने जारी की गयी है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वह प्रमाण-पत्र एक महीने या इतनी अवधि के भीतर दिया जाना था क्योंकि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि उपयोग प्रमाण-पत्र देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि उस राज्य के बारे में उन्होंने क्या कार्यवाही की है ? उन्होंने प्रमाण-पत्र में स्वयं उल्लेख किया है कि यह प्रस्तुत नहीं किया गया है और मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या महाराष्ट्र सरकार ने पूर्ण मात्रा के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र दिया है क्यों कि वह विशिष्ट उत्तर इसी सत्र में दिया गया था। परन्तु इस वक्तव्य से ऐसा लगता है कि अगस्त, सितम्बर में कोई प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया है। श्रीमान, मैं यह माननीय मंत्री महोदय से विशिष्ट रूप से पश्चिम बंगाल के बारे में यह भी जानना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि मार्च, 1980 तक की गई सप्लाई के लिए जारी किए गए वास्तविक माल के 86% का उपयोग प्रमाण-पत्र दिया गया था और 1980-81 के लिए 11 नवम्बर, 1980 तक जारी किए गए वास्तविक माल के 60% के लिए प्रमाण-पत्र दिया गया है ? (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री वीरेन्द्रसिंह राव : श्रीमान, आप सबने इतनी अधिक जानकारी मांगी है और हमने इस सम्बन्ध में पिछले सत्र में भी आप को पूर्ण रूप के सन्तुष्ट किया है। पर वही प्रश्न बार-बार उठाया जाता है। श्रीमान, उनकी और सन्तुष्टी के लिए आप उन्हें पर्याप्त समय दे सकते हैं। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री वीरेन्द्रसिंह राव : आप उन बातों का राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं जो आप यहां संसद में करते हैं और हम प० बंगाल के लोगों के साथ बिल्कुल निष्पक्ष रहे हैं और मैं पुनः कहता हूं, मैं सभा को केवल सूचित कर रहा हूं कि केन्द्रीय सरकार प० बंगाल के लोगों को भी भारत

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्षापीठ के आदेसानुसार कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सरकार से सभी प्रकार की सहायता व सहानुभूति के पात्र समझती है और यह केवल आप की ही जिम्मेदारी नहीं । हम उन्हें आपकी दया पर भी नहीं छोड़ सकते हैं । (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रसिंह राव : आपकी बात अलग है, श्री ज्योतिमय बसु, आप प० बंगाल की अपेक्षा, दिल्ली के अधिक हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यक्तिगत बात न करें । (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रसिंह राव : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि राज्य सरकार के लिए महीने दर महीने उपयोग प्रमाण-पत्र भेजना आवश्यक नहीं है । वे पहले खाद्यान्नों का उपयोग कर सकते हैं और उसके बाद उपयोग प्रमाण-पत्र भेज सकते हैं । परन्तु, मैंने कहा है कि काम के बदले आनाज कार्यक्रम के लिए और अनाज देने से पूर्व हम यह देखते हैं कि जो अनाज दिया गया है उसके 50 प्रतिशत के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र दिया जाए । ये सब तारीखें विभिन्न अवधियों के लिए हैं; इन्हें माहवार देने की आवश्यकता नहीं है । प० बंगाल के मामले में इस बात को पुनः कहूंगा कि उनके पास मोटे तौर पर 95,000 टन पिछला स्टाफ था । मैं मोटे-मोटे आंकड़े दे रहा हूं, ताकि वे आपत्ति न करें और यह कहें कि मैं गलत सूचना दे रहा हूं । मुझे उनसे बहुत सावधान रहना है । आप देखिए क्या हो रहा है । (व्यवधान) उसके बाद, इस वर्ष के दौरान 20,000 टन और जारी किया गया । मैं इसके बारे में भी उस समय तक निश्चित रूप से नहीं कहूंगा जब तक कि मेरे पास सही तारीख नहीं है क्योंकि जैसाकि मैंने कहा, अब मैं आपका व्यवहार देखकर बिल्कुल सावधान हूं । (व्यवधान) आप सहयोग कर रहे हैं । आप सूचना नहीं चाहते हैं । आप सरकार पर लांछन लगाना चाहते हैं । यही आप करने का प्रयास कर रहे हैं । यह एक तरह से प्रश्न काल का दुरुपयोग है । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : श्रीमान यह बहुत ही आपत्तिजनक है । हम मंत्री महोदय द्वारा कही गई ऐसी बातों का बड़ा विरोध करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : शान्त रहीं कृपया बैठ जाइये । परन्तु यह सही है कि इस प्रश्न का उत्तर बार-बार इस सभा में दिया गया है । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : श्रीमान इस प्रश्न का निपटारा करना है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, हमारे पास·····

श्री चित्त बसु : आप एक समिति बनाइये ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप उसकी जांच करने के लिए संसद सदस्यों की एक समिति बनाइये । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे सकता हूं··· (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप सभी दलों की एक समिति बनाइये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते क्यों नहीं ? यह कैसी आदत है । इस सम्बन्ध में कुछ विशेषाधिकार प्रस्ताव भी प्रस्तुत किये जा चुके हैं । मैंने सारा रिकार्ड देख लिया है । अभी

तक कोई उल्लंघन नहीं हुआ है; और मैं चाहूंगा कि सभा···(व्यवधान) मैं किसी रिकार्ड में किसी अनियमितता की अनुमति नहीं दूंगा। क्या यह ठीक नहीं है? हम संक्षेप में बोले और विषय पर बोले।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मैं बहुत संक्षेप में बोलूगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने दें। यह एक ऐसा प्रश्न है जो बार-बार आ चुका है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम चर्चा कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री सत्यासाधन चक्रवर्ती : जब तक आप इस प्रश्न का समाधान नहीं करते यह बार-बार आयेगा। आप हमें सभा से निकाल सकते हैं परन्तु आप हमें रोक नहीं सकते हैं। आप समिति बना सकते हैं। हमें सभा में कार्य करना है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हम नहीं बैठ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : पश्चिम बंगाल की जनता भूखी मर रही है।

अध्यक्ष महोदय : जब में खड़ा हूं तो आप को बैठना पड़ेगा। मैं कभी सभा की किसी चर्चा में रोड़ा नहीं अटकाता। यदि आप कोई चर्चा चाहते हैं तो में स्वागत करता हूं। परन्तु इसके लिए प्रश्न काल का उपयोग नहीं किया जाएगा। मैं किसी भी चर्चा की अनुमति प्रदान कर सकता हूं। मैं कल आपको आधा घंटा दूंगा इस तरह से नहीं। कृपया बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप पहले भी चर्चा की अनुमति दे चुके हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी भी चर्चा की अनुमति दे सकता हूं। (व्यवधान) मैं इस प्रश्न काल में बेकार की बातें करने की अनुमति नहीं दे सकता हूं। यही मेरे कहने का अर्थ है।

(व्यवधान)

श्री रतनसिंह राजदा : मंत्री महोदय ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। (व्यवधान)

श्री रतनसिंह राजदा : सदस्य प्रश्न पूछने के हकदार हैं। मन्त्री महोदय ने कुछ टिप्पणी की थी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राजदा। आप मेरा निर्णय मानेंगे। आप चर्चा कर सकते हैं। मैं आप पर रोक नहीं लगाऊंगा। (व्यवधान)

श्री रतनसिंह राजदा : मन्त्री महोदय ने आरोप लगाया है। (व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर : श्रीमान, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि समय रहा तो मैं आपको अनुमति दूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सन्तोष मोहनदेव हैं ? वे भी असम से हैं। (व्यवधान)

श्री सन्तोष मोहनदेव : श्रीमान··· (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रसिंह राव : कृपया मुझे उत्तर देने दें। (व्यवधान)

श्री सन्तोष मोहनदेव : आप उत्तर दे चुके हो। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें उत्तर देने दीजिये।

श्री वीरेन्द्रसिंह राव : श्रीमान, वे बार-बार वही आरोप लगा चुके हैं कि हमने प० बंगाल सरकार के साथ भेदभाव बरता है और दूसरे यह कि उन्होंने जारी किए गये खाद्यान्नों के 50 प्रतिशत या अधिक तक के प्रमाण-पत्रों को भेज दिया है। मैं इसे स्पष्ट कर चुका हूं। (व्यवधान) पर्याप्त अवसर प्रदान करने की आपकी काफी कृपा थी। इस प्रश्न पर आधे घण्टे की चर्चा भी हुई थी। श्रीमान जैसा कि मैंने कहा इस वर्ष के आरम्भ में मात्रा···

श्री ज्योतिमय बसु : नहीं, नहीं (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रसिंह राव : क्या आप मुझे पूरा उत्तर देने की अनुमति देंगे ? (व्यवधान)

आप नही चाहते हैं कि पूरा उत्तर दूं क्योंकि यह आपको सन्तुष्ट नहीं करता है। (व्यवधान) श्रीमान, 95000 टन की मात्रा पिछले वर्ष का शेष इस वर्ष लाया गया था। इस वर्ष के शुरू में 20,000 टन और जारी कर दिया गया था। इससे कुल मात्रा 1,15,000 टन हो गई है तथा इस वर्ष अगस्त तक हमें केवल लगभग 45,000 टन के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम 30,000 टन और जारी कर चुके हैं। इस से इस वर्ष अप्रैल की शुरू से प० बंगाल के लिए कुल मात्रा 1,45,000 टन हो जाती है और श्रीमान प० बंगाल सरकार ने हाल में 10 नवम्बर को एक टैलम्स संदेश भेजा है जिसमें कहा गया है कि 53,000 टन—53021 टन का उपयोग किया जा चुका है। अब ये 53,000 टन 1,45,000 टन की कुल मात्रा का 50 प्रतिशत नहीं है। यह उनका अपना ब्यान है और हम उससे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। क्यों कि यह उपयोग प्रमाण-पत्र के रूप में होना चाहिए। परन्तु 10 नवम्बर, को भेजे गये उनके टैलम्स सन्देश में भी यह कहा गया है कि उन्होंने 50 प्रतिशत का उपयोग नहीं किया है। यह अपेक्षित मात्रा से बहुत कम है। कुल 1,45,000 टनों में केवल 53,000 टन है। यह संख्या है और मैं···

अध्यक्ष महोदय : श्री सन्तोष मोहन देव।

श्री सन्तोष मोहन देव : श्रीमान, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का मूल विचार ग्रामीण जनता की मदद करना है। असम तथा सम्पूर्ण अन्य उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में ग्रामीण लोग हड़तालों तथा बन्द के कारण पीड़ित हो रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा, क्यों कि वे अपने वक्तव्य में कह चुके हैं कि नागालैंड, मणिपुर और असम उपयोग प्रमाण-पत्र के बारे में बकायादार हैं, असम में वर्तमान स्थिति के विचार से क्या वे नरमी का रुख अपनायेंगे और उन्हें छूट देंगे और सारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र को अधिक खाद्यान्न जारी करेंगे ताकि ग्रामीण लोगों को विकास कार्य में कुछ काम मिल सके।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

जोधपुर में सूक्ष्मतरंगीय प्रणाली परियोजना

*185. श्री अशोक गहलोत : क्या संचार मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जोधपुर में सूक्ष्मतरंगीय प्रणाली परियोजना और उससे संबद्ध केन्द्र ने कार्य आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का कार्य कब आरम्भ किया गया था;

(ग) उस पर कितना खर्च आयेगा, उसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है और इस समय उसकी प्रगति क्या है;

(घ) राजस्थान में इस परियोजना के आरम्भ किए जाने के बाद से सूक्ष्मतरंगीय प्रणाली आरम्भ करने का कार्य देश के अन्य कौन-कौन से भागों में आरम्भ किया गया था। और इस बारे में अब तक हुई प्रगति का पूरा ब्यौरा क्या है;

(ङ) जोधपुर में सूक्ष्मतरंगीय प्रणाली और उससे संबद्ध केन्द्र के चालू हो जाने से संचालन दक्षता में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है और जोधपुर का कौन-कौन से नगरों के साथ सीधा टेलीफोन सम्बन्ध हो जाएगा;

(च) जोधपुर के महत्व को देखते हुए दूर संचार के क्षेत्र में कौन-कौन सी भावी योजनाएं तैयार की गई हैं या विचाराधीन हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां।

(ख) जोधपुर-अजमेर-जयपुर-चौड़ीपट्टी सूक्ष्म तरंग प्रणाली का कार्य अप्रैल, 1975 में चालू किया गया था।

(ग) से (च) 166.88 लाख रुपये की लागत की जोधपुर-अजमेर-जयपुर चौड़ीपट्टी सूक्ष्म तरंग प्रणाली नयी दिल्ली-जयपुर-बम्बई सूक्ष्म तरंग प्रणाली के संशोधित प्राक्कलन के हिस्से बतौर मंजूर की गई थी। जोधपुर-अजमेर-जयपुर मार्ग पर सिविल निर्माण कार्य चल रहा है। कुछ उपस्कर प्राप्त हो चुके हैं और समूची सप्लाई 1982-83 के दौरान प्राप्त होने की उम्मीद है। इस योजना के 1983 के दौरान पूरी हो जाने की सम्भावना है।

अप्रैल, 1975 में जोधपुर-अजमेर-जयपुर चोड़ी पट्टी सूक्ष्म तरंग प्रणाली शुरू करने के बाद निम्नलिखित चौड़ी पट्टी सूक्ष्म तरंग प्रणालियां कार्यान्वियन हेतु चालू की गई हैं :—

1. शिमला-अम्बाला-अमृतसर
2. कलकत्ता-उत्तर बंगाल-असम
3. मद्रास-सेलम-कोयम्बटूर-एर्नाकुलम/सेलम-तिरुची-मदुरै
4. नागपुर-सिकन्दराबाद-बंगलूर
5. मद्रास-खड़गपुर

इन सम्पर्कों की प्रगति से सम्बन्धित वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

1. **शिमला-अम्बाला-अमृतसर** : सिविल निर्माण कार्य चल रहा है। कुछ उपस्कर प्राप्त हो चुके हैं और उपस्करों की पूर्ण सप्लाई 1982-83 के दौरान प्राप्त हो जाने की सम्भावना है।

2. **कलकत्ता-उत्तर बंगाल-असम** : कलकत्ता-कूच बिहार-शिलांग शाखा पर रेडियो उपस्कर की संस्थापना का कार्य पूरा हो चुका है। शेष शाखाओं अर्थात् गोहाटी-जोरहाट-तिनसुकिया का सिविल निर्माण कार्य चल रहा है। इस योजना हेतु मल्टीप्लक्सिंग उपस्कर आंशिक रूप से प्राप्त हो चुके हैं और उपस्करों की समूची सप्लाई 1982-83 के दौरान प्राप्त होने की सम्भावना है।

3. **मद्रास-सेलम-कोयम्बटूर-एर्नाकुलम/सेलम तिरुची-मदुरै** : सिविल निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अब रेडियो उपस्कर की संस्थापना का कार्य चल रहा है। इस योजना हेतु मल्टीप्लक्सिंग उपस्करों की आंशिक सप्लाई प्राप्त हो चुकी है और इस सप्लाई के उत्तरोत्तर रूप से 1981-82 और 1982-83 के प्रारम्भ में ही पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

4 एवं 5. **नागपुर-सिकन्दराबाद-बंगलूर** : नागपुर-बंगलूर और मद्रास-खड़गपुर सूक्ष्मतरंग दोनों योजनाओं पर सिविल-निर्माण कार्य अपनी प्राथमिक अवस्था में है और उस पर कार्य चल रहा है। टावरों, पावर संयंत्र और रेडियो उपस्करों हेतु आदेश दे दिए गए हैं।

जोधपुर-अजमेर-जयपुर चौड़ी पट्टी सूक्ष्मतरंग प्रणाली के पूरा होने के साथ ही जोधपुर को राष्ट्रीय ट्रंक जालकार्य से जोड़ने के लिए और अधिक ट्रंक सर्किट उपलब्ध होंगे। यह प्रस्ताव है कि प्रारम्भ में जोधपुर से राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण शहरों जैसे जयपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर और अजमेर को एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की जाएगी। यह सुविधा उत्तरोत्तर रूप से देश के अन्य महत्वपूर्ण शहरों तक बढ़ाई जाएगी।

जोधपुर के अनुकूल स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए निम्नलिखित दूरसंचार योजनाएं तैयार की जा रही हैं/विचाराधीन हैं :—

1. जोधपुर-बलोत्रा-बाड़मेर-जैसलमेर तंग पट्टी सहधूरीय केबुल प्रणाली।

2. जोधपुर-पालीमरवार-फालना-सुमेरपुर-सिरोही-आबूरोड-पालनपुर तंग पट्टी सहधुरीय केबुल प्रणाली।

3. उपग्रह माध्यम द्वारा जोधपुर को अन्य महानगरीय शहरों से जोड़ने हेतु जोधपुर में एक भू-उपग्रह केन्द्र।

4. चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान मौजूदा 5000 लाइनों का 8000 लाइनों में विस्तार।

5. 1981-82 के दौरान मन्दौर (जोधपुर शहर) के मौजूदा एम० ए० एक्स० 11 टेलीफोन एक्सचेंज का 200 लाइनों से 300 लाइनों में विस्तार।

6. जोधपुर में 1000 लाइनों वाले ट्रंक स्वचल एक्सचेंज की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है।

मध्य प्रदेश में सूखा राहत के लिए धन हेतु अनुरोध

188. **श्री दिलीपसिंह भूरिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में सूखा-राहत दिये जाने के लिए केन्द्र सरकार से वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 में कितनी राशि की मांग की गई;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इन वर्षों के लिए राज्य को इस कार्य के लिए योजना और गैर-योजना शीर्षों के अन्तर्गत कितनी-कितनी राशियां स्वीकृत की गई हैं; और

(ग) मध्य प्रदेश राज्य को इस कार्य के लिए शेष राशि कब तक दे दी जायेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री वीरेन्द्रसिंह राव) : (क) 1979-80 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने 91.00 करोड़ रुपए की सहायता मांगी थी। 1980-81 के दौरान राज्य सरकार ने सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए अप्रैल, 1980 में अपने प्रथम ज्ञापन द्वारा 165.17 करोड़ रुपए तथा दिनांक 10 नवम्बर, 1980 के द्वितीय पूरक ज्ञापन द्वारा 11 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता मांगी थी।

(ख) तथा (ग) केन्द्रीय दलों की रिपोर्ट तथा राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफा-रिशों के आधार पर भारत सरकार ने 1979-80 तथा 1980-81 के दौरानकेन्द्रीय सहायता के रूप में निम्नलिखित व्यय की मंजूरी दी है :—

वर्ष	गैर योजना	योजना	कुल (करोड़ रुपए)
1979-80	1.55	21.25	22.80
1980-81	4.26	43.64	47.90

स्वीकृत सीमा से अधिक होने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

तथापि, 11 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि की सहायता के विषय में राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

कोसी नहर परियोजना के लिए आबंटन और उससे सिंचित अनुमानित क्षेत्र

*189. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोसी नहर परियोजना के निर्माण के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के लिए कितना आबंटन किया गया है और वर्ष के दौरान कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है और किए गये कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना से कुल कितने एकड़ भूमि की सिंचाई की जायेगी;

(घ) इस परियोजना के निष्पादन के लिए किस एजेन्सी/एजेन्सियों का इस्तेमाल किया जा रहा है;

(ङ) क्या प्रस्तावित कोसी नियंत्रण बोर्ड का गठन कर लिया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) और (ख) भारत सरकार के पास उपलब्ध अद्यतन सूचना नीचे दी गई है :—

(करोड़ रुपयों में)

मद	अद्यतन अनुमानित लागत (1976)	1980-81 के लिए अनुमोदित परिव्यय	1980-81 में हुआ व्यय
पूर्वी नहर	104.25	3.9	1.49
राजपुर नहर	25.17	2.00	0.34
पश्चिमी कोसी नहर (भारतीय भाग)	161.80	6.00	1.80 सितम्बर, 1980 तक
पश्चिमी कोसी नहर (नेपाल भाग)	39.99	7.91	0.81

1980-81 के दौरान हुए कार्य का ब्योरा निम्न प्रकार है :—

	पूर्वी नहर 9/80 तक	राजपुर नहर 9/80 तक	पश्चिमी नहर भारतीय भाग 6/80 तक
1. मृदा कार्य	1.4 लाख घन मीटर	0.87 लाख घन मीटर	1.7 लाख घन मीटर
2. लाइनिंग (बोल्डर पिचिंग)	0.1 लाख वर्ग मीटर	—	1.02 लाख वर्ग मीटर

इसके अलावा, संरचनाओं तथा जल मार्गों पर कार्य प्रगति कर रहा है।

(ग) कोसी नहर परियोजना के अन्तर्गत आयोजित कुल वार्षिक सिंचाई निम्न प्रकार है :—

	हजार हैक्टेयर
1. पूर्वी नहर	434
2. राजपुर नहर	125
3. पश्चिमी कोसी नहर	
(1) भारतीय भाग	219
(2) नेपाल भाग	15
कुल	793

(घ) इस परियोजना पर कार्य बिहार सरकार द्वारा विभागीय रूप से तथा ठेकेदारों द्वारा कराया जा रहा है।

(ङ) और (च) प्रस्तावित कोसी नियंत्रण बोर्ड का गठन अभी नहीं किया गया है क्योंकि इस बोर्ड को गठित करने के बारे में बिहार सरकार की सहमति अभी प्राप्त नहीं हुई है।

गंग नहर में पानी छोड़ा जाना

*190. श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से राजस्थान में गंग नहर में कितने क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है;

(ख) क्या मरम्मत होने के कारण अथवा नहर में गाद जमा हो जाने के कारण पूरा पानी नहीं छोड़ा गया;

(ग) यदि हां, तो सुधारात्मक उपाय न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि ऐसे उपाय किये गये हैं तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) पंजाब में पड़ने वाले नहर के ऊपरी भाग को बीकानेर नहर कहा जाता है। पंजाब-राजस्थान सीमा के बाद इसे गंग नहर कहा जाता है। बीकानेर नहर के शीर्ष पर इस नहर में छोड़े जाने वाले जल की मात्रा और पंजाब-राजस्थान सीमा पर राजस्थान को दिए जाने वाले जल की मात्रा, राजस्थान द्वारा दी गई सूचना के अनुसार संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) यद्यपि बीकानेर नहर की लाइनिंग खराब हो गई है और इसकी मरम्मत किए जाने की आवश्यकता है, लेकिन भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्टसंलग्न विवरण से पता चलता है कि बीकानेर नहर पिछले तीन वर्षों के दौरान 2720 क्यूसेक की अपनी अभिकल्पित क्षमता के अनुसार जल लाती रही है। तथापि, पंजाब-राजस्थान सीमा पर पहुंचने वाला जल 2640 क्यूसेक के अभिकल्पित निस्सरण से कम है। यह शायद लाइनिंग के खराब होने के परिणामस्वरूप बहुत अधिक रिसन होने के कारण है।

बीकानेर नहर की लाइनिंग की मरम्मत करने के प्रश्न पर पंजाब और राजस्थान सरकारों के साथ विचार किया जा रहा है, ताकि राजस्थान क्षेत्र में गंग नहर को सिंचाई के जल की सप्लाई पर प्रभाव डाले बिना उक्त कार्य को हाथ में लेने के लिए परस्पर-सम्मत करार किया जा सके। चूंकि दोनों राज्य सरकारें इस बारे में किसी समझौते पर नहीं पहुंच सकीं, इसलिए राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। दोनों राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की गई हैं जिसके परिणामस्वरूप दोनों राज्यों के मुख्य इंजीनियर अपने-अपने प्रस्तावों में निहित लागत अनुमानों तथा अन्य बातों की पुन: जांच कर रहे हैं। इस जांच और अध्ययनों के परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

हिजरी संवत के बारे में स्मारक टिकट

*191. श्री जी० एम० बनातवाला :

श्री राम अवध :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुस्लिम हिजरी संवत की 1400वीं शताब्दी के अवसर पर स्मारक टिकट को समय पूर्व रिलीज कर दिया गया था;

विवरण

बीकानेर नहर में जल का डिस्चार्ज

(मासिक औसत क्यूसकों में)

	शीर्ष पर				(पंजाब-राजस्थान सीमा पर)			
	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81
अप्रैल	1614	2720	1817*	2713	2289	2383	1594*	2172
मई	2211	2504	2684	2222	1903	2174	2322	1834
जून	2105	2720	2720	2318	1780	2401	2308	1997
जुलाई	2720	2294	2720	2381	2361	2068	2365	1968
अगस्त	2720	2097	2172	2466	2412	1872	1812	2066
सितम्बर	2720	2588	2624	2027	2440	2257	2269	1687
अक्तूबर	2720	2720	2631	2002	2372	2374	2283	1604
नवम्बर	2720	2720	2194	1897	2312	2356	1846	1739
दिसम्बर	2720	2720	2365	(26-11-1980 तक)	2312	2356	1997	(20-11-80 तक)
जनवरी	2720	2711	1995		2436	2288	1694	
फरवरी	2720	2713	2252		2357	2255	1900	
मार्च	2661	2720	2585		2292	2358	2268	

*नहर को 10-4-79 से 16-4-79 तक बन्द रखा गया था।

(ख) यदि हां, तो इसे समय पूर्व रिलीज करने की परिस्थितियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि इस बारे में कोई जांच की गई है तो वह क्या है और उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां।

(ख) एवं (ग) जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

अपंग व्यक्तियों के लिए नौकरियों के कोटे से सम्बन्धित विधेयक

*192. **श्री एन० ई० होरो** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपंग व्यक्तियों के लिये नौकरियों का कोटा निर्धारित करते हुए एक व्यापक विधेयक लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक पुनर्वास तथा सामाजिक एकता के लिए उपलब्ध वैज्ञानिक उपायों पर विचार करने के लिए एक कार्यकारी दल की स्थापना की है। दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

दिल्ली में विकलांगों का संस्थान

*193 **श्री राजेश कुमार सिंह :**

श्री नारायण चौबे :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में विकलांगों के संस्थान के लिए प्रति वर्ष अनुदान की कितनी राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाती है;

(ख) क्या इस संस्थान का प्रबन्ध असन्तोषजनक है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) नई दिल्ली में विकलांगों के संस्थान के लिए वर्ष 1980-81 हेतु 23,80,000 रुपए का बजट प्रावधान है।

(ख) तथा (ग) हाल में संस्थान के प्रबंध में कुछ कमियां सरकार के नोटिस में आई थीं। इनके बाद इनको दूर करने के लिए और इसके कार्य को तीव्र करने हेतु कार्यवाही शुरू की गई। इनमें निदेशक का परिवर्तन तथा कार्यशाला के प्रबन्ध के तकनीकी पहलुओं सहित भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर की एसोसिएशन का परिवर्तन शामिल है। फिर भी, इन

कार्यवाइयों को दो रिट याचिकाओं में उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है जिनका ब्यौरा नीचे दिया जाता है।

1. 1980 की सिविल रिट याचिका संख्या 1128

श्री रघुनन्दन प्रसाद, आवेदक

बनाम

भारत सरकार—प्रतिवादी

2. 1980 की सिविल रिट याचिका संख्या 1301

श्री बाल किशन तथा अन्य—आवेदक

बनाम

भारत सरकार—प्रतिवादी

पहली रिट याचिका प्रवेश के लिए अभी भी उच्च न्यायालय में अनिर्णित पड़ी हुई है। जहां तक दूसरी याचिका का सम्बन्ध है, उच्च न्यायालय ने प्रवेश के लिए याचिका पर पहले ही सुनवाई कर ली है लेकिन इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय द्वारा पास किए गए आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार

*194. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से ग्रामीण शिक्षित बेरोजगारों, अर्थात्, मैट्रिक पास और स्नातकों की, उनके शैक्षिक तथा अन्य पृष्ठभूमि के कारण रोजगार सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है क्योंकि इस पृष्ठभूमि के कारण वे वस्तुतः शारीरिक श्रम करने योग्य नहीं रहते;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार शिक्षित ग्रामीश बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए वैकल्पिक उपाय करने अथवा वर्तमान राष्ट्रीय ग्रामीण बेरोजगार कार्यक्रम में संशोधन करने का है ताकि उनको इस कार्यक्रम में सुपरवाइजरी अथवा लिपिकवर्गीय काम देकर उक्त कार्यक्रम में ग्रामीण शिक्षित युवकों को लिया जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बासेश्वर राम) : (क) से (ग) काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो पिछले तीन वर्षों से चल रहा है, में अब संशोधन कर दिया गया है और उसे राष्ट्रीय ग्रमीण रोजगार कार्यक्रम का नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमन्द व्यक्तियों को रोजगार के नए अवसर सुलभ करने के लिए खाद्यान्नों के फालतू भण्डारों को उपयोग में लाना है। यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विकास खण्ड में 1600 निर्धन परिवारों को रोजगार सुलभ करने के लिए मुख्य साधन के रूप में कार्य करेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमन्द व्यक्तियों को रोजगार के अवसर सुलभ कराने में शिक्षित तथा अशिक्षित व्यक्तियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है।

ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों जो गरीबी की रेखा से ऊपर है, के लिए भी इस मन्त्रालय द्वारा एक अलग कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम में यह परिकल्पना की गई है कि प्रति वर्ष प्रति खण्ड से इस श्रेणी के 50 व्यक्तियों का चयन किया जाए तथा उन्हें तकनीकी कुशलताओं से सज्जित किया जाए और उन्हें सभी एक मुश्त सेवाएं उपलब्ध कराई जाए और उन्हें स्वरोजगार की परियोजनाएं शुरू करने में सहायता सुलभ कराई जाए। यह योजना इस समय योजना आयोग के विचाराधीन है।

कृषि मूल्य आयोग द्वारा सुझाये गये मूल्य

195. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल :**

श्री बाला साहिब विखे पाटिल :

क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) कृषि मूल्य आयोग ने मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी तथा तिलहनों के लिए किन मूल्यों की शिफारिश की;

(ख) सरकार ने इन कृषि वस्तुओं के वास्तव में क्या मूल्य घोषित किये हैं;

(ग) कृषि मूल्य आयोग ने मूल्यों की शिफारिश के क्या मानदंड अपनाए; और

(घ) सरकार द्वारा वास्तव में नियत किये गये मूल्यों का आधार क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मन्त्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) : (क) से (घ) मक्का, बाजरा, ज्वार और रागी के लिए कृषि मूल्य आयोग द्वारा सुझाये गये अधिप्राप्ति मूल्य, तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा 1980-81 के फसल मौसम के लिए इन जिन्सों के लिए सरकार द्वारा घोषित मूल्य नीचे दिये गए हैं :—

जिन्स	कृषि मूल्य आयोग द्वारा सुझाये गये अधिप्राप्ति न्यूनतम समर्थन मूल्य	सरकार द्वारा निश्चित किये गये अधिप्राप्ति/न्यूनतम समर्थन मूल्य
		(रुपए प्रति क्विंटल)
	अधिप्राप्ति मूल्य	
मक्का	97.50	105.00
बाजरा	97.50	105.00
ज्वार	97.50	105.00
रागी	97.50	105.00
तिलहन	**न्यूनतम समर्थन मूल्य**	
मूंगफली	206.00	206.00
सूरजमुखी के बीज	183.00	183.00
सोयाबीन	183.00	83.00
तोरिया तथा सरसों	260.00	अभी घोषित नहीं

किसी जिन्स विशेष के लिए अधिप्राप्ति/समर्थन मूल्यों की सिफारिश करते समय कृषि मूल्य आयोग उस जिन्स की अर्थव्यवस्था के समस्त पहलुओं, उसके उत्पादन, मूल्य प्रवृति उत्पादन की लागत के उपलब्ध आंकड़ों, प्रतियोगी फसलों के मूल्यों, उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कृषकों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता और शेष अर्थव्यवस्था, रहन सहन की लागत, मजदूरी के स्तर व औद्योगिक लागत संरचना पर पड़ने वाले मूल्य नीति सम्बन्धी प्रभावों को दृष्टिगत रखता है। आयोग को अब कृषिगत और गैर-कृषिगत क्षेत्रों के बीच व्यापार के रूप में होने वाले परिवर्तनों पर भी विचार करना होता है।

अधिप्राप्ति/न्यूनतम समर्थन मूल्यों को निश्चित करते हुए सरकार आयोग की सिफारिशों, राज्यों के मुख्य मंत्रियों या कृषि/खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रियों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों व केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों के विचारों को भी ध्यान में रखती है।

दिल्ली में समानान्तर डाकघर गिरोह

*196. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :**

श्री छीतूभाई गामित :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और नई दिल्ली में एक गिरोह द्वारा चलाये जा रहे समानान्तर डाकघर का हाल ही में पता लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने व्यक्तियों का हाथ है और उनका काम करने का तरीका क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) (क) : जी हां।

(ख) दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है।

राजघाट, दिल्ली के निकट इन्डोर स्टेडियम

*197. **श्री दौलतराम सारण :**

श्री छांगुरराम :

क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भारतीय तथा विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों की सलाह के विरुद्ध एशियाई खेलों के लिये राजघाट के निकट "इन्डोर स्टेडियम" का निर्माण आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो तकनीकी विशेषज्ञों ने राजघाट के निकट "इन्डोर स्टेडियम" के निर्माण के सम्बन्ध में क्या मत व्यक्त किया और प्राधिकरण द्वारा उनके मत के विपरीत कार्य करने के लिए क्या आधार हैं; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त परियोजना पर कितना व्यय किए जाने का अनुमान है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने राजघाट के पास इन्डोर स्टेडियम का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया है। उन्होंने सूचित किया है कि इसका निर्माण कार्य संरचनात्मक इंजीनियरी के विशेषज्ञों की सुस्पष्ट राय के विपरीत नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि परियोजना की अनुमानित लागत 15.35 करोड़ रुपये है।

डल झील को प्रदूषण का खतरा

*198. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन हैरिटेज सोसायटी ने एक ज्ञापन पेश किया है जिसमें सरकार का ध्यान श्रीनगर में डल झील में प्रदूषण के बढ़ते हुए खतरे की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा डल झील को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : (क) जी, हां। इण्डियन हैरिटेज सोसाइटी ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया है, जो पर्यावरण की समस्या और पुरातत्वीय तथा कलात्मक परम्परा पर प्रदूषण के प्रभाव के बारे में है। इसमें अन्य बातों के साथ श्रीनगर में डल लेक को जीर्णोद्धार करने के लिए कहा गया है।

(ख) यह ज्ञापन सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गये पर्यावरण विभाग के विचाराधीन है।

बाल कल्याण परियोजनायें शुरू करना

*199. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा** :

श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाज कल्याण सम्बन्धी एक कार्य दल ने अतिरिक्त बाल कल्याण परियोजनाएं शुरू करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या पूरे देश में समेकित बाल विकास सेवाओं का विस्तार करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपरोक्त योजनाओं को कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां। समाज कल्याण से सम्बन्धित कार्यकारी दल अन्य बातों के साथ-साथ, सिफारिश की थी कि छठी

पंच-वर्षीय योजना 1980-85 के दौरान 800 अतिरिक्त समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं शुरू की जाएं।

(ग) से (ङ) योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

संयुक्त नदी परियोजना के लिए नेपाल के साथ बातचीत

*200. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त नदी घाटी परियोजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित करने और कठिनाइयों को दूर करने हेतु मार्गोपाय ढूंढ़ने के लिए अगस्त के महीने में भारत और नेपाल के बीच औपचारिक बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उन नदी घाटी परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनके बारे में बैठक में चर्चा की गई थी; और

(ग) इनमें से प्रत्येक को क्रियान्वित करने के लिए तैयार किये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिलाउर रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) जिन महत्वपूर्ण जल-विद्युत और सिंचाई परियोजनाओं के बारे में विचार-विमर्श हुआ था, वे ये हैं :—

(1) करनाली जल-विद्युत परियोजना;

(2) पंचेश्वर जल-विद्युत परियोजना;

(3) राप्ती (बालु भांग) बहुप्रयोजनी परियोजना; और

(4) कोसी उच्च बांध परियोजना

(ग) यह तय हुआ था कि उपर्युक्त (1) से (3) तक की परियोजनाओं से सम्बन्धित संयुक्त विशेषज्ञ समितियों की बैठकें शीघ्र बुलाई जाएं ताकि परियोजना-रिपोर्टों को शीघ्र अन्तिम रूप दिया जा सके। जहां तक कोसी उच्च बांध परियोजना का सम्बन्ध है, यह सहमति हुई थी कि भारत सरकार द्वारा जो अद्यतन रिपोर्ट तैयार की जा रही है, उसे अन्तिम रूप दिये जाने के बाद नेपाल सरकार के पास भेजा जाए।

टोटा चावल अस्वीकार करने की सीमा बढ़ाया जाना

*201. **श्री एल० एस० तुर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने अनुरोध किया है कि टोटा चावल को अस्वीकार करने की सीमा को 25% से बढ़ा कर 27% कर दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में अब तक क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) उन किसानों की क्षतिपूर्ति किस प्रकार की जायेगी जिन्होंने अपने धान की फसल को पहले ही बेच दिया ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने कच्चे चावल में टोटे चावल को अस्वीकार करने की सीमा में छूट देना स्वीकार नहीं किया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गुजरात के गांवों में पेयजल

*202 श्री डी० पी० जदेजा :
श्री अमरसिंह राठवा :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के कितने गांवों में 31 दिसम्बर, 1979 को पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं थी;

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितने गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई गई है;

(ग) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिकता निर्धारण करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाया गया है; और

(घ) गुजरात राज्य में सभी गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नरायणसिंह) : (क) 1 अप्रैल, 1980 को 5328 समस्या ग्रस्त ग्राम । 31 दिसम्बर, 1979 को इसी प्रकार के आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान, सितम्बर, 1980 के अन्त तक 115 समस्या ग्रस्त ग्रामों को जल पूर्ति की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं ।

(ग) उन समस्या ग्रस्त ग्रामों को वरीयता दी जाती है जहां जल उपयुक्त दूरी या गहराई पर उपलब्ध न हो या जहां जल पीने योग्य न हो ।

(घ) छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान (1980-85) राज्य में शेष सभी समस्या ग्रस्त ग्रामों को पेय जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा "हुडको" योजना के अन्तर्गत फ्लैट

*203 श्री दयाराम शाक्य : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा हुडको योजना के अधीन जनता, निम्न आय वर्ग तथा मध्य आय वर्ग के फ्लैटों के आवंटन के लिए पंजीकरण किया गया था;

(ख) क्या इन फ्लैटों की कीमत में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो इन फ्लैटों की संशोधित लागत क्या होगी;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इन फ्लैटों का निर्माण आरम्भ कर दिया है, यदि हां, तो किन कालोनियों में और यदि नहीं, तो निर्माण कब आरम्भ होगा;

(घ) इन फ्लैटों के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण; और

(ङ) इस योजना के अन्तर्गत सभी पंजीकृत व्यक्तियों को सरकार कब तक फ्लैट उपलब्ध करा सकेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 1979 की नई पद्धति की पंजीकृत योजना के लिए जारी की गई विवरणिका में यह कहा गया था कि "मूल्य अनुमानित हैं और अन्तिम लागत नहीं है।" अतः लागत की बढ़ोतरी के अनुसार, मूल्य का संशोधन करना आवश्यक हो सकता है।

(ग) तथा (घ) जी, हां। इस योजना के अन्तर्गत, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1500 फ्लैटों का आबंटन करने की घोषणा पहले ही कर दी हैं और लगभग 10,000 अन्य फ्लैट, राजौरी गार्डन, वजीरपुर, बोडेला, शालीमार बाग, लारेन्स रोड, रामपुरा, जनकपुरी और पीतमपुरा, में निर्माण के विभिन्न चरणों में है।

(ङ) 1979 की नई पंजीकृत योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को 5 से 7 वर्षों के समय के भीतर मकान देना सम्भव हो सकता है। बशर्ते कि निधियां और भवन निर्माण सामग्री उपलब्ध होती रहे।

मोबाइल स्टैन्डर्ड किराया

*204. श्री अटल बिहारी बाजपेयी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किराये पर लिए गए भवनों के अनुरक्षण और मरम्मत की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए किराया नियंत्रण अधिनियम में परिवर्तन लाने के लिए "मोबाइल स्टैन्डर्ड रेन्ट" की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है; और यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या इस प्रकार के प्रस्ताव से किरायेदारों के हितों पर काफी बुरा असर पड़ने की सम्भावना है; और

(ग) सरकार का उन किरायेदारों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है जो हाल ही में की गई तेज किराया वृद्धि से लाभ कमाने के इच्छुक मकान मालिकों के दबाव में हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : (क) किराया नियन्त्रण राज्य का विषय है। तथापि, जहां तक दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1958 का प्रश्न है, ऐसे किसी प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत प्रत्येक किरायेदार को अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत नियंत्रक को परिसर का मानक किराया निर्धारित करने के लिए अनुरोध करने का अधिकार है।

भारतीय खाद्य निगम व्यापार में भ्रष्टाचार

1793. श्री भगवान देव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अजमेर से प्रकाशित होने वाले दिनांक 26 अगस्त, 1980 के 'न्याय' में "खाद्य निगम व्यापार रिश्वत का बोलबाला" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां। (ख) भारतीय खाद्य निगम ने प्रेस रिपोर्ट में उल्लिखित आरोपों की जांच की थी। हालांकि रिश्वत की मांग करने विषयक आरोप सिद्ध नहीं हुआ था लेकिन परेशान करने विषयक आरोप को सही पाया गया था। भारतीय खाद्य निगम सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहा है।

रत्नगिरि (महाराष्ट्र) से मछली का निर्यात

1794. श्री बापू साहेब पारूलेकर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि महाराष्ट्र में जिला रत्नगिरि से करोड़ों रुपयों के मूल्य की मछली का निर्यात किया जाता है और विगत तीन वर्षों में निर्यात की गई मछली का वर्ष-वार मूल्य कितना है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि गत वर्ष मछली अधिक मात्रा में नहीं पकड़ी गई और रत्नगिरि जिले में मछली उद्योग में वित्तीय संकट पैदा हो गया है और मछेरे बहुत कठिनाई में हैं तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिये ऋण अदा करने में असमर्थ हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार मछली के निर्यात में वृद्धि हेतु मछेरों को वित्तीय सहायता देने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां। गत तीन वर्षों में रत्नगिरि बन्दरगाह के माध्यम से निम्नलिखित मूल्य की मछलियां निर्यात हुई हैं :—

1977-78	204.91 लाख रु०
1978-79	378.31 " "
1979-80	278.66 " "

(ख) पिछले वर्ष रत्नगिरि जिले में मछलियां पकड़ने के काम में कोई कमी नहीं हुई है। वास्तव में 1979—में गत वर्ष की तुलना में 10,000 मीटरी टन अधिक मछलियां पकड़ी गई हैं।

(ग) महाराष्ट्र सरकार विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मछुओं को वित्तीय सहायता दे रही है। राज्य सरकार प्रति किलो समुद्री आहार के लिए 50 पैसे की अदायगी कर रही है। राज्य सरकार ऋणों की वसूली को स्थगित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

अंदमान में डिग्लीपुर तहसील में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन योजना

1795. श्री मनोरंजन भक्त : क्या ग्रामीण पुनर्निमाण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिग्लीपुर तहसील में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन अन्दमान जिला उपायुक्त द्वारा कितनी योजनाएं बनाई गई हैं और कितनी योजनाएं पूरी हो चुकी हैं;

(ख) उनको कितनी सफलता है और प्रत्येक योजना में, अलग अलग, कितने व्यक्तियों ने काम किया और उन गांवों के नाम क्या हैं जहां काम किया गया है;

(ग) क्या कुछ योजनाएं चल रही हैं, यदि हां, तो उन योजनाओं के नाम क्या हैं और वे कहां कहां पर चल रही हैं और प्रत्येक योजना में कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं और वे कब तक पूरी हो जायेंगी;

(घ) क्या काम के बदले अनाज योजना के अधीन काम करने वाले सभी व्यक्तियों को भुगतान नगद वस्तु के रूप में या दोनों रूपों में किया जाता है और क्या यह भुगतान प्रति सप्ताह, पाक्षिक अथवा महीनेवार किया जाता है और यदि ऐसा कोई भुगतान बकाया है वह कितने व्यक्तियों को और किस योजना के अधीन किया जाना है और इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) क्या डिग्लीपुर तहसील के शाम्नगर गांव में, प्रवासियों ने काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन काम आरम्भ किया था और आज तक उन्हें इस तर्क के आधार पर भुगतान नहीं किया गया है यदि हां, तो इसके लिए उन ग्रामवासियों को क्यों सजा दी जा रही है जिन्होंने काम किया है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आनन्द पर्वत, दिल्ली में अनधिकृत निर्माण

1796. **श्री भीखाभाई** : **क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कमल रैस्टोरेंट (आनन्द पर्वत), दिल्ली के समीप एक बहुमंजिले भवन का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भवन अनधिकृत भूमि पर बनाया गया है और क्या सभी निर्माण पूर्व शर्तों को पूरा किया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे गैर-कानूनी निर्माण पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि इस मामले में कानूनी औपचारिकताओं को निभाने के पश्चात् ढहाने के आदेश पहले ही पारित किए गए थे किन्तु पार्टी न्यायालय से स्थगन आदेश ले आई। दिल्ली नगर निगम स्थगन को समाप्त करवाने के प्रयास कर रहा है और वह न्यायालय के निर्णय के अनुसार आगे कार्रवाई करेगा।

अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण और अर्जन

1797. श्री आर० एल० भाटिया : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व निर्माण और आवास मंत्री ने कुछ समय पूर्व घोषणा की थी कि अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में कब्जे में लिए गए मकानों तथा कार्यालय आवासों को मालिकों को वापस कर दिया जायेगा;

(ख) क्या उन्होंने यह भी घोषित किया था कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा राजधानी में रिहाइशी प्रयोजनों के लिए आवंटित किये गये "लीज होल्ड" प्लाटों को "फ्री होल्ड" में बदलने के प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई समिति के प्रतिवेदन पर भी विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो इन घोषणाओं को कार्यान्वित करने के लिए किस ढंग की कार्रवाई की जा रही है और उसे अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : (क) भूतपूर्व निर्माण और आवास मंत्री श्री प्रकाशचन्द सेठी ने समाचार पत्रों को बयान दिया था कि अचल सम्पत्ति अर्जन तथा अधिग्रहण अधिनियम के हाल ही के संशोधन के आधार पर सरकार द्वारा अपने प्रयोग के लिए अधिग्रहण किये गए रिहायशी तथा कार्यालय वास को उनके मालिकों को लौटा दिया जाएगा ।

(ख) भूतपूर्व मंत्री ने प्रेस सम्मेलन में यह घोषणा की थी कि राजधानी में लीज होल्ड रिहायशी प्लाटों को फ्री होल्ड में बदलने की जांच के लिए नियुक्त की गई समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) जहां तक अधिगृहीत सम्पत्तियों का सम्बन्ध है, अचल सम्पत्ति का अर्जन और अधिग्रहण अधिनियम के हाल ही के संशोधन के अनुसार सरकार द्वारा अधिगृहीत रिहायशी तथा अन्य परिसर जो 10-3-1980 तक 10 वर्ष से अधिक की अवधि से सरकार के दखल में हैं, 10-3-1985 तक मालिकों को पुनः लौटाने अपेक्षित है जब तक कि अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सरकार द्वारा ऐसी कोई सम्पत्ति अधिग्रहण न की गई हो । जहां तक दिल्ली में लीजहोल्ड प्लाटों को फ्री होल्ड में बदलने का प्रश्न है, सरकार द्वारा इस पर शीघ्र ही निर्णय ले लिए जाने की सम्भावना है ।

सूखाग्रस्त उड़ीसा के लिए केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड का प्रादेशिक कार्यालय खोला जाना

1798. श्री चिंतामणि जेना : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार समय-समय पर केन्द्रीय सरकार को यह बताती रही है कि उड़ीसा राज्य के कुछ जिलों के कई खण्ड अकाल की स्थिति का सामना करते हैं क्योंकि वहां पर बहुधा सूखा पड़ता है;

(ख) क्या उड़ीसा में भूमिगत जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किए गए सर्वेक्षण का विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सूखा प्रवण क्षेत्रों में भूमिगत जल की उपलब्धता का पता लगाने के लिए युद्ध स्तर पर सर्वेक्षण करने के लिए केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड राज्य में एक सम्पूर्ण प्रादेशिक कार्यालय खोलने पर विचार कर रहा है और यदि हां, तो यह कार्यालय कब तक खोल लिया जायेगा और यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज़ियाउर रहमान अंसारी) (क) जब कोई राज्य सूखे से प्रभावित होता है और उसका सामना वह अपने सीमान्तिक धन (मार्जिन मनी) से नहीं कर पाता तो वह भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता का अनुरोध करता है जो कि उसे सातवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृत की जाती है।

1979 -80 और 1980-81 (खरीफ की फसल से पहले के मौसम) के दौरान उड़ीसा सरकार ने सूखे से उत्पन्न हुई स्थिति में राहत के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया था और उनको 1979-80 के लिए 14.05 करोड़ रुपये तथा 1980-81 के लिए 17.39 करोड़ रुपये तक का अधिकतम व्यय करने की स्वीकृति दी गई थी।

(ख) अब तक किये गए कार्य के आधार पर, केन्द्रीय भूगत जल बोर्ड द्वारा लगाए गए अनन्तिम अनुमानों से यह पता चलता है कि उड़ीसा राज्य में 13,300 मिलियन घन मीटर की पुनः पूर्तियोग्य भूगत जल क्षमता है। इसमें से अभी तक 439 मिलियन घन मीटर क्षमता का विकास किया गया है और शेष 12,861 मिलियन घन मीटर अभी विकसित करने के लिए उपलब्ध है। बोर्ड ने अपने क्षेत्रीय जल-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अन्तर्गत मार्च, 1980 तक राज्य के 1,55,782 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्र में से 95,822 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है।

(ग) भूगत जल के विकास की गति में तेजी लाने के लिए केन्द्रीय भूगत जल बोर्ड का देश के विभिन्न भागों में और अधिक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 7 नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है। इन कार्यालयों के मुख्यालय कहां पर स्थित होंगे, इस बारे में निर्णय उनकी स्थापना के मामले को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद किया जाएगा। मुख्यालयों के स्थानों के बारे में निर्णय, राज्यों की भूगत जल सम्बन्धी आवश्यकताओं और उस क्षेत्र की प्रशासनिक एकरूपता पर निर्भर करेगा।

गोआ में मत्स्य-ग्रहण बन्दरगाह परियोजना

1799. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ में केन्द्र द्वारा प्रायोजित मत्स्य-ग्रहण बन्दरगाह परियोजना स्थगित की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) जी हां।

(ख) इसका कारण यह था कि गोआ सरकार ने करनझलेम में मछली पकड़ने के प्रस्तावित बन्दरगाह के लिए स्थान की उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की थी। तथापि, पुष्टिकरण की सूचना हाल ही में प्राप्त हो गई है।

दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों द्वारा चुनाव और जनगणना से सम्बन्धित कार्य करना

1800. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में वोटों की गिनती तथा जनगणना सम्बन्धी कार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को सौंपा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इन कामों के लिए अध्यापकों को कितना-कितना समय देना पड़ता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त अवधि में विद्यालयों में अध्यापन-कार्य ठप्प हो जाता है और छात्रों को इस कारण भारी हानि उठानी पड़ती है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन कार्यों को अन्य सरकारी कर्मचारियों को सौंपने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) स्कूल अध्यापकों को अन्य सरकारी कर्मचारियों के साथ जनगणना के कार्य पर लगाया जाता है, परन्तु मतों की गणना के लिए नहीं।

(ख) सामान्यत: प्रात: और सायंकाल को एक दिन में तीन-चार घण्टे।

(ग) स्कूलों में अध्यापन कार्य पर प्रभाव तो पड़ता है पर वह पूरी तरह बन्द नहीं होता क्योंकि स्कूल के सभी अध्यापकों को जनगणना कार्य में नहीं लगाया जाता है।

(घ) अध्यापकों के अलावा सरकारी कर्मचारी इस कार्य के साथ पहले से ही सम्बद्ध हैं।

नेशनल बुक ट्रस्ट की कन्नड़ साहित्य के विषय में पुस्तकें

1801. **श्री एस० बी० सिदनाल :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्नड़ साहित्य के भाव, गौरव और वैभव को प्रकाश में लाने के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट ने कन्नड़, हिन्दी अथवा इंगलिश में कोई पुस्तकें प्रकाशित की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) न्यास "आदान-प्रदान" क्रममाला के अन्तर्गत, प्रत्येक प्रमुख भारतीय भाषा में विशिष्ट पुस्तकों को दूसरी प्रमुख भारतीय भाषाओं में अनुवाद तथा प्रकाशित करने के लिए चुनता है। ये पुस्तकें आमतौर पर साहित्यिक गुण वाली आधुनिक तथा समकालीन होती हैं। और इनका चयन दूसरे प्रदेशों के पाठकों को एक विशेष प्रदेश की जीवनी को समझने और उनकी सराहना करने की दृष्टि से किया जाता है तथा इस प्रकार से राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन मिलता है। अन्य क्रममालाओं के अन्तर्गत न्यास ऐसी पुस्तकें भी प्रकाशित करता है जो कन्नड़ सहित प्रमुख भारतीय भाषाओं के साहित्य पर प्रकाश डालती हैं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1. 31-10-1980 की यथा स्थिति के अनुसार आदान-प्रदान क्रममाला के अन्तर्गत हिन्दी में प्रकाशित कन्नड़, साहित्य की पुस्तकें ।

क्रम सं०	पुस्तक	लेखक
1	2	3
1.	अलीदा मेले	के० शिवरामकर्णथ
2.	चिकवीरा राजेन्द्र	मस्ती वेंकटेशा आयंगर
3.	ग्रामायण	राव बहादुर कुलकर्णी
4.	अनादि अनंत	आद्य रंगाचार्य
5.	गृह भंगा	डा० एस० एल० भिरप्पा
6.	मुक्ति	शांतिनाथ देसाई
7.	नम्मुरिना रसिकास	गोसर रामास्वामी आयंगर
8.	निसर्ग	मोरजी अन्नाराव
9.	गंगवा गंगभाई	डा० एस० मोकाशी 'पुणेकर'
10.	कन्नड़ लघु कहानियों का संग्रह	जी०एच०नायक (द्वारा संकलित)

(हिन्दी संस्करण तैयार किया जा रहा है)

2. 30-10-1980 की यथास्थिति के अनुसार अन्य क्रममालाओं के अन्तर्गत प्रकाशित पुस्तकें ।

क्र० सं०	पुस्तक	लेखक	भाषा
1	2	3	4
1.	मैसूर	एन० रामाचन्द्ररैय	हिन्दी, अंग्रेजी
2.	भारतीय थियेटर	आद्य रंगाचार्य	हिन्दी, अंग्रेजी
3.	परम्परागत भारतीय थियेटर	कपिला वात्स्यायन	अंग्रेजी
4.	कन्नड़ थियेटर	डा० एच० के रंगानाथ	(कन्नड़ में तैयार किया जा रहा है ।)
5.	वासवन्ना	डा० एम० चिदानन्दमूर्ति	अंग्रेजी
6.	पूर्णदारादास	वी० सीतारमैया	कन्नड़, हिन्दी, अंग्रेजी
7.	कन्नड़ पद्य का संग्रह	यू० आर० आनंतमूर्ति (संकलनकर्ता)	कन्नड़

घटिया स्तर के कीट नाशकों की बिक्री

1802. श्री एस० एम० कृष्णन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कीटनाशी उद्योग में समाज विरोधी तत्व घटिया स्तर के कीटनाशकों को बेचकर जो कीड़े मारने के लिए निष्प्रभावी पाये गये हैं, कृषक समुदाय का शोषण कर रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो सरकार का उनकी गतिविधियां रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मन्त्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) : (क) कृषकों को घटिया कीटनाशी दवाइयां मिलने की रिपोर्ट समय-समय पर मिली हैं।

(ख) कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत कीटनाशी दवाइयों के निरीक्षकों को इन दवाइयों के नमूने लेने तथा उनका विश्लेषण कराने का अधिकार है। यदि नमूने घटिया पाए जाते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

हाल ही में सरकार ने निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय किए हैं :—

1. जिन राज्यों में क्रियात्मक कीटनाशी नियंत्रण प्रयोगशालाएं नहीं हैं, उनसे प्राप्त होने वाले कीटनाशी-नमूनों के लिए केन्द्रीय कृमिनाशी प्रयोगशाला में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता निर्धारित की गई है।

2. विभिन्न राज्यों में नमूनों को एकत्र करने तथा उनका विश्लेषण करने से संबन्धित प्रगति की समीक्षा छमाही क्षेत्रीय बैठकों में की जाती है।

3. अप्रैल, 1980 में हुई वार्षिक पौध रक्षण सम्मेलन के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ध्यान उनकी इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की ओर आकर्षित किया गया था।

4. निदेशक, भारतीय मानक संस्था से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया है कि आई० एस० आई की छाप वाली कीटनाशी दवाइयां उनके संबंध में निर्धारित मानक के अनुरूप हों।

5. राज्यों में कोटि नियंत्रण तंत्र के स्तर का जायजा लेने के लिए पांच क्षेत्रीय सर्वेक्षण दल गठित किए गए हैं।

दिल्ली में शराब की दुकानें

1803. श्री भीकूराम जैन : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में शराब की दुकानों का निरीक्षण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये दुकानें उत्पादक शुल्क विभाग के नियमों तथा विनियमों के अनुसार काम नहीं कर रहीं हैं;

(च) पिछले 6 महीने के दौरान दुकानों के कितने चलान किए गये;

(ङ) शराब की दुकानों द्वारा किस प्रकार के अपराध किए गए; और

(च) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) 1 अप्रैल, 1980 से तरेसठ जांचे और निरीक्षण किए गए हैं।

(ग) दुकानें साधारणतया संगत नियमों के अनुसार चल रही हैं।

(घ) लाइसेंस धारियों को पांच कारण बताओ नोटिस जारी किए गए तथा एक मामले में 1,000 रुपए का दंड लगाया गया है। शेष मामले उत्पाद क्लेक्टर के सामने विचाराधीन हैं।

(ङ) अपराध लाइसेंस धारियों के कुछ कर्मचारियों द्वारा अधिक मूल्य लेने तथा कैशमीमों जारी न किए जाने से सम्बन्धित हैं।

(च) नियमों और विनियमों के उल्लघंन को रोकने के लिए आबकारी निरीक्षकों द्वारा अक्सर निरीक्षण किए जाते हैं तथा लाइसेंस धारियों को सचेत कर दिया गया है।

दिल्ली नवीं से बारहवीं कक्षाओं के लिए इतिहास की निर्धारित पुस्तक

1804. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के स्कूलों में नवी-दसवीं और ग्यारहवीं-बारहवीं कक्षाओं के लिए इतिहास की निर्धारित अनुशंसित पुस्तकें कौन-कौन सी हैं और उनके लेखक कौन-कौन हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरनाव चव्हाण) : सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

दिल्ली के स्कूलों की 9-10 तथा 10-12 कक्षाओं के लिए निर्धारित सिफारिश की गई इतिहास की पुस्तकें नीचे दी जा रही है :—

कक्षा 9 तथा 10

1. स्टोरी आफ सिविलायजेशन खण्ड I तथा II रा० शि० अ० प्र० परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित (हिन्दी अनुवाद भी उपलब्ध)

कक्षा 11

1. भारत का इतिहास लेखक श्री एच० एस० नकवी, प्रकाशक—पीताम्बर प्रकाशन कम्पनी, शिक्षा प्रकाशन; 888, ईस्ट पार्क रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-5
2. भारत का इतिहास, लेखक बी. बी. चौधरी, प्रकाशक—श्री महावीर बुक डिपो, दिल्ली।
3. भारत का इतिहास भाग I तथा भाग II लेखक कुलदीप राज दीप, प्रकाशक कोहिनूर बुक डिपो, दिल्ली।

4. हिस्ट्री आफ एनसियन्ट एण्ड मेडेवैल इंडिया, लेखक डी. एन. कुन्द्रा, प्रकाशक नीलम प्रकाशन, दिल्ली ।
5. प्राचीन व पूर्व मध्यकालीन भारत, लेखिका श्रीमती उषा चोपड़ा, प्रकाशक सुल्तान चन्द एण्ड सन्स, नई दिल्ली ।
6. प्राचीन तथा पूर्व मध्यकालीन भारत, लेखक बी. बी. कृष्ण, प्रकाशक आर्य बुक डिपो, करोल बाग, नई दिल्ली ।
7. भारत का राजनैतिक व सांस्कृतिक इतिहास, लेखक श्री ओमप्रकाश, प्रकाशक, एस चान्द एण्ड कम्पनी इंडिया लि०, दिल्ली ।
8. इंडिया-एनसियन्ट एण्ड मेडेवैल, लेखक खन्ना तथा चोपड़ा, प्रकाशक, मैकमिलन कम्पनी इंडिया लि०, दिल्ली ।

कक्षा 12

1. "मैडेवैल इंडिया पार्ट II" (हिन्दी अनुवाद उपलब्ध) प्रकाशक रा. शि. अनु. प्रशि. परिषद, नई दिल्ली ।
2. आधुनिक भारत, प्रकाशक रा. शि. अनु. प्रशि. परिषद्, नई दिल्ली ।
3. "मार्डन इंडिया" लेखक डा० के. सी. खन्ना तथा डा० पी. एन. चोपड़ा । प्रकाशक मैकमिलन एण्ड को. इंडिया लि० नरैयणा इण्डस्ट्रियल एरिया फेज-I, नई दिल्ली-28 ।
4. हिस्ट्री आफ इण्डिया खण्ड II लेखक एस. एच.नकवी तथा बी. वर्मा, प्रकाशक पीताम्बर पब्लिशिंग कम्प, शिक्षा प्रकाशक, 888, ईस्ट पार्क रोड, करोलबाग, नई दिल्ली-5 ।
5. "एन आउटलाइन आफ इंडियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर बुक II" लेखक रघुबीरदयाल तथा ए. ई. टी. बारो प्रकाशक आरिएन्ट लांगमैन लिमिटेड, 1/24 आसफ अली रोड, नई दिल्ली-2 ।
6. "मुगलकालीन तथा आधुनिक भारत" लेखक वी. बी. कृष्णा तथा श्रीमती जे. ओहसन, प्रकाशक आर्य बुक डिपो, करोलबाग, नई दिल्ली (हिन्दी) ।
7. "भारत का इतिहास खण्ड II" लेखक पी. एस. त्रिपाठी, प्रकाशक पीताम्बर बुक डिपोट प्रकाशक तथा पुस्तक विक्रेता, 888, ईस्टपार्क रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-5(हिन्दी)
8. भारत का राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास" लेखक—डा० ओमप्रकाश तथा लक्ष्मी श्रीवास्तव, प्रकाशक—विशाल पब्लिकेशन्स, 6 यू. बी., बंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली-7 (हिन्दी) ।

अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह द्वारा पौधों की खरीद

1805. श्री ई० बालानन्दन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्डमान और निकोबार प्रशासन ने मुख्य भूमि से गत तीन वर्षों के दौरान कितनी संख्या में पौधे (किस्म अनुसार) खरीदे और उनके लिए कितनी राशि व्यय की;

(ख) कितने पौधे, वर्षवार, बड़े हुए;

(ग) यदि पौधों को क्षति हुई, तो खेप वार तत्सम्बन्धी क्या कारण क्या थे;

(घ) इस प्रकार की हानि से बचने के लिए प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई क्या है;

(ङ) पौधों को स्थानीय रूप से तैयार करने में क्या कठिनाइयां हैं और इस प्रकार की कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) क्या प्रशासन का मुख्य भूमि से पौधे मंगाना रोकने का प्रस्ताव है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) : (क) से (च) जानकारी अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, 1976 के विरुद्ध अभ्यावेदन

1806. **श्री आर० के० महालगी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को जुलाई 1 अगस्त, 1980 में नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम 1976 से मिराज (महाराष्ट्र) को निकालने सम्बन्धी कार्यवाही समिति से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की गई मांग के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने अभ्यावेदन में की गई मांग के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मिराज (महाराष्ट्र) को नगरभूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 से निकालने के कार्यकारी समिति द्वारा बताए गए मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) रिक्त भूमि की बहुतायत तथा सटोरिया अथवा नफा कमाने वाली प्रवृत्तियों की मिराज में कोई व्यापकता नहीं है।

(2) मिराज में रिक्त भूमि की कोई भारी कमी नहीं है।

(3) जनसंख्या, औद्योगीकरण तथा इसकी सम्भाव्यता जैसे किसी मापदण्ड का विचार रखते हुए सरकार जनता अथवा समाज के कमजोर वर्गों आदि के लिए भवनों का निर्माण, महत्वपूर्ण लाभप्रद तथा व्यवहार्य नहीं है। बल्कि मिराज क्षेत्र में अधिनियम के लागू होने से अनर्थकारी परिणाम होंगे।

(4) मिराज का सांगली नगर संघटन में विशेषत: पश्चिमी दिशा के कृषि क्षेत्रों को शामिल करने से गरीब किसानों पर भयानक प्रभाव पड़ता है।

(5) मिराज शहर के पश्चिमी भाग में कृषि कार्यकलाप पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा किसानों को भारी नुकसान हुआ है और उन्हें अपनी सम्पत्ति से वंचित होने का भय है जिसका परिणाम यह है कि वे भूमिहीन, बे-रोजगार तथा बेघर हो गए हैं।

(6) भूमि अधिग्रहण अधिनियम तथा इसके अविलम्बित खण्डों के उपबन्धों का सहारा लेकर किसी भी समय अधिनियम के प्रयोजन एवं उद्देश्य तथा विशेषत: मिराज के इस क्षेत्र के समाज की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूर्ति की जा सकती है।

(ग) नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 मिराज पर लागू होता है क्योंकि यह सांगली नगर संघटन का एक भाग है और फिलहाल मिराज को नगर भूमि (अधिकतमन सीमा तथा विनियन) अधिनियम, 1976 की अनुसूची-। से निकाले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

यह अधिनियम मुख्यत: कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि पर लागू नहीं होता जब तक कि क्षेत्र की बृहत योजना में ऐसी कृषि भूमि शामिल न की जाए और गैर-कास्तकारी प्रयोजनों के लिए न बताई जाए।

अण्डमान निकोबार प्रशासन द्वारा मुख्यभूमि से खरीदी गई गायें

1807. **श्री समर मुखर्जी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान प्रशासन द्वारा गत तीन वर्षों में मुख्य भूमि से कितनी गायें खरीदी और उनकी कीमत क्या थी;

(ख) क्या रास्ते में एक गाय कम पाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो उत्तरदायी अधिकारी से कीमत वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) इस प्रश्न के बारे में अण्डमान निकोबार प्रशासन से मांगी गई जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान की सीमा पर मरुस्थल पार्क

1808. **श्री मनफूलसिंह चौधरी** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार अपनी वनस्पति और जीव-जन्तुओं की सुरक्षा के लिए तथा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए घास और चारे का विकास करने के लिए सीमा पर मरुस्थल पार्क विकसित किया था;

(ख) क्या सरकार का विचार मरुस्थल पार्क के विकास के लिए वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी नहीं। राष्ट्रीय मरुस्थल पार्क की स्थापना का कार्य चल रहा है। राजस्थान सरकार ने जैसलमेर तथा बाड़मेर जिले में मरुस्थल पार्क की स्थापना हेतु एक परियोजना प्रस्तुत की है ताकि अपविकसित

प्राकृतिक मरुस्थल की स्थिति को पुनः सृजित किया जा सके तथा मरुस्थल की वनस्पति और जीव-जन्तुओं की सुरक्षा की जा सके ।

(ख) व (ग) ब्योरा तैयार किया जा रहा है । मामला विचाराधीन है ।

केन्द्रीय जल आयोग में ड्राफ्टमैन के वेतनमान का लागू किया जाना

1809. **श्री रेणुपद दास** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विवाचन बोर्ड (जे० सी० एम०)द्वारा सिफारिश किये गए ड्राफ्टसमैन ग्रेड-एक, ग्रेड-दो और ग्रेड-तीन के वेतनमानों को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इन वेतनमानों के अब तक केन्द्रीय जल आयोग में लागू न किए जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) विवाचन बोर्ड (ज्वाइंट कान्सलटेटिव मशीनरी) द्वारा दिया गया पंचाट केवल केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्य कर रहे ड्राफ्ट्समैनों के वेतनमानों का संशोधन किए जाने तक ही सीमित था । निर्माण और आवास मंत्रालय ने उसे स्वीकार कर लिया है ।

(ख) विवाचन बोर्ड (ज्वाइंट कन्सलटेटिव मशीनरी) द्वारा दिया गया पंचाट केन्द्रीय जल आयोग सहित अन्य विभागों में कार्य कर रहे ड्राफ्टमैनों के मामले में लागू नहीं होता । केन्द्रीय जल आयोग में ड्राफ्टसमैन संवर्ग (काडर) के वेतनमान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के लिए स्वीकृत वेतनमानों के सदृश्य हैं ।

केन्द्रीय बीज फार्मों में अनुसंधान

1810. **श्री एन० डेनिस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय बीज फार्म बढ़िया किस्म के बीजों के बारे में अनुसन्धान कर रहे हैं;

(ख) किन मदों के सम्बन्ध में बढ़िया किस्म के बीज पैदा किये गये हैं;

(ग) केन्द्रीय बीज फार्म राज्य-वार किन स्थानों में स्थित हैं;

(घ) ये बीज फार्म कुल कितने एकड़ क्षेत्र में स्थित हैं; और

(ङ) 1980-81 में उनके विस्तार की योजनाएं क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) कोई केन्द्रीय बीज फार्म नहीं है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत काम करने वाली केन्द्रीय अनुसंधान संस्थायें, कृषि विश्वविद्यालय और राज्य अनुसंधान संस्थायें अच्छी कोटि के बीजों के सम्बन्ध में अनुसंधान करती हैं ।

(ख) केन्द्रीय राज्य फार्मों के नाम से जाने वाले केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन काम करने वाले फार्म गेहूं, धान, कपास, सोरघम, बाजरा, मक्का, तिलहनों, दालों और सब्जियों के आधारी और प्रमाणित बीजों के रूप में अच्छी कोटि के बीज पैदा करते हैं । इन फार्मों का प्रबन्ध भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा किया जाता है ।

(ग) तथा (घ) भारतीय राज्य फार्म निगम जिन केन्द्रीय राज्य फार्मों का प्रबन्ध करता है उनके बारे में सूचना विवरण-1 में दी गई है।

(ङ) केन्द्रीय राज्य फार्मों की संख्या में वृद्धि करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय राज्य फार्मों के क्षेत्रफल सहित उनके स्थान को दर्शाने वाला

विवरण

फार्म का नाम तथा स्थान	इनके अन्तर्गत क्षेत्र (हैक्टार में)
राजस्थान	
1. केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर	5135
2. केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़, जिला श्रीगंगानगर	5996
3. केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर, जिला श्री गंगानगर	5391
हरियाणा	
1. केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार	2762
पंजाब	
1. केन्द्रीय राज्य फार्म, लाढ़ोवाल, जिला लुधियाना	1168
कर्नाटक	
1. केन्द्रीय राज्य फार्म, जावलगेड़ा, जिला रायपुर	2960
तमिलनाडु	
1. केन्द्रीय राज्य फार्म, चेंघम, मेलचेंघम वेस्ट पोस्ट मेलपल्लीपट्टू, जिला उत्तरी अकोट	3906
केरल	
1. केन्द्रीय राज्य फार्म, अरालम, जिला कन्नोर	3060
असम	
1. केन्द्रीय राज्य फार्म, कोकिलावाड़ी, पो० ओ० पाठशाला, जिला कामरूप	1986
मिजोरम (संघ राज्य क्षेत्र)	
1. केन्द्रीय राज्य फार्म, मिजोरम, पो० आ० पथेरकण्डी, जिला कछार	523
उत्तर प्रदेश	
1. केन्द्रीय राज्य फार्म, बहराइच, पो० आ० गिरिजापुरी, जिला बहराइच	3593
2. ऊसर सुधार फार्म, पो० आ० लालगंज, जिला रायबरेली	191

राजस्थान के जिलों में चावल और मोटे अनाजों की वसूली

1811. **श्री चतुर्भुज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि चावल और मोटे अनाजों की वसूली दरें केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई दरों से कम न हों, राजस्थान में प्रत्येक जिले से कुल कितना मोटा अनाज और चावल वसूल किया गया है; और

(ख) क्या यह सच है कि किसानों द्वारा मोटा अनाज सरकार द्वारा निर्धारित की गई दरों से कम दरों पर बेचा जा रहा है और भारतीय खाद्य निगम द्वारा अभी भी बाजारों में वसूली कार्य, प्रारम्भ नहीं किया गया है ?

कृषि ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) : (क) क्योंकि खुले बाजार में खरीफ अनाजों के मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्यों से अधिक बताए जाते हैं इसलिए चालू खरीफ विपणन मौसम में चित्तौड़गढ़ के केवल 9 मीटरी टन मोटे अनाजों और श्रीगंगानगर जिले में 40 मीटरी टन धान की अब तक वसूली की गई है।

(ख) जी नहीं। भारतीय खाद्य निगम ने राज्य भर में खरीदारी के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर दिये हैं।

सुन्दरबन में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

1812. **श्री सनतकुमार मंडल** : क्या संचार मंत्री सुन्दरबन पश्चिम बंगाल में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना के बारे में 4 अगस्त, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6620 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) उन्हें स्थापित करने में कितना समय लगेगा और उनकी क्षमता कितनी होगी;

(ग) क्या इन सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों से ट्रंक काल की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन स्थानों के लिए और क्या ये सुविधाएं केवल पश्चिम बंगाल में ही होंगी अथवा बाहर के स्टेशनों को जोड़ा जा सकता है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) एवं (ख)

क्रम सं०	ग्रामों के नाम	वह वर्ष जिसके दौरान सेवा उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है
(1)	(2)	(3)
1.	अमझोरा	1980-81
2.	भगनखली	
3.	मलानचा	

(1)	(2)	(3)
4.	हतथचिया	
5.	धोलाहट	
6.	बोदरा	
7.	खारी	1981-82
8.	बरुनहाट	
9.	मीरगंज	
10.	छोटा-मोखली	
11.	सुन्दरतरबिल	1982-83
12.	शिबरामपुर	
13.	पंचरा	

(ग) जी हां।

(घ) सभी स्थानों के लिए ट्रंक काल सुविधा उपलब्ध होगी।

नई दिल्ली स्थित काली बाड़ी मार्ग में पीने के पानी की कमी

1813. **श्री हरकेश बहादुर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में काली बाड़ी मार्ग, स्थित एच० ब्लाक (टाइप-II) क्वार्टरों में रहने वाले कर्मचारियों को पीने के पानी की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र के लिए पीने के पानी की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) उपरोक्त निवासियों को पीने के पानी की वास्तविक आपूर्ति प्रतिदिन कितने बजे से कितने बजे तक की जाती है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) दो नलकूपों को चालू करके जलपूर्ति को बढ़ाने के लिए पहले ही कदम उठा लिए गए हैं।

(ग) पानी के सप्लाई करने का सामान्य समय प्रातः तथा सायंकाल 7.15 से 10.00 बजे है।

यमुना विहार कालोनी, दिल्ली में शापिंग सेन्टर

1814. **श्रीचन्द्रपाल शैलानी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली विकास प्राधिकरण की यमुना विहार कालोनी में रहने वालों की संख्या में बराबर हो रही वृद्धि को देखते हुए कालोनी के किसी ब्लाक में एक शापिंग सेन्टर स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण आवास मंत्री (श्री भीष्म नरायणसिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि यमुना विहार कालोनी के 'बी' ब्लाक में एक स्थानीय विपणन केन्द्र तथा तीन सुविधा बाजारों और 'सी' ब्लाक में एक स्थानील विपणन केन्द्र के नक्शों का अनुमोदन कर दिया गया है। लगभग तीन महीने या इसके बाद इनका कार्यान्वयन आरम्भ करने की सम्भावना है।

दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों में डाकघर

1815. श्री पीयूष तिरकी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों में चाय बागानों सहित 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले ऐसे कितने गांव हैं जहा कोई डाकघर नही हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों में प्रत्येक चाय बागान में एक डाकघर खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो चाय बागानों में डाकघर खोलने के लिए भूमि का अधिग्रहण करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) चाय बागानों सहित ऐसे ग्रामों की संख्या उत्तरी बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी के जिलों में क्रमश: 30 और 70 है।

(ख) से (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में नये डाकघर खोलने के लिए मौजूदा डाकघर से न्यूनतम दूरी, आय और जनसंख्या की शर्तों के साथ विभाग ने कुछ बुनियादी मानदंड निर्धारित किये हैं। इन मानदण्डों को पूरा करने वाले प्रस्तावों पर विचार किया जाता है और वार्षिक योजना लक्ष्यों के अन्तर्गत डाकघर खोल दिये जाते हैं।

थार और छैंटिल के बीच दोहरी टेलीफोन लाइन

1816. श्री दिगविजयसिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में थार और छैंटिल और पाटडी और अहमदाबाद के बीच दोहरी टेलीफोन लाइन डालने के काम की प्रगति किस चरण में है; और

(ख) यह काम कब तक पूरा हो जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) थार और चोटिला (छैंटिल) के बीच दूसरी टेलीफोन लाइन बिछाने की योजना की मंजूरी दे दी गई है। पाटडी और अहमदाबाद के बीच दूसरी ट्रंक लाइन बिछाने का प्रस्ताव मौजूदा यातायात को देखते हुए औचित्य सम्मत नहीं पाया गया।

(ख) थार और छैंटिल के बीच दूसरी टेलीफोन लाइन बिछाने के कार्य को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

फरक्का बांध के कर्मचारियों की अनिर्णीत मांगों का निपटारा

1817. श्री जैनुल अबेदिन : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय फरक्का बांध परियोजना के श्रमिकों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों द्वारा पहले पेश की जा चुकी तथा लम्बी अवधि से अनिर्णीत पड़ी मांगों का निपटारा करने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या फरक्का बांध परियोजना में प्रबन्धक ने इस बारे में कोई आवश्यक अनुदेश दिये हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) और(ख) फरक्का बराज परियोजना के कर्मचारियों की एसोसिएशनों और यूनियनों की मांगों पर 18 और 19 जून, 1980 को इन एसोसियेशनों तथा यूनियनों के प्रतिनिधियों की सिंचाई मंत्री के साथ हुई बैठक में विचार-विमर्श किया गया था और फरक्का बराज परियोजना के महाप्रबन्धक को उपयुक्त हिदायतें दी गई थीं।

उड़ीसा में मध्यम और बड़े दर्जे की, स्वीकृति के लिए विचाराधीन सिंचाई परियोजनाएं

1818. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उनके मंत्रालय की स्वीकृति के लिए मध्यम और बड़े दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में रिपोर्ट भेज दी है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन परियोजनाओं को स्वीकृति के लिए भेजा है और भारत सरकार ने इसी वित्तीय वर्ष में सम्मिलित करने तथा कार्यान्वित करने के लिए किन-किन परियोजनाओं के सम्बन्ध में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ग) इन परियोजनाओं में से कितनी परियोजनायें जनजाति उप-योजना क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं; और

(घ) जनजाति जिलों की मध्यम दर्जे की ऐसी कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनायें हैं, जिनमें परियोजनाओं सम्बन्धी सर्वेक्षण करने और बनाने में विलम्ब हो रहा है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री जियाउर रहमान अंसारी): (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग को निम्नलिखित परियोजना रिपोर्ट भेजी हैं :—

बृहद परियोजनाएं

1. भीमकुण्ड बहुद्देश्यीय
2. समकोई सिंचाई
3. गालुडीह
4. स्वर्णरेखा सिंचाई
5. आनन्दपुर बराज चरण-एक का नहरीकरण
6. इब सिंचाई

मध्यम परियोजनाए

1. बंकाबल
2. बड़ानाला
3. दरजंग चरण-दो
4. कंसबहल

उपर्युक्त परियोजनाओं में से, बंकाबल परियोजना को राज्य योजना में शामिल करने के लिए योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। बड़ानाला परियोजना की केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी जांच की जा चुकी है और उसे योजना आयोग की सलाहकार समिति के विचारार्थ योजना आयोग के पास भेज दिया गया है। अन्य परियोजनाओं की केन्द्रीय जल आयोग में राज्य सरकार के साथ परामर्श करते हुए जांच की जा रही है।

बंकाबल और बड़ानाला परियोजनाओं के लिए राज्य की 1980-81 की वार्षिक योजना में 50-50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ग) भीमकुण्ड, स्वर्णरेखा, इब सिंचाई, बड़ानाला, बंकाबल और कंसबहल सिंचाई परियोजनाएं जन-जातीय उप-योजना क्षेत्र में हैं।

(घ) जन-जातीय उप-योजना क्षेत्र के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा निम्नलिखित मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है :—

1. कटरानाला पर बांध
2. शंख बराज
3. लोडानी
4. लिलीवाडी-कानीजोडी
5. कुरूमकेला
6. तेलनगिरि
7. मोराड़ा
8. कोड़मा
9. कुसुकी
10. गुमादी
11. लुम्बाकुम्पा
12. सामबिरी
13. महेन्द्रतनया
14. छेलीगोडा
15. संदुल

इन स्कीमों की रिपोर्ट अभी तक केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुई है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शोध-वृत्ति (फेलोशिप) तथा उपसदस्यता (एसोसियेटशिप) दिया जाना

1819. **श्री आर० आर० भोले** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रतिवर्ष जो शोध-वृत्ति तथा उपसदस्यता प्रदान की जाती है उसका कुछ प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का आरक्षण किस तारीख से लागू किया गया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विज्ञान तथा मानव शास्त्र के लिए ऐसे प्रत्येक प्रकार की शोध-वृत्ति तथा उपसदस्यता हेतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए कुल कितने आरक्षण किये गए थे और उन्हें वास्तव में कुल कितनी शोधवृत्तियां और उपसदस्यता प्रदान की गई हैं;

(घ) यदि आरक्षित कोटा को पूरा नहीं किया गया है तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) क्या वृहत् प्रचार तथा यदि आवश्यक हुआ तो विशेष चयन करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सभी योग्य अभ्यर्थियों को इन शोधवृत्तियों तथा उपसदस्यता को देकर पिछली कमी पूरी करने के लिए कोई विशेष उपाय किये गए हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अथवा विश्वविद्यालयों के माध्यम से सीधे प्रदान की गई सभी अनुसंधान शिक्षावृत्तियों का दस प्रतिशत 1974-75 से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित किया जाता है। इसके अतिरिक्त आयोग ने केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों के लिए 1976-77 से 20 वरिष्ठ अनुसंधान शिक्षा वृत्तियां और 50 जूनियर अनुसंधान शिक्षावृत्तियां और 1980-81 से 20 अनुसंधान उप-सदस्यता (एसोसिएटशिप) देने की, जिनका चयन किया जाना है, एक योजना तैयार की है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई अनुसंधान शिक्षा-वृत्तियों और उनमें से अनुसूचित जातियों/जन-जातियों की संख्या से सम्बन्धित विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सीधे दी गई शिक्षा-वृत्तियों की कुल संख्या और उनमें से अनुसूचित जातियों/जन-जातियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। इनमें अनुसूचित जातियों/जन-जातियों के उम्मीदवारों के लिए वरिष्ठ अनुसंधान शिक्षा-वृत्ति की योजना शामिल नहीं है जिसके बारे में सूचना संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) और (ङ) अनुसूचित जातियों/जन-जातियों के लिए आरक्षित कोटे का उपयोग पूरी तरह से नहीं किया जाता है। अनुसूचित जातियों/जन-जातियों के अभ्यर्थियों को सीधे आयोग द्वारा

दी गई पृथक् शिक्षावृत्तियों की योजना में यह सुनिश्चित किया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी इन शिक्षा-वृत्तियों को प्रत्येक वर्ष प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त, आयोग ने विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया है कि वे, वर्ष 1980-81 से लेकर आरक्षित श्रेणी में उपयोग में न लाई गई शिक्षावृत्तियों की संख्या बताएं, ताकि आयोग द्वारा सीधे कार्यान्वित पृथक् शिक्षावृत्तियों की योजना में उन्हें शामिल किया जा सके।

तमिलनाडु में कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भ किए गए कार्य

1820. **श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु सरकार द्वारा कार्य के बदले अनाल कार्यक्रम को लागू किये जाने के बाद से कितने कार्यों को प्रारम्भ किया गया है;

(ख) अब तक उनमें से कितने कार्य पूरे कर लिये गये हैं;

(ग) शुरू किये गये कार्यों के लिए कुल कितना अनाज दिया गया है और अब तक कुल कितना अनाज उठाया गया है; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार संसद सदस्यों की एक ऐसी समिति गठित करेगी जो इस बात का निरीक्षण करे कि क्या अनाज का उचित उपयोग हो रहा है अथवा नहीं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम): (क) तमिलनाडु में काम के बदले अनाज कार्यक्रम का कार्यन्वयन वर्ष 1979-80 से शुरू किया गया। इस वर्ष के दौरान तमिलनाडु में कुल 42,390 निर्माण कार्यों को शुरू किया गया था। चालू वर्ष के दौरान कुल 33,460 निर्माण कार्यों को शुरू किया गया है।

(ख) पिछले वर्ष के दौरान 32,904 निर्माण कार्यों को पूरा किया गया और चालू वर्ष के दौरान 15,835 निर्माण कार्यों को पूरा किया गया है।

(ग) कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 के दौरान राज्य भंडारों से 73,000 मीट्री टन खाद्यान्नों की मात्रा आबंटित/बंटित की गई थी तथा चालू वर्ष के दौरान 60 000 मीटरी टन की मात्रा बंटित की गई है। राज्य में अब तक कुल 93,698 मीटरी टन चावल उठाया गया है।

(घ) जी नहीं।

उज्जैन सर्किल में नीमच और जाओरा में टेलीफोन केन्द्र का भवन

1821. **श्री फूलचन्द्र वर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन विभाग के उज्जैन मंडल के अधीन नीमच जाओरा में टेलीफोन केन्द्र के भवनों के निर्माण किये जाने का विचार है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये नीमच में भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और जाओरा में भूमि के अधिग्रहण के लिये कार्यवाही की जा रही है तथा नीमच में भूमि का अधिग्रहण करने के पश्चात् की गई अनुवर्ती कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

विवरण

वर्ष	शिक्षावृत्तियों का स्वरूप	शिक्षावृत्तियों की संख्या			उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों की संख्या		
		कुल	विज्ञान	मानविकी	कुल	विज्ञान	मानविकी
1977-78	1. कनिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्ति	323	151	172	15	15	—
	2. अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्तियां	65	—	—	65	36	29
	3. वरिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्तियां	81	41	40	5	2	3
	4. अनुसंधान उप-सदस्यता (एशोसिएटशिप)	49	30	19	—	—	—
1978-79	1. अनुसूचित जातियों/जन-जातियों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्तियां	97	—	—	97	44	53

	2. वरिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्तियां	71	33	38	3	—	3
	3. अनुसंधान उप-सदस्यता (एसोसिएटशिप)	67	35	32	—	—	—
1979-80	1. अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्तियां	46	—	—	46	15	31
	2. वरिष्ठ अनुसंधान शिक्षा-वृत्तियां	68	28	40	5	1	4
	3. अनुसंधान उप-सदस्यता (एसोसिएटशिप)	53	20	30	—	—	—

टिप्पणी :— कनिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्ति योजना के अन्तर्गत 1978-79 के दौरान कोई शिक्षावृत्ति सीधे नहीं दी गई थी और 1979-80 से इस योजना को विश्वविद्यालयों को स्थानान्तरित कर दिया गया था।

(ग) क्या जाओरा में भूमि के अधिग्रहण संबंधी मामले में न्यायालय ने इसलिये एकपक्षीय निर्णय दे दिया था, क्योंकि टेलीफोन विभाग का अधिकारी अनुपस्थित था; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में पूर्ण तथ्य क्या हैं और संबंधित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क), से (घ) : **नीमच** : नगरपालिका से पट्टे पर ली गई जमीन कर नई टेलीफोन एक्सचेंज इमारत के निर्माण का प्रस्ताव है जिसमें वर्तमान करचल एक्सचेंज को लाया जाएगा जो एक जीर्णशीर्ण किराए की इमारत में कार्य कर रहा है।

जाओरा : जाओरा में विभागीय टेलीफोन एक्सचेंज हेतु इमारत बनाने की कोई तुरन्त योजना नहीं है। तथापि, भविष्य की आवश्यकताओं और कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिए जिलधीश रतलाम को उपयुक्त भूमि का अधिग्रहण करने के लिए कहा गया था। जिलाधीश ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की औपचारिकताएं पूरी कर लेने पर एक भू-खण्ड का अन्तरण करने की व्यवस्था कर दी थी।

भूमि के मालिकों ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के विरुद्ध मुख्यतः अधिग्रहण प्रक्रिया में जारी की गई अधिसूचना की वैधता के प्रश्न को लेकर एक याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में याचिका को स्वीकार करके राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना और बाद की कार्रवाई को रद्द कर दिया।

उच्च न्यायालय की कार्यवाही में सरकारी वकील ने सरकार का प्रतिनिधित्व विधिवत् किया था।

खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग में सुधार

1822. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खादी और ग्रामीण उद्योग की कार्य कुशलता में सुधार लाने की आवश्यकता के बारे में सरकार के क्या विचार हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मन्त्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) : सरकार खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की कार्य-कुशलता में सुधार लाने की आवश्यकता के बारे में पूर्णतः जागरूक है ताकि इसे ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर तथा घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए वास्तव में ही प्रभावकारी तंत्र बनाया जा सके। कुछ समय पहले आयोग के कार्यकरण की जांच करने और उपयुक्त सिफारिशें हेतु दो कार्यकारी दल स्थापित किए गए थे। इन कार्यकारी दलों द्वारा की गई सिफारिशों की जांच की जा रही है। आयोग की कार्य-कुशलता में सुधार लाने के लिए सरकार के विचाराधीन कुछेक महत्वपूर्ण उपाय निम्न प्रकार हैं :—

(क) आयोग को अपनी वर्तमान भूमिका में परिवर्तन करना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां तैयार करने में अपना अधिक से अधिक योगदान देना चाहिए और अपने द्वारा सहायियत एककों को प्रशिक्षण, औजारों व उपकरण कच्चे माल एवं विपणन सहायता के रूप में

आवश्यक निवेश जहां राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड इन्हें सुलभ नहीं कर सकते हैं, सुलभ करने चाहिए।

(ख) राज्य सरकारों को इन कार्यक्रमों के लिए राज्य बजटों में प्रावधान करके प्रत्यक्ष रूप से खादी तथा ग्रामोद्योग की गति विधियों में भाग लेना चाहिए।

(ग) राज्य बोर्डों जो खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए मुख्य तंत्र है, को उपयुक्त उपायों द्वारा मजबूत बनाना चाहिए।

(घ) आयोग तथा राज्य बोर्डों दोनों में अधिकारियों का चयन करते समय विशिष्ठता तथा व्यवसाय में विशेषज्ञता पर बल दिया जाना चाहिए।

(ङ) आयोग को खण्ड, जिला तथा राज्य स्तर पर इसी प्रकार की गतिविधियों में लगी अन्य विकेंद्रीकृत एजेंसियों के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए।

(च) आयोग को ग्रामोद्योगों के लिए उपयुक्त प्रोद्योगिकी का विकास करने के लिए अधिक ध्यान देना चाहिए ताकि कड़ी मजदूरी को कम किया जा सके और उत्पाद की क्वालिटी में सुधार किया जा सके।

(छ) पिछड़े इलाकों में आयोग को उद्यमशीलता का विकास करने के लिए उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने चाहिए।

(ज) आयोग के प्रशासनिक तथा तकनीकी खण्डों को सुदृढ़ किया जा रहा है। ध्यान में लाई गई त्रुटियों को पहले ही पूरा किया जा चुका है।

(झ) विशिष्ट व्यावसायिक तथा तकनीकी योग्यता वाले व्यक्तियों की भर्ती सुनिश्चित करने तथा विकास की पर्याप्त गुंजाइश सुलभ करने के लिए विभिन्न प्रकार के वरिष्ठ पदों के भर्ती-नियमों में संशोधन किया जा रहा है।

(ण) सामान्य कर्मचारियों के मनोबल में सुधार करने के लिए विद्यमान वेतनमानों आदि की पुनः जांच की जा रही है।

गुजरात में वन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता

1823. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक गुजरात में वन परियोजना के लिए भारत को वित्तीय सहायता दे रहा है, यदि हां, तो सहायता किस रूप में दी जानी है और सहायता की कुल राशि कितनी है, और

(ख) क्या ये वित्तीय सहायता किन्हीं विशेष शर्तों पर दी जा रही है और यदि हां, तो इन शर्तों की रूपरेखा क्या है और सहायता कब तक प्राप्त होगी;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० बी० स्वामी कथन) (क) जी हां। विश्व बैंक गुजरात सामुदायिक वानिकी परियोजना को वित्तीय सहायता दे रहा है। 760 लाख अमरीकी डालर की कुल लागत वाली इस परियोजना का 48 प्रतिशत भाग अर्थात् 370 लाख डालर विश्व बैंक द्वारा 1979-80 से 5 वर्षों की अवधि में किस्तों के रूप में दिया जाएगा।

(ख) विश्व बैंक के साथ किए गए करार के अनुसार ऋण की मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं :

1. करार में उल्लेख न की गई किसी भी मद के खर्च के लिए ऋण से धन नहीं दिया जाएगा।

2. ऋण की अदायगी की अन्तिम तारीख 31 दिसम्बर, 1985 अथवा विश्व बैंक द्वारा निर्धारित तारीख होगी। भारत सरकार संघ को ऋण की धनराशि के 1 प्रतिशत वार्षिक का 3/4 भाग सेवा प्रभार के तौर पर अदा करेगी।

3. भारत सरकार ऋण की धनराशि को प्रतिवर्ष दो किस्तों में वापस करेगी जो 15 अप्रैल, 1990 से प्रारम्भ होगी तथा 15 अक्तूबर, 2029 को समाप्त होगी।

4. विभिन्न प्रकार की वे मदें जिनके लिए ऋण की राशि से धन प्राप्त होगा, प्रत्येक श्रेणी के लिए धन का आवंटन तथा प्रत्येक मद से संबंधित व्यय की प्रतिशतता निम्नलिखित प्रकार होगी :—

श्रेणी	आवंटित ऋण की धनराशि (डालर के समतुल्य)	उन खर्चों की प्रतिशतत जिनके लिए धन दिया जाना है
(क) सिविल निर्माण कार्य	2,300,000	55 प्रतिशत
(ख) उपस्कर तथा वाहन	2,900,000	विदेशी व्यय 100 प्रतिशत तथा स्थानीय व्यय का 70 प्रतिशत
(ग) प्रत्यक्ष वनरोपण का व्यय	21,400,000	55 प्रतिशत
(घ) स्टाफ का वेतन	7,900,000	55 प्रतिशत
(ङ) प्रशिक्षण		
(क) स्थानीय 640,000		
(ख) विदेशी 60,000	700,000	100 प्रतिशत
(च) स्टोव तथा क्रिमेटोरिया	300,000	55 प्रतिशत
(छ) अअवांटित	1,500,000	
योग	37,000,000	

5. यह सहायता 1 जून, 1979 से उपलब्ध की गई है।

इण्डियन स्कूल आफ माइन्स पर तथ्य अन्वेषी समिति

1824. श्री ए० के० राय : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद पर गठित तथ्य अन्वेषी समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; यदि हां, तो समिति के मुख्य जांच निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) क्या प्रतिवेदन को कार्यकारी बोर्ड के समक्ष संवीक्षा और कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया जाएगा; यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) जी हां। समिति के मुख्य निष्कर्ष हैं :—

(1) निदेशक के विरुद्ध अनियमिताएं/भ्रष्टाचार के विभिन्न निराधार आरोप और (2) स्कूल के प्रशासन में और सुधार लाने के लिए किए जाने वाले कुछ अतिरिक्त उपाय।

(ख) और (ग) रिपोर्ट को 16-9-1980 को हुई कार्यकारी बोर्ड की बैठक में पहले ही रख दिया गया है। कार्यकारी बोर्ड ने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और स्कूल को समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे दिए हैं।

डी० डी० ए० के० फ्लैट

1825. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान कुल कितने फ्लैट बनाये;

(ख) उनसे कितने लोगों को लाभ मिला;

(ग) कितने व्यक्तियों ने अपने नाम दर्ज करवायें;

(घ) शीघ्र ही कितने फ्लैट बनाये जायेंगे; और

(ङ) कितने व्यक्तियों को लाभ मिलेगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जिन व्यक्तियों को फ्लैट आवंटित किए गए हैं, की संख्या नीचे दी गई है :—

1978-79	4692
1979-80	4051
1980-81 (i)	3104
(ii)	दिल्ली विभाग प्राधिकरण ने लगभग 10,000 अतिरिक्त फ्लैटों को देने की घोषणा नवम्बर, 1980 में कर दी है।

(ग) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई हैं :—

(i) दूसरी स्वर्वित घोषित योजना 1978-79	4393
(ii) तीसरी स्वर्वित घोषित योजना 1979-80	3616
(iii) नई पद्धति, 1979 की पंजीकरण योजना	1,71,131

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि लगभग 32,000 फ्लैटों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण में विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैटों के पूर्ण होने तथा आवंटन होने पर लाभ होगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों में असन्तोष

1826. **डा॰ वसन्तकुमार पण्डित :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वरिष्ठ वैज्ञानिकों में पदोन्नति के अवसरों की कमी के कारण असन्तोष बढ़ता जा रहा है;

(ख) क्या डा॰ एन॰ गंगाप्रसाद राव ने हाल ही में अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा कृषि सेवा नियुक्ति बोर्ड द्वारा मनमानी किये जाने के विरुद्ध वरिष्ठ कार्मिकों से कई विरोध पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा कृषि अनुसंधान संस्थानों से इस प्रतिभा पलायन को रोकने तथा वर्तमान असन्तोष को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ वी॰ स्वामीनाथन) : (क) से (ग) यद्यपि कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल द्वारा किये गए चयनों पंचवर्षीय मूल्यांकन के परिणामों के और विदेश की यात्रा/प्रतिनियुक्ति/पदभार सौंपने के विषय में, कुछ विज्ञानिकों के व्यक्तिगत रूप से प्रतिवेदन मिले हैं, फिर भी यह कहना सही नहीं है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वरिष्ठ विज्ञानियों में असन्तोष बढ़ रहा है तथा वे निराशा महसूस कर रहे हैं या उनको सुअवसरों की कमी है। इसके विपरीत, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रणाली तथा इसकी कार्मिक नीतियों से विज्ञानियों को प्रतिभाओं और उनके अनुसंधान की उपलब्धियों को अधिकतम सम्भव मान्यता मिलती है। पदोन्नति तथा अन्य प्रोत्साहनों पर विचार करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भविष्य में उन्नति की नीतियों को देश की सर्वाधिक उदार नीतियों में माना जायेगा। असन्तोषजनक कार्य निष्पन्नता के आधार के अतिरिक्त, निराशा या प्रगतिरोध का प्रश्न ही नही उठता। इसके अतिरिक्त भी वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत, जिसमें कि वार्षिक तथा पंचवर्षीय मूल्यांकन की व्यवस्था है, अवसरों के अभाव का प्रश्न ही नहीं है। इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कृषि विज्ञानियों के लिए सबसे उत्तम रिवार्ड तथा एवार्ड की प्रणाली विद्यमान है।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र, हैदराबाद के अध्यक्ष तथा प्रायोजना समन्वयक (ज्वार) डा॰ ए॰ गंगाप्रसाद राव ने परिषद की सेवा से त्यागपत्र नहीं दिया था। डा॰ राव ने भी कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट के लिए भी इंकार किया है।

(घ) परिषद के अधीन 4000 विज्ञानियों में से केवल 69 ने जून, 1980 के अन्त तक परिषद की सेवा छोड़ी थी। इसलिए कृषि अनुसंधान संस्थानों से प्रतिभा पलायन नहीं हुआ है।

झुमरी तिलैया में 'टेलेक्स'

1827. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार झुमरी तिलैया के औद्योगिक नगर के अभ्रक निर्यातकों को विश्व की मंडियों के साथ सीधे 'टेलेक्स' कनेक्शनों की अनुमति दी गई है और "टेलेक्स" उपकरणों की सप्लाई के लिये आर्डर भी दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारतीय अभ्रक व्यापार निगम के जरिये अभ्रक के निर्यात में वृद्धि करने और व्यापार-वार्ताओं के लिए अन्य निर्यातकों के उपयोग के लिए वर्ष 1981 में 'टेलेक्स' पद्धति को पूरा करने का है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) बिहार के झुमरी तिलैया के औद्योगिक नगर के लिए 20 लाइनों वाला स्वचल टेलेक्स एक्सचेंज मंजूर किया गया है। उपस्करों की सप्लाई के लिए भी आदेश दे दिये गए हैं।

(ख) ऐसी आशा की जाती है कि यह एक्सचेंज वर्ष 1982-83 के दौरान चालू किया जा सकेगा। उपस्करों की सीमित सप्लाई के कारण एक्सचेंज को इससे शीघ्र चालू करना सम्भव नहीं हो सकेगा।

कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सौर ऊर्जा पर प्रयोग

1828. **श्री पी० राजगोपाल नायडु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा और ऊर्जा के सम्बन्ध में प्रयोग किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी परिणाम क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान। सौर्य ऊर्जा पर परीक्षण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केन्द्रीय संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि में सौर्य ऊर्जा के उपयोग में परिचालन अनुसंधान पर समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम के अधीन तथा इन संस्थानों में से कुछ नियमित अनुसंधान कार्यक्रमों के अधीन चलाये जा रहे हैं। समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम केन्द्रीय मरूक्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर (समन्वयक केन्द्र), पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना; तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर; उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर और केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक में किये जा रहे हैं।

(ख) अब तक प्राप्त परिणामों में से कुछ अधिक महत्वपूर्ण परिणाम निम्नलिखित हैं :—

केन्द्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर, द्वारा पश्चिमी राजस्थान में अनेक धूप प्रतेखी केन्द्र चलाए जा रहे हैं। इस संस्थान में सौर्य प्रथक्करण की अधिक सही रूप से संगणना करने के लिए क्षितिजीप धरातल पर सम्पूर्ण सौर्य विकिरण और धूप के घंटों के बीच सांख्यिकीय सम्बन्ध का पता लगाया जा रहा है। केन्द्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान ने सौर्य जल उष्मकों के अनेक नमूनों का विकास किया है जो जाड़ों और गर्मियों के महीनो में क्रमशः 50-60 सी-70-75 सी जल की आपूर्ति कर सकते हैं। खारे नमकीन पानी से स्वच्छ पेय पानी उत्पन्न करने के लिए छोटे परिवार

आकार के सौर्य आसवकों के निर्माण का कार्य भी शुरू किया गया है। छोटे से लगाकर बहुत बड़े पौधों को सुखाने की क्षमता वाली सौर्य फसल शोधक प्रणालियां विकासधीन हैं। यह देखा गया है कि कैबिनेट शोषकों में मिर्च सुखाने का कार्य 7 दिनों के भीतर पूरा किया जा सकता है जबकि सामान्य खुली हवा में सुखाने की पद्धति में 15-16 दिन लग जाते हैं। इस प्रकार से सौर्य कैबिनेट शोषक आर्द्र के कम समय को घटाते हैं। सुखाने का तरीका दोनों पद्धतियों में एक जैसा है। अवतल दर्पणों के पांच सौर्य कुकरों का विकास कर लिया गया है जो या तो गोल आकार के हैं या "पैराबोलाइडल" आकार के हैं तथा इनके क्षेत्र परीक्षण किये जा रहे हैं। पांच व्यक्तियों के परिवार के लिए दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सौर्य चूल्हों का विकास कर लिया गया है, जिसकी कीमत लगभग 300 रुपये है। खाद्यान्नों, सब्जियों आदि के लिए पर्याप्त एक सरल प्रकार के सौर्य भाप कुकर का विकास कर लिया गया है। खाद्य और अन्य उद्योगों के लिए संसाधित भाप के निर्माण पर कार्य भी प्रगति पर है।

भोपाल स्थित केन्द्रीय कृषि अभियान्त्रिकी संस्थान ने भी 200 लिटर क्षमता वाला एक सौर्य जल हीटर विकसित किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के जल प्रौद्योगिकी केन्द्र ने एक अमेरिका निर्मित सौर्य प्रकाशफलक सिंचाई पम्प का परीक्षण किया है और छोटे फार्मों के उपयोग के लिए उपयुक्त पाया। तथापि, पारम्परिक डीजल पम्पों की तुलना में फिलहाल इसकी कीमत कुछ अधिक है। केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला में 50 किलोग्राम ताजा चिप्स प्रतिदिन बनाने की क्षमता वाले एक सौर्य निर्जलक (डीहाइड्रेटर) का विकास किया गया है। इस मशीन का निर्माण मूल्य 3,300 रुपये है। इसे चलाने के लिए दो मजदूरों की जरूरत है। चिप्स को सुखाने की प्रक्रिया में पावर की असफलता या बिजली की कमी का कोई प्रभाव नहीं पडता। निर्जलकों को आलू उगाने वाले किसानों द्वारा सामुदायिक या सहकारी आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी रूप से लगाया जा सकता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अखिल भारतीय कटाई उपरान्त प्रौद्योगिकी योजना के अधीन अनेक केन्द्र सौर्य ऊर्जा से फलों के अनुकूल और सुखाने का कार्य कर रहे हैं। एक सौर्य बीज उपचार मशीन भी विकसित की जा चुकी है। जिसे सामान्य रसायन बीज उपचार ड्रम के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है।

जबलपुर विश्वविद्यालय में एक टन की क्षमता वाली सौर्य अन्न शोषक मशीन का विकास किया गया है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में एक वातसूचक प्रकार के रोटरी इंजन का विकास सौर्य पम्पों को चलाने के लिए किया गया है।

उड़ीसा में भीमकुण्ड बांध का निर्माण

1829. **श्री हरिहर सोरन** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के क्योंझर जिले में भीमकुण्ड बांध के निर्माण के कारण उड़ीसा के क्योंझर तथा अन्य जिलों के कितने गांव पानी में रहेंगे;

(ख) उन गांवों में कितने आदमी रहते हैं;

(ग) क्या सरकार ने उनके पुनर्वास के लिए कोई व्यवस्था की है; और

(घ) सरकार उनकी प्रतिपूर्ति के रूप में कितनी राशि का भुगतान करना चाहती है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि भीमकुण्ड जलाशय के निर्माण से 117 गांव (95 गांव क्योंझर जिले के और 22 गांव मयूरभंज जिले के) जलमग्न हो जाएंगे और लगभग 75,000 व्यक्ति (1980 में लगाए गए अनुमान के अनुसार) प्रभावित होंगे ।

(ग) परियोजना रिपोर्ट के अनुसार 63 गांवों की स्थापना की जानी है, जिनमें से प्रत्येक गांव में 200 परिवार बसाए जाएंगे । इनमें से 50 प्रतिशत परिवारों को भीमकुण्ड ऐयाकट क्षेत्र के अन्दर और 50 प्रतिशत को जलाशय के चारों ओर के क्षेत्र में बसाया जाएगा । विस्थापितों के पुनर्वास के लिए कुल 20.1 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।

(घ) सरकार द्वारा अदा किए जाने वाले मुआवजे की कुल राशि, परियोजना-रिपोर्ट (जून, 1980) के अनुसार, 20.44 करोड़ रुपये है ।

विदेशों से सांस्कृतिक समझौते

1830. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों से कोई सांस्कृतिक समझौते किए हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों से; और

(ग) उन देशों में प्रत्येक देश के साथ किए गए सांस्कृतिक समझौतों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) उन 56 देशों के नाम दर्शाने वाला विवरण संलग्न है जिसके साथ भारत ने सांस्कृतिक करार दिए हैं ।

(ग) सांस्कृतिक करार सामान्यतया भारत तथा अन्य संविदाकारी देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों, विशेषज्ञों और शिक्षाविदों का आदान प्रदान करके, कलाकारों, प्रदर्शनियों और खेल टीमों का आदान-प्रदान करके, पुस्तकों और प्रकाशनों का आदान-प्रदान करके, छात्रवृत्तियां प्रदान करके, डिग्री और डिप्लोमों इत्यादि को समान करके कला और संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, फिल्मों, जन-संचार के साधनों, जन स्वास्थ्य, खेलों, कृषि इत्यादि क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करते हैं ।

विवरण

1. अफगानिस्तान
2. आस्ट्रेलिया
3. अर्जेंटीना
4. अल्जीरिया
5. बुलगारिया

6. ब्राजील
7. बंगलादेश
8. बेल्जियम
9. बहराइन
10. चेकोस्लोवाकिया
11. कोलम्बिया
12. क्यूबा
13. साइप्रस
14. कोरिया जनतांत्रिक गणराज्य
15. फ्रान्स
16. जर्मन संघीय गणराज्य
17. ग्रीक
18. जर्मन जनवादी गणराज्य
19. गुयाना
20. हंगरी
21. इराक
22. इण्डोनेशिया
23. ईरान
24. इटली
25. जापान
26. जोर्डन
27. कुवैत
28. लेसेथो
29. मलेशिया
30. मंगोलिया
31. मारिशस
32. मेक्सिको
33. नार्वे
34. पोलैण्ड
35. फिलीपाइन्स
36. पी. डी. आर. यमन
37. पुर्तगाल
38. रोमानिया
39. कोरिया गणराज्य
40. खाण्डा
41. सेनेगल

42. सोमालिया
43. श्रीलंका
44. सुडान
45. सीरिया
46. तन्जानिया
47. ट्यूनीशिया
48. तुर्की
49. थाइलैण्ड
50. संयुक्त अरब अमीरात
51. ए. आर. ई. (मिश्र)
52. सोवियत संघ
53. वियतनाम
54. यूगोस्लाविया
55. जैर
56. जाम्बिया

पाली में श्रमिकों के लिए मकान

1831. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के पाली शहर में श्रमिकों के लिए बनाये गये 500 मकानों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान मरम्मत कार्य करने में कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) क्या सड़कों तथा जल निकास कार्यों की मरम्मत नहीं की गई है और श्रमिकों के लिए इन मकानों को बनाये जाने के बाद से उन्हें अन्य सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन मकानों का स्वामित्व अधिकार श्रमिकों को देने के लिए कोई निर्णय ले लिया है ताकि वे स्वयं ही मकानों की मरम्मत करवा सकें; और

(घ) यदि हां, तो इन निर्णय को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : (क) तथा (ख) सम्भवत: इस प्रश्न का सन्दर्भ औद्योगिक कर्मचारियों की सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत बनाए गए आवासों से है। यदि ऐसा है तो राजस्थान सरकार ने उक्त आवास योजना के अन्तर्गत तीसरी योजना अवधि के दौरान पाली में श्रमिकों के लिए 600 क्वार्टरों का निर्माण किया था राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान इन मकानों की मरम्मत पर 1,06,513 रुपए की राशि खर्च की गई थी और कि जल निकास, पेय जल आदि पर कोई खर्च नहीं किया गया था।

केन्द्र द्वारा बम्बई नगर निगम की भूमि का स्थानान्तरण

1832. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई नगर निगम द्वारा बम्बई के बन्दूप कंजुर क्षेत्र में किया जा रहा विकास कार्य इसलिए रुक गया है कि वह भूमि केन्द्र सरकार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस भूमि को नाम मात्र की दरों पर नगर निगम को बेचने के लिए तैयार है; और

(ग) क्या भूमि के विक्रय/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कुछ और कठिनाइयां अथवा विलम्ब है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नरायणसिंह) : (क) हमारे पास कोई सूचना नहीं है। तथापि, बम्बई नगर निगम ने लवण विभाग की भूमि को उन्हें अन्तरित करने के कुछ प्रस्ताव भेजे हैं, इनमें से कुछ निपटा दिये गये हैं और शेष लवण विभाग के पास हैं।

(ख) निगम को केन्द्रीय सरकार की भूमि का अन्तरण इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नियम और अदेशों के अनुसार ही किया जा सकता है।

(ग) यदि मार्केट मूल्य आदि अदा करने के बिए आवश्यक बचनबद्धता के साथ, हर प्रकार से पूर्ण किए गए प्रस्ताव पास होते हैं तो भूमि के अन्तरण पर विचार किया जा सकता है। तथापि, उन मामलों में जहां एक विशिष्ट अवधि के लिए भूमि को पहले ही नमक बनाने के लिए पट्टे पर दिया जा चुका है, उस हालत में नियमों के अनुसार भूमि का अन्तरण कर सकने से पहले पट्टे के समापन और लवण फैक्ट्री अथवा उसके भाग को बन्द करने की कार्यवाही करनी पड़ेगी।

हिमालय कार रैली

1833. श्री केशवराव पारधी : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 अक्तूबर, 1980 को कुछ लोगों ने हिमालय कार रैली के दूसरे चरण के दौरान आगरा और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में भारी पथराव किया;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस घटना की जांच के लिए आदेश दिये हैं;

(ग) अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) आगरा क्षेत्र से आगे रैली की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए ?

संसदीय कार्य तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) रैली के आयोजकों से प्राप्त सूचना के अनुसार महाराष्ट्र में औरंगाबाद में तथा आगरा के निकट भिंड में रैली के खिलाफ प्रदर्शनकारियों द्वारा विदेशी प्रतियोगियों की कारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त की गई और ड्राईवरों को पीटा गया।

(ख) इन घटनाओं की जांच करने के लिए न तो सरकार ने कोई आदेश दिये हैं और न ही इस प्रकार का कोई अनुरोध सरकार को मिला है।

(ग) सम्बन्धित एजेन्सियों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) आयोजकों ने रैली का तीसरा दौर जो आगरा से चण्डीगढ़ तक का होना था, रद्द कर दिया और कारों को पूरे रास्ते में भारतीय वायु सेना के दो हेलीकाप्टरों की निगरानी में पुलिस सुरक्षा के साथ कतार में लाया गया। चौथे दौर का रास्ता मूल योजना के अनुसार चण्डीगढ़ से मारकंडा तक अपनाया गया जहां रैली औपचारिक रूप से समाप्त की गई और कारों को मारकंडा से दिल्ली शिमला होते हुए पुलिस सुरक्षा में लाया गया।

हिमालय रैली में पेट्रोल की खपत

1834. **श्री ए. टी. पाटिल** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमालय रैली (अक्तूबर, 1980) में पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की कितनी मात्रा की खपत हुई; और

(ख) सरकार द्वारा उन शरारत करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई जिन्होंने कारों को क्षति पहुंचाई अथवा उनका मार्ग रोका ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) सूचना संबंधित एजेन्सियों में एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल रख दिया जायेगा।

निजी प्रेसों द्वारा सरकारी कार्य की छपाई

1835. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के महा पंजीयक के कार्यालय के लाखों रुपये के मुद्रण कार्य को निजी मुद्रकों से कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1978 के बाद से इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और किन-किन निजी मुद्रकों से कितना कितना मुद्रण कार्य करवाया गया;

(ग) इस मुद्रण कार्य को भारत सरकार के मुद्रणालयों से क्यों नहीं करवाया गया है;

(घ) क्या मुद्रण निदेशालय द्वारा "अनापति प्रमाणपत्र" दे दिए गये हैं और यदि हाँ, तो उनका तिथि-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार का निजी मुद्रकों को संरक्षण दिए जाने के मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है, और

(च) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीस कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) भारत सरकार मुद्रणालय भारत के महापंजीकार के कार्यालय का बहुत सारा मुद्रण का कार्य करते हैं और केवल मुद्रण कार्यों की बहुतायत के कारण, जो कि भारत सरकार मुद्रणालयों की क्षमता से बाहर है, गैर सरकारी मुद्रणालयों को ठेके पर दिए जाने के लिए अनुमति दी जाती है।

(ङ) सरकार किसी भी गैर-सरकारी मुद्रक को संरक्षण नहीं दे रही है। भारत के महा-पंजीकार के कार्यालय का मुद्रण कार्य जो कि भारत सरकार मुद्रणालयों की क्षमता से बाहर होता है, उसे महापंजीकार मुद्रण निदेशालय द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों पर सरकारी हित को ध्यान में रखते हुए गैर-सरकारी मुद्रकों को ठेके पर देता है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पन्न रोजगार

1836. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 से 1979-80 तक वर्ष-वार काम के बदले अनाज कार्यक्रम के कार्यान्वयन के माध्यम से जन-दिनों के रूप में राज्यवार कितने अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न हुए;

(ख) क्या सरकार ने "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम" नामक कोई नया कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) वर्ष 1977-78 से 1979-80 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार सृजित अतिरिक्त रोज-गार को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी हां। काम के बदले अनाज कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के रूप में बदल दिया गया है।

(ग) नए कार्यक्रम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों की एक प्रति संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०पी० 1475/80]

स्मोक न्यूसेंस एक्ट

1838. **श्री हन्नान मोल्लाह**: क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि स्मोक न्यूसेंस एक्ट उतना ही पुराना है जितना कि इतिहास;

(ख) क्या सरकार यह महसूस करती है कि उसके परिणामस्वरूप यह ऐक्ट अब: देश के औद्योगिक क्षेत्रों में वातावरण को दुषित बनाने की समस्या से निपटने में असमर्थ है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, और

(घ) इसे कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : (क) धूम्र कंटक अधिनियम केन्द्रीय अधिनियम नहीं है तथापि, धूम्र कंटक पर राज्यों ने कानून बनाये हैं।

(ख) सरकार को देश की औद्योगिक क्षेत्र श्रृंखला में पर्यावरण प्रदूषणा की समस्या की जानकारी है तथा वायु प्रदूषण के निवारण और नियन्त्रण की व्यवस्था के लिए लोक सभा के चालू सत्र में एक बिल पेश किया है।

(ग) तथा (घ) : (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्यान्न के रक्षित भण्डारों के अनुरक्षण की लागत

1840. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खाद्यान्न के रक्षित भण्डारों का अनुरक्षण करने और उन्हें उपभोक्ताओं को उपलब्ध करने पर क्या लागत आई है और विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत उनका अलग-अलग ब्यौरा क्या हैं; और

(ख) इस राशि को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उसका क्या परिणाम निकला ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०बी० स्वामीनाथन) (क) और (घ) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के बफर स्टाक रखने और उपभोक्ताओं को उन्हें उपलब्ध करने की लागत इस प्रकार है:—

	रुपये करोड़	बफर स्टाक के लिए दर प्रति क्विंटल
1977-78	263.00	23.62
1978-79	262.77	24.58
1979-80 (सं०अ०)	276.06	25.68

बफर स्टाक के रखने की प्रति क्विंटल लागत के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

	रु० प्रति क्विंटल औसत बफर		
	1977-78	1978-79	1979-80 (सं०अ०)
1. मार्गस्थ तथा भण्डारण में कमियां	1.01	1.39	1.22
2. भाड़ा	0.33	—	0.36
3. गोदाम हैंडलिंग खर्च	1.03	1.14	1.11
4. भण्डार खर्च	3.38	5.77	5.45
5. ब्याज	15.85	15.01	16.29
7. प्रशासन संबंधी ऊपरी खर्च	2.02	1.27	1.25
जोड़	23.62	24.58	25.68

उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध करने के लिए वसूली संबंधी प्रासंगिक खर्चे तथा वितरण लागत इस प्रकार हैं:—

रुपये प्रति क्विंटल

	वसूली सम्बन्धी प्रासंगिक खर्चे		वितरण लागत
	गेहूं	चावल	
1977-78	17.62	7.85	22.12
1978-79	18.82	8.90	25.08
1979-80 (सं०अ०)	19.34	10.61	19.85

गेहूं और चावल के वसूली संबंधी प्रासंगिक खर्चों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:—

अखिल भारत एकीकृत आंकड़े दर : रुपये प्रति क्विंटल

	गेहूं			चावल		
	1977-78	1978-79	1979-80 (सं०अ०)	1077-78	1978-79	1979-80 (सं०अ०)
क. अनिवार्य प्रभार						
1. मंडी प्रभार	3.21	3.63	3.48	—	—	—
2. बोरियों की कीमत	4.35	4.73	5.52	4.67	5.03	6.35
3. बिक्री कर	4.20	3.61	4.34	1.24	1.83	2.00
उप-जोड़	11.76	11.97	13.34	5.91	6.86	8.35

अखिल भारत एकीकृत आंकड़े दर : रुपये प्रति क्विंटल

	गेहूं			चावल		
	1977-78	1978-79	1979-80 सं०अ०	1977-78	1978-79	1979-80 सं०अ०
ख—अन्य प्रभार						
1. भण्डारण प्रभार	0.44	0.49	0.41	—	0.06	0.06
2. ब्याज प्रभार	1.63	1.89	1.67	—	—	0.10

1	2	3	4	5	6	7
3. हैडलिंग प्रभार 4. मण्डी मजदूर	0.92	1.05	0.97	1.11	0.69	0.77
5. फारवर्डिंग प्रभार 6. आन्तरिक संचलन	1.84	2.28	1.90	0.83	0.89	0.86
7. स्थापन संबंधी प्रभार	0.69	1.05	1.05	—	0.40	0.39
8. अन्य (विभिन्न मदें) बैंक कमीशन आदि	0.07	0.09	—	—	—	0.08
उप-जोड़	5.86	6.85	6.00	1.94	2.04	2.26
सकल जोड़	17.62	18.82	19.34	7.85	8.90	10.61

वितरण लागत के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

दर रुपये प्रति क्विंटल बिक्री

	1977-78	1978-79	1979-80 (सं०अ०)
1. मार्गस्थ तथा भण्डारण में कमियां	2.12	3.05	2.19
2. भाड़ा	7.35	8.37	8.23
3. गोदाम हैडलिंग खर्च	1.36	1.49	1.45
4. भण्डारण खर्च	1.07	1.80	1.65
5. ब्याज	7.57	8.70	4.70
6. प्रशासन संबंधी ऊपरी खर्च	2.65	1.67	1.63
जोड़	22.12	25.08	19.85

(ख) रक्षित भण्डार की लागत में अधिकांश भाग ब्याज संबंधी खर्च और भण्डारण प्रभार का शामिल होता है और इन खर्चों में कटौती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मार्गस्थ और भण्डारण सम्बन्धी कमियां क्रय तथा विक्रय का 1.3 प्रतिशत बैठती हैं और इसे खाद्यान्नों के भण्डारण की लम्बी अवधि के संबंध में देखना होगा। भारतीय खाद्य निगम ने इन प्रभारों में मितव्ययिता बरतने के बारे में निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(क) नये पदों के सृजन तथा सेवा में प्रवेश करने के स्तर पर भर्ती के संबंध में रोक लगा दी गई है जिसका परिणाम यह हुआ है कि पिछले दो वर्षों से अधिक समय से निगम के कर्म-चारियों की संख्या उसी स्तर पर बनाए रखी गई है। दूसरी ओर उसी अवधि में खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा सम्भाली गई है;

(ख) उठाई गिरी को रोकने के लिए पहरा तथा निगरानी और सुरक्षा उपाय कड़े कर दिए गये हैं। जहां आवश्यक होता है वहां केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा फोर्स, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और राज्य पुलिस तैनात की जाती है;

(ग) सभी स्तरों पर खाद्यान्नों की सावधानी से सम्भाल करने पर बल दिया जाता है। तौल-पुल की व्यवस्था, संचलन के समय स्टाक की सुरक्षा तथा अन्य उपयुक्त साधनों से खुले वैगनों को ढकना, एस्कार्ट तैनात करना और यथा सम्भव केवल पूरे रैक के संचलन सम्बन्धी कार्यों को करना सुनिश्चित किया जाता है। मार्ग में भी लदे वैगनों की अचानक जांच की जाती है; और

(घ) स्टाक को अच्छी हालत में रखने के लिए सतत किस्म-नियंत्रण और अन्य उपाय किए जाते हैं।

197 में भारत सरकार ने रक्षित भण्डार रखने की आवर्ती लागत के विभिन्न तत्वों पर गहराई से विचार करने और उन क्षेत्रों, जहां इस प्रभारों के भार को कम किया जा सके, का पता लगाने के लिए सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। समिति ने सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाए रखने और रक्षित भण्डार रखने पर होने वाले विभिन्न खर्चे के आबंटन के बारे में कुछ सिफारिशें की थी। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि मण्डी प्रभारों तथा बाजार शुल्क को मूल्यानुसार निर्धारित न करके प्रति क्विंटल के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिये। केन्द्रीय भण्डार में लिए गये खाद्यान्नों की लागत में से कच्चे आढ़तियों की कमीशन निकाल देने की सिफारिश की गई थी जबकि कच्चा आढ़तिया के कमीशन के मामले में यह सिफारिश की गई थी कि इसे विक्रेताओं द्वारा वहन किया जाना चाहिये। समिति ने कुछ और भी सिफारिशें की थीं जिनमें राज्य सरकारों द्वारा लगाये गये खाद्यान्नों तथा स्थापन प्रभारों सम्बन्धी विभिन्न करों में कटौती करने का सुझाव दिया गया था।

मंत्रिमण्डल आर्थिक कार्य समिति द्वारा गठित मंत्रियों को एक ग्रुप ने भी वसूली सम्बन्धी प्रासंगिक खर्चों, विशेषकर मण्डी प्रभारों, में कटौती करने के प्रश्न पर विचार किया था। उक्त ग्रुप ने पंजाब और हरियाणा के मुख्य मंत्रियों, जिनके राज्य में मण्डी प्रभार सबसे अधिक है, के साथ विचार-विमर्श किया था। इन विचार-विमर्शों के फलस्वरूप और उन्हें राजी करने के बाद पक्का आढ़तिया कमीशन चालू वर्ष से समाप्त कर दिया गया है जोकि खाद्यान्न की वसूली लागत पर मूल्यानुसार 1/2 प्रतिशत लिया जा रहा था।

केरल राज्य द्वारा चीनी की रखी गई कुल मांग

1841. **श्री स्कारिया थामस** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य ने वर्ष 1978-79 तथा वर्ष 1979-80 के लिए वर्षवार चीनी की कुल कितनी मांग रखी;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इस राज्य को कुता कितनी मात्रा में चीनी सप्लाई की गई ;

(ग) क्या यह सच है कि केरल राज्य में चीनी की बहुत मांग है और उसकी तुलना में सप्लाई बहुत कम है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त मांग से पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री श्री आर०वी० स्वामीनाथन : (क) और (ख) 1978-79 मौसम के दौरान चीनी पर कोई नियंत्रण नहीं था। विनियंत्रण 1979-'80 मौसम में 16-12-79 तक लागू रहा और आंशिक नियंत्रण की योजना, जोकि 17-12-1979 से लागू की गई थी, के अधीन केरल सरकार को उचित दर की दुकानों के माध्यम से घरेलू उपभोक्तओं को देने के लिए 10,495 मीटरी टन लेवी चीनी का मासिक कोटा प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार ने इस अवधि में उनके लेवी चीनी के मासिक कोटे में वृद्धि करने के बारे में कोई अनुरोध नहीं किया है। फैक्ट्रियों के बारे में जो आवंटन आदेश दिए जाते हैं, वे सीधे राज्य सरकार के पक्ष में जारी किए जा रहे हैं और वे अपनी एजेंसियों के माध्यम से फैक्ट्रियों से चीनी उठाने की व्यवस्था कर रहे हैं।

(ग) और (घ) 1980-81 मौसम में चीनी के उत्पादन में भारी गिरावट आने के कारण और उसके फलस्वरूप चीनी की सीमित उपलब्धता होने के कारण 16-8-1978 को चीनी से नियंत्रण हटाने के तुरंत पूर्व आंशिक नियंत्रण की अवधि के दौरान जो स्तर था उस स्तर से अधिक किसी राज्य के लेवी चीनी के मासिक कोटे में वृद्धि करना सम्भव नहीं हुआ है।

चीनी मिलों से खुली बिक्री के लिए प्राप्त चीनी की मात्रा

1842. **श्री सत्यनारायण जाटिया** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी मिलों से खुली बिक्री के लिए कुल कितनी चीनी प्राप्त की गई;

(ख) खुली बिक्री वाली चीनी के लिए चीनी मिलों को किन दरों पर भुगतान किया गया और वह चीनी उपभोक्ताओं को किन दरों पर उपलब्ध कराई गई; और

(ग) लोगों को खुली बिक्री वाली चीनी के रूप में दी गई अत्यधिक चीनी की मात्रा कितनी है और आयातित चीनी किन दरों पर खरीदी गई ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) सम्भवतया प्रश्न में स्वैच्छिक मूल्य विनियमन योजना, जोकि पहली सितम्बर से 15 नवम्बर, 1980 तक 2½ महीनों की अवधि के लिए लागू थी, के अधीन फैक्ट्रियों द्वारा मुक्त बिक्री की चीनी की बिक्री से संबंधित सूचना मांगी गई है। इस योजना के अधीन कुल लगभग 3.90 लाख मीटरी टन मुक्त बिक्री की चीनी (आयातित चीनी सहित) निर्मुक्त की गई थी। क्योंकि आवंटित मात्रा को उठाने और उसका उपभोक्ताओं में वितरण करने की जिम्मेदारी स्वयं राज्य सरकारों की थी, इसलिए राज्य सरकारों द्वारा चीनी मिलों से प्राप्त की गई चीनी की वास्तविक मात्राओं के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। इस योजना में फैक्ट्रियों द्वारा राज्य-सरकारों के नामितों को 450 रुपये प्रति क्विंटल के सहमत निकासी मूल्य, जिसमें उत्पादन शुल्क शामिल है, पर चीनी की स्वैच्छिक रूप से बिक्री करने और उसे 6 रुपये प्रति किलो के आस-पास निर्धारित किए गए खुदरा मूल्य पर उचित दर की दुकानों/राज्य सरकारों और अन्य एजेन्सियों के माध्यम से उपभोक्ताओं में वितरित करने की परिकल्पना की गई थी।

(ग) राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों को पहली सितम्बर से 15 नवम्बर, 1980 की अवधि के लिए आवंटित किए गए मुक्त बिक्री के कोटे के एक भाग के रूप में स्वैच्छिक मूल्य विनियमन योजना के अधीन कुल 1.30 लाख मीटरी टन आयातित चीनी आवंटित की गई थी। भारतीय राज्य व्यापार निगम ने आयातित चीनी की इक्नामिक लागत हाई-सी पर 550 रुपये प्रति क्विंटल और गोदाम के बाहर के आधार पर 580 रुपये प्रति क्विंटल निकाली थी।

चीनी का आरक्षित भण्डार

1843. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की 1977 और 1979 में चीनी का आरक्षित भण्डार कितना था और अब कितना है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : सरकार चीनी का कोई आरक्षित भण्डार नहीं रखती है। 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के चीनी मौसमों के अन्त को अर्थात् 1-10-1978, 1-10-1979 और 1-10-1980 तक चीनी फैक्ट्रियों के पास पिछला बचा स्टाक क्रमशः 32.89 लाख मीटरी टन, 20.85 लाख मीटरी टन और 5.97 लाख मीटरी टन था। फैक्ट्रियों के पास 15-11-1980 तक लगभग 2.85 लाख मीटरी टन चीनी का स्टाक था।

आधे महिला-दशक का पूरा होना

1844. श्री माधवराय सिंधिया : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1975 में शुरू किये गए महिला-दशक की आधी अवधि पूरी हो जाने पर, सरकार ने भारत में, महिला की शिक्षा, रोजगार, प्रति व्यक्ति आय और उनके सम्पदा-स्वामित्व के बारे में कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है जिसमें पाकिस्तान, जापान, सोवियत संघ, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन के आंकड़ों का विश्वभर के औसत आंकड़ों की तुलना में जुलाई, 1975 तथा जुलाई, 1980 का तुलनात्मक ब्यौरा देते हुए भारतीय आंकड़े दर्शाये गये हों; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष कदम उठाने तथा क्या विशेष प्रयास करने का विचार किया है कि भारत की महिला विश्व में किसी से पीछे न रहे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विभिन्न महिला संगठनों तथा अन्यों द्वारा कई सुझाव दिए गए हैं तथा छठी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देते समय उन पर विचार किया जाएगा।

विश्व खाद्य कार्यक्रम का विश्वव्यापी कार्यकरण

1845. श्री जी०वाई० कृष्णन् : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत विश्व खाद्य कार्यक्रम के विश्व-व्यापी कार्यकरण हेतु अपना अंशदान देता है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त कार्यक्रम का सदस्य बनने से अब तक भारत ने जो अंशदान दिया है उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भारत में, राज्य-वार जिन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहयोग दिया है उनका ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां । भारत विश्व खाद्य कार्यक्रम के विश्व-व्यापी कार्यों के लिए अपना अंशदान देता है ।

(ख) 1981-82 के दो वर्षों के लिए भारत के वायदे सहित विश्व खाद्य कार्यक्रम को 1963 से इसकी स्थापना होने से भारत सरकार द्वारा किया गया कुल अंशदान 8,310,000 अमरीकी डालर (6,64,80,000 रुपयों के लगभग) है । विश्व खाद्य कार्यक्रम को भारत के वायदे के दो तिहाई भाग का अंशदान जिंसों के रूप में किया जाता है, जैसे कि चाय, डिब्बाबंद फल, सुखाई गई मछलियां और चीनी । शेष एक-तिहाई भाग का वायदा अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में किया जाता है । तथापि, हाल ही में भारत पूरे वायदे को जिंसों के तौर पर देने को सहमत हो गया है ।

(ग) विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भारत को 53 परियोजनाओं हेतु लगभग 3589 लाख डालरों की सहायता दी है, जिनमें से इस समय विभिन्न राज्यों में 17 परियोजनाएं कार्यरत हैं । चूंकि सहायता परियोजनाओं के लिए दी जाती है, जो कि एक या एक से अधिक राज्यों में कार्यरत होती है, अत: विभिन्न राज्यों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए दी गई सहायता को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1476/180]

अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में वन क्षेत्रों को दीर्घावधि के लिए पट्टे पर देना

1846. **श्री के० राममूर्ति :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में वन क्षेत्रों को दीर्घावधि के लिए पट्टे पर लेने वाले व्यक्तियों तथा कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या शिवकासी, तमिलनाडु में माचिस उद्योग के लघु क्षेत्र के व्यक्तियों को बड़े वन क्षेत्र पट्टे पर दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

लक्षदीप के लिए आवासीय योजनाएं

1847. **श्री पी० एम० सईद :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्षदीप संघ राज्य क्षेत्र में अब तक कमजोर वर्गों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित एक भी आवासीय योजना शुरू नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिसम्बर, 1979 के अन्त तक मन्त्रालय ने केन्द्रीय सेक्टर में वृक्षा-रोपण तथा औद्योगिक श्रमिकों के लिए आर्थिक-सहायता प्राप्त आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण हेतु विभिन्न आवासीय योजनाओं के अधीन 32298 आवास-गृहों की स्वीकृति दी थी; अधीन 32298 आवास-गृहों की स्वीकृति दी थी;

(ग) क्या लक्षदीप संघ राज्य क्षेत्र में लोगों के कमजोर वर्गों के लिए ऋण-सहायता संबंधी योजनाएं भी शुरू नहीं की गई थीं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य-मुख्य कारण क्या हैं;

(ङ) क्या चालू वर्ष में, और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संघ राज्य क्षेत्र में कमजोर वर्गों के लिए आवास सम्बन्धी कोई केन्द्रीय योजना शुरू की जाएगी; और

(च) अब तक कितने संघ राज्य क्षेत्रों में इस प्रकार की योजनाएं शुरू की गई हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : (क) इस समय मेरे मंत्रालय में केवल एक केन्द्रीय क्षेत्र की आवास योजना है नामत: बागान मजदूरों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना जो संघ राज्य क्षेत्र लक्षदीप में लागू नहीं है।

(ख) बागान मजदूरों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत 31-12-1979 तक स्वीकृत किए गए मकानों की संख्या 32258 (न कि 32298)।

(ग) लक्षदीप में लोगों के कमजोर वर्गों के लिए मकान बनाने की दो योजनाएं चल रही हैं। पहली योजना ग्राम आवास परियोजना (ऋण) है जिसके लिए 1980-81 के दौरान 50,000 रुपये दिये गये हैं। दूसरी योजना पिछड़ी जाति आवास कल्याण (सहायता) है। इस योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष में 3 लाख रुपये दिये गये हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ङ) अपवाद स्वरूप बागान मजदूरों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना को छोड़कर इस मन्त्रालय द्वारा बनाई गई अन्य सभी योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं। योजनागत परिव्यय के नियतन के लिए विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत आवास कार्यक्रमों को अन्तिम रूप देना राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का कार्य है। लक्षदीप संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन ने पंचवर्षीय योजना 1980-85 के प्रारूप में आवास के लिए योजना अवधि के दौरान 101.52 लाख रु० के व्यय का प्रस्ताव किया है जिसमें से पुलिस आवास सहित, आवास के लिए वार्षिक योजना 1980-81 के लिए 19.50 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित कर दिया है। पूरे अनुमोदित परिव्यय को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जायेगा।

(च) कमजोर वर्गों के लिए बनाई गई तथा विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जा रही आवास योजनाओं का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विभिन्न संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही समाज के कमजोर वर्गों पर लागू होने वाली विभिन्न आवास योजनाओं का विवरण।

संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का नाम	औद्योगिक कर्मचारियों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए स्वीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना	ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम	भूमिहीन श्रमिकों के लिए गृह स्थल एवं झोंपड़ी निर्माण योजना	कमजोर वर्गों के लिए आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा दी गई वित्त सहायता वाली आवास योजनाएं
1. गोआ	कार्यान्वित की जा रही है	कार्यान्वित की जा रही है	कार्यान्वित हो गई है	कार्यान्वित हो गई है
2. चण्डीगढ़	वही	कार्यान्वित नहीं हुई	वही	वही
3. दिल्ली	वही	कार्यान्वित की जा रही है	वही	वही
4. पांडिचेरी	वही	वही	वही	वही
5. दादरा, नागर हवेली	कार्यान्वित नहीं की गई	कार्यान्वित नहीं की गई	वही	कार्यान्वित नहीं हुई
6. अरुणाचल प्रदेश	वही	वही	कार्यान्वित नहीं की गई	—
7. लक्षदीप	वही	कार्यान्वित की जा रही है	वही	—
8. मिजोरम	वही	कार्यान्वित नहीं की जा रही	वही	—
9. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप	—	वही	कार्यान्वित की जा रही है	—

त्वरित ग्रामीण जल कार्यक्रम

1848. श्री अमर राय प्रधान : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामों की समस्या दूर करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकारों को वर्ष 1980-81 के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है और यह कार्यक्रम कब पूरा किया जाएगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री : (श्री भीष्म नारायणसिंह) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 के दौरान, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 41.25 करोड़ रुपए की राशि पहली किस्त के रूप में पहले ही दे दी गई है। समान राशि की दूसरी किस्त चालू वर्ष के दौरान प्रक्रिया सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा करने पर दी जाएगी। छठी योजना अवधि (1980-85) के दौरान देश के सभी समस्याग्रस्त ग्रामों में स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था करने को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

लेह में केन्द्रीय विद्यालय

1849. श्री पी० नामग्याला : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1979 में लेह में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति दी थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि कश्मीर सरकार ने उक्त विद्यालय के लिए स्थान और भूमि देने को मना कर दिया था; और

(ग) यदि हां, तो मामले की वर्तमान स्थिति क्या है और विद्यालय के कब तक खोले जाने की आशा है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, सिद्धान्ततः अप्रैल, 1979 में लेह में एक केन्द्रीय विद्यालय (सेंट्रल स्कूल) खोलने को सहमत था। भूमि की उपलब्धता तथा भवन से सम्बन्धित मामलों पर राज्य सरकार से विचार-विमर्श चल रहा है। इन मामलों को निपटाने के बाद विद्यालय प्रारम्भ किया जा सकता है।

सांपों की कमी

1850. श्री के० मालन्ना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सांप आजकल बहुत कम मात्रा में हैं; वे जितने अधिक जहरीले हों उतना ही अच्छा है और उनसे बहुत अधिक आय हो सकती है क्योंकि बहुत अधिक लोग, विशेषतः दक्षिणी राज्यों में "सर्पयज्ञ" कर रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि सभी सपेरे सांपों की अत्यधिक कमी महसूस कर रहे हैं और इतनी अधिक कमी हो गई है कि जो कोई भी सांपों के बिलों के बारे में सूचना देता है उसे "यज्ञ" के आयोजनकर्ता उचित इनाम देते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण धनवानों पर संस्थागत ऋण

1851. **प्रो० मधुदण्डवते** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण धनवानों के नाम पर इस समय लगभग कुल 8,500 करोड़ रुपये का संस्थागत आधार है;

(ख) क्या यह सच है कि इन ग्रामीण धनवानों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की अधिकांश ऋण सुविधाओं का लाभ उठाये जाने के बावजूद ये धनवान लोग ग्रामीण गरीबों को विभिन्न राज्यों द्वारा निर्धारित की गई अल्पमत मजदूरी देने से इन्कार करके उनका लगातार शोषण करने पर लगे हुए हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि ग्रामीण गरीबों को राष्ट्रीय अथवा ग्रामीण ऋण योजनाओं में सामान्यतया कोई स्थान नहीं मिल पाता है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मन्त्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) : (क) जी नहीं। प्राथमिक सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंकों, और क्षेत्रीय ग्राम बैंकों द्वारा कृषि कार्यों के लिए ऋण लेने वालों को सीधे दिये गये ऋणों में से कुल बकाया राशि तथा उसमें छोटे कृषकों और कमजोर वर्गों का शेयर नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपये)

संस्थागत	कुल बकाया राशि	जिसमें छोटे कृषकों और अन्य कमजोर वर्गों से ली जाने वाली राशि
1. प्राथमिक कृषि	30-6-78 को 1,798.1	582.6 (16 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों से सम्बद्ध है)
2. सहकारी भूमि विकास बैंक	30-6-78 को 1,276.00	76.6 (केवल 6 राज्यों से सम्बन्ध है)
3. वाणिज्यिक बैंक	31-3-79 को 1,446.1	556.00
4. क्षेत्रीय ग्राम बैंक	31-12-79 को 167.00	105.00

(ख) भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के क्रियान्वित न किये

जाने के बारे में की गयी शिकायतों को नोट कर लिया है, निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को अधिक कारगर ढंग से लागू करने के बारे में सम्बन्धित सरकारें आवश्यक कार्यवाही कर रही हैं।

(ग) जी नहीं।

प्राथमिकता कृषि ऋण समितियों तथा सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों का लगभग 40 प्रतिशत भाग छोटे कृषकों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए होता है। इसी प्रकार वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये कृषि ऋणों में से कुल बकाया ऋण का लगभग 32 प्रतिशत कमजोर वर्गों पर है। क्षेत्रीय ग्राम बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की अधिकांश राशि कमजोर वर्गों के लिए है। कृषि ऋण नीति का एक उद्देश्य यह है कि योजना अवधि के अन्त तक कमजोर वर्ग के शेयर को बढ़ाया जाय; जो कुल संस्थागत ऋण का 50 प्रतिशत से कम न हो।

कृषि विश्वविद्यालय

1852. **श्री रशीद मसूद** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने कृषि विश्वविद्यालय चल रहे हैं;

(ख) इन विश्वविद्यालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ग) यदि इन्हें कोई केन्द्रीय सहायता दी जाती है तो उपरोक्त विश्वविद्यलायों को किस प्रकार की सहायता दी गई है; और

(घ) क्या सरकार ने इन विश्वविद्यालयों के लिए निर्धारित उद्देश्य की तुलना में इन की उपलब्धियों के बारे में कोई मूल्यांकन किया है; यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) इस समय देश में 21 कृषि विश्वविद्यालकार्य कर रहे हैं।

(1) अध्ययन की विभिन्न शाखाओं में शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करना, विशेष रूप से कृषि, बागवानी, पशु-चिकित्सा और पशु-विज्ञानों, मत्स्यकी, वानिकी, कृषि अभियांत्रिकी, गृह-विज्ञान और ज्ञान और विद्वत्ता की अन्य संबंधित शाखाओं में।

(2) ज्ञान की प्रगति को आगे बढ़ाना और अनुसंधान को निष्पादित करना, विशेषकर कृषि तथा अन्य सम्बन्धित विज्ञानों में।

(3) ऐसे विज्ञानों का बिस्तार करना, विशेष रूप से राज्य के ग्रामीण व्यक्तियों में; और

(4) ऐसे अन्य प्रयोजन जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर निर्धारित करे।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इन विश्वविद्यालयों को आधारिक संरचना तथा अन्य शिक्षण सुविधाओं को विकसित करने के लिए परिशिष्ट में दिये गये 24 मदों के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (क) विश्वविद्यालओं में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना की स्थापना करने तथा (ख) क्षेत्रीय अनुसंधान क्षमताओं को सुदृढ बनाने के लिए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना स्थापित करने के लिए भी कृषि विश्वविद्यालयों की अनुसंधान गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान करती है।

(घ) जी हां, श्रीमान । कृषि विश्वविद्यालयों की उपलब्धियों का मूल्यांकन उनके उद्देश्यों को तुलना में करने के लिए जनवरी 1979 में डा०एस०एल० रणधावा की अध्यक्षता में कृषि विश्वविद्यालयों पर एक पुनरीक्षण समिति नियुक्त की गयी थी । इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जून, 1979 में प्रस्तुत कर दी थी । सिफारिशों का एक सार लोक सभा में दि० 27.11.79 के प्रश्न सं० 1140 के उत्तर में प्रस्तुत किया गया था । इस समिति की प्रमुख शिफारिशें निम्न प्रकार से थी :—

(1) कृषि विश्विविद्यालयों में नयी प्रौद्योगिकी, प्रासंगिक अनुसंधान कार्यक्रमों, किसानों के खेतों में उपयोग किये जाने योग्य अनुसंधान परिणामों के प्रभावी प्रदर्शनों के विकास द्वारा तथा भारत की तेजी से विकसित होती हुई कृषि के लिए अति आवश्यक वैज्ञानिक और तकनीकी मानवशक्ति को प्रशिक्षित करा कर विस्मयकारी प्रभाव उत्पन्न कर दिया है ।

(2) तथापि, राज्यों की सहायता में अन्तर के कारण कृषि विश्वविद्यालयों में उपलब्धियों और उत्पादन, नेत्रत्व की गुणवत्ता और संकाय की क्षमता, संस्थागत विकास और परिपक्वता के संबंध में प्रमुखतया अन्तर की मात्रा बहुत अधिक है ।

इस समिति की रिपोर्ट को सभी मुख्यमन्त्रियों, मुख्य सचिवों, कृषि उत्पादन आयुक्तों और कृषि विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों के पास उनसे सम्बन्धित विशिष्ट शिफारिशों पर उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए भेजा गया था । उन शिफारियों की, जिनमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से सम्बन्धित कुछ वित्तीय उलझाव थे, जांच कर ली गयी है और उनको परिषद् की छठी योजना में उपयुक्त रूप से सम्मिलित कर लिया गया है । जिन सिफारिशों का कृषि विश्वविद्यालयों/राज्य सरकारों से सम्बन्ध है, इनमें से अधिकांश को कार्यान्वित कर दिया गया है । तथापि, अभी भी कुछ सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाना बाकी है, जैसे कि (क) उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के मामले में कृषि विश्वविद्यालयों में समन्वय यंत्रीकरण अभी किया जाना बाकी हैं, (ख) उड़ीसा के मामले में, अधिनियमों और संविधियों को संशोधित करने का प्रश्न अभी विलम्बित है; (ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने विश्वविद्यालय को पूरी तरह से राज्य व्यापी अनुसंधान दायित्व नहीं हस्तांतरित किया है । ये विलम्बित मुद्दे पर सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ कार्यवाही की जा रही है ।

विवरण

1. महाविद्यालय/पुस्तकालय भवन ।
2. उपकरण, फर्निचर और फिटिंग ।
3. पुस्तकालय (भवन, उपकरण, फर्नीचर और पुस्तकें) ।
4. निर्देशनात्मक फार्म जिसमें शिक्षण परिसरों में पशुधन और मत्स्य फार्म विकास सम्मिलित है ।
5. शिक्षण परिसरों में निर्देशानात्मक प्रयोजन के लिए पशु-चिकित्सालय, एंबुलेटरी क्लिनिक और अखिल भारतीय सुविधाएं ।

6. शिक्षण परिसरों में कार्यशाला, कांच गृह, गैस संयन्त्र, धुंधग्रह और इसी प्रकार की अन्य शिक्षण/अनुसंधान सुविधाएं ।

7. छात्रों के छात्रावास ।

8. शैक्षिक कर्मचारियों के लिए क्वार्टर्स ।

9. वर्तमान स्नातकोत्तर विभागों को बढ़ाते हुए नयी शाखाओं में पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर विभागों को प्रारम्भ करना ।

10. सार्वजनिक स्थानों पर खेलों तथा विद्यार्थियों के लिए जिम्नास्टिक, स्वास्थ्य केन्द्र, स्वीमिंग पूल, केफेटेरिया, पंखों और वाटर कूलरों के लिए ।

11. शिक्षकों का उन्नत प्रशिक्षण कार्यशालाएं/सम्मेलन/संगोष्ठियां, निर्देशनात्मक अध्ययन दौरे, व्यावहारिक नियमावलियों और शिक्षण सहायकों की तैयारी ।

12. शिक्षकों के होस्टल ।

13. अतिथि गृह और स्टाफ क्लब ।

14. किसान होस्टल ।

15. छात्र सहायता निधि ।

16. कुछ चुने हुए क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों में स्नातकोत्तरों हेतु अनुसंधान कार्य के लिए प्रावधान, जैसे कि फार्म प्रयोगशालाएं और क्षात्रों के छात्रावास ।

17. अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए यात्रा व्यय का पचास प्रतिशत ।

18. मानव शक्ति नियोजन और स्थापन तथा मूल्यांकन कक्षों की स्थापना ।

19. उन्नत अध्ययनों के केन्द्रों की स्थापना ।

20. संचार और संग्रहालय तथा उपकरण केन्द्रों की स्थापना ।

21. व्यावहारिक प्रशिक्षण योजनाओं, डिग्री कार्यक्रम की समाप्ति पर परामर्श सेवाओं में छात्रों के प्रशिक्षण के लिए आवर्ती निधि ।

22. व्यावहारिक प्रशिक्षण और विस्तार शिक्षा के लिए परिवहन और ठहरने की सुविधाएं ।

23. पुस्तक बैंक की स्थापना ।

24. राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम ।

राष्ट्रीय मरुस्थल पार्क

1853. श्री बुद्धि सेन जैन : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किए गए राष्ट्रीय मरुस्थल पार्कों की संख्या कितनी है और उनके विकास में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) मरुस्थल में रेगिस्तानी क्षेत्र को कम करने के लिए ये पार्क कहां तक सहायक हुए हैं;

(ग) क्या राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में, जहां देश की सर्वाधिक रेगिस्तानी भूमि है, इस कार्य की गति अत्यन्त धीमी है, यदि हां तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) उपरोक्त पार्क में कार्य की गति में कब तक तेजी लाई जायेगी और किस प्रकार ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण और स्वाई मंत्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) : (क) केन्द्रीय सरकार ने किसी राष्ट्रीय मरुस्थल पार्क की स्थापना नहीं की है। तथापि राजस्थान में राष्ट्रीय पार्क की स्थापना के प्रस्ताव को मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1978-79 के दौरान सिद्धान्त रूप में अनुमोदित कर दिया गया था। पार्क के लिए 32 लाख रुपये का आवंटन अनुमोदित किया गया था। राजस्थान सरकार ने जैसलमेर तथा बाड़मेर जिलों में पार्क की स्थापना करने हेतु 247·16 लाख रुपये की लागत की एक योजना अभी प्रस्तुत की है और प्रस्ताव किया है कि लागत की मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वहन किया जाए। राज्य सरकार ने पार्क में प्रारम्भिक कार्य भी शुरू कर दिया है। राज्य सरकार के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(ख) राष्ट्रीय मरुस्थल पार्क का उद्देश्य यह है कि राजस्थान के मरुस्थल की वनस्पती तथा जीवजन्तुओं की सुरक्षा की जाए और मरुस्थल की पारिस्थिति प्रणाली का अध्ययन करने हेतु सुविधाएं सुलभ की जाए। इसका उद्देश्य प्रत्यक्षरूप से रेगिस्तानी क्षेत्र को कम करना नहीं है।

(ग) व (घ) पार्क में कार्य अभी प्रारंम्भिक अवस्था में है और इस कार्य में वित्तसाधनों का पता लगाने के पश्चात तेजी लाए जाने की आशा है।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता में निदेशक का पद

1854. **प्रो० रूपचन्द पाल** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के निदेशक का पद काफी समय से रिक्त पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता में निदेशक का पद 1.10.80 को रिक्त हुआ था। नए निदेशक की नियुक्ति के लिए कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है।

मत्स्यपालन के लिए बैंक सहायता

1855. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक परियोजना राज्यों को मत्स्य पालन के विकास के लिए वित्त प्रदान करती रही है;

(ख) मत्स्य पालन परियोजना चलाने वाले राज्यों के क्या नाम हैं; और

(ग) इस परियोजना सम्बन्धी योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां ।

मत्स्यन परियोजना से सम्बन्धित राज्यों के नाम इस प्रकार हैं :—गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ।

(ग) गुजरात में यह परियोजना संरचनात्मक सुविधाओं सहित मुख्यत: वेरावल और मंगरोल बन्दरगाहों के विकास के लिए है । (2) आन्ध्र प्रदेश परियोजना में सहायक गतिविधियां और संरचनात्मक सुविधाओं के साथ साथ मुख्यत: निजापत्तनम, काकीनाडा और और विशाखा-पत्तनम (चरण-2) स्थित मत्स्यन बन्दरगाहों का विकास करना शामिल है । (3) बिहार, उत्तर-प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में यह परियोजना, मछली के डिम्पोना उत्पादन की सम्बन्धित गतिविधियों, विस्तार एवं किसानों के प्रशिक्षण के साथ-साथ 58 मत्स्य-पालक विकास एजेंसियों की स्थापना में सहायता करेगी ।

पटना में टेलीफोन प्रणाली

1856. श्री रामावतार शास्त्री : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना में टेलीफोन सामान्यत: खराब रहते हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) उस स्थान की टेलीफोन व्यवस्था को ठीक करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं । इसमें कोई वास्तविकता नहीं है कि पटना में टेलीफोन सामान्यत: खराब रहते हैं । औसत पटना में एक टेलीफोन लगभग 2 महीने की अवधि के दौरान एक बार खराब होता है तथा खराबी लगभग 2.5 घंटों में ठीक कर दी जाती है ।

(ख) जी हां ।

(ग) इस प्रणाली के कार्य निष्पादन से सम्बन्धित तीन शिकायतें डाक-तार निदेशालय, नई दिल्ली में प्राप्त हुई थीं । ये शिकायतें निम्नलिखित मुद्दों पर है :—

(1) शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती ।

( ) जल्दी-जल्दी दोषों की आवृत्ति होती रहती है ।

(घ) संतोषजनक स्तर तक सेवाओं को बनाये रखने के लिए निम्न कदम उठाये जा रहे हैं :—

(1) पटना मुख्य स्वचल एक्सचेंज-1 की 22 वर्षीय पुराने 3000 लाइनों वाले उपस्कर को बदलने की कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है ।

(2) पटना मुख्य स्वचल एक्सचेंज-1 के पुराने पुर्जे बदले जा रहे हैं और वे 1981 के अंत तक बदल दिये जायेंगे ।

चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण

1857. श्री आर० वी० गायकवाड :

श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में चीनी के कारखानों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें प्रत्येक क्षेत्र से चीनी का कुल कितना उत्पादन होता है;

(ग) गैर सरकारी क्षेत्र का बहुत कम हिस्सा होने के कारण क्या सरकार का विचार चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का है; और

(घ) यदि नहीं तो क्या चीनी के मूल्यों में हाल की वृद्धि की दृष्टि से इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना उचित है।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) चीनी मिलों की संख्या और 1979-80 मौसम के दौरान उनके कुल उत्पादन के बारे में सैक्टर वार स्थिति का ब्योरा नीचे दिया जाता है :—

	चीनी मिलों की संख्या	कुल उत्पादन (लाख मीट्री टन में)
निजी सैक्टर	128	15.50
सहकारी सैक्टर	140	20.26
सार्वजनिक सैक्टर	39	2.83
	307	38.59

(ग) और (घ) यूनिटों की संख्या और उत्पादन की कुल मात्रा के बारे में चीनी उद्योग में लगभग 40 प्रतिशत चीनी मिलें निजी सैक्टर में हैं। चीनी का मूल्य कुल उपलब्धता, जोकि उत्पादन पर आधारित है, पर निर्भर करता है। इस वर्ष चीनी के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि गत दो वर्षों के दौरान उत्पादन में भारी गिरावट होने और अन्य स्वीटनिंग तत्वों अर्थात् गुड़ तथा खण्डसारी के अधिक मूल्य होने के कारण कही जा सकती है। मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने को प्रभावकारी उपाय नहीं समझती है। तथापि, मुक्त बिक्री की चीनी उचित मूल्य पर उपलब्ध करने के लिए सरकार ने पहली सितम्बर से 15 नवम्बर, 1980 तक के त्यौहारों की अवधि के लिए स्वैच्छिक मूल्य विनियमन योजना के अन्तर्गत विशेष व्यवस्था की थी। इस योजना के अधीन चीनी मिलों ने राज्य सरकारों के नामितों को मुक्त बिक्री की चीनी 450/- रुपये प्रति क्विंटल के सहमत निकासी मूल्य, जिसमें उत्पादन शुल्क शामिल नहीं था, सुपुर्द की थी

और राज्य सरकारों द्वारा 6/- रुपये प्रति किलो के आस-पास निर्धारित किए गए खुदरा मूल्यों पर उक्त चीनी उचित दर की दुकानों/राज्य सरकारों की एजेंसियों के माध्यम से उपभोक्ताओं को दी गई थी।

प्राथमिक, मिडिल तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा का अधिग्रहण

1858. श्री भोगेन्द्र झा : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अध्यापक तो सामूहिक रूप से तथा अन्य लोग भी यह मांग करते आ रहे हैं कि सरकार प्राथमिक, मिडिल, माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा को समूचे देश में पूरी तरह अपने अधिकार में ले लें ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों के वस्तुतः कुल कितने शिक्षा संस्थान हैं और सरकार ने उनमें से कितने संस्थान पहले ही अपने अधिकार में ले रखे हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) केन्द्र सरकार को इस प्रकार का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उसे यथा शीघ्र सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

बागान श्रमिकों के लिये राजसहायता प्राप्त आवास योजनायें

1859. श्री बी०बी०देसाई : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय ने सेन्ट्रल सेक्टर में वर्ष 1979 के अन्त तक, बागान श्रमिकों के लिए राजसहायता प्राप्त आवास योजनाओं के अधीन निर्माण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 32298 मकानों की मन्जूरी दी थी;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में ऐसे कितने मकान आबंटित किये गये ;

(ग) देश में, मन्त्रालय ने, वर्ष 1979 तक, ऋणों तथा अन्य विभिन्न आवास योजनाओं के माध्यम से कमजोर वर्ग के लोगों को अब तक कितने मकान आबंटित किये हैं;

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान तथा छठी पंचवर्षीय योजना में कितने मकान बनाये जायेंगे अथवा बनाने के लिए ऋण दिया जाएगा;

(ङ) विभिन्न राज्यों में कमजोर वर्ग के लोगों के लिए अब कितनी केन्द्रीय आवास योजनायें बनाई गई हैं;

(च) क्या ऐसा भी कोई राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र है जहां अब तक कोई केन्द्रीय योजना क्रियान्वित नहीं की गई है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) दिसम्बर, 1979 के अन्त तक बागान मजदूरों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत 32258 (न कि 32298) मकान स्वीकृत किए गए थे जैसा कि निम्नलिखित विवरण में है :—

असम	15709
त्रिपुरा	58
पश्चिम बंगाल	12065
तमिलनाडु	948
कर्नाटक	1130
केरल	2348
योग	32258

(ग) औद्योगिक कर्मचारियों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना तथा ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अन्तर्गत दिसम्बर, 1979 तक आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को आबंटनार्थ निर्मित कुल मकानों की संख्या क्रमशः 1,86,446 तथा 68,425 है।

(घ) बागान मजदूरों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत, 1980-81 के दौरान, 9727 मकान तथा छठी योजना के दौरान 64,000 मकान बनाने का प्रस्ताव है। छठी योजना अवधि के लिए 14 करोड़ रुपये का व्यय अनुमोदित किया गया है जिसमें से केन्द्रीय वित्त सहायता बतौर 1.80 करोड़ रुपये सम्बन्धित राज्य सरकारों को के दिए गए हैं।

(ङ) से (छ) बागान मजदूरों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना जिसका आशय रेजीडेन्ट बागान मजदूर के लिए रिहायशी वास की व्यवस्था करना है, के सिवाय समाज के कमजोर वर्गों के लिए कोई अन्य केन्द्रीय क्षेत्र आवास योजना नहीं बनाई गई है। सहायताप्राप्त आवास योजना जो कि एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना स्कीम है को केवल असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में कार्यान्वित किया जा रहा है जहां कि चाय, कौफी, रबड़, तथा सिंकोना बागानों की बहुलता है जो कि बागबानी श्रम अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत आते हैं।

सरकारी आवास

1860. **श्री चित महाटा** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसी योजना बनाने का है कि सेवा में पांच वर्षों के बाद प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को निश्चित रूप से सरकारी आवास आवंटित किया जाएगा; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) वित्तीय एवं निर्माण सामग्री के संसाधनों की कमी के कारण, सरकार के लिए इस प्रकार

की योजना आरम्भ करना सम्भव नहीं है। तथापि, उपलब्ध संसाधनों से सामान्य पूल में जितने मकान बनाये जा सकते हैं, बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं और सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास के आबंटन की प्रतीक्षा अवधि को घटाया जा रहा है।

विकलांग व्यक्तियों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण

1861. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विकलांग व्यक्तियों के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने वाले विद्यालयों तथा संस्थानों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विकलांगों को शिक्षा देने के लिए और अधिक विद्यालयों को खोलने का विचार है; और

(ङ) यादि हां, तो इस से सम्बन्धित योजना का ब्यौरा क्या है?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) सीमित नमूना सर्वेक्षण किया गया है।

(ख) एक विवरण (अनुबन्ध 1, 2 और 3) संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 1477/80]

(ग) समाज कल्याण मन्त्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस देश में लगभग 429 संस्थाएं विकलांग बच्चों और व्यस्कों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करती हैं।

(घ) और (ङ) सामान्य स्कूलों में विकलांग बच्चों के एकीरकण पर मुख्यतया जोर दिया जाता है। विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा के सम्बन्ध में एक योजना है। इस योजना के अधीन खर्च की निश्चित मदों पर जैसे कि अध्यापकों के वेतन, मूल्यांकन लागत (प्रति मूल्यांकन 25 रुपए, उपकरणों की आरम्भिक लागत (500 रुपये प्रति वर्ष), पुस्तकें तथा लेखन सामग्री (150 रुपये प्रति वर्ष) और परिवहन खर्च (प्रति बालक प्रति मास 25 रुपये) 50:50 के आधार पर राज्य सरकारों को सहायता दी जाती है।

स्वयंसेवी संगठनों को सहायता की वर्तमान योजना के अधीन विकलांग व्यक्तियों के लिए नए विशेष स्कूल स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1980 के दौरान गेहूं और धान की खरीद

1862. **श्री जी०एस० निहालसिंह बाला** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब की मंडियों से 1980 के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने गेहूं की कुल कितनी मात्रा खरीदी;

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1980 के दौरान धान की खरीदी गई कुल मात्रा कितनी है;

(ग) धान और गेहूं की कितनी मात्रा का भण्डारण गोदामों में किया गया और कितनी मात्रा खुले मैदानों में रखी गई;

(घ) गोदामों की कमी के कारण गेहूं और धान की कितनी मात्रा खराब हुई; और

(ङ) खाद्यानों को नुकसान से बचाने के लिए और गोदामों में उनके भण्डारों की व्यवस्था करने के लिए सरकार का भविष्य में क्या उपाय करने का प्रस्ताव है?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मन्त्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) : (क) 1980-81 के रबी विपणन मौसम के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने पंजाब में अब तक 10.6 लाख मीटरी टन धान की वसूली की है।

(ख) 1980-81 के खरीफ विपणन मौसम में भारतीय खाद्य निगम ने देश में अब तक 19.9 लाख मीटरी टन धान की वसूली की है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के पास पहली अक्तूबर, 1980 को ढके हुए गोदामों और खुले में भण्डारित स्टाक की मात्रा निम्न प्रकार थी :—

(मात्रा लाख मीटरी टन में)

अनाज	ढके हुए गोदामों में भण्डारित	खुले में भण्डारित
गेहूं	25.4	6.5
धान	12·7	5.0

(घ) 1980-81 मानसून के दौरान 616 मीटरी टन गेहूं और 828 मीटरी टन धान।

(ङ) ढके हुए गोदामों की कमी पर काबू पाने के लिए आपातिक उपाय के रूप में कैप स्टोरेज का आश्रय लिया गया था और उत्तरोत्तर इसे समाप्त किया जा रहा है। ढके हुए गोदामों का निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। भारतीय खाद्य निगम ने विश्व बैंक की सहायता से पर्याप्त मात्रा में वैज्ञानिक भण्डारण क्षमता बनाने का कार्य शुरू किया है। निगम ने कृषिपुनर्वित विकास निगम से सहायता प्राप्त योजना के अन्तर्गत लगभग 50 लाख मीटरी टन क्षमता प्राप्त की है और इन गोदामों का निर्माण भारतीय खाद्य निगम की विनिर्दिष्टयों के अनुसार किया जाता है।

कोको-फलियों का उत्पादन

1863. श्री पी०जे० कुरियन : कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में कोको-फलियों का अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में कोको-प्रोसेसिंग एकक चालू करने का है?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां। यद्यपि ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु यह अनुमान लगाया गया है कि हाल के वर्षों में कोको की खेती के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाने से लगभग 700 मीटरी टन कोको की फलियों का अधिशेष भण्डार है।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, केरल की सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में कोको परिसंस्करण एककों की स्थापना करने का विचार कर रही है।

विश्व विद्यालय परिसरों में नशीले पदार्थों का सेवन

1864. श्री तारिक अनवर :
श्री हीरा लाल आर० परमार :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि विश्वविद्यालय परिसरों में नशीले पदार्थों के सेवन में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या यह सच है कि समाज कल्याण पर योजना आयोग के कार्य दल ने भी इस सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो छात्र और छात्राओं को गुमराह होने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए जा रहे हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) चुने हुए विश्वविद्यालयों में समाज कल्याण मन्त्रालय द्वारा प्रायोजित अनुसंधान अध्ययनों के निष्कर्षों से पता चलता है कि केवल थोड़े अनुपात में ही छात्र सामाजिक रूप से सहनीय तम्बाकू जैसे नशीले पदार्थ के अतिरिक्त अन्य नशीली औषधियों का सेवन करते हैं। सरकार के पास ऐसी कोई अधार सामग्री नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि क्या नशीली औषधियों का सेवन बढ़ रहा है या नहीं।

(ख) जी, हां। कार्यदल ने कहा है कि देश में विशेष रूप से विश्वविद्यालय परिसरों में युवकों में नशीली औषधियों के दुरुपयोग की जांच की जानी चाहिए।

(ग) समाज कल्याण मन्त्रालय ने सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को पत्र लिखे हैं, जिनमें उनसे अनुरोध किया गया है कि छात्रों की शराब पीने की आदत को छुड़ाने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जाना चाहिए। उन्हें सलाह दी गई थी कि वे यह बात सभी विश्वविद्यालयों के नोटिस में लाएं तथा उन्हें इस सम्बन्ध में लगातार सतर्कता बरतने के लिए कहें। शिक्षा मन्त्रालय ने भी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को ऐसे ही पत्र लिखे थे।

सरकारी कर्मचारियों के लिये मकानों का निर्माण

1865. श्री वी०एस० विजय राघवन : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण रुक गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) विभिन्न वर्गों के कितने कर्मचारियों को मकान दिए जाने हैं;

(घ) क्या सरकार का कर्मचारियों की मांग पूरी करने के लिए मकानों के निर्माण हेतु कोई समय-बद्ध कार्यक्रम है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 31-10-1980 तक विभिन्न श्रेणियों के लिए सरकारी वास के आबंटन के पिछले बकाया का एक विवरण संलग्न है।

(घ) तथा (ङ) विभिन्न अभावों के कारण कर्मचारियों की मांगों को अभी पूर्णतया पूरा करना सम्भव नहीं है।

विवरण

31-10-1980 को सामान्य पूल वास में निलम्बित श्रेणीवार आवेदनों से संबंधित विवरण

टाइप	सामान्यपूल	अनु०जाति	अनु०जनजाति	महिलापूल (अविवाहित)	महिलापूल (विवाहित)	कुल
ए	3880	1716	233	8	58	5895
बी	16016	2951	178	1083	3671	23899
सी	12493	1031	47	—	63	13634
डी	2690	122	7	—	—	2819
ई	1636	—	—	—	—	1636
ई-I	806	—	—	—	—	806
ई-II	158	—	—	—	—	158
ई-III	109	—	—	—	—	109
	37788	5820	465	1091	3792	48956

केन्द्रीय वन बोर्ड की बैठक

1866. श्री के०पी० सिंह देव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय वन बोर्ड की अगस्त, 1980 में नई दिल्ली में बैठक हुई थी और उसने देश में वनों के नाश को रोकने एवं उनके विकास के लिए बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय किए;

(ख) यदि हां, तो लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या बैठक ने गैर-सरकारी ठेकेदारों द्वारा, जो बिना सोचे समझे पेड़ गिराते हैं और वन अधिकारियों की साठगांठ के साथ आबंटित क्षेत्रों से बहुत बाहर चले जाते हैं, की जा रही क्षति पर विचार किया है और यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या निर्णय किया गया ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय वानिकी बोर्ड की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये: —

1. समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत उजड़े वन क्षेत्रों में पुन: वनरोपण करना।

2. वानिकी क्षेत्र में काम के बदले अनाज कार्यक्रम का अधिकतम प्रयोग करना।

3. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वन प्रशासन को तेज करना, वानिकी संवर्ग की प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं का उपयुक्त मूल्यांकन करना, वर्तमान महाविद्यालयों को सुदृढ़ बनाना तथा नये महाविद्यालय खोलना ताकि उपर्युक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

4. समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत 5 वर्षों की अवधि में वन ठेकेदारों को समाप्त करना।

5. आदिवासी अर्थ व्यवस्था की सहायता के लिये विभिन्न वानिकी विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना।

6. ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई के विनियमन के सम्बन्ध में व्यापक वन विधान बनाना।

पारादीप पर मत्स्य पत्तन में विलम्ब

1868. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या कृषि मंत्री पारादीप पत्तन, उड़ीसा पर मत्स्य पत्तन के बारे में 17 मार्च, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 704 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार कब से पारादीप पत्तन में एक मत्स्य पत्तन स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) देश में विभिन्न स्थानों के लिए कितने नए मत्स्य पत्तन बनाने की मंजूरी दी गई है और क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया है; और

(ग) पारादीप पत्तन में मत्स्य पत्तन स्थापित करने के बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) भारत सरकार को अन्तिम प्रस्ताव नवम्बर, 1977 में प्राप्त हुआ था।

(ख) भारत सरकार द्वारा अगस्त, 1978 से मछली पकड़ने वाले किसी नये बन्दरगाह की मंजूरी नहीं दी गई है।

(ग) बन्दरगाह की लागत जिसे अब 311.80 लाख रुपए से संशोधित करके 607 लाख रुपए कर दिया गया है का पुन: मुल्यांकन करने के बाद।

बिहार में मैन्युअल एक्सचेंज का आटो-डायलिंग प्रणाली में बदलना

1869. श्री डी०एल० बैठा : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के फोर्बसगंज, पुर्णिया, अरारिया, असारिया छावनी और त्रिवेणी गंज मैन्युअल एक्सचेंजों को आटो-डायलिंग प्रणाली में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

(ग) क्या यह सच है कि इन एक्सचेंजों से अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है परन्तु कार्य-भार अधिक होने तथा समुचित रखरखाव के अभाव में बुक की गई अधिकतर काले नहीं लग पाती हैं जिससे सरकार एवं जनता को भारी वित्तीय हानि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो लाइनों एवं एक्सचेंजों के समुचित रखरखाव के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) अरारिया आर० एस० तथा त्रिवेणीगंज के टेलीफोन एक्सचेंज पहले से ही स्वचालित हैं। यद्यपि पुर्णिया फोर्बसगंज तथा अरारिया कोर्ट में स्वचालित एक्सचेंज बनाने का विचार है परन्तु अभी तक कोई निश्चित योजना तैयार नहीं की गई है क्योंकि स्वचालित स्विचिंग उपस्कर का देश में उत्पादन सीमित मात्रा में हो रहा है।

(ख) और (घ) त्रिवेणीगंज में ट्रंक कालों की प्रभावी प्रतिशतता संतोषजनक है। अरारिया कोर्ट की प्रतिशतता में भी सुधार हुआ है।

फोर्बसगंज और पुर्णिया से ट्रंक यातायात में भी वृद्धि हुई है। यातायात में इस वृद्धि हेतु व्यवस्था प्रदान करने के लिए ट्रंक सर्किटों की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

बिजली की कटौती के कारण, एक्सचेंजों के अनुरक्षण में कुछ हद तक प्रभाव पड़ा है।

उत्तर प्रदेश में पेय जल योजना

1870. **श्री जैनुल बशर :**
श्री राम अवध :

क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने गांवों को पेय जल योजना के अन्तर्गत नहीं लाया गया है;

(ख) ऐसे कितने गांव में जिन्हें अभी तक पेय जल योजना के अन्तर्गत नहीं लाया गया है;

(ग) क्या सरकार की नीति इस योजना के जरिए प्रत्येक गांव को पेय जल उपलब्ध कराने की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह सुविधा कब उपलब्ध कराई जाएगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास (श्री भीष्म नारायणसिंह) : (क) 31 मार्च, 1980 तक 7001 समस्याग्रस्त ग्रामों में जलपूर्ति की व्यवस्था की गई है।

(ख) 1-4-1980 को 28,505 समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जलपूर्ति की व्यवस्था की जानी थी।

(ग) तथा (घ) छठी योजना अवधि (1980-85) के दौरान, देश के समस्त समस्याग्रस्त ग्रामों में स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था करने के लिए उच्च प्राथमिकता दी गई है।

गुजरात में कृषि ऋणों की माफी

1871. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने कृषि ऋणों की वसूली को माफ करने की योजना केन्द्र सरकार को उसकी सहमति के लिये दे दी है और यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार कृषि और कृषकों को इस भार से छुटकारा दिलाने के लिये कोई अन्य कदम उठाने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) भारत सरकार को गुजरात सरकार से कृषि ऋणों की वसूली माफ करने से सम्बन्धित कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) भारत सरकार ने ऋण से राहत देने के लिये राज्य सरकारों को पहले ही मार्गदर्शी सिद्धांत परिचारित कर दिये थे तथा गुजरात सरकार ने अपेक्षित विधान बना दिया है। प्राकृतिक आपदाओं जैसी परिस्थितियों में वसूली स्थगित करने के लिये संस्थागत ऋणों को पुनः निर्धारित करने अथवा उनके स्वरूप में परिवर्तन करने की व्यवस्था विद्यमान है।

प्राकृतिक आपदाओं के पुनः प्रकोप होने पर विशेष परिस्थितियों में गरीब किसानों के ऋणों को बट्टे खाते में डालने का भी प्रावधान है। भारत सरकार ऐसे किसी उपाय के पक्ष में नहीं है जिससे संस्थागत ऋणों को अंधाधुन्ध तरीके में बट्टेखाते में डाला जा सके क्योंकि इससे ऋणों की वसूली का वातावरण दूषित करने जान बूझ कर अदायगी न करने और ऋण देने वाली संस्थाओं की आत्मक्षमता को नष्ट करने की प्रवृत्ति को बल मिलता है।

शिक्षा को केन्द्रीय सूची में लाने के लिए विधान

1872. **श्री के० के० तिवारी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा के ढांचे में एकरूपता लाने के लिए तथा उसके धर्म-निरपेक्ष स्वरूप को बनाये रखने के लिए सरकार का विचार शिक्षा को केन्द्रीय सूची में लाने के लिए एक उपयुक्त विधान बनाने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) शिक्षा (केन्द्रीय सूची में पहले की प्रविष्टियों को छोड़कर) संविधान की पांचवीं अनुसूची में समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची में शामिल विषयों के बारे में केन्द्र और राज्यों के वैधानिक अधिकार सह:विस्तृत हैं। हमारी संस्कृति, भाषा, भूगोल आदि की विविधता के लिए यह जरूरी है कि राज्य सरकारों के पास ऐसे वैधानिक और कार्यकारी अधिकार हों जिससे कि वे राज्य के लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई सूझ-बूझ और आवश्यकताओं के अनुकूल शैक्षिक प्रणालियों का संचालन कर सकें। वर्तमान व्यवस्था हमारी संघीय नीति के

अनुरूप ही है और विस्तृत राष्ट्रीय ढांचे के अन्तर्गत शिक्षा की लचीली और विकेन्द्रित प्रणाली को सुनिश्चित करने तथा उसे राष्ट्रीय हित में उपयोगी बनने के लिए पर्याप्त समझा गया है।

गांधी जन्म शताब्दी वर्ष के दौरान डी० डी० ए० द्वारा फ्लैटों का निर्माण

1873. **श्री निहाल सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांधी जन्म शताब्दी वर्ष के दौरान सफदरजंग, पंखा रोड, लारेन्स रोड, झिलमिल कालोनी तथा विवेक विहार में अलग-अलग कितने जनता क्वार्टरों का निर्माण किया गया और अलाटियों द्वारा अधिकृत क्वार्टरों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार वहां रहने वाले अलाटियों के अतिरिक्त व्यक्तियों को स्वामित्व अधिकार देने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) महात्मा गांधी जन्म शताब्दी वर्ष 1969 के उपलक्ष में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित कालोनियों में 975 सी० एस० पी० फ्लैटों का निर्माण किया गया था :—

सफदरजंग	207
ईस्ट आफ़ कैलाश	133
झिलमिल कालोनी	252
पंखा रोड	383
जोड़	975

इनफ्लैटों का आबंटन वर्ष 1970 में किया गया था।

(ख) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के निर्मित फ्लैटों का आबंटन दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवास सम्पदा के प्रबन्ध और निपटान विनियमन, 1968 में दी गई शर्तों द्वारा प्रशासित होता है।

सीमान्त तथा भूमिहीन किसानों के लिये राज सहायता

1874. **श्री आनन्द पाठक** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में सीमान्त तथा भूमिहीन किसानों को राजसहायता देने की किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे किसानों का चयन करने के लिए क्या मानदंड रखे गये हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, जिनके अन्तर्गत देश के सभी विकास खंड आते हैं, के अन्तर्गत सीमान्त तथा भूमिहीन किसानों को राजसहायता पहले से ही सुलभ की जा रही है।

(ख) समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 2.5 एकड़ तक की भूमिवाले काश्तकार को सीमान्त किसान परिभाषित किया गया है। प्रथम श्रेणी की सिंचित भूमि के मामले में, जैसा कि राज्य के भूमि अधिकतम सीमा कानून में परिभाषित किया गया है, अधिकतम सीमा 1.25 एकड़ है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता सुलभ करने के लिए परिवारों का चयन मुख्यतः परिवार की आय के आधार पर किया जाना है। वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, सभी स्रोतों से प्रतिवर्ष 3,500 रुपये से कम की वार्षिक आय वाले सभी ग्रामीण परिवार जिनमें सीमान्त किसानों के परिवार भी शामिल हैं, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता पाने के पात्र हैं और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता सुलभ करने हेतु कार्यान्वयन एजेंसियों को भी अनुदेश दिए गए हैं कि वे सबसे पहले निर्धनतम परिवारों का चयन करें।

महाराष्ट्र में चीनी के नये कारखाने

1875. **श्री आर० एस० माने** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र से प्राप्त चीनी के नये कारखानों और विस्तार सम्बन्धी कितने नये प्रस्ताव कृषि मंत्रालय के विचाराधीन पड़े हैं ;

(ख) वे कितने वर्षों से विचाराधीन पड़े हैं ; और

(ग) इनको अन्तिम रूप कब तक दे दिया जायगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) महाराष्ट्र राज्य में नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु पांच आवेदन पत्र और विस्तार करने विषयक एक आवेदन पत्र कृषि मंत्रालय में लम्बित पड़े हुए हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है, जिसमें कृषि मंत्रालय में इन आवेदन पत्रों की प्राप्ति की तारीख का ब्यौरा दिया गया है।

(ग) सरकार ने नयी चीनी फैक्ट्रियों के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु हाल ही में निर्णय किया है और इस संबंध में 4 जुलाई, 1980 को एक प्रेस नोट भी जारी किया गया है। इन आवेदन पत्रों पर मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार यथा समय निर्णय किया जायगा।

उत्तर प्रदेश, बिहार तथा हरियाणा में चीनी मिलें

1875. **श्री रामसिंह शाक्य** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, बिहार तथा हरियाणा राज्यों में कुल कितनी चीनी मिलें हैं;

(ख) उन में से कितने मिल सहकारी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं;

(ग) उन सहकारी संस्थाओं के क्या नाम हैं;

(घ) वर्ष 1978-79 तथा 1979-90 में इन मिलों में कितने क्विन्टल चीनी का वार्षिक उत्पादन हुआ;

(ङ) क्या इन मिलों पर कभी छापा मारा गया था; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

विवरण

1. नई फैक्ट्रियां

क्रम सं०	प्रस्तावित चीनी फैक्ट्री का नाम	प्रस्तावित स्थान	टी०सी०डी० क्षमता	औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से कृषि मंत्रालल में आवेदन पत्र प्राप्त करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	विधनाहर एस० एस० के० लि०	तह० जुन्नार, जिला पूना	1250	21-7-78
2.	सहकारी शक्कर कारखाना लि०, अटपदी।	तह० अटपदी, जिला सांगली	1250	15-7-75
3.	बसन्तराव दादा पाटिल एस०एस०के०	विठेवाडी (लेहनेर) तह० वलवान, जिला नासिक	1250	17-10-77
4.	शिरपुर से तकारी एस०एस०के० लि०	तह० शिरपुर, जिला धुलिया	1250	19-6-80
5.	हुतात्मा किसान अहीर एस०एस०के०लि०	तह० वल्वा, जिला सांगली	1250	18-5-78

2. विस्तार

क्रम सं०	स्थान सहित वर्तमान चीनी फैक्ट्री का नाम	प्रस्तावित विस्तार (गन्ना मीटरी टन/ दिन)		औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से कृषि मंत्रालय में आवेदन पत्र प्राप्त करने की तारीख
		से	तक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री दत्ता एस० एस० के० लि०, असुरले-पोरले, पोस्ट पोरले टर्फ थाने, तालुक पनहला जिला कोल्हापुर	400	1250	23-8-79

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) विवरण-I संलग्न है जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा राज्यों में स्थित चीनी फैक्ट्रियों की कुल संख्या और सहकारी चीनी फैक्ट्रियों की संख्या का ब्योरा दिया गया है।

(घ) और (ग) विवरण-II संलग्न है जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा राज्यों में स्थित सहकारी चीनी फैक्ट्रियों के साथ-साथ 1978-79 और 1979-80 के पिराई मौसमों के दौरान चीनी के उत्पादन का क्विंटल में ब्योरा दिया है।

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने इन मिलों पर कोई छापे नहीं मारे थे।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 1478/80]

कर्नाटक में प्रोद्योगिकी तथा चिकित्सा कालेजों के
वाणिज्यीकरण पर प्रतिबन्ध

1877. श्री टी० आर० शमन्ना : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक राज्य में इन्जीनियरी तथा मेडिकल कालेजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है; और

(ख) क्या भारत सरकार का कर्नाटक राज्य में प्रौद्योगिकी तथा चिकित्सा शिक्षा के इस प्रकार के वाणिज्यीकरण पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। मामले में उचित कदम उठाने के प्रश्न की जांच सरकार द्वारा की जा रही है।

वजीर नगर, नई दिल्ली का विकास

1878. श्री धर्मदास शास्त्री : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली के "बी" ब्लाक के सामने वजीर नगर का क्षेत्र पिछले पांच वर्षों से दिल्ली नगर निगम से दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली विकास प्राधिकरण से दिल्ली नगर निगम को बार-बार हस्तान्तरित किया जा रहा है जिसका इसके विकास पर प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार है; और

(ग) इस क्षेत्र के विकास की नई सम्भावनाएं क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) पिछले 5 वर्षों के दौरान वजीर नगर कालोनी को केवल एकबार अर्थात् अगस्त, 1978 में दिल्ली विकास प्राधिकरण से दिल्ली नगर निगम को हस्तान्तरित किया गया है।

(ख) तथा (ग) वजीर नगर के नियमितीकरण नक्शे का प्रारूप अब तैयार कर लिया गया है। इसके अनुमोदन के पश्चात्, नक्शे के प्रारूप के अनुसार इसमें विकास कार्य आरम्भ किये

जायेंगे। इसी दौरान, दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उन्होंने इस क्षेत्र में पहले ही मूलभूत सुविधाएं मुहैया कर दी हैं।

तिलहन के विकास की दर

1879. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिलहन के आयात पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के लिए सरकार उनके विकास की दर बढ़ाने के लिए कौन से उपाय पर विचार कर रही है; और

(ख) तिलहन के विकास की वर्तमान लक्ष्य दर क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) तिलहन के विकास में वृद्धि करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये है ताकि उनके निर्यात पर अधिक निर्भर न रहना पड़े :—

1. तिलहन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत एक सौ जिलों में एक सघन कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है। अन्य बातों के साथ-साथ योजना का लक्ष्य कृषकों के खेतों में प्रदर्शन करना, बाज उत्पादन संबंधी व्यवस्था को सुदृढ़ करना, वनस्पति रक्षण के उपायों का विस्तार करना तथा कृषकों और विस्तार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना है।

2. इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें अपनी निधियों से तिलहन विकास कार्यक्रमों को चला रही हैं।

3. कटाई के तुरन्त बाद दूसरी फसल को बोने तथा अन्तःवर्ती सस्य प्रणाली के माध्यम से तिलहन की अल्पावधि में तैयार होने वाली किस्मों के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाना।

4. अनुसंधान सम्बन्धी प्रयासों को तेज करना।

(ख) तिलहन उत्पादन में 5 प्रतिशत मिश्रित विकास की दर का लक्ष्य रखा गया है जिसे छठी योजना (1984-85) के अंत तक प्राप्त किया जायेगा। 1967-79 की अवधि के दौरान विकास दर 1.62 प्रतिशत थी।

लैण्डलार्ड्स वेज टू बाइ-पास रेन्ट लाज
शीर्षक से समाचार

1880. **श्री पी०के० कोडियन :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 अक्तूबर, 1980 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "लैन्डलार्डस वेज टू बाई-पास रेन्ट लाज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्रवृत्ति को रोकने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जैसा कि समाचार पत्र में उल्लेख किया गया है, मकान मालिकों के कदाचारों से निपटने के लिए दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1958 में उपबन्ध हैं।

ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना के लिए वित्तीय आबंटन

1881. श्री के० टी० कोसलराम : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अलावा, केन्द्रीय सहायता से कार्यान्वित की जा रही ग्रामीण पुनर्निर्माण योजनाओं के वित्तीय आबंटन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्यों ने उन योजनाओं को राज्य-क्षेत्र को सौंप देने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है जिनके लिए विभिन्न राज्यों को आबंटन किए गए हैं :—

(1) समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम ।

(2) विशेष पशुधन कार्यक्रम ।

(3) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम ।

(4) मरुभूमि विकास कार्यक्रम ।

(5) अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के नये प्राप्तकर्त्ताओं को सहायता ।

(6) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ।

उपर्युक्त योजनाओं के बारे में वर्ष 1980-81 के दौरान किए गए वित्तीय आबंटनों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण 1 व 2 में दिया गया है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 1479/80**]

जहां तक ग्रामीण गोदाम, ग्रामीण बाजारों के विकास आदि जैसे अन्य कार्यक्रमों का संबंध है, इनके लिए कोई राज्यवार आबंटन नहीं हैं । निधियां सम्बन्धित राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर स्वीकृत की जाती हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

समेकित शहर विकास योजना के अन्तर्गत बिहार

1882. श्री विजय कुमार यादव : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की समेकित शहर विकास योजना के अन्तर्गत बिहार में किन-किन शहरों को चुना गया है;

(ख) क्या बिहार सरकार ने ऐसे शहरों के सम्बन्ध में प्रत्येक परियोजना के विवरणों को अनुमोदन के लिए भेज दिया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे शहरों के नाम क्या हैं और योजनाओं का ब्यौरा कब भेजा गया था; और

(घ) ऐसी परियोजनाओं की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और उनको दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है तथा इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) लघु एवं मध्यम नगरों के स्वीकृत विकास की केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत बिहार के दो शहर यथा, गोपाल गंज और हाजीपुर को केन्द्रीय ऋण सहायता के लिए चुना गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) हाजीपुर की परियोजना, नवम्बर, 1979 में प्राप्त हुई तथा गोपाल गंज की मार्च, 1980 में।

(घ) सड़कें चौड़ी करने के लिए हाजीपुर को 10 लाख रुपए की राशि दी गई तथा 5 लाख रुपये गोपाल गंज को एक मार्केट का विकास करने के लिए दिए गए।

मार्च, 1983 तक इन स्कीमों के पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

क्रासबार टेलीफोन एक्सचेंज को निर्माण के लिए एक फैक्ट्री स्थापित करने का प्रस्ताव

†1883. **श्री जी०एस० रेड्डी** : क्या संचार मन्त्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी प्रौद्योगिकी से क्रास बार टेलीफोन एक्सचेंजों का निर्माण करने के लिए एक फैक्टरी स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इलेक्ट्रानिक्स विभाग ने इस प्रस्ताव पर आपति की थी;

(ग) क्या सरकार के विचार में क्रास बार प्रौद्योगिकी अभी भी इलैक्ट्रानिक्स एक्सचेंजों से अधिक लाभकर है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के राय-बरेली कारखानों में, देश में ही विकसित प्रणाली, भारतीय क्रासबार परियोजना (आई० सी०पी०) किस्म के क्रासबार टेलीफोन एक्सचेंज उपस्कर को 2 लाख (समतुल्य) लाइनों की उत्पादन क्षमता स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) अभी भी क्रासबार टेलीफोन एक्सचेंजों का संसार भर में जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान जैसे अत्यन्त विकसित देश शामिल हैं, प्रयोग हो रहा है और अनेक विकसित देशों के कारखानों में आगामी कई वर्षों तक क्रासबार उपस्कर का निर्माण होता रहेगा। डाकतार विभाग के प्रचालन तथा रखरखाव करने वाले कर्मचारियों को क्रासबार प्रौद्योगिकी का अच्छा अनुभव है जबकि इलैक्ट्रोनिक प्रणाली के स्थानीय एक्सचेंज उनके लिए बिल्कुल नए होंगे।

पंजाब और हरियाणा की धान वसूली एजेंसियों को धान की कीमत में की गई वृद्धि के निर्णय की सूचना दिया जाना

1884. **श्री नवीन स्वामी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा धान की निम्नतम कीमत निर्धारित कर दी गई थी और क्या यह सच है कि पंजाब और हरियाणा का वसूली एजेंसियों की कीमत बढ़ाने के इस निर्णय की सूचना अगले तीन दिन तक नहीं मिल पाई;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार को पता है कि किसानों द्वारा निजी व्यापारियों को हजारों टन धान कम कीमत पर बेचा गया था; और

(ग) इस विलम्ब के लिए उत्तरदायी कौन है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

कृषि ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) : (क) से (ग) हांलांकि सरकार ने धान के वसूली मूल्यों में वृद्धि करने विषयक सामान्य निर्णय 6 अक्तूबर, 1980 की शाम को विलम्ब से किया था, लेकिन धान की विभिन्न किस्मों के वसूली मूल्यों के बीच दिए जाने वाले अन्तर के बारे में सरकार द्वारा ब्यौरे तैयार किए जाने थे और उनके सम्बन्ध में निर्णय किया जाना था। इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवायी की गई थी और उसके बारे में सरकार के निर्णय तथा साथ-साथ संशोधित मूल्यों के ब्यौरों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को 9 अक्तूबर, 1980 को सूचना भेज दी गयी थी। वह पंजाब और हरियाणा की वसूली एजेंसियों के पास 10 अक्तूबर 1980 को पहुंच गई थी। उससे पूर्व की अवधि के दौरान पंजाब और हरियाणा की मिलों द्वारा लगभग 103 हजार मीटरी टन धान खरीद ली गई थी क्योंकि उपर्युक्त निर्णय लेने के बाद किस्मवार वसूली मूल्यों के ब्यौरों के बारे में सूचना भेजने में कोई विलम्ब नहीं हुआ था, विलम्ब के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सराय खलील दिल्ली की गन्दी बस्ती के निवासियों को क्वार्टरों का आवंटन

1885. **श्री एफ० एच० मोहसिन** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1976 में गन्दी बस्ती हटाओ योजना के अधीन दिल्ली में सराय खलील क्षेत्र खाली करवाया गया था;

(ख) क्या सराय खलील की गन्दी बस्ती के निवासियों को वचन दिया गया था कि उन्हें बने बनाये क्वार्टर दिये जायेंगे।

(ग) कितने क्वार्टर बनाये गए हैं और उनको दिए गए हैं;

(घ) क्या कुछ क्वार्टर दिये गए वचन का उल्लंघन करके सरकारी कर्मचारियों को दिये गए हैं;

(ङ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने शर्त लगाई है कि जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय 12,000 से 24,000 रुपये तक है केवल वही क्वार्टरों के लिए आवेदन पत्र भेज सकते हैं;

(ञ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आवेदन पत्र भेजने के लिए पात्रता के बारे में अन्य क्या शर्तें रखी हैं;

(छ) यदि ये शर्तें लगाई जाती है तो वास्तविक दावेदारों को क्वार्टर नहीं मिल सकेंगे और ये केवल धनवान व्यक्तियों को ही दिए जायेंगे, और

(ज) क्या उन शर्तों को समाप्त करने के लिए उचित प्राधिकारी को अभ्यावेदन भेजे गये हैं, यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह): (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा आवास सहायता

1886. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में आवास निर्माण के लिए विश्व बैंक तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा कितनी सहायता दी गई है;

(ख) सहायता की शर्तें क्या है; और

(ग) क्या कुछ ऐसे मामले भी हैं जिसमें तैयारी अथवा तदनुरुप प्रयासों की कमी के कारण ऐसी सहायता का उपयोग नहीं किया गया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

झुग्गी झोंपड़ी में रहने वालों के लिए मकान

1887. **श्री रामलाल राही** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और अन्य महानगरों में झुग्गी झोंपड़ियों में 15 वर्षों में अधिक समय से रह रहे ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें स्थायी आधार पर मकान उपलब्ध कराए गए हैं; और

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर इन्हें बसाया गया है और जिन व्यक्तियों को मकानों की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है उनके लिए सरकार की योजना का विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) गन्दी बस्ती सफाई/सुधार योजना के अन्तर्गत निर्मित टेनामेंटों की संख्या के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) उन जगहों के नाम जहां उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत टेनामेन्ट बनाए गए हैं, एकत्र किए जा रहे हैं तथा उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

इस समस्या की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए, सरकार का गन्दी बस्तियों को हटाने की नीति के बनिस्पत उनकी पर्यावरणीय स्थितियों में सुधार करने पर बल देना है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत नगरीय गन्दी बस्तियों की पर्यावरणीय सुधार योजना 1-4-1974 से राज्य क्षेत्र योजना के रूप में चलाई जा रही है।

1980-85 की अवधि के लिए छठी पंचवर्षीय योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। इसलिए, गन्दी बस्ती निवासियों के हितार्थ योजनाओं के लिए वित्तीय नियतन तथा वास्तविक लक्ष्य बताना सम्भव नहीं है। संसाधनों की उपलब्धता की स्थिति में, यह प्रस्ताव है कि इस समस्या को 10 वर्षों की अवधि में हल करने के लिए राज्य क्षेत्र योजनाओं में प्रावधान रखा जाए।

मानसिक दृष्टि से कमजोर बच्चों के बारे में सर्वेक्षण

1888. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मानसिक दृष्टि से कमजोर बच्चों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) मानसिक दृष्टि से तथा शारीरिक दृष्टि से कमजोर बच्चों को शिक्षा देने के लिए व्यावसायिक दृष्टि से सक्षम कर्मचारी प्राप्त करने में सहायता देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा कर रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विकलांग व्यक्तियों के, जिनमें मानसिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति भी शामिल हैं, अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए स्वयंसेवी संगठन को वित्तीय सहायता दी जाती है। नेत्रहीनों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान बम्बई, दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता में चार केन्द्रों को सहायता दे रहा है।

विकलांग व्यक्तियों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए अल्पकालीन पुनश्चर्या पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।

उड़ीसा में 1980-81 के दौरान नये डाक तथा तारघर और टेलीफोन एक्सचेंज

1889. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उड़ीसा राज्य में जिलेवार कितने डाकघर, तारघर तथा टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का विचार है;

(ख) चालू वर्ष की योजना के अन्तर्गत उनमें से कितने खोले जा चुके हैं और बाकी कब खोले जाने की संभावना है;

(ग) ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रस्तावित डाकघरों तथा तारघरों का जिलेवार ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या इन कार्यालयों को खोलने के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) सूचना अनुबंध में दी गई है।

(ख) 56 डाकघर पहले ही खोले जा चुके हैं। मयूरभंज तथा फूलबानी के प्रत्येक जिले में एक-एक तारघर तथा कटक जिले में एक टेलीफोन एक्सचेंज खोला जा चुका है। आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक शेष डाकघर तथा एक्सचेंज उत्तरोत्तर खोल दिए जायेंगे।

(ग) प्रस्तावित डाकघरों का आवंटन निम्न प्रकार से किया गया है।

जिला	शहरी	ग्रामीण
1. बेलनगीर	शून्य	शून्य
2. कालाहांड़ी	शून्य	7
3. बालासौर	3	10
4. गंजम	2	13
5. कटक	5	15
6. धेंनकनाल	1	15
7. क्योंझर	1	7
8. कोरापुट	1	17
9. म्यूरभंज	1	10
10. फूलबानी	शून्य	8
11. पुरी	3	9
12. सम्बलपुर	2	6
13. सुन्दरगढ़	1	8

सभी प्रस्तावित तारघर ग्रामीण इलाकों में ही खोले जायेंगे।

(घ) जी हां। संबंधित योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है तथा आवश्यक दूरसंचार उपस्कर तथा भंडार प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

चालू वित्तीय अनुबंध के दौरान उड़ीसा राज्य में जिलेवार खोले जाने वाले प्रस्तावित डाक तथा तारघरों और टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या

जिला	डाकघरों की संख्या	तारघरों की संख्या	टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
1. बेलनगीर	—	—	—
2. कालाहांडी	7	6	—

1	2	3	4
3. बालासोर	13	11	1
4. गंजम	15	1	—
5. कटक	20	5	3
6. धेनकनाल	16	13	—
7. क्योंझर	8	3	—
8. कोरापुट	18	12	—
9. मयूरभंज	11	4	—
10. फूलबानी	8	3	—
11. पुरी	12	—	—
12. सम्बलपुर	8	—	—
13. सुन्दरगढ़	9	2	1

उत्तर प्रदेश में डाक लेखन सामग्री का नितान्त अभाव

1890. श्री दयाराम शाक्य : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के सभी डाकघरों में लिफाफों, पोस्टकार्डों, टिकटों और पोस्टल आर्डरों का नितान्त अभाव है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि उपर्युक्त वस्तुओं का फरुखाबाद जिले के भी हर डाकघर में अभाव है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार उपर्युक्त वस्तुएं जनता को कब उपलब्ध कर सकेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) उत्तर प्रदेश में डाक लेखन सामग्री की कुछ कमी अवश्य रही है परन्तु यह कमी अति विकट नहीं है।

(ख) फर्रुखाबाद जिले में भी डाक लेखन सामग्री की कुछ कमी की सूचना मिली थी।

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए डाक टिकटें और डाक लेखन सामग्री अन्य स्थानों से मंगाई गयी थी। भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक से विशेष सप्लाई 15 और 28 अक्तूबर, 1980 को प्राप्त हुई।

पुरातत्व विभाग द्वारा कर्नाटक में मन्दिरों पर किया गया व्यय

1891. श्री एस०एस०सिदनाल : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में पुरातत्वीय महत्व के उन मन्दिरों तथा अन्य स्थानों के नाम क्या हैं जो केन्द्रीय पुरातत्वीय विभाग द्वारा संरक्षित हैं ; और

(ख) उपरोक्त प्रत्येक स्मारक पर गत तीन वर्षों में कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) कर्नाटक में राष्ट्रीय महत्व के केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों की सूची संलग्न है।

(ख) विगत तीन वर्षों में किए गये व्यय का स्मारकवार विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 1480/80]

गुजरात में स्वचालित (आटो) एक्सचेंज

1892. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सर्किल में डिवीजनवार, कितने स्वचालित एक्सचेंज और कितने मानव-चालित एक्सचेंज हैं;

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितने मानवचालित एक्सचेंजों को स्वचालित एक्सचेंजों में बदलने का प्रस्ताव है;

(ग) गुजरात में कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन हैं और प्रतिवर्ष कनेक्शनों में कितनी वृद्धि होती है; और

(घ) इस संबंध में टेलीफोन कनेक्शनों की मांग पूर्ति से कितनी अधिक है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) दो।

(ग) 31-3-1980 को गुजरात में कुल 185,547 टेलीफोन कनेक्शन (सीधी एक्सचेंज लाइनें) कार्यरत थे जिनको गुजरात दूरसंचार सर्किल तथा अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और सूरत टेलीफोल जिलों से सेवा प्रदान की जाती है। 1979-80 के दौरान 12,823 टेलीफोन कनेक्शनों की वास्तविक वृद्धि हुई थी।

(घ) 31-3-1980 को पंजीकृत मांग में 20,459 टेलीफोन कनेक्शनों की वृद्धि हुई जो उस दिन की प्रतीक्षा सूची की द्योतक है।

विवरण

गुजरात दूरसंचार सर्किल के विभिन्न दूरसंचार मंडलों में स्वचल तथा करचल एक्सचेंजों की संख्या

मंडल का नाम	स्वचल एक्सचेंजों की संख्या	करचल एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
अहमदाबाद	44	36
बड़ौदा	63	15
भावनगर	20	4
भुज	18	11
जामनगर	19	7
जूनागढ़ (उत्तर)	20	10

1	2	3
जूनागढ़ (दक्षिण)	25	11
मेहसाना	30	12
नदियाड	43	15
पालनपुर	37	9
राजकोट	30	10
सूरेत	53	10
सुरेन्द्र नगर	16	5

गोडावण की सुरक्षा

1893. **श्री एस. एम. कृष्ण :**

श्री राजेश कुमार सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य पत्र के रूप में गोडावण (ग्रेट इन्डियन बस्टर्ड) की रक्षा के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) :

1. ग्रेट इन्डियन बस्टर्ड का नाम वन्य प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है और उसके शिकार करने व उसके मारने पर प्रतिबन्ध है।

2. ग्रेट इन्डियन बस्टर्ड का नाम वनस्पति व वन्य प्राणियों की संकट में पड़ी हुई नस्लों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी कन्वेंशन के परिशिष्ट 1 में भी शामिल है। इस का वाणिज्यिक उपयोग के लिये निर्यात नहीं हो सकता।

3. राजस्थान, महाराष्ट्र व कर्नाटक के ऐसे क्षेत्रों में जहां यह पक्षी पाया जाता है, आश्रम स्थल बनाये गये हैं।

4. राज्यों से कहा गया है कि वे इस नस्ल की सुरक्षा के किए कदम उठायें।

5. राज्यों से कहा गया है कि वे अपने वन्य-प्राणी स्कन्धों को मजबूत बनायें ताकि इस पक्षी का चोरी से शिकार न होने पाये।

6. राष्ट्रीय पार्कों व आश्रम-स्थलों को वित्तीय सहायता देने के विषय में भारत सरकार की एक योजना मौजूद है। भारत सरकार ऐसे आश्रय-स्थलों के लिए वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है जहां यह पक्षी पाया जाता है।

'काम के बदले अनाज', कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

1894. **श्री एस०एम० कृष्ण :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'काम के बदले अनाज' के लिए अनुदानों के इस्तेमाल के लिए कभी भी कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये थे जिनका अनुसरण राज्य सरकारें कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम से रोजगार तथा आय और स्थायी परिसम्पत्तियों के रूप में अपेक्षित लाभ प्राप्त न होने की स्थिति पैदा न होने देने के लिए क्या तन्त्र स्थापित किया गया है ?

कृषि और ग्रामीण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) काम के बदले अनाज कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मार्गदर्शक सिद्धान्त 1978 में जारी किए गए थे। उनकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। तदुपरान्त इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में समय समय पर कुछ संशोधन किए गए थे। चूंकि काम के बदले अनाज कार्यक्रम को अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में बदल दिया है अत: संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों को अक्तूबर 1980 में जारी किया गया था। इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों की प्रति भी संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1481/80]

(ग) अधिकतम परिणाम प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम का प्रबोधन तथा पर्यवेक्षण राज्य सरकारों का मुख्य उत्तरदायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार राज्यों में कार्यक्रम का मौके पर अध्ययन करने के लिए अधिकारियों को भेज रही है।

पंजाब में टेलीफोन एक्सचेंज

1895. **श्री आर०एल० भाटिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के उन टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम क्या हैं जिन्हें चालू और अगले वर्ष के दौरान स्वचालित बनाया जाएगा और जहां एस०टी०डी० सुविधायें प्रदान की जायेंगी; और

(ख) अमृतसर, लुधियाना और जालन्धर जैसे वाणिज्यक नगरों में न केवल स्थानीय कालों अपितु ट्रंक कालों, विदेश कालों, टेलेक्स परिचालनों के क्षेत्र में तथा अन्य संबद्ध क्षेत्रों में वर्तमान सेवाओं में सुधार करने के लिए क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रोपड़ फरीदकोट एक्सचेंजों को स्वचालित बनाया जा रहा है। फरीदकोट में एस०टी०डी० सुविधा प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1981 के दौरान : बिल्कुल नहीं।

(ख) (1) टेलीफोन तथा टेलेक्स एक्सचेंजों के विस्तार की योजना है।

(2) ऊपरी लाइनों को भूमिगत केबिलों में बदला जा रहा है।

(3) भूमिगत केबिलों का दाबीकरण किया जा रहा है।

(3) सहघुरीय, सूक्ष्मतरंग तथा यू० एच० एफ० प्रणालियों को इन शहरों के इर्द-गिर्द योजना बनाई जा रही है ताकि ट्रंक यातायात की बढ़ती हुई मांग पूरी की जा सके।

आसाम के अतिरिक्त प्लाईवुड के उत्पादन के लिए अन्य क्षेत्रों का पता लगाना

1896. **आर०एल० भाटिया** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कुल प्लाईवुड उत्पादन का 70-80 प्रतिशत उत्पादन आसाम में होता है;

(ख) क्या लम्बे आन्दोलन के कारण राज्य से प्लाईवुड की निकासी रुक जाने के कारण शेष देश में प्लाईवुड के भाव बहुत अधिक बढ़ गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो प्लाईवुड के उत्पादन के लिए देश में अन्य उपयुक्त क्षेत्रों का पता लगाने और इस प्रकार असम के उत्पाद पर देश की निर्भरता कम करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं। कृषि मन्त्रालय के कृषि तथा सहकारिता विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 1979 में असम में संगठित क्षेत्र में प्लाईवुड का उत्पादन, देश के कुल उत्पादन की तुलना में 61.18 प्रतिशत था।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्लाईवुड के मूल्य बढ़ गए हैं।

(ग) चूंकि यह एक स्थायी स्थिति है, अतः सरकार इस समय कोई कदम उठाने का विचार नहीं कर रही है।

छोटे कृषकों के लिये विकास एजेंसी

1897. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे कृषकों के लिए विकास एजेंसी ने अपना कार्य कब आरम्भ किया था;

(ख) प्रारम्भ में कितनी परियोजनायें आरम्भ की गई हैं;

(ग) इस समय राज्य-वार कितनी परियोजनायें कार्य कर रही हैं;

(घ) परियोजनाओं के मुख्य कार्य क्या हैं; और

(ङ) 31 दिसम्बर, 1979 तक कितने व्यक्तियों को इससे लाभ पहुंचा ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) वर्ष 1971-72 के दौरान।

(ख) 46 लघु कृषक विकास एजेंसी परियोजनाएं और 41 सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक विकास एजेंसी परियोजनाएं। पाँचवी पंचवर्षीय योजना से यह निर्णय लिया गया था कि लघु कृषकों, सीमान्त कृषकों व कृषि श्रमिकों के लिए एक संयुक्त एजेंसी रखी जाए।

(ग) एक विवरण संलग्न है। तथापि, यह उल्लेख है कि लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम को समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम में मिलाने का निर्णय लिया गया है और 2-10-1980 से समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम का विस्तार सम्पूर्ण देश में किया गया है।

(घ) लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम के मुख्य कार्य ये हैं—भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार भागीदारों का चयन करना भागीदारों के आर्थिक स्तर में सुधार करने हेतु फसलपालन, लघु सिंचाई, डेरी, मुर्गीपालन, ग्रामीण उद्योगों आदि के क्षेत्र में उपयुक्त परियोजनाएं तैयार करना, भागीदारों के आर्थिक स्तर में सुधार लाना, संस्थागत ऋण का प्रबंध करना और अनुमोदित दरों अर्थात् छोटे किसानों के लिए 25 प्रतिशत, सीमान्त किसानों व कृषि श्रमिकों के लिए $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत, पर उपदान के माध्यम से सहायता देना।

(ङ) 76-14 लाख (अनंतिम)।

विवरण

लघु कृषक विकास एजेंसी परियोजनाओं का राज्यवार वितरण

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र	लघु कृषक विकास एजेंसी परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	15
2.	असम	4
3.	बिहार	22
4.	गुजरात	6
5.	हरियाणा	3
6.	हिमाचल प्रदेश	3
7.	जम्मू तथा काश्मीर	4
8.	कर्नाटक	8
9.	केरल	4
10.	मध्य प्रदेश	12
11.	महाराष्ट्र	13
12.	मणिपुर	1
13.	मेघालय	2
14.	नागालैंड	1
15.	उड़ीसा	7
16.	पंजाब	5
17.	राजस्थान	6
18.	सिक्किम	1
19.	तमिलनाडु	13* इसमें अनुमोदित अलग एजेंसी भी शामिल है जबकि कोयम्बटूर (तमिलनाडु) जिले का विभाजन हो गया था।
20.	त्रिपुरा	1

1	2	3
21.	उत्तर प्रदेश	26
22.	पश्चिम बंगाल	9
23.	दिल्ली	1
24.	गोवा दमण तथा दीप	1
25.	लक्षदीप	—
26.	मिजोरम	—
27.	पांडिचेरी	1
		169

शिक्षा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम

1899. **श्री डी०पी० जदेजा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम देश में कब आरम्भ किया गया था ;

(ख) किन राज्यों ने योजना स्वीकार की है और उनके केन्द्र कहां हैं ; और

(ग) उक्त प्रत्येक राज्य को केन्द्र द्वारा दी गई सहायता का ब्योरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) शैक्षिक प्रोद्योगिकी कार्यक्रम 1972 में शुरू किया गया था।

(ख) त्रिपुरा के अतिरिक्त सभी राज्यों ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी सेल स्थापित किये हैं जो उनकी राजधानियों में हैं।

(ग) केन्द्रीय सहायता स्वीकृत पद्धति में स्थापना, कार्यक्रमों और उपस्करों की लागत शामिल है। सहायता पांच वर्ष के लिए उपलब्ध है उसके पश्चात् शैक्षिक प्रौद्योगिक सैल की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। प्रत्येक राज्य को प्रदान की गई सहायता के ब्योरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	वित्तीय सहायता का वर्ष		प्रदान की गई कुल सहायता (रु० में)
		से	तक	
1	2	3	4	5
1.	महाराष्ट्र	1972-73	1976-77	6,14,971
2.	राजस्थान	1973-74	1977-78	7,08,054
3.	आन्ध्र प्रदेश	1974-75	1978-79	9,95,424
4.	बिहार	1974-75	1978-79	6,04.658

1	2	3	4	5
5.	कर्नाटक	1974-75	1978-79	10,65,591
6.	मध्य प्रदेश	1974-75	1978-79	7,24,919
7.	उड़ीसा	1974-75	1978-79	8,8 ,668
8.	गुजरात	1975-76	1979-80	4,87,726
9.	पंजाब	1975-76	1979-80	4,38,260
10.	तमिलनाडु	1976-77	1980-81	11,61,463
11.	उत्तर प्रदेश	1976-77	1979-80	4,27,803
12.	हिमाचल प्रदेश	1976-77	1979-80	1,00,000
13.	जम्मू व कश्मीर	1977-78	1979-80	1,40,000
14.	नागालैंड	1977-78	1980-81	4,34,944
15.	मणिपुर	1977-78	1980-81	4,63,548
16.	मेघालय	1977-78	1979-80	2,71,466
17.	सिक्किम	1978-79	1980-81	1,70,324
18.	हरियाणा	1978-79	1980-81	5,05,140
19.	पश्चिम बंगाल	1978-79	1979-80	2,33,613
20.	असम	1978-79	1979-80	2,12,577
21.	केरल	1979-80	—	1,43,160

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चावल मिलों से लेवी की वसूली के लिये अनुमति

1900. **श्री नारायण चौबे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने चावल मिलों द्वारा साफ किए गए चावल के 55 प्रतिशत के बराबर लेवी वसूल करने के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इस प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है ।

भारतीय खाद्य निगम के केरल स्थित गोदामों में मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त चावल

1901. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में करोड़ों रुपए के मूल्य का चावल भारी मात्रा में जमा पड़ा है ;

(ख) क्या यह चावल मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है और इसीलिए केरल ने उसे लेने से इन्कार कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय खाद्य निगम के केरल में स्थित गोदामों में 20-12-1980 तक लगभग 1050 लाख रुपये मूल्य का 68.660 टन चावल रखा हुआ था ।

(ख) और (ग) पिछले कुछ समय से केरल से उस राज्य को पंजाब और हरियाणा से भेजे गए आई०आर०-8 प्रेशर सेलीकृत चावल के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थीं । यह शिकायत की गई थी कि इस चावल को उबालने में काफी समय लगता है और इसलिए वह उपभोक्ताओं को स्वीकार्य नहीं था । जांच करने पर यह पाया गया कि इस सेलीकृत चावल का उत्पादन करने वाले पंजाब और हरियाणा के मिल मालिक वाष्प के माध्यम से प्रेशर सेलीकरण करने के लिए ठीक कार्यविधि का अनुसरण नहीं कर रहे थे । इन शिकायतों को देखते हुए, भारतीय खाद्य निगम ने पंजाब और हरियाणा में चावल की इस किस्म को खरीदना बन्द कर दिया था ।

पी० आर० 106 और अन्य बढ़िया किस्मों से तैयार किए गए सेलीकृत चावल ने कोई समस्या पैदा नहीं की है और वह राज्यों के उपभोक्ताओं को स्वीकार्य है ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गए आई०आर०-8 प्रेशर सेलीकृत चावल के स्टाक को धीरे-धीरे ऐसे क्षेत्रों में जहां कहीं वह स्वीकार्य है और काम के बदले अनाज कार्यक्रम, राहत कार्यों के लिए वितरण द्वारा निकाला जा रहा है और कुछ मात्रा का निर्यात भी किया गया है । फिलहाल लगभग 32,860 मीटरी टन ऐसा प्रेशर सेलीकृत चावल केरल के भण्डार में है ।

टेलीफोन लाइनों के रखरखाव और किराये पर किया गया व्यय

1902. **श्री आर० के० महालगी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) 10,000 (दो) 30,000 (तीन) 50,0000 (चार) 70,000 (पांच) 1,00,000 टेलीफोन लाइनों के लिए टेलीफोनों के रखरखाव और परिचालन पर किराये संबन्धी आय के अनुपात में कितना व्यय किया जाता है ;

(ख) क्या टेलीफोन के किराये में वृद्धि और टेलीफोन सुविधाओं में वृद्धि एक दूसरे की तुलना में समान है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अन्तर को कम करने और उन्हें एक ही स्तर पर लाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) पूछे गए सांख्यिकीय आंकड़े नहीं रखे जाते हैं । अधिक विस्तृत क्षेत्र को संचार सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए एक्सचेन्जों की अधिक विस्तृत प्रणाली के अन्तर्गत प्रति उपभोक्ता अधिक पूंजी व्यय होती है ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उद्योग द्वारा खुली बिक्री वाली चीनी की पेशकश

1903. **श्री बाला साहिब बिखे पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी उद्योग ने उपभोक्ताओं में वितरण के लिए सरकार को खुली बिक्री वाली चीनी देने की पेशकश की थी ;

(ख) उद्योग द्वारा प्रस्तुत ऐसी चीनी के लिए सरकार ने क्या मूल्य दिया ;

(ग) उस समय बाजार में खुली बिक्री की चीनी का क्या भाव था ;

(घ) इस प्रकार उपभोक्ताओं को वितरित की गई चीनी की कुल मात्रा कितनी थी और उसे किस भाव पर वितरित किया गया ;

(ङ) इस चीनी के लिए उद्योग की क्षतिपूर्ति कैसे की जाएगी ; और

(च) उद्योग द्वारा कुल कितनी हानि उठाई गई ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) सरकार ने 1-9-80 से 15-11-1980 तक त्यौहार के $2\frac{1}{2}$ महीनों की अवधि के दौरान 450 रुपये प्रति क्विंटल के सहमत निकासी मूल्य, जिसमें उत्पादन शुल्क शामिल नहीं है, पर मुक्त बिक्री की चीनी सुपुर्द करने की चीनी उद्योग की स्वैच्छिक पेशकश को स्वीकार कर लिया था।

(ग) क्योंकि समस्त चीनी राज्य सरकारों की एजेंसियों के माध्यम से निर्धारित मूल्यों पर वितरित की गई थी और खुले बाजार में बेचने के लिए किसी अन्य प्रकार की चीनी निर्मुक्त नहीं की गई थी, इसलिए प्रश्नाधीन अवधि के दौरान मण्डी में चल रहे किसी अन्य बाजार भाव का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) राज्य सरकारों को 1-9-80 से 15-11-80 तक की अवधि के लिए कुल लगभग 3.90 लाख मीटरी टन मुक्त बिक्री की चीनी (आयातित चीनी सहित) आवंटित की गई थी। राज्य सरकारों ने इस चीनी को उठाने और उनके द्वारा 6/- प्रति किलो के आस-पास निर्धारित किए गए खुदरा मूल्यों पर इस कोटे का वितरण करने के प्रबन्ध किए गए थे। क्योंकि स्वैच्छिक मूल्य विनियमन योजना के अधीन इस चीनी के वितरण की जिम्मेदारी स्वयं राज्य सरकारों की है, उनके द्वारा उपभोक्ताओं को दी गई वास्तविक मात्रा के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) और (च) मूल्य विनियमन योजना उद्योग द्वारा की गई स्वैच्छिक पेशकश पर आधारित थी। इसलिए, उद्योग की क्षतिपूर्ति करने का प्रश्न ही नहीं उठता। उद्योग द्वारा वहन की गई हानि, यदि कोई उद्योग ने उठायी है, के बारे में सरकार के पास कोई विशेष सूचना उपलब्ध नहीं है।

जोधपुर के टेलीफोन केन्द्र

1904. **श्री अशोक गेहलोत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोधपुर (राजस्थान) में किस प्रकार का टेलीफोन केन्द्र काम कर रहा है ;

(ख) क्या उपभोक्ताओं को जोधपुर टेलीफोन केन्द्र के अधिकतर समय में खराब रहने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ग) क्या यह सच है कि बिजली की नियमित सप्लाई न होने के कारण यह टेलीफोन केन्द्र कार्य नहीं कर रहा है ;

(घ) यदि हां, तो इन दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ;

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जोधपुर में एक्सबार किस्म का टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहा है।

(ख) जी नहीं। जोधपुर टेलीफोन एक्सचेंज उपस्कर खराब नहीं रहता है।

(ग) जी नहीं। 35-60 प्रतिशत तक बिजली में गड़बड़ी रहने के बावजूद टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहा है। फिर भी, सेवा प्रभावित हुई है क्योंकि अतिरिक्त (सहारा) (स्टेंड बाई) विद्युत् संयंत्र एक्सचेंज उपस्कर का भार तो ले सकता है परन्तु वातानुकूलनसंयंत्र, जो कि अच्छे कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक है, का भार नहीं उठा सकता।

(घ) एक 200 के० वी० ए० अतिरिक्त विद्युत् संयंत्र के स्थापना का भी प्रस्ताव है जो एक्सचेंज के वातानुकूलन संयंत्र का भार भी उठा सकता है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा राज्य की प्राचीन मूर्तियों की तस्करी

1905. **श्री चिन्तामणी जेना** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य से प्राचीन मूर्तियों तथा अन्य प्राचीन बहुमूल्य वस्तुओं की बड़े पैमाने पर तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान हुई घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन वस्तुओं की चोरी रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री संकरराव चव्हाण) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार पिछले दो वर्षों में इस प्रकार के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ग) निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 को लागू करना, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित व्यवस्था लागू की गई है :—

(i) अधिसूचित प्रकृति वाले पुरावशेषों (सभी प्रकार की मूर्तियों और रंगचित्र तथा चित्रित, सचित्र और अलंकृत पाण्डुलिपियां) का रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकरण और ऐसे रजिस्ट्रीकृत पुरावशेषों की गतिविधियों के बारे में जो व्यक्ति अथवा संस्थाओं के हैं, रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सूचित करना;

(ii) पुरावशेषों का व्यापार केवल वही व्यापारी करें जिन्हें इस सम्बन्ध में नियुक्त अनुज्ञप्ति अधिकारों से अनुज्ञप्ति प्राप्त है; और

(iii) पुरावशेषों का निर्यात केवल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक द्वारा जारी किए गए विधिमान्य अनुज्ञा-पत्र के अन्तर्गत ही करें।

2. वर्ष 1977 में, भारत ने सांस्कृतिक सम्पत्ति के अवैध आयात, निर्यात और स्वामित्व के अन्तरण को रोकने और समाप्त करने के उपायों पर हुए यूनेस्को के समझौते (1970) का अनुसमर्थन किया है। इस समझौते में यह व्यवस्था की गई कि संविदाकारी पार्टियां अपने-अपने क्षेत्रों में चोरी की सांस्कृतिक सम्पत्तियों के अवैध प्रवेश को रोकने के लिए कदम उठाएंगे। इस समझौते में पुरावशेषों और अन्य सांस्कृतिक सम्पत्ति मूलतः सम्बद्ध राष्ट्र को प्रत्यर्पित करने की भी व्यवस्था है। संविदाकारी पार्टियों को इस समझौते के अन्तर्गत अधिकार, समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद से मिलेंगे न कि उससे पहले से।

3. संग्रहालय और अन्य संस्थाओं के स्वामित्व में अलग-अलग पड़ी मूर्तियों, रंगचित्रों, सचित्र पांडुलिपियों, आदि के पलेखन के लिए पहले से ही कदम उठाए जा चुके हैं।

4. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पुरावशेषों और बहुमूल्य कलाकृतियों का पता लगाने में सीमाशुल्क प्राधिकारियों की मदद करने के लिए बाहर जाने के अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर अपने अधिकारी तैनात कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त, निर्यातकर्ताओं और विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रमुख नगरों में विशेषज्ञ-समितियां स्थापित की गई हैं। ये समितियां ऐसी वस्तुओं के सम्बन्ध में अपुरावशेष प्रमाण-पत्र जारी करने के उद्देश्य से नियमित रूप से बैठकें करती हैं, जो सौ वर्ष से कम पुरानी हैं और पुरावशेषों तथा कला एवं शिल्प कला की वस्तुओं के समान दिखाई देती हैं।

5. पुरावशेषों की चोरी और क्षति के मामलों की जांच के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में एक पुरावस्तु-सैल खोला गया है।

6. आवश्यकता पड़ने पर "इन्टरपोल" की मदद ली जाती है।

कूच विहार, पश्चिम बंगाल में टेलीफोन कनेक्शन

1906. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में कितने टेलीफोन कनेक्शन हैं;

(ख) क्या उस जिले में और अधिक टेलीफोन कनेक्शन आबंटित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कितने और कब तक ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) कूच बिहार जिले में टेलीफोन केन्द्र है जिनमें 838 टेलीफोन कनेक्शन कार्य कर रहे हैं और 28 कनेक्शन प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं।

(ख) एवं (ग) मार्च 1981 तक नए टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाएंगे। 15 कनेक्शन कूच बिहार में तथा शेष अन्य एक्सचेंजों में उपलब्ध कराए जाएंगे।

विस्थापित दुकानदारों का पुनर्वास

1907. श्री चन्द्रपाल शैलानी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विभाग प्राधिकरण ने उन दुकानदारों के पुनर्वास की योजना तैयार की थी जिनकी दुकानें तथा स्टाल 1975 में दिल्ली तथा नई दिल्ली में सफाई अभियान के दौरान गिरा दिये गये थे; और जिन्हें उनके स्थान पर कोई स्टाल आबंटित नहीं किये गए थे जबकि 250 रुपये जमा कराने पर उन्हें दुकान देने का प्रावधान था;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों ने स्टाल के लिये आवेदन पत्र दिया और कितने व्यक्तियों को वास्तव में स्टाल आबंटित किये गये;

(ग) ऐसे लम्बित मामलों की संख्या कितनी है जिनमें स्टाल के लिए आवेदन पत्र दिया गया था परन्तु वास्तव में दुकान का आबंटन किया गया था और आवेदक के पुन: स्टाल की मांग की; और

(घ) ऐसे मामले कब से लम्बित हैं और उन पर कार्रवाई न करने के क्या करणा हैं और ऐसे आवेदकों को स्टालों का आबंटन कब तक किया जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन्होंने दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से सफाई अभियान के दौरान हटाये गये उन लोगों के लिए जिनको वैकल्पिक स्थल नहीं दिये गये थे, दुकान/स्टाल आबंठन करने के लिए 1977 में एक योजना घोषित की थी और उसके के लिए निर्धारित फार्म पर आवेदन-पत्र आमंत्रित किए थे। प्रत्येक आवेदक को दुकान या स्टाल, जैसे भी स्थिति हो, के आबंटन के लिए आवेदन पत्र के साथ 500 रुपये या 250 रुपये धरोहर राशि के रूप में जमा करना अपेक्षित था।

(ख) स्टालों के आबंटन के लिए 71 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से 6 व्यक्तियों को पात्र पाया गया। परन्तु चूंकि उस समय कोई स्टाल उपलब्ध नहीं था इसलिए उनको स्टाल के स्थान पर दुकान आबंटित की गई थी।

(ग) तथा (घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित 6 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने दुकान के स्थान पर स्टाल आबंटन करने के लिए प्रतिवेदन दिया था। इस प्रयोजन के लिए उसका अनुरोध दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय में 12-11-79 को प्राप्त हुआ था। इस मामले में स्टाल आवंटन के अनुरोध को लम्बित रखा गया क्योंकि स्टाल उपलब्ध नहीं थे। अब कुछ स्टालों का निर्माण किया गया है और अब स्टाल के आबंटन के लिए आवेदक के अनुरोध पर भी शीघ्र ही विचार किया जायेगा।

मत्स्य उद्योग को राहत

1908. श्री डी०पी० जदेजा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मत्स्य उद्योग में चल रही वर्तमान मन्दी को देखते हुए सरकार का इस उद्योग को क्या राहत देने का विचार है;

(ख) चूंकि तेल के मूल्यों में हाल में 50 प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो क्या सरकार ने राहत के लिए दिये गये विभिन्न अभ्यावेदनों पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तेल मूल्यों में वृद्धि के पश्चात् दी गई राहत अथवा सहायता का ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) कुल मिलाकर देखा जाये तो मत्स्य उद्योग में कोई मन्दा नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) अभ्यावेदनों पर सम्बन्धित मन्त्रालयों से परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

क्रासबार टेलीफोन केन्द्र स्विचिंग उपकरण और उनका निर्माण

1909. **श्री आर०के० महालगी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 सितम्बर, 1980 के टाइम्स आफ इण्डिया समाचार पत्र में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय टेलीफोन उद्योग और दूर संचार अनुसंधान केन्द्र ने ऐसे क्रासबार टेलीफोन स्विचिंग उपकरण, जिनके निर्माण के लिए स्वीडन आदि से विदेशी पेशकश भी प्राप्त हुई थी, का पूर्णत: नया डिजाइन तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या है और विदेशी सहयोग का विचार त्याग दिया गया है; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा की बचत की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) सरकार का ध्यान, 22 सितम्बर, 1980 के टाइम्स आफ इण्डिया में छपी रिपोर्ट की तरफ गया है। भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल, आयातित पेन्टाकोन्टा प्राणाली के डिजाइन में नई तरह से काफी सुधार कर, स्वदेशी क्रासबार प्रणाली के लिए, इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज एवं डाकतार विभाग के दूर संचार अनुसंधान केन्द्र में प्रतिनिधियों का एक भारतीय क्रासबार परियोजना दल बनाया गया था। रायबरेली के प्रस्तावित क्रासबार स्विचिंग उपस्कर का कारखाना स्थापित करने के लिए मैसर्स एल०एम० इरिकसन आफ स्वीडन तथा जापान की दो फर्मों ने टेन्डर दिए थे। इसके अलावा एक प्रस्ताव इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ने भी प्रस्तुत किया था। सरकार ने विदेशी टेन्डरों और इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के प्रस्ताव पर सावधानी के साथ विचार करने के बाद भारतीय क्रासबार परियोजना प्रणाली का रायबरेली में उत्पादन करने के लिए इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के प्रस्ताव के पक्ष में निर्णय लिया। इस उद्देश्य से इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड का मैसर्स बी०टी०एम० लिमिटेड आफ बेल्जियम के साथ सीमित सहयोग रहेगा। लेकिन तकनीकी जानकारी के लिए कोई रकम नहीं दी जाएगी।

(ग) देश में ही विकसित भारतीय क्रासबार परियोजना प्रणाली अपनाने और इसका पूर्ण क्षमता के साथ उत्पादन होने के बाद प्रतिवर्ष 5.6 करोड़ रुपए से 7.3 करोड़ रुपये के बीच विदेशी मुद्रा की बचत होने का अनुमान है।

पंजाब में टेलीफोन सलाहकार समिति

1910. **श्री लहना सिंह तुर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन सलाहकार समिति गठित कर दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो ये कब तक गठित कर दी जायेगी;

(ग) क्या सभी राजनीतिक दलों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारणा हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) अभी तक पंजाब की किसी भी टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन नही किया गया है ।

(ख) इन सलाहकार समितियों के गठन के लिए मामलों पर कार्रवाई की जा रही है ।

(ग) और (घ) टेलीफोन सलाहकार समितियों में विभिन्न महत्वपूर्ण श्रेणियों अर्थात् व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग, प्रेस, चिकित्सा व्यवसाय, कानूनी व्यवसाय, राज्य विधान सभा, संसद सदस्य आदि को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है; और इन समितियों में राजनीतिक दलों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता ।

श्री गंगा नगर, राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय

1911. **श्री मनफूलसिंह चौधरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में खाद्यान्न, तिलहन तथा अन्य फसलों का जिलावार अनुपात क्या है;

(ख) क्या श्रीगंगानगर जिले में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की कोई योजना तैयार की गई है; और

(ग) क्या ग्रामीण उत्थान विद्यापीठ, संग्रिया/सेण्ट्रल स्टेट फार्म, सूरतगढ़ को कृषि विश्व-विद्यालय में परिवर्तित करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) खाद्यान्न फसलों, तिलहनों तथा अन्य फसलों के जिलावार उत्पादन के विवरण साथ संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया : देखिए संख्या एल० टी० 1482/80]

(ख) जी नहीं, श्रीमान । राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के किसी प्रस्ताव का हमें पता नहीं है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान । उदयपुर विश्वविद्यालय का कृषि कम्पलैक्स राज्य की सेवा एक कृषि विश्वविद्यालय के रूप में कर रहा है । कृषि विश्वविद्यालयों पर समीक्षा समिति की यह सिफारिश है कि उदयपुर विश्वविद्यालय के कृषि कम्पलैक्स को पूर्णरूपेण कृषि विश्वविद्यालय में बदल देना चाहिए । केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ पर ग्रामीण उत्थान विद्यापीठ संगरिया को कृषि विश्वविद्यालय के रूप में बदलने के बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं है ।

सोन चिड़िया की नस्ल का लोप होना

1912. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "नवभारत टाइम्स" दिनांक 19 अगस्त, 1980 में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि "सोन चिड़िया" नाम से जाना जाने वाला गोडावण

(बस्टर्ड) पक्षी भारत में सैंकड़ों वर्ष पूर्व काफी संख्या में पाया जाता था परन्तु इसके सुनहरी पंखों तथा स्वादिष्ट मांस के कारण उसकी नस्ल का लोप हो रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि यह पक्षी हाल ही में मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में देखा गया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार इस पक्षी की नस्ल को विलुप्त होने से बचाने के लिये कदम उठा रही है?

कृषि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार को "ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड" नामक पक्षी की संख्या में ह्रास होने की जानकारी है। सरकार ने इस नस्ल के संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

1. "ग्रेड इण्डियन बस्टर्ड" नामक पक्षी को वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। इस पक्षी का शिकार करना अथवा मारना पूर्णतः निषिद्ध है।

2. कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान (जहां ये पक्षियां पाये जाते हैं) के क्षेत्रों में आश्रय स्थलों की स्थापना की गई है।

3. राज्यों को निर्देश दिये गये हैं कि वे खतरे में पड़ी नस्लों की चोरी छिपे शिकार के निरोध के लिये वन्य प्राणि संगठनों को सुदृढ़ करें।

4. भारत सरकार इन पक्षियों के संरक्षण के लिए जनता को शिक्षा देने की आवश्यकता के लिये निजी संगठनों द्वारा किये जा रहे प्रयासों को प्रोत्साहित कर रही है।

हरिजनों तथा कमजोर वर्गों के लोगों की जमीदारों द्वारा अधिकार में ली गई जमीन

1913. **श्री के० प्रधानी** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को उन हरिजनों एवं अन्य कमजोर वर्गों के व्यक्तियों की सहायता करने को कहा है जिनकी जमीनों पर ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारी तथा अन्य शक्तिशाली स्वार्थी व्यक्तियों ने कब्जा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो कौन से राज्यों से सरकार को ये शिकायतें मिली हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया है कि अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के आवंटियों के कब्जे की भूमि में दखलअन्दाजी न की जाए और उन्हें उनसे भूतपूर्व मालिकों अथवा अन्य शक्तिशाली स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा न हटाया जाए। जहां तक अन्य भूमि का सम्बन्ध है भूमि में वैद्य हितों की रक्षा करना भी राज्य सरकारों का सामान्य कार्य है।

(ख) बड़े पैमाने पर बेदखली की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं। बिहार में अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के 1833 आबंटियों (सभी समुदायों से सम्बन्धित) की बेदखली की रिपोर्ट प्राप्त होने पर मामला राज्य सरकार के साथ उठाया गया था जिन्होंने यह सूचित किया था कि उन्होंने अधिकांश आबंटियों को बहाल कर दिया है और अन्य मामलों की जांच कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में इसी प्रकार की शिकायत पर तत्काल कार्यवाही की गई थी।

"करनाल डेरी इंस्टीट्यूट-सोवियत टीम इम्प्रेस्ड" शीर्षक समाचार

1914. डा० वसन्त कुमार पण्डित : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26-4-1980 के "इकानामिक टाइम्स" में "करनाल डेरी इंस्टीट्यूट-सोवियत टीम इम्प्रेस्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो हाल ही में, "करनाल डेरी इंस्टीट्यूट" का भ्रमण करने वाले सोवियत शिष्टमण्डल में कौन-कौन से व्यक्ति थे और समकक्ष भारतीय अधिकारियों से उनकी क्या वार्ता हुई;

(ग) स्वस्थ दुधारू पशुओं के लिए संकर नस्ल बनाने में भारत को कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(घ) भारत में डेरी फार्म के विकास के लिए सोवियत संघ सरकार ने अन्य सहायता के जो आश्वासन दिये हैं उनका ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या भारत सरकार ने डेनमार्क और अन्य स्कैन्डेनेवियाई देशों से भी इसी प्रकार की सहायता मांगी है; और

(च) यदि हां, तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) जी हां। श्री बी० के० मैसिआत्स, सोवियत कृषि मन्त्री के प्रतिनिधित्व में सोवियत प्रतिनिधिमण्डल, जिसने राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संस्थान, करनाल का दौरा किया था, में निम्नलिखित सदस्य थे :—

1. मि०के० सखातमाउरादोव कृषि मन्त्री, टर्क मेनियन सोवियत गणराज्य।
2. मि०एन०एम० कोजिरेव, उकराइन समाजवादी गणराज्य के कृषि उप-मन्त्री।
3. मि०आई०एन० विनोकोउरोव, सोवियत कृषि मन्त्री के सहायक।
4. मि०आई०एन० रोमोव, सोवियत कृषि मन्त्रालय में वी/ओ सोयुजसेलखोजागरन पोस्टावोका के मुख्य अधिकारी, तथा
5. मि०वी०आई० नजारेनको, निदेशक, आल यूनियन रिसर्च इन्स्टीट्यूट आफ इन्फारमेशन एण्ड टेक्नीशियन एण्ड एकोनीमिक रिसर्च आन एग्रीकल्चर।

सोवियत दल द्वारा राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संस्थान, करनाल के अधिकारियों से जो विचार-विमर्श किए गए, वे संकर प्रजनन, डेरी उत्पादन की नई किस्मों पशुओं के लिए मितव्ययी

तथा पौष्टिक चारे के विकास हेतु चारा एवं रातिब पर केन्द्रक अनुसन्धान तथा इनसे सम्बन्धित सामान्य क्षेत्रों में भारत द्वारा किए गए अनुसंधान तथा विकास के प्रयासों से सम्बन्धित थे।

(ग) देश में संकर प्रजनन कार्यक्रम भारतीय पशुओं में विदेशी नस्ल की वंशागति को शुरू करके अधिक दुग्ध उत्पादन के लक्ष्यों को शीघ्र प्राप्त करने के लिए एक मुख्य कार्य प्रणाली है। इस कार्यक्रम में प्रयोग की जा रही विशिष्ट विदेशी नस्लें, जर्सी होलस्टियन फ्रेजियन तथा ब्राऊन-स्विस हैं। इस प्रणाली के परिणामस्वरूप अधिक दूध देने वाले संकर नस्ल के पशुओं का उत्पादन हुआ है, जिनसे प्रति ब्यात की अवधि में औसतन 2500 से 4000 लीटर दूध प्राप्त होता है। तदनुसार ये पशु आपस में संकर जनित किए जाते हैं जिसके द्वारा नई पशु उत्पत्ति की जाती है। यह देखा गया है कि संकर प्रजनित पशुओं के दूसरे तथा तीसरे वंश ने संकर प्रजनित पशुओं के पहले वंश द्वारा 3500 लीटर दूध दिये जाने की अपेक्षा औसतन 3000 लीटर दूध दिया है। भारत में 30 लाख संकर प्रजनित गायों की संख्या होने का अनुमान लगाया गया है।

(घ) भारत तथा रूस के मध्य दीर्घ कालीन अवधि के लिए किए गए करार के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु 1980-81 के लिए 2 वर्ष के नयाचार में, दुग्ध उत्पादों के विविधीकरण, भैंसों के प्रजनन, पशुओं के रोग निदान के क्षेत्रों में दोनों देशों के मध्य विशेषज्ञों तथा वैज्ञानिकों का आदान-प्रदान करने और पशुओं के पुनरूत्पादन विज्ञान तथा डेरी फार्मिंग प्रणालियों, संगठन व प्रबंध के अध्ययन के क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों में वैज्ञानिक जानकारी, साहित्य और अनुसंधान की कार्य प्रणाली का आदान-प्रदान करके भारत और रूस के अभिज्ञात संस्थानों के बीच सहयोग करने के प्रस्ताव शामिल हैं।

(ङ) जी हां।

(च) डेनमार्क के साथ द्विपक्षीय सहयोग के अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में पांच परियोजनाएं चल रही हैं :—

1. निदानात्मक प्रयोगशाला तथा रोग निरानी।

2. हिमित वीर्य बैंक—तीन विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत 12 हिमित वीर्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

3. हिमित वीर्य की तकनीकी में प्रशिक्षण केन्द्र।

इन क्षेत्रों में तथा पशु आहार के क्षेत्र से सम्बन्धित 3 अन्य परियोजनाओं के बारे में डेनमार्क के साथ विभिन्न चरणों में बातचीत की जा रही हैं। पशुपालन तथा डेरी उद्योग के क्षेत्र में अन्य स्केडिनेविएन देशों अर्थात् नार्वे तथा स्वीडन से सहायता प्राप्त कोई परियोजना नहीं है। डेरी उत्पाद पैकेजिंग के क्षेत्र में स्वीडन से विशेषज्ञ सहायता लेने तथा उस देश में भारतीय कार्मिकों को प्रशिक्षण देने से सम्बन्धित एक प्रस्ताव पर बातचीत की जा रही है।

भूमि अधिकतम अधिनियम के अन्तर्गत भूमि के विकास के लिए मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता

1915. **डा. बसन्त कुमार पंडित** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि अधिकतम अधिनियम के अन्तर्गत आवंटित भूमि के विकास के लिए

मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता देने की कोई योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह समस्त क्षेत्र पर लागू होगी;

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(घ) क्या इस योजना को एम. एफ. डी. ए. और डी. पी. ए. पी. क्षेत्रों में भी लागू करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग) 1 जनवरी 1975 के पश्चात वितरित की गई भूमि के सम्बन्ध में सभी राज्यों, जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, के आवंटियों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना "अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के आवंटियों को वित्तीय सहायता" के अधीन वित्तीय सहायता सुलभ है। तथापि, यह योजना समन्वित आदिवासी विकास परियोजनाओं को छोड़कर अन्य विशेष योजनाओं के अन्तर्गत क्षेत्रों के लिए लागू नहीं है। ऐसा प्रतिबन्ध इसलिए लगाया गया है क्योंकि (1) योजना को कार्यान्वित करने के लिए उपलब्ध निधियाँ सीमित होती हैं, तथा (2) अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के आवंटियों को अन्य विशेष योजनाओं के अन्तर्गत भी सहायता सुलभ की जाती है।

(घ) अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के आवंटियों के लिए सभी क्षेत्रों में योजना का विस्तार किए जाने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

गत तीन वर्षों के दौरान बाढ़ के कारण हानि

1916. **श्री समर मुखर्जी :**

श्री के० लकप्पा :

श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :

श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

श्री चित महाटा :

क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में गत तीन वर्षों के दौरान बाढ़ के कारण प्रत्येक राज्य में तथा प्रत्येक वर्ष में फसलों, मकानों और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं की कुल कितनी क्षति हुई हैं; और

(ख) राज्यों को केन्द्र द्वारा राज्यवार कितनी सहायता दी गई ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) :

(क) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 के वर्षों के दौरान बाढ़ से प्रभावित राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 के वर्षों के दौरान बाढ़ से प्रभावित राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता ।

(करोड़ रुपए)

राज्य	आबंटित की गई अग्रिम योजना सहायता	मन्जूर की गई व्यय की अधिकतम सीमा	
	1978-79	1979-80	1980-81
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	19.12	61.22	7.76*
2. असम	—	4.56	12.72
3. बिहार	44.92	—	26.47*
4. गुजरात	—	50.60	18.98
5. हरियाणा	15.30	—	6.24
6. हिमाचल प्रदेश	6.99	—	—
7. जम्मू तथा कश्मीर	0.2635	—	—
8. केरल	11.00	—	9.09
9. कर्नाटक	—	—	विचाराधीन
10. मध्य प्रदेश	3.08	—	—
11. उड़ीसा	6.65+1.91 तूफान के लिए	—	43.09*
12. पंजाब	6.75	—	—
13. राजस्थान	9.58	16.48	—
14. तमिलनाडु	24.51	22.50	—
15. उत्तर प्रदेश	63.52	—	79.05
16. प० बंगाल	88.93	—	23.56

* केन्द्रीय दलों की रिपोर्टों के आधार पर राहत संबंधी उच्च स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई धनराशि पर भारत सरकार विचार कर रही है ।

उर्वरक की मांग

1917. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान देश में उर्वरक की कुल कितनी मांग है ; और

(ख) उर्वरक की कितनी मात्रा का आयात करना पड़ेगा तथा इसके लिए विदेशी मुद्रा रिजर्व में से कितना धन खर्च करना होगा ?

कृषि ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) चालू वर्ष के दौरान वनस्पति पोषक तत्व (एन पी के) के रूप में कुल 56 लाख मीटरी टन उर्वरक की मांग होने का अनुमान है।

(ख) यह जानकारी देना सार्वजनिक हित में नहीं है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली द्वारा आप्टीमम ब्लैण्ड अल्कोहल को ईंधन के रूप में विकसित किया जाना

1918. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली ने आप्टीमम ब्लैण्ड अल्कोहल को ऐसे ईंधन के रूप में विकसित किया है, जो आटोमोबाईल-वाहनों, स्कूटरों और मोटर साइकलों के लिए बड़ा लाभकारी होगा ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) ऐसे अल्कोहल ब्लैण्डिड ईंधन का अनुमानतः कितना व्यावसायिक उत्पादन होता है ; और

(घ) क्या सरकार ने इसका उत्पादन करने और बिक्री करने की कोई योजना बनाई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) एन आप्टीमम ब्लैण्ड को सही बताया गया है जो सुधरे हुए इंजन का निष्पादन कार्य करता है (6 से 8% अधिक शक्ति), कम खपत (3-5% कम), कम बदबू का निकास (10 से 60% तक कम निकास कार्बन मोनोआयड (सी ओ) और हाइड्रो कारबन्स (एच सी), बहुत कम कार्बन डिपाजिट होता है, और गैसोलिन की तुलना अधिक सुचारु रूप से कार्य करता है और इंजन को ठंडा रखता है। इथानोल की आप्टीमम मात्रा के अलावा, ब्लैंड में विशेष रूप से विकसित योग होता है (I) वियोजन के मुकाबले ब्लैण्ड को स्थिर करता है। (नमी को खपाने के कारण) (II) इसके अल्कोहल के तत्व के दुरुपयोग से बचने के लिए ब्लैण्ड को विकृत करना ; और (III) इसे विशिष्ट रंग और गन्ध प्रदान करना।

(ग) और (घ) वाणिज्यिक उत्पादन की बात अभी से नहीं की जा सकती। इस प्रक्रिया को अभी वाणिज्यिक रूप प्रदान किया जाना है।

यात्रा के दौरान राज्यों में संसद सदस्यों के लिये आवास की व्यवस्था

1919. **श्री भीखा भाई** : क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारी सरकिट हाउसों, डाक बंगलों अथवा सरकारी उपक्रमों के अतिथिगृहों में थोड़े समय के लिए ठहरने के लिए आवास के आवंटन के मामले में संसद सदस्यों को राज्य विधान मंडल के सदस्यों के बराबर नहीं समझा जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनेक राज्यों में सरकिट हाउसों, पी० डब्ल्यू० डी० के डाक बंगलों तथा एम० एल० ए० होस्टलों में आवास उपलब्ध कराने के मामले में राज्य सरकार के अधिकारियों, विधान सभा सदस्यों को संसद सदस्यों की अपेक्षा अधिक प्राथमिकता दी जाती है ;

(ग) क्या सरकार ने संसद सदस्यों को उनकी यात्रा के दौरान आवास उपलब्ध कराने हेतु कोई नीति बनायी है अथवा राज्यों, संघ राज्यों क्षेत्रों तथा सरकारी उपक्रमों को कोई अनुदेश जारी किये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) इस विषय पर सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) क्योंकि सर्किट हाउस, पी० डब्ल्यू० डी० डाक बंगलों, एम० एल० ए० होस्टलों आदि का अनुरक्षण और उपयोग राज्य सरकार के अधिकार-क्षेत्र में आता है ; केन्द्रीय सरकार ने संसद सदस्यों को यात्रा के दौरान इन बंगलों के आवंटन के मामले में न कोई नीति निर्धारित की है और न कोई अनुदेश जारी किए हैं।

शहरों का विकास

1920. **श्री अशोक गहलोत** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार शहरों के विकास के लिए सरकारों को सुविधाएं उपलब्ध कराती है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां। छोटे तथा मध्यम नगरों के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित स्वीकृत विकास योजना के अन्तर्गत पता लगाये गये नगरों के लिए राज्य सरकारों को ऋण सहायता दी जाती है।

(ख) तथा (ग) योजना के मुख्य ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(i) इस योजना में 1971 की जनगणना के आधार पर 1 लाख और उससे कम जनसंख्या वाले नगरों को शामिल किया जायेगा।

(ii) जिला मुख्यालयों या उप-मण्डलीय नगरों, या मण्डी के नगरों या अन्य महत्वपूर्ण उत्पादन केन्द्रों को वरीयता दी जायेगी ।

(iii) अनुमोदित योजना के आधार पर प्रति नगर व्यय का स्तर 1 करोड़ रुपये होगा जिसमें से 40 लाख रुपये तक की केन्द्रीय सहायता योजना अवधि में मार्गनिर्देशनों के अनुरूप होने वाली योजनाओं को दी जायेगी और शेष निधियां राज्य सरकारों तथा कार्यान्वित करने वाले अभिकरणों द्वारा दी जायेंगी ।

(iv) अनुरूप आधार पर सहायता के लिए पात्र घटक इस प्रकार हैं :—

(क) रिहायशी, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक योजनाओं के लिए भूमि का अर्जन तथा विकास, रिहायशी योजना में ढांचे सहित या रहित स्थल और सेवाएं शामिल होंगी ।

(ख) यातायता तथा परिवहन ।

(ग) मण्डियों/बाजारों, औद्योगिक सम्पदाओं तथा अन्य सेवाओं का विकास तथा भीतरी प्रदेश में ग्रामीण विकास तथा कृषि विकास के लिए सुविधाएं ।

(घ) राज्य सरकारों को अपने घटकों में गन्दी बस्ती सुधार, नगर नवीकरण, जलपूर्ति तथा स्वच्छता, चिकित्सा निवास सुविधायें, पार्क तथा खेल के मैदान इत्यादि से सम्बन्धित योजनाओं को शामिल करना चाहिए ।

(v) इस बात पर जोर दिया गया है कि नगर के स्थानीय निकायों के कार्यक्रम को तैयार करने तथा कार्यान्वित करने वालों को प्रोत्साहन तथा सहायता देनी चाहिए ।

(vi) केन्द्रीय सहायता 25 वर्षों में वापिस किये जाने वाले ऋण के रूप के दी जाती है । इसमें 5·5 प्रतिशत की दर से ब्याज पर 5 वर्ष तक का ऋण स्थगन शामिल है ।

मछली पकड़ने वाली नौकाओं का आयात

1921. **श्री एम० के० शेजवलकर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सभी प्रकार की तकनीकी जानकारी और उत्पादन सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद केन्द्र सरकार विदेशों से मछली पकड़ने वाली नौकायें आयात कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान सरकार का विचार कितनी नौकाएं आयात करने का है; और

(ग) क्या आयात से स्थानीय उद्योग को आघात पहुंच रहा है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) मछली पकड़ने की नौकाओं की इस समय चालू आयात योजना में मत्स्यन नौकाओं के निर्माण की देशी क्षमता को ध्यान में रखा गया है ।

(ख) वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के लिये आयात के संबंध में कोई नयी मंजूरी देने के प्रश्न पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

दिल्ली में नेता जी भवन का निर्माण

1922. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजाद हिन्द फौज संगठन ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि राष्ट्रीय संग्रहालय में पड़े हुए नेताजी से संबंधित सामग्री का उपयोग करके दिल्ली में एक नेताजी भवन बना दिया जाय ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो नेताजी भवन के निर्माण के लिए कौन सा स्थान चुना गया है और इस भवन के निर्माण पर कितना धन खर्च किया जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जूट उत्पादन में कमी

1923. **श्री हीरा लाल आर० परमार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जूट उत्पादन में हाल ही में कोई कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी कमी पूरी करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपाय क्या हैं ; और

(ग) जूट उत्पादन क्षेत्रों के किसानों को इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली प्रस्तावित सुविधाएं क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) 1978-79 को समाप्त होने वाले चार वर्षों के दौरान पटसन का उत्पादन निरन्तर बढ़ रहा था, लेकिन 1979-80 के दौरान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में अपर्याप्त वर्षा होने के कारण इसमें गिरावट आई। तथापि 1980-81 के दौरान पटसन के अनंतिम अनुमानों से संम्बन्धित प्रारंभिक सूचना से 64 लाख गांठ पटसन का उत्पादन होने का संकेत मिलता है जबकि 1979-80 के दौरान 61.2 लाख गांठों का उत्पादन हुआ था।

(ख) देश में पटसन की कोई कमी नहीं है। तथापि इसके उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) देश में पटसन के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, भारत सरकार 5 पटसन उत्पादक राज्यों के 18 चुने हुए जिलों में सघन पटसन जिला कार्यक्रम की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना को क्रियान्वित कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत पटसन के प्रमाणित उन्नत बीजों, खरपतवारनाशी दवाइयों, प्रदर्शन और पटसन के श्रेणीकरण के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए राज सहायता द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है।

देश के अधिकांश भागों में कृषि उत्पादन के कम उपज वाले स्तर

1924. **श्री आर० पी० दास** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में अधिकांश भागों में कृषि उत्पादन के कम उपज वाले स्तरों में सुधार करने के लिये सरकार ने अब तक प्रशासनिक, विधायी अथवा कौन-कौन से अन्य ठोस उपाय किये हैं ?

कृषि ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : भारत सरकार ने देश में विभिन्न फसलों की पैदावार के स्तर में सुधार करने के लिए अनेक प्रशासनिक, विधायी तथा अन्य उपाय किए हैं। ये उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) उत्पादन बढ़ाने के लिए फसल उन्मुखी कार्यक्रम क्रियान्वित करना, जिसके तहत निम्नलिखित के लिए सहायता दी जाती है—(क) विस्तार सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए विशेष स्टाफ को रोजगार देना तथा विभिन्न स्तरों पर विस्तार कार्मिकों को गहन प्रशिक्षण देकर कृषि विस्तार का व्यवसायीकरण करना, (ख) चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का और कपास की अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रचार-प्रसार करना, (ग) प्रमाणित बीजों और वनस्पति रक्षण रसायनों पर राज सहायता देना ताकि अधिक उपज के लिए इन आदानों का ज्यादा प्रयोग किया जा सके, (घ) किसानों के लिए प्रदर्शन करना और प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करना, तथा (ङ) विभिन्न फसलों के मामले में अनुसंधान को मजबूत बनाना,

(2) समर्थन/अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित करना,

(3) सूखा प्रवण जिलों में विशेष क्षेत्र कार्यक्रम क्रियान्वित करना जिसका उद्देश्य सिंचाई का विकास करना, मृदा तथा आर्द्रता का संरक्षण करना, डेरी विकास तथा पशुधन फार्मिंग और शुष्क भूमि की कृषि टैक्नालोजी को अपनाना है,

(4) कृषि जोतों का अधिकतम आकार निश्चित करने, काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार प्रदान करने और जहां काश्तकारी की अनुमति है वहां काश्तकारों के हितों की रक्षा करने के लिए विधायी उपाय किए गए हैं, ताकि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन किया जा सके।

(5) केन्द्रीय सरकार ने नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 को पारित कर दिया है, जिसका उद्देश्य नारियल उद्योग के समेकित विकास के लिए एक सांविधिक नारियल विकास बोर्ड की स्थापना करना है। खोपरा उपकर अधिनियम, 1979, जो 1.4.1979 से लागू है, के तहत प्रति क्विंटल खोपरा पर 5 रुपये के हिसाब से उपकर लगाया गया है, ताकि नारियल विकास बोर्ड के लिए सुनिश्चित संसाधन उपलब्ध किए जा सकें।

बिहार जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण बोर्ड द्वारा सर्वेक्षण

1925. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण बोर्ड ने गंगा और अन्य नदी क्षेत्रों का, उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए, कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) क्या अन्य राज्य बोर्डों ने भी इसी प्रकार के सर्वेक्षण किए हैं?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विकलांग विद्या ई०एन०टी० कान, नाक, गला के रोगों के लिये स्वतन्त्र विभागों की स्थापना

1926. श्रीमती संयोगिता राणे :

श्री मनफूल सिंह चौधरी :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से अनुरोध किया था कि वे विकलांग विद्या, संवेदनाहरण विज्ञान, कान-नाक-गला (ई०एन०टी०) आदि के रोगों के लिए स्वतंत्र विभागों की स्थापना के बारे में संशोधित प्रस्ताव भेजें;

(ख) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् के विनियमों के अन्तर्गत ऐसे स्वतंत्र विभाग के विनियमों के अन्तर्गत ऐसे स्वतंत्र विभाग स्थापित करना अपेक्षित है;

(ग) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने प्रस्तावों को मान लिया है; और

(घ) इस बारे में नवीनतम स्थिति क्या है?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री शंकराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अभी तक अपना कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

कारखानों के धुएं का लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव

1927. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपाकरेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कारखानों के धुएं के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। नेशनल इन्स्टीच्यूट आफ ओकूपेशनल हैल्थ, अहमदाबाद वायु कोटि मानदण्ड का वास्तविक मूल्यांकन तथा औद्योगिक और गैर औद्योगिक क्षेत्रों में रह रहे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव का समग्ररूप से अध्ययन करने में व्यस्त है।

(ग) अध्ययन के परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

खादी और अन्य ग्राम उद्योगों के उत्पादों का उत्पादन और केन्द्रीय सहायता

1928. राजेश कुमार सिंह : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और अन्य ग्राम उद्योगों के उत्पादों के उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है ;

(ख) खादी और ग्राम उद्योग समितियों को गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार ने कितना ऋण, अनुदान और सहायता दी है;

(ग) क्या यह सच है कि इस प्रकार दी गई सहायता की बहुत बड़ी राशि वसूल नहीं हो पाई है; और

(घ) खादी और ग्राम उद्योगों में उत्पादन और उन्नति के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) वर्ष 1975-76 को छोड़कर खादी उत्पादन, जहां तक मूल्य का सम्बन्ध है, में लगातार वृद्धि हुई है। ग्रामीण उद्योगों का समूचा उत्पादन भी 1973-74 में 122.40 करोड़ रुपये से बढ़कर 1979-80 में लगभग 318.07 करोड़ रुपये हो गया।

(ख) व (ग) केन्द्रीय सरकार खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को निधियां सुलभ करती है न कि अलग-अलग खादी तथा ग्रामोद्योग समितियों को। पिछले तीन वर्षों के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को निधियों का निम्नलिखित आबंटन किया गया था जिसे खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा क्रम से राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों, पंजीकृत संस्थाओं तथा सहकारी सोसायटियों को दिया गया है :—

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	अनुदान	ऋण	योग
1977-78	20.87	23.78	44.65
1978-79	28.09	40.00	68.09
1979-80	34.16	52.00	86.16

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के पास कार्यान्वयन एजेंसियों को दिए गए ऋण को वापिस लेने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध हैं। देय ऋणों/धनराशियों को प्राप्त किया जा रहा है। वसूल न की गई धनराशि को वसूल करने के लिए विभिन्न उपाय निर्धारित किए गए हैं। विशेष रूप से खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, अधिनियम, 1956 की धारा 19(ख) में यह प्रावधान है कि ऋणों को भूमि-राजस्व के बकाया की तरह वसूल किया जाए।

(घ) खादी तथा ग्रामोद्योगों के क्षेत्र में उत्पादन तथा रोजगार बढ़ाने तथा इन्हें प्रोत्साहन देने के लिए नीचे दिए कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है :—

(1) मौजूदा तथा सम्भाव्य कारीगरों का पता लगाया जाना है तथा उनकी गतिविधियों में विविधता लायी जानी है।

(2) मौजूदा कार्यक्रमों का विस्तार करते हुए और उनमें विविधता लाते हुए और देश के सभी 5011 विकास खंडों में अतिरिक्त कार्यक्रमों को शुरू करते हुए रोजगार के आधार को व्यापक बनाया जाना है।

(3) कच्चेमाल की अधिप्राप्ति, भंडारण तथा परिष्करण के लिए गतिविधियां, सुधरे किस्म के औजारों तथा उपकरणों का विनिर्माण तथा आपूर्ति, ऋण, विपणन, प्रशिक्षण आदि को प्रोत्साहित तथा सुदृढ़ बनाया जाना है।

(4) रोजगार को कम किए बिना काम की नीरसत को कम करने तथा उत्पाद की किस्म में सुधार लाने और कारीगरों की उत्पादकता तथा आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से उत्पादन तथा परिष्करण प्रौद्योगिकी में अनुसंधा तथा विकास, उत्पादन विकास, कच्चे माल तथा प्रक्रियाओं में विविधता, डिजाइनिंग, पैकेजिंग में सुधार आदि के लिए सुदृढ़ आधारभूत ढांचे की स्थापना की जानी है।

(5) सुधरे किस्म के औजारों और उपकरणों के उत्पादन तथा आपूर्ति में तेजी लाई जानी है।

(6) प्रशिक्षण आधारभूत ढांचे को सृजित करके प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण तथा उच्च कुशलताओं में संचारण पर बल दिया जाएगा।

(7) केन्द्रों को स्वयं कारीगरों को हस्तान्तरित करने के दीर्घावधि उद्देश्य से उन क्षेत्रों में जहां स्थानीय उद्यम आगे नहीं आते हैं, उत्पादन केन्द्र गठित किए जाएंगे।

(8) दुर्लभ तथा दुष्प्राप्य, कच्चे माल को सुलभ कराने के लिए कारगर प्रबन्ध किए जाएंगे।

(9) पिछड़े क्षेत्रों तथा समाज के उपेक्षित वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा तथा ऐसे क्षेत्रों और उद्योगों जहां इन लक्षित वर्गों की अधिकता है, के लिए विशेष आबंटनों का प्रावधान करके खादी तथा ग्रामोद्योग गतिविधियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं की संख्यात्मक तथा वित्तीय शर्तों के अनुसार उनके प्रतिशत अंश में वृद्धि करना।

(10) शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों विशेषकर सीमान्त किसानों और भूमिहीन कृषि श्रमिकों के वर्ग के व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण अवसर सुलभ करके उन्हें रोजगार की व्यवस्था हेतु पर्याप्त प्रावधान किया जाएगा।

(11) विपणन संगठनों को सुदृढ़ किया जाएगा।

गन्ना उत्पादकों के लिए चीनी का कोटा

1929. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में गन्ना उत्पादकों को कम गन्ना मूल्य की पूर्ति के

लिए सीधे चीनी मिलों से चीनी का कोटा प्राप्त होता था लेकिन राज्य सरकारों को निश्चित दर पर चीनी बेचने के केन्द्रीय निदेश के परिणामस्वरूप उसे समाप्त कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और गन्ना उत्पादकों की कठिनाई को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार गन्ना उत्पादकों में वितरण करने के लिए चीनी का कोई अलग कोटा नहीं दे रही है । तथापि, यह सम्भव है कि कुछेक राज्यों की फैक्ट्रियां अपने मुक्त बिक्री के कोटे से कुछ चीनी गन्ना उत्पादकों को सीधे देने के लिए इस्तेमाल कर रही हों ।

पहली सितम्बर से 15 नवम्बर, 1980 तक लागू स्वैच्छिक मूल्य विनियमन योजना के अधीन गन्ना उत्पादकों को अलग से मुक्त बिक्री का कोटा आवंटित करने के लिए कुछेक अनुरोध प्राप्त हुए थे । राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया था कि वे उनको आवंटित किए गए मुक्त बिक्री के कोटे में से गन्ना उत्पादकों की आवश्यकताओं को पूरा करें । स्वैच्छिक मूल्य विनियमन योजना अब 16-11-1980 से समाप्त हो गई है, इसलिए गन्ना उत्पादकों में वितरित करने के प्रयोजन हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा मुक्त बिक्री की चीनी का किसी प्रकार का आवंटन करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता ।

दानेदार चीनी का सल्फर में बदला जाना

1930. श्री दयाराम शाक्य : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1980 में दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पर गोदामों में पकड़ी गई लाखों रुपये मूल्य की दानेदार चीनी की स्थिति क्या है; और

(ख) क्या दानेदार चीनी के समूचे स्टाक को बाद में सल्फर में बदल दिया गया था और दोषी व्यक्तियों को छोड़ दिया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचनानुसार, गाजियाबाद में ट्रांसपोर्टरों द्वारा अनधिकृत रूप से रखा गया चीनी का कुछ स्टाक पकड़ा गया था । क्योंकि यह जिन्स नष्ट होने योग्य है, इसलिए इस स्टाक को कलक्टर, गाजियाबाद द्वारा बेच दिया गया था और अपराधियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा दायर कर दिया गया था । राज्य सरकारों ने यह भी सूचित किया है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि दानेदार चीनी को बाद में सल्फर चीनी में बदल दिया गया था ।

लेवी चीनी के मूल्य का पुनरीक्षण

1931. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेवी चीनी के मूल्य का पुनरीक्षण किस आधार पर किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने मूल्य के पुनरीक्षण के बारे में निर्णय करने के सम्बन्ध में औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो मूल्य के पुनरीक्षण के लिए भिन्न आधार अपनाये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) गन्ने के लिए अधिसूचित किए गए सांविधिक न्यूनतम मूल्यों, चीनी को तैयार करने की लागत, दिया गया देय शुल्क अथवा कर, यदि कोई हो, और चीनी तैयार करने के व्यापार में लगायी गई पूंजी पर उचित लाभ जैसी विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए लेवी चीनी के मूल्य आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (3 सी) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। विशेषज्ञ निकाय, जिसे समय-समय पर चीनी उद्योग की विस्तृत लागत की जांच करने का कार्य सौंपा जाता है, द्वारा अभिस्तावित लागत अनुसूचियों के आधार पर लेवी मूल्यों का हिसाब लगाया जाता है।

(ख) और (ग) 1980-81 मौसम के उत्पादन के लिए लेवी चीनी के मूल्य निर्धारित करने के लिए सरकार ने औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा तैयार की गई रूपान्तरण लागत अनुसूचियों और उनकी अन्य सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

अप्रैल और अक्तूबर, 1980 में चीनी के भण्डार की स्थिति

1932. **श्री आर०के० महालगी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1980 और 1 अक्तूबर, 1980 को सरकार ने अपने गोदामों में, चीनी कारखानों के पास (1980-81 के लिए लेवी चीनी, जो सरकार द्वारा उपर्युक्त तारीखों तक नहीं मांगी गई) चीनी कारखानों के पास (खुली चीनी) और सामान्य बाजार में चीनी के भण्डार (स्टाक) की क्या स्थिति थी;

(ख) देश को सामान्यत: कितनी चीनी की आवश्यकता होती है; और

(ग) लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए सरकार ने क्या प्रबन्ध किए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी स्वामीनाथन) : (क) चीनी फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादित चीनी की फैक्ट्रियां स्वयं अपने निजी गोदामों में रखती हैं और न कि सरकार के गोदामों में। तथापि, सरकार फैक्ट्रियों को चीनी की निर्मुक्तियां मासिक आधार पर करती है। फैक्ट्रियों के पास 1-4-1980 और 1-10-1980 तक पड़े लेवी और मुक्त बिक्री की चीनी के स्टाक इस प्रकार थे :—

(लाख मीटरी टन)

तारीख	लेवी चीनी	मुक्त बिक्री की चीनी	जोड़
1-4-1980	**18.00	9.56	27.56
1-10-1980	*3.13	2.84	5.97

** इसमें निर्मुक्त की गई लेकिन फैक्ट्रियों द्वारा न भेजी गई 1.62 लाख मीटरी टन लेवी चीनी शामिल है।

* इसमें निर्मुक्त की गई लेकिन फैक्ट्रियों द्वारा न भेजी गई 1.2 लाख मीटरी टन लेवी चीनी शामिल है।

खुले बाजार में चीनी के स्टाक के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) 1980-81 मौसम के दौरान आन्तरिक खपत के लिए अनुमानतः लगभग 50 लाख मीटरी टन चीनी की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को 1-10-1980 तक 5.97 लाख मीटरी टन के पिछले बचे स्टाक और 1980-81 मौसम के लगभग 52 से 54 लाख मीटरी टन के अनुमानित उत्पादन से पूरा किया जाएगा।

मध्य प्रदेश को लेवी चीनी का आबंटन

1933. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1979 से अक्तूबर, 1980 के दौरान मध्य प्रदेश का लेवी चीनी का कोटा कितना कर दिया गया था और भारतीय खाद्य निगम लेवी की चीनी की शेष रह गई सप्लाई कब तक पूरी कर देगा ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने लेवी चीनी के मासिक कोटे में वृद्धि के लिए केन्द्र सरकार को लिखा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) चीनी की आंशिक नियंत्रण की नीति 17-12-1979 से लागू होने से, उचित दर की दुकानों के माध्यम से घरेलू उपभोक्ताओं में वितरित करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार को 20,825 मीटरी टन लेवी चीनी का मासिक कोटा प्राप्त हो रहा है। जब से अक्तूबर, 1980 तक की अवधि के दौरान इस कोटे में कोई कमी नहीं की गई है। जहां तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को पिछले बचे हुए स्टाक की सुपुर्दगी करने का प्रश्न है, इसमें निगम द्वारा फैक्ट्रियों से राज्य के मासिक कोटे से अधिक चीनी उठाने का प्रश्न जुड़ा हुआ है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा यथा समय फैक्ट्रियों से चीनी को उठाने के कार्य में तेजी लाना तभी सम्भव हो पाए जब और अधिक फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादन कार्य शुरू करने से 1980-81 मौसम के उत्पादन में गति आती है—22-11-1980 तक 300 से भी अधिक फैक्ट्रियों में से केवल 159 ने उत्पादन कार्य शुरू किया है।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश सरकार से हाल ही में उनके लेवी चीनी के मासिक कोटे में वृद्धि करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। 1979-80 मौसम में चीनी के उत्पादन में भारी गिरावट आने और चीनी की सीमित उपलब्धता होने के कारण 16-8-1978 से चीनी नियंत्रण हटाने के पूर्व आंशिक नियंत्रण की अवधि के दौरान दिए जा रहे स्तर से अधिक किसी भी राज्य के मासिक लेवी कोटे में वृद्धि करना सम्भव नहीं हुआ है।

सागरपुर कालोनी, दिल्ली में पानी का जमा हो जाना

1934. **श्री अशोक गहलोत** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंखा रोड पर रेवाड़ी लाइन के निकट बाहरी दिल्ली में सागरपुर

में पानी को निकालने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है जिसके परिणामस्वरूप वर्षा का पानी और घरों का पानी सड़कों पर और गलियों में जमा हो जाता है, और

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली नगर निगम और दिल्ली प्रशासन का विचार उसके लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था करने का है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि यह एक अनधिकृत कालोनी है तथा समुचित नाली व्यवस्था उस विषय की नीति के अनुसार कालोनी के नियमित, विकासित होने तथा विकास प्रभारों को नियत हो जाने और लाभभोगियों द्वारा प्रभारों के अदा किए जाने के बाद ही सम्भव है।

मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा को एक समान बनाना

1935. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा को एक समान बनाने की योजना को क्रियान्वित करने के लिए अनुमानतः कितनी राशि की आवश्यकता है और इसमें से केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता के रूप में कितनी राशि दी जाएगी;

(ख) मध्य प्रदेश में स्कूल-भवनों की कमी दूर करने के लिए सहायता के रूप में भारत सरकार का कितनी राशि देने का विचार है ; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश की कठिन वित्तीय स्थिति के कारण राज्य प्रशासन वहां गत कुछ वर्षों से स्कूलों में फर्नीचर तथा चटाइयों के लिए आवश्यक धनराशि नहीं दे पा रही है और उसके लिए राज्य द्वारा कितनी राशि दी जा रही है तथा भारत सरकार द्वारा कितनी राशि दिए जाने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकर राव चव्हाण) : (क) से (ग) प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना एक कार्यक्रम है जो प्राथमिकतः राज्य क्षेत्र योजनाओं के अन्तर्गत आता है।

हमारी योजना की पद्धति में, राज्य क्षेत्र में प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त होते हैं और इन प्रस्तावों को, योजना आयोग द्वारा गठित कार्यकारी दल द्वारा जांच की जाती है। कार्यकारी दल की सिफारिशों को राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच विचार-विमर्श के बाद अन्तिम रूप दिया जाता है। यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश की छठी योजना (1980-85) और वार्षिक योजना (1981-82) के मामले में अभी तक पूरी नहीं हुई है। राज्यों को योजनागत योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता ब्लाक अनुदानों के रूप में दी जाती है। ये विशेष योजनाओं के लिए निर्धारित नहीं हैं।

मध्य प्रदेश सरकार ने अपने छठी योजना प्रस्तावों में प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने के कार्यक्रम के लिए 62.24 करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान लगाया है।

इसके अलावा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों को सहायता देने की एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार आबंटन, राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के संदर्भ में निर्धारित किया जायगा।

पहाड़ी क्षेत्रों में बेतार और माइक्रोवेव टेलीफोन प्रणाली की व्यवस्था

1936. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि भारी तूफानों, वर्षा अथवा ओला वृष्टि के कारण और टेलीफोन और तार के खम्भों के टूटने और गिरने के कारण दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र का बहुधा देश के शेष भाग से संम्बन्ध कटा रहता है जिसके परिणामस्वरूप वहां के निवासियों और डाक व तार विभाग को बहुत कठिनाई और असुविधा होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मुश्किलों और असुविधाओं को स्थायी समाधान के विचार से इन क्षेत्रों विशेषकर ऊपरी शिमला जिले के रोड़ों, जुब्बल, चापला, कोटखाई, रामपुर और अन्य स्थानों में बेतार और माइक्रोवेव टेलीफोन व्यवस्था लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ग) यदि हां, तो कब तक ऐसी व्यवस्था के वहां शुरू किए जाने की संभावना है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां।

(ख), (ग) तथा (घ) पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में बहुत से बेतार संपर्कों को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

1. हिमाचल प्रदेश में 26 बेतार केन्द्र पहले से ही मौजूद हैं और अन्य 12 में वायरलेस सुविधाएं प्रदान करने की योजना है जिनको निकट भविष्य में खोला जाएगा।

2. चापला से बेतार तार सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस समय रोड़ों, जुब्बल, कोटखाई और रामपुर के क्षेत्रों तथा ऊपरी शिमला जिले के अन्य स्थानों के लिए बेतार/सूक्ष्मतरंग टेलीफोन सेवा प्रदान करने की कोई योजना नहीं है।

3. देश के कुछ पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में सूक्ष्म तरंग, यू एच एफ, वी एच एफ अथवा उपग्रह संपर्कों का प्रयोग कर दूर संचार सुविधाओं के विस्तार की योजना बनाई जा रही है।

4. चालू योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित करने के लिए राजस्व का विचार किये बिना सभी जिला मुख्यालयों को रेडियो/केबुल जैसे स्थायी माध्यम उपलब्ध कराये जाने की योजनाएं डाक तार विभाग के पास हैं। साधनों की कमी और वित्तीय नियंत्रणों के कारण, इस नीति को जब तक योजनाएं आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं होतीं, जिले से निचले स्तर पर लागू करना संभव नहीं है।

पर्वतीय क्षेत्रों में शाखा डाकघरों के अंशकालिक कर्मचारियों को मजूरी

1937. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में शाखा डाकघरों में लगाये गये अंशकालिक कर्मचारियों को केवल 100 रु० प्रति मास मिलते हैं ;

(ख) क्या डिलीवरी एजेन्टों तथा मेल कैरियरों को घर-घर और गांव-गांव डाक बांटने तथा बर्फ और वर्षा में डाक ले जाने के लिए प्रति दिन 10 से 15 मील चलना पड़ता है जिसके लिए उसे प्रतिदिन लगभग 3 रुपए का वेतन मिलता है जब कि सड़कों पर काम करने वाले अकुशल श्रमिकों को प्रति दिन 10 रुपए मिलते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस अंशकालिक कर्मचारियों को भी उसी दर से मजूरी का भुगतान करने के प्रश्न पर विचार करने का है जिस दर पर काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य गांव वालों को दिया जाता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जिन स्थानों में न तो नियमित डाकघर खोलने का औचित्य होता है और न ही डाकगर खोलना मितव्ययिता पूर्ण होता है वहां विभाग द्वारा विभागेतर डाकघर खोले जाते हैं । ऐसे डाकघरों का कार्य विभागेतर एजेंटों जैसे अंशकालिक कर्मचारियों द्वारा चलाया जाता है जिनका पारिश्रमिक अखिल भारतीय आधार पर, उनके द्वारा किये गये डाक यातायात और उनके लिए अपेक्षित कार्य घंटों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है। 1-9-79 से विभिन्न संवर्गों के विभागेतर एजेंटों को दिए गए न्यूनतम और अधिकतम भत्ते अनुबंध "क" में दिए गए हैं।

(ख) विभागेतर वितरण एजेंट/विभागेतर डाक वाहकों को डाकघरों द्वारा सेवित क्षेत्रों में वितरण इत्यादि के लिए डाक ले जानी पड़ती है। तथापि यदि किसी विभागेतर एजेंट को अपनी ड्यूटी देने के लिए 16 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी तय करनी पड़ती है तो मौजूदा नियमों के अनुसार विभाग द्वारा उसे साईकिल भत्ते का भुगतान किया जाता है । विभागेतर एजेंट अपनी आय बढ़ाने के लिए जीवन यापन के अन्य कार्य करने को स्वतंत्र होते हैं और वे ड्यूटी के निर्धारित घंटों में ही डाक तार विभाग का कार्य करते हैं । उनको दिया जाने वाला पारिश्रमिक कार्यभार आदि पर निर्भर करता है और वह अनुबंध "क" में दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) विभागेतर एजेंटों को "कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम" के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्तियों के समकक्ष नहीं रखा जा सकता। इससे पहले भी विभागेतर एजेंटों के समेकित भत्ते द्विवार्षिक रूप से संशोधित किये गये थे। अब उनके समेकित भत्ते को वार्षिक आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखते हुए संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। वार्षिक आधार पर संशोधन 1-9-1980 से किया जा रहा है।

विवरण

अनुबंध-क

1-9-1979 से विभिन्न संवर्गों के विभागेतर एजेन्टों को देय निर्धारित भत्ते :

	न्यूनतम रु०	अधिकतम रु०
विभागेतर उप डाकपाल	155.00	192.00
विभागेतर शाखा डाकपाल	108.00	136.00
विभागेतर डाक टिकट विक्रेता	108.00	136.00
विभागेतर डाक वाहक/विभागेतर वितरण एजेंट विभागेतर पैकर/विभागेतर संदेश वाहक विभागेतर चौकीदार इत्यादि	*105.00	130.00

*दो घंटों तक का कार्यभार 93-00 रु० नियत

आजादपुर मार्केट, दिल्ली में फलों तथा सब्जियों का विपणन और मूल्य निर्धारण

1938. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजादपुर मार्केट, दिल्ली में फलों तथा सब्जियों का विपणन किसी कानून के अन्तर्गत नियंत्रित किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उसका नाम क्या है ;

(ग) क्या कमीशन एजेन्टों तथा फल-व्यापारियों की कोई विपणन समिति उत्पादकों के हितों की ओर कोई ध्यान किए बिना बिक्री योग्य वस्तुओं के अधिकतम तथा न्यूनतम थोक दरें निर्धारित करती है ;

(घ) क्या उत्पादकों, जो अधिकतर किसान तथा सेब-उत्पादक होते हैं, को ऐसे विपणन निकाय में लिया जाता है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और विपणन तथा प्रतिदिन थोक दरों के निर्धारण के लिए उत्तरदायी समिति में उनको लेने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियम) अधिनियम, 1976।

(ग) वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण करना विपणन समिति का कार्य नहीं है। बाजार में लाया गया माल खुली निलामी द्वारा बेचा जाता है। जुलाई, 1978 में समिति के बन्द हो जाने के पश्चात् इस समय आजादपुर मार्किट क्षेत्र का प्रशासन अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त अधिकारी द्वारा चलाया जाता है।

(घ) अधिनियम के अन्तर्गत 14 सदस्यीय विपणन समिति में 6 किसानों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्न और अन्य नकदी फसल के लिये वर्ष 1980-81 का लक्ष्य

1939. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

श्री जनार्दन पुजारी :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्यान्न और अन्य नकदी फसल के लिए वर्ष 1980-81 का निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980-81 के दौरान खाद्यान्नों, चावल, पट्सन और गन्ना का कितना लक्ष्य निर्धारित है उसमें कितनी कमी होने की आशा है और तत्सम्बंधी कारण क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) वर्ष 1980-81 के लिए विभिन्न फसलों के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य इस प्रकार हैं :—चावल—550 लाख मीटरी टन, खाद्यान्न (चावल सहित)—1350 लाख मीटरी टन, गन्ना—1800 लाख मीटरी टन, और पटसन एवं मेस्ता—83 लाख गांठें।

1980-81 के खरीफ के फसल उत्पादन के पक्के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, वर्षा और मौसम की स्थिति और कुछ प्रारम्भिक रिपोर्टों के आधार पर, अनंतिम तौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 800 लाख मीटरी टन, पटसन और मेस्ता का लगभग 83 लाख गांठें और गन्ने का उत्पादन लगभग 1522 लाख मीटरी टन होगा। गन्ने के मामले में, उत्पादन लक्ष्य से कम होने की संभावना है। इसका मुख्य कारण यह है कि बुवाई के समय बहुत से गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में मृदा में नमी और मौसम तथा वर्षा की परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी।

अभी इस बात को बताना संभव नहीं है कि खद्यान्नों के उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति में कोई कमी होगी। रबी मौसम अभी शुरू ही हुआ है और उत्पादन के अनुमान अप्रैल-मई, 1981 के आस पास ज्ञात होंगे।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के किसानों के सर्वतोमुखी कल्याण की योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता

1940. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :**

श्री एच०एन० नन्जे गौडा :

श्री पीयूष तिरकी :

श्री के० प्रधानी :

श्री के० लक्कप्पा :

श्री जयनारायण रोट :

क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के किसानों के सर्वतोमुखी कल्याण के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्योरा क्या है और इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार राज्यों को कितनी सहायता देगी ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए राज्यवार कुल कितनी राशि का नियतन किया गया है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध की जा रही सहायता के अलावा, ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सहायता सुलभ करता है। समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छोटे किसानों, सीमान्त किसानों, व आयोग्य कारीगरों अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के परिवारों की आय को बढ़ाना है। कार्यान्वयन एजेंसियों को ये अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे सहायता पहुंचाने के लिए निर्धनतम परिवारों का चयन पहले करें तथा चूंकि अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के परिवार काफी निर्धन होते हैं, अतः सामान्यतया उन्हें चयन में प्राथमिकता दी जाती है। यह निर्धारित किया गया था कि प्रत्येक खंड में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता पहुंचाने के लिए चुने गए कम से कम 20 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित होने चाहिए। उनकी संख्या को और बढ़ाकर कम से कम 30 प्रतिशत तक करने का प्रस्ताव है। मौजूदा अनुदेशों में यह भी निर्धारित किया गया है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जुटाए गए कम से कम 20 प्रतिशत ऋण और उपदान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों को पहुंचने चाहिए। कोई भी सक्षम आर्थिक गतिविधि, जो लाभभोगी परिवार के लिए उपयुक्त हों, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू की जा सकती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाए गए निवेशों को सरकार द्वारा सुलभ उपदान तथा बैंकिंग संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले ऋण से वित्तपोषित किया जाता है। अनुसूचित जातियों के छोटे किसान उपदान पर 3000/- रुपये प्रति परिवार की अधिकतम सीमा के साथ योजना की लागत के 25 प्रतिशत की दर से उपदान पाने के पात्र हैं। आदिवासी लाभभोगी योजना की लागत के 50 प्रतिशत उपदान पाने के पात्र हैं तथा उनके मामले में उपदान पर अधिकतम सीमा प्रति परिवार 5,000/- रुपये हैं। इस कार्यक्रम को वित्तपोषित करने की 50 प्रतिशत लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है तथा शेष 50 प्रतिशत राज्यों द्वारा अपने अंशदान के रूप में सुलभ की जाती है।

(ख) चालू वर्ष के दौरान समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के लिए राज्यवार आवंटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम 1981-81 के दौरान आवंटित निधियां

(लाख रुपये में)

राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र का नाम	केन्द्रीय अंश
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	810.00

1		2
2.	असम	335.00
3.	बिहार	1467.50
4.	गुजरात	545.00
5.	हरियाणा	217.50
6.	हिमाचल प्रदेश	172.50
7.	जम्मू तथा काश्मीर	187.50
8.	कर्नाटक	437.50
9.	केरल	360.00
10.	मध्य प्रदेश	1145.00
11.	महाराष्ट्र	740.00
12.	मणिपुर	65.00
13.	मेघालय	60.00
14.	नागालैंड	52.50
15.	उड़ीसा	785.00
16.	पंजाब	292.50
17.	राजस्थान	580.00
18.	सिक्किम	10.00
19.	तमिलनाडु	942.50
20.	त्रिपुरा	42.50
21.	उत्तर प्रदेश	2190.00
22.	पश्चिम बंगाल	837.50
23.	अंडेमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	12.50
24.	अरुणाचल प्रदेश	120.00
25.	चंडीगढ़	2.50
26.	दादर तथा नागर हवेली	2.50
27.	दिल्ली	12.50
28.	गोवा, दमण तथा दीव	30.00
29.	लक्षदीप	12.50
30.	मिजोरम	50.00
31.	पांडिचेरी	10.00
	योग	12527.50

तैयार वस्तुओं के बिक्री मूल्य के साथ कृषि उत्पादों के मूल्य जोड़ना

1941. **श्री एल० एस० तुर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार तैयार वस्तुओं के बिक्री मूल्य के साथ कृषि उत्पादों के मूल्य जोड़ने पर विचार कर रही है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार उत्पादन लागत से बहुत अधिक लाभ कमाने वाली एजेंसियों की भर्तसना करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) : (क) केन्द्रीय सरकार ने पहले ही मार्च, 1980 से कृषि मूल्य आयोग के विचारार्थ विषयों में संशोधन कर लिया है, ताकि यह व्यवस्था हो सके कि मूल्यों की सिफारिश करते समय वह अन्य बातों के साथ-साथ कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के परस्पर व्यापार में होने वाले परिवर्तनों को भी मद्दे नजर रख सके।

(ख) मुनाफाखोरी पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार कर रही है तथा उसको कारगर बना रही है। इसके अलावा जमाखोरों, चोर बाजारी तथा अन्य समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रण में रखने के लिए राज्य सरकारों से समय-समय पर आवश्यक जिन्स अधिनियम, भंडारण नियंत्रण आदेश, मूल्य प्रदर्शन आदेश तथा चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक जिन्स सप्लाई अनुरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों को तेजी से लागू करने के लिए अनुरोध किया जाता रहा है। जनवरी से जून 1980 के दौरान 15,000 व्यक्तियों को आवश्यक जिन्स अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया, जबकि 1979 में 8,272 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे। पी० डी० अधिनियम के अन्तर्गत भी 230 व्यक्तियों के नजरबन्दी के आदेश जारी किए गए थे।

अमृतसर के लिए टेलीफोन निर्देशिका

1942. **श्री एल० एस० तुर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमृतसर मंडल की टेलीफोन निर्देशिका किस वर्ष में प्रकाशित की गई थी;

(ख) क्या उसके पश्चात् कोई परिशिष्ट भी प्रकाशित किया गया था यदि हां, तो कब; और

(ग) क्या निर्देशिका में से तरन तारन नगर के टेलीफोन नम्बरों वाले पृष्ठों का भाग संशोधित किया जाएगा और शीघ्र प्रकाशित किया जाएगा क्योंकि यह अंश अधिकतर अपूर्ण है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) पिछली बार अमृतसर टेलीफोन निर्देशिका जून, 1979 में प्रकाशित की गई थी।

(ख) 1979 के दौरान 31-12-78, 31-5-79 और 31-10-79 तक संशोधित 3 परिशिष्ट प्रकाशित करके उपभोक्ताओं को वितरित किए गए थे।

(ग) अमृतसर तार डिवीजन की अद्यतन संशोधित एवं पूर्ण टेलीफोन निर्देशिका जिसमें तरन तारन नगर के टेलीफोन नम्बरों को भी शामिल किया गया है, 1981 की प्रथम तिमाही में प्रकाशित की जायेगी।

गोल मार्केट, नई दिल्ली में स्टालों का आबंटन

1943. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका ने नई दिल्ली के गोल मार्किट क्षेत्र में दुकानदारों के आवंटन के लिए 50-60 छोटे स्टालों का निर्माण करवाया था, लेकिन कुछ निहित स्वार्थों के कारण स्टालों का आबंटन नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन स्टालों का आबंटन कब तक कर दिये जाने की आशा है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : (क) जी, नहीं। इस क्षेत्र में आठ स्टालों का निर्माण कार्य अक्तूबर, 1980 में ही पूरा हो गया था और उनका आबंटन यथा समय किया जाएगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

छोटा नागपुर और संथाल परगना को 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अधीन अनाज का आबंटन

1944. **श्री ए० के० राय** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार महीनों में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अधीन बिहार में छोटा नागपुर और संथाल परगना के जिलों के लिए, महीनेवार और जिलावार कितना अनाज आबंटित किया गया;

(ख) केन्द्र ने बिहार को उक्त अवधि के लिए कितना अनाज आबंटित किया और उसका महीनेवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि बिहार में छोटानागपुर और संथाल परगना में उपर्युक्त अवधि में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम स्थगित रहा; और

(घ) क्या मंत्री ने इसके विपरीत आश्वासन दिया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वरराम) : (क) चालू वर्ष के दौरान बिहार को खाद्यान्नों का प्रथम बंटन मई, 1980 में किया गया था। उन्हें बंटित मात्रा में से बिहार सरकार ने राज्य में सूखे से प्रभावित सभी 2 जिलों जिनमें सन्थाल परगना और छोटा नागपुर के उत्तरी तथा दक्षिणी डिवीजनों के सभी जिले भी शामिल हैं, को खाद्यान्नों का आवंटन किया था। सन्थाल परगना, सिंह भूम, रांची, पालमऊ, धनबाद, गिरडीह तथा हजारीबाग जिलों को उपलब्ध किए गए खाद्यान्नों की कुल मात्रा क्रमशः 8,425, 19,304, 23,456, 15,225, 6,304, 11,123 तथा 13,026 मीटरी टन है। चूंकि विभिन्न राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों को मई, 1980 के पश्चात् खाद्यान्नों के आवंटन केवल हाल ही में किए गए हैं अतः बिहार सरकार द्वारा पिछले 4 महीनों में जिलों को किए गए खाद्यान्नों के अतिरिक्त आबंटन की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) सामान्य काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत 40,000 मीटरी टन तथा विशेष काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत 70,000 मीटरी टन खाद्यान्न अप्रैल/मई, 1980 में आबंटित/बंटित किए गए थे। 54,000 मीटरी टन खाद्यान्नों का और आवंटन 22-10-1980 को किया गया था। गत मात्रा के मुकाबले में बंटन अभी किए जाने हैं।

(ग) व (घ) सन्थाल परगना तथा छोटानागपुर के उत्तरी व दक्षिणी जिलों में कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों को बन्द करने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं।

असम में पक्षियों द्वारा सामूहिक आत्महत्या का समाचार

1945. **श्री एन० ई० होरो :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 सितम्बर, 1980 की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि असम के एक छोटे गांव में पक्षियों द्वारा सामूहिक रूप से आत्महत्या किया जाना अभी भी रहस्य बना हुआ है;

(ख) क्या यह भी सच है कि आगामी अक्तूबर में सैंकड़ों पक्षी 1905 से चले आ रहे इस अजीब आत्महत्या के दौर में जटिंगा गांव में हर रात करेंगे; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार को असम के एक गांव में पक्षियों की सामूहिक आत्महत्या के बारे में 15 सितम्बर, 1980 की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ट की जानकारी है। किन्तु सही बात यह कि पक्षियां आत्महत्या नहीं करते, बल्कि असम राज्य के जटिंगा गांव में उनका सामूहिक रूप से वध किया जाता है। ग्रामवासी इन पक्षियों को रोशनी जलाकर उसकी महक की ओर आकर्षित करते हैं और उन्हें मारकर खाते हैं। यह रिवाज वर्ष में किसी विशेष समय पर खासतौर से जब कोहरे की स्थिति हो, आदिवासी अनुष्ठान के रूप में चलता आया है।

(ग) असम सरकार से कहा गया है कि वह इस रिवाज को बन्द करने के लिए आवश्यक उपाय करे। राज्य सरकार ने सूचना दी है कि जिला परिषदों के जरिए ग्रामवासियों को शिक्षित करने और इस रिवाज को बन्द करने के लिए वन्य-प्राणि (संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

"हुडको" द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए मकानों का निर्माण

1946. **श्री छीतू भाई गामित :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए ("हुडकों" के माध्यम से) मकान बनाने की कोई योजना निश्चित की है और;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता मंजूर की है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) आवास तथा नगर विकास निगम ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर उन परिवारों को जिनकी आय 350 रुपये से अधिक नहीं है, मकान बनाने के लिए बिना किसी जाति और वर्ग के भेदभाव के धन देता है।

(ख) वर्ष 1980-81 (30-9-80 तक) हुडको ने कर्नाटक में मकानों के निर्माण के लिए 3 परियोजनाओं की स्वीकृति दी है। इनमें 3.75 करोड़ रुपये का ऋण शामिल है और इससे 37,500 मकानों का निर्माण किया जायेगा।

विकलांग व्यक्तियों के लिये अनिवार्य शिक्षा

1947. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांग व्यक्तियों के लिए अनिवार्य शिक्षा तथा समाज में अपंगों द्वारा एक उपयोग भूमिका निभाने में सहायता करने के लिए विधान लाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) और (ख) विकलांग व्यक्तियों के क्षेत्र में विधि निर्माण के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक कार्यदल स्थापित किया गया है, जिसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

(1) यह जांच करना कि विधायी कार्यवाही विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण को कहां तक बढ़ावा दे सकती है; और

(2) यदि ऐसा विधान अनिवार्य समझा गया है तो उसके क्षेत्र, के उद्देश्य तथा साधारण योजना के बारे में ब्यौरा तैयार किया जाए।

कार्यदल इन प्रश्नों की जांच कर रहा है तथा उसने सरकार को अपनी रिपोर्ट अभी पेश करनी है।

आपरेशन फ्लड-2 के कार्यान्वयन के लिए जनबल का प्रशिक्षण

1948. **श्री जी० वाई कृष्णन्** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण प्रबंध संस्थान ने, जो देश में दुग्ध विकास के "आपरेशन फ्लड-2" कार्यक्रम के लिए अपेक्षित जनबल के प्रशिक्षण को देखता है, कार्य आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कार्य निष्पादन के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों ने इसमें रुचि दिखाई है और "आपरेशन फ्लड-2" परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भारतीय डेरी निगम के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) आयोजन एवं भर्ती के संबंध में ब्यौरे क्या हैं और इसके वर्तमान तरल दुग्ध संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां। ग्राम प्रबन्ध संस्थान ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

(ख) स्नातकोत्तर कार्यक्रम के प्रथम बैच में हाल में ही 48 छात्रों का पंजीकृत किया गया है। प्रथम बैच का पहला सेमिस्टर पूरा हो गया है और अब दूसरा सेमिस्टर चल रहा है। सफल छात्रों को 19×2 में ग्राम प्रबंध में डिप्लोमा दिया जाएगा।

(ग) आपरेशन फ्लड-2 परियोजना के क्रियान्वयन की पद्धितियों को निर्धारित करते हुए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू तथा काश्मीर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, सिक्किम, त्रिपुरा, बिहार, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा मिजोरम ने भारतीय डेरी निगम के साथ एक करार किया है।

(घ) अभी तक आपरेशन फ्लड-2 परियोजना के अंतर्गत योजना तैयार करने तथा क्रियान्वयन के एक भाग के रूप में 13 राज्यों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों के लिये डेरी विकास की संभावित योजनाएं तैयार की गई हैं तथा अन्य राज्यों के लिए योजना सम्बन्धी कार्य प्रगति पर है। इनमें से तेरह योजनाओं का मूल्यांकन भारतीय डेरी निगम ने पहले ही कर लिया है तथा आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता के कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है। कुछ राज्यों में स्टाफ की भर्ती के लिए आरम्भिक कार्रवाई भी शुरू की जा चुकी है।

विद्यमान मार्गदर्शी डेरियों सहित तरल दुग्ध संयंत्रों की कुल प्रतिस्थापित क्षमता प्रतिदिन लगभग 60 लाख लीटर है।

आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा

1949. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या शिक्षा और कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि शिक्षा के सम्बन्ध में देश का आदिवासी क्षेत्र पिछड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश के आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा को लोकप्रिय बनाने का कोई निर्यण लिया है;

(ग) नई परियोजना, यदि कोई है तो उसका विवरण क्या है; और

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना में क्या प्रावधान किए गए हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री शंकर राव चव्हाण) : (क) जी, हां। सामान्यतः शैक्षिक विकास के सम्बन्ध में आदिवासी क्षेत्र तुलनात्मक रूप से पिछड़े हुए हैं।

(ख) केन्द्रीय और राज्य सरकारें आदिवासी क्षेत्रों तथा साथ-ही इस क्षेत्र के बाहर जहां वे रहते हैं अनुसूचित जन जातियों की शिक्षा को प्रोन्नत करने पर विशेष ध्यान दे रही है।

(ग) सभी आदिवासी बच्चों को नि:शुल्क प्रारम्भिक शिक्षा की विद्यमान सुविधाओं के अतिरिक्त, उनमें शिक्षा को प्रोन्नत करने के लिए पूर्व मैट्रिक तथा उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति सुविधाएं तथा अन्य वित्तीय रियायतें दी जाती हैं, तथा नये स्कूलों को खोलने जिसमें आश्रम स्कूल, भी

शामिल है और इस समुदाय के बच्चों के लिए छात्रावास सुविधाओं पर भी जहां आवश्यक हो विचार किया जाता है।

(घ) योजना आयोग द्वारा केन्द्रीय और राज्य सरकारों के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् छठी पंचवर्षी योजना के प्रावधानों को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

गोबर गैस संयंत्र के डिजाइनों में परिवर्तन

1950. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत:** क्या कृषि मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय गोबर गैस संयंत्र के डिजाइन में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है ताकि यह अधिक लोकप्रिय हो सके ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) : जी हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वाधान में बायोगैस प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं, जिसमें भारतीय गोबर गैस संयंत्र के परम्परागत डिजाइन में सुधार करने का कार्य भी शामिल है, पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। अनुसंधान के निष्कर्षों के आधार पर छठी योजना के दौरान देश में बायोगैस संयंत्रों को बढ़ाने के लिए विभिन्न डिजाइनों के फील्ड परीक्षण को कृषि विभाग की प्रस्तावित परियोजना में शामिल किए जाने की संभावना है। अभी हाल में ही, उत्तर प्रदेश के राज्य नियोजन संस्थान के योजना अनुसंधान एवं कार्यवाही प्रभाग ने ईंटों तथा समेंट से बनाया गया स्थिर डोम गोबर गैर संयंत्र का एक नया डिजाइन विकसित किया है, जिसमें स्टील के गैस होल्डर नहीं होते हैं। इस नए डिजाइन से लागत कम हो गई है और इसे उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

राजस्थान में ग्रामीण उद्योग का विकास

1951. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राजस्थान में ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मन्त्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) : (क) व (ख) राजस्थान में समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के ग्रामीण उद्योग, सेवा तथा व्यापार घटक के अन्तर्गत प्रत्येक खण्ड में प्रतिवर्ष 100 परिवारों को लाया जाना है। इस कार्यक्रम में उद्यमियों द्वारा लघु, कुटीर तथा घरेलू औद्योगिक यूनिटों की स्थापना का प्रावधान है और उद्यमी/कारीगर को इस प्रयोजन हेतु 3000 रुपए तक का उपदान दिया जाता है। विशेषकर इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए खण्डों में उद्योग विस्तार अधिकारियों की तैनाती की गई है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग और राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा भी खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये गये 25 ग्रामोद्योगों में यूनिटों की स्थापना करने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता तथा विपणन सहायता सुलभ की जानी है। ऊन परिष्करण, ग्रामीण चमड़ा तथा ग्रामीण कुम्हारी की यूनिटों पर विशेष बल दिया गया है। दरी विनिर्माण

यूनिटों की स्थापना की जा रही है तथा इन कार्यों में लगे हुए कारीगरों की कुशलताओं में सुधार किया जा रहा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के लिए वैज्ञानिक का चयन

1952. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुन्धान परिषद् के अधीन कृषि अनुसन्धान बोर्ड, जो केवल एक व्यक्ति वाली एक समिति है, द्वारा प्रत्याशियों का चयन अनुचित है; और

(ख) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन की प्रक्रिया अपनाई जायेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) विज्ञानियों की भर्ती कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् सोसायटी के नियमों तथा उप नियमों के अनुसार की जाती है तथा उस रूप में यह अनुचित नहीं है। चयनों को चयन समितियों द्वारा अन्तिम रूप दिया जाता है जिनमें कि सम्बन्धित शाखाओं में दो या तीन विशेषज्ञ होते हैं तथा कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल के अध्यक्ष या उसके द्वारा नामित व्यक्ति के अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का एक प्रतिनिधि होता है। रु० 2000 से 2500 तथा उससे ऊपर के ग्रेड में पदों की भर्ती के लिए चयन समितियों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष (कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री) द्वारा दो सलाहकार नामजद किये जाते हैं।

(ख) उम्मीदवारों के चयन के लिए कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल द्वारा लगभग वही प्रक्रियाएं अपनायी जाती हैं जोकि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपनायी जाती हैं।

राज्यों में मद्य-निषेध

1953. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :**

श्री मूलचन्द डागा :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन में मद्य-निषेध लागू किया गया था और बाद में समाप्त कर दिया गया है;

(ख) क्या सरकार पूरे राष्ट्र में मद्य-निषेध की नीति पर विश्वास करती है; और

(ग) जिन राज्यों में मद्य-निषेध लागू किया गया था उन में मद्य-पान करने वाले व्यक्तियों की संख्या में कमी क्यों नहीं हो पाई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और बिहार सरकारों ने सम्बन्धित राज्यों में पूर्ण मद्यनिषेध लागू किया था। बिहार सरकार ने अलबत्ता राज्य में पूर्ण मद्यनिषेध हटा दिया है।

(ख) भारत सरकार संविधान में दी गई नीति के प्रति वचनबद्ध है।

(ग) इस पर कोई टिप्पणी देना सम्भव नहीं है क्योंकि शराब के व्यसनी व्यक्तियों की संख्या के बारे में कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

आवास विकास योजनाओं के लिये शीर्ष निकाय (एपैक्स बाडी)

1954. **श्री पी०एम० सईद** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आवास विकास योजनाओं के सम्बन्ध में बेहतर समन्वय के लिए विकास प्राधिकारियों का एक शीर्ष निकाय गठित करने के लिए राज्यों से कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनेक राज्यों ने सुझावों को क्रियान्वित करना आरम्भ कर दिया है।

(ग) क्या संघ राज्य क्षेत्रों को भी ऐसा ही करने के लिए कहा गया था;

(घ) क्या मन्त्रालय यह अनुभव करता है कि देश में दो करोड़ आवास एककों की कमी थी और तीन चौथाई ग्रामीण क्षेत्रों में हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है, और

(च) क्या केन्द्र तथा राज्य सरकारें, दोनों इसके निर्माण करने के लिए और उन्हें छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए सहमत हो गयी है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, हां। राष्ट्रीत भवन (निर्माण) संगठन द्वारा लगाये गये अनुमान के अनुसार, देश में अप्रैल, 1980 में आवास की कमी 207 लाख एकक थी अर्थात् नगरीय क्षेत्रों में 46 लाख एकक और ग्रामीण क्षेत्रों में 161 लाख।

(ङ) तथा (च) आवास राज्य का विषय है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता आवास सहित राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए राज्यों को 'समेकित ऋणों' और 'समेकित अनुदानों' के रूप में दी जाती है जो किसी विशेष योजना या विकास शीर्ष से सम्बद्ध नहीं होती। क्योंकि आवास की समस्या गम्भीर है, इसलिए छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस समस्या को सुलझाना सम्भव नहीं होगा।

चीनी का उत्पादन और खपत

1956. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक राज्य में 1977-78, 1978-79, 1979-80 और 1980 से अब तक चीनी का उत्पादन और खपत कितनी थी; और

(ख) अगले पांच वर्षों में प्रत्येक राज्य में चीनी के कितने उत्पादन और खण्ड का अनुमान है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) चीनी मौसम 1977-78, 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान 15 नवम्बर तक देश में चीनी के उत्पादन के राज्यवार आंकड़े बताने वाला ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। जहां तक चीनी की आन्तरिक खपत के राज्य-वार आंकड़ों का सम्बन्ध है, ये केवल चीनी मौसम 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के बारे में ही उपलब्ध हैं और उनका ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ख) क्योंकि मौसम विशेष में चीनी का उत्पादन उक्त मौसम में उत्पादन और उपलब्धता पर निर्भर करता है, आगामी 5 वर्षों में चीनी के उत्पादन के अनुमान बताना सम्भव नहीं है। आगामी 5 वर्षों में चीनी के खपत का अन्दाजा लगाना भी कठिन है यह खपत उक्त वर्षों के दौरान प्राप्त किए जाने वाले चीनी के वास्तविक उत्पादन और उसके उस समय चल रहे खुले बाजार के मूल्यों पर निर्भर करेगी। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 1483/80]

तकनीकी शिक्षा ब्यूरो द्वारा निर्मित फिल्में

1957. **श्री केशवराव पारधी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी शिक्षा ब्यूरो क्रमशः बच्चों और अध्यापकों की शिक्षा और प्रशिक्षण में फिल्मों का निर्माण कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो बनाई गई फिल्मों के नाम क्या हैं और उन्हें किन स्थानों पर प्रदर्शित किया गया तथा प्रत्येक फिल्म पर कितना व्यय हुआ ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) श्रीमान् जी, तकनीकी शिक्षा ब्यूरो स्वयं कोई फिल्म तैयार नहीं कर रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा के लिए पेय जल

1958. **श्री के० प्रधानी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने गाँवों को पेय जल उपलब्ध कराने के लिये उड़ीसा सरकार को सहायता देने हेतु वर्ष 1980-81 में कितनी धनराशि का नियतन किया है;

(ख) क्या द्रुत ग्राम जल प्रदाय कार्यक्रम के अधीन ऐसे क्षेत्रों में, जहां उड़ीसा राज्य में टैंकरों के माध्यम से पेय जल उपलब्ध कराया जाता है, पाइपलाइनों के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त स्थलों की खुदाई के लिये कोई योजना विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार को समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल की व्यवस्था करने के लिए 1980-81 के दौरान पहली किस्त के रूप में 141 लाख

रुपये दिये गये हैं। दूसरी किस्त चालू वर्ष में प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के पूर्ण होने के बाद दी जायेगी।

(ख) तथा (ग) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत उन ग्रामों को पर्याप्त जल सुविधा देने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है जहां पेय जल की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक गम्भीर है। राज्य सरकारों का अनुमोदित कसौटी के आधार पर समस्याग्रस्त ग्रामों का पता लगाना है।

मध्य प्रदेश में चीनी मिलों को सरकारी नियंत्रण में लिया जाना

1959. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में जोरा तथा महिदपुर रोड शूगर मिल्स को सरकारी नियन्त्रण में ले लिया गया है और यदि हां, तो उनको किस तारीख को और किन शर्तों पर लिया गया;

(ख) क्या किसानों को गन्ने की बकाया राशि, कर्मचारियों को वेतन और अनुरक्षण राशि का भुगतान किया जायेगा और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो बकाया राशि आदि के भुगतान के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जायेगी;

(ग) क्या कर्मचारियों की भविष्य निधि सरकार के पास सुरक्षित है; और

(घ) किसानों को और कर्मचारियों को देय बकाया राशि कितनी थी जो मिलों द्वारा अधिग्रहण से पूर्व दी जानी थी और क्या उस पर ब्याज दिया जायेगा ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) मध्य प्रदेश में महीदपुर और जोरा में स्थित चीनी मिलों के प्रबन्ध को 12 सितम्बर, 1980 से तीन वर्षों की अवधि के लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन अपने अधिकार में ले लिया गया है और राज्य सरकार के नामितों को प्राधिकृत किया गया है कि वे इन यूनिटों को निम्नलिखित शर्तों पर अपने अधिकार में ले लें :—

(1) प्राधिकृत व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए सभी निदेशों का अनुपालन करेगा;

(2) प्राधिकृत व्यक्ति 12-9-80 से तीन वर्षों की अवधि के लिए उक्त पद सम्भाले रखेगा;

(3) केन्द्रीय सरदार यदि आवश्यक समझती है तो वह प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति को समाप्त कर सकती है।

(ख) और (ग) 1980-81 के दौरान किसानों और कामगारों की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रबन्ध को अपने अधिकार में लिया गया है। पिछले प्रबन्ध के दायित्वों को निभाने के लिए राज्य सरकार द्वारा योजनाएं तैयार की जा रही है।

(घ) प्रबन्ध को अपने अधिकार में लेने से पूर्व किसानों और कर्मचारियों के बकायों की राशि का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

	(रुपये लाख)	
	महोदपुर	जोरा
गन्ने के बकायों की राशि	22.31	42.72
कामगारों के बकायों की राशि	11.04	29.40

क्योंकि किसानों और कर्मचारियों की स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से प्रबन्ध को अपने अधिकार में लिया गया है और क्योंकि पिछले प्रबन्ध के बकायों का भुगतान करना था, इसलिए ब्याज का भुगतान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

नासिक के बाजार में ज्वार का समर्थन मूल्य

1960. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष महाराष्ट्र के नासिक के बाजार में 65 साये प्रति क्विंटल की दर से ज्वार खरीदी गयी थी;

(ख) क्या सरकार ने ज्वार का समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने ज्वार खरीदने का निर्णय किया है और यदि हां, तो कितनी मात्रा में खरीद की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) राज्य सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) सरकार ने 1980-81 विपणन मौसम के लिए ज्वार का समर्थन मूल्य 105/- रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।

(घ) जी हां। 24 नवम्बर, 1980 तक प्राप्त सूचनानुसार, राज्य की एजेन्सियों ने महाराष्ट्र में 18,484 मीटरी टन ज्वार खरीदा है।

1980-81 में चीनी का उत्पादन और खपत

1961. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81 वर्ष के दौरान पिराई के दो मौसमों में देश में चीनी की अनुमानित खपत कितनी होगी ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में कितनी चीनी का उत्पादन किया जायेगा ;

(ग) क्या देश में निर्मित चीनी देश की आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त होगी, यदि नहीं तो क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किये जायेंगे ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) चीनी वर्ष 1980-81 (अक्तूबर, 1980—सितम्बर, 1981) के दौरान देश में चीनी की अनुमानित खपत लगभग 50 लाख मीटरी टन है।

(ख) और (ग) आशा है कि उपर्युक्त वर्ष के दौरान 52 से 54 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन होगा। आशा है कि इस उत्पादन से तथा साथ-साथ मौसम के प्रारम्भ में पिछले बचे स्टाक से चीनी 1980-81 के दौरान देश की आवश्यताओं को पूरा कर लिया जाएगा।

महोदपुर रोड तथा जौरा स्थित चीनी मिलों को नियंत्रण में लिया जाना

1962. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महीदपुर रोड तथा जौरा स्थित चीनी मिलों को सरकार द्वारा कब और कितनी अवधि के लिये नियंत्रण में लिया गया और किन शक्तियों के अन्तर्गत लिया गया ;

(ख) क्या सरकार कृषकों और कर्मचारियों को भुगतान करेगी, मिल के नियंत्रण में लिये जाने से पूर्व पिछले प्रबन्ध मडल पर कितनी राशि बकाया थी और इस लेखों पर दी जाने वाली कितनी राशि बकाया है तथा क्या बकाया राशि पर ब्याज भी दिया जायेगा ;

(ग) चालू मौसम के दौरान इन मिलों द्वारा किसानों को गन्ने का क्या मूल्य दिया जा रहा है और क्या मिलों को चलाने के लिये गन्ने की पर्याप्त मात्रा प्राप्त हो रही है ; और

(घ) प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार गन्ने के मूल्य को कितने राज्यों ने स्वीकार किया है; उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने सुझाव को स्वीकार किया है ; और किन राज्यों ने सुझाव को स्वीकार नहीं किया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) महीदपुर और जौरा में स्थित चीनी मिलों के प्रबन्ध को औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18 ए० ए० के अधीन 12 सितम्बर, 1980 से तीन वर्षों की अवधि के लिए अपने अधिकार में ले लिया गया है।

(ख) इनके प्रबन्ध को 1980-81 में किसानों और कामगारों की स्थिति में सुधार करने के लिए अपने अधिकार में लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा पिछले प्रबन्ध के उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए एक योजना तैयार की जा रही है। क्योंकि बकायों का भुगतान पिछले प्रबन्ध द्वारा किया जाना था, इसलिए सरकार द्वारा ब्याज का भुगतान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मिलों ने अभी परिचालन कार्य शुरू नहीं किया है।

(घ) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के राज्य 16/- रुपये प्रति क्विंटल अथवा उससे अधिक की दर से भुगतान कर रहे हैं। गोआ भी अधिक मूल्य दे रहा है लेकिन पांडिचेरी और नागालैण्ड ने केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए सांविधिक न्यूनतक मूल्य से अधिक मूल्य निर्धारित नहीं किए हैं। अन्य राज्यों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

कृषि क्षेत्र को दिये गए ऋण के बारे में अध्ययन

1963. **श्री आर०के० महालगी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की भिन्न-भिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा कृषि क्षेत्र को दिये गये ऋणों के बारे में हाल में कोई अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो (एक) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की और कितने ऋण बकाया हैं,

(दो) भूमि विकास बैंकों द्वारा दिये गये दीर्घावधि बकाया ऋण, (तीन) ऋणों की कितनी राशि वाणिज्यिक बैंकों को चुकाई जाती है और (चार) ग्रामीण बैंकों को कितनी बकाया राशि चुकाई जानी है ; और

(ग) इस मामले में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) विभिन्न सांस्थानिक निकायों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिये गये प्रत्यक्ष ऋणों तथा बकाया ऋणों के विषय में हर वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जानकारी प्रकाशित की जाती है। देश में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा कृषि क्षेत्र को दिये ऋणों के बारे में भारत सरकार ने हाल ही में कोई विशेष अध्ययन नहीं किया है।

विभिन्न सांस्थानिक निकायों द्वारा दिये गये कृषि ऋणों के बकायाजात के बारे में जानकारी नीचे दी गई है :—

(करोड़ रुपए)

ऋण देने वाली संस्थायें	बकाया राशि
1. प्राथमिक कृषि ऋण समितियां	1798 (30-6-78 को)
2. भूमि विकास बैंक	1276 (30-6-78 को)
3. वाणिज्यिक बैंक	490 (31-3-78 को अल्पावधि)
4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	167 (31-12-79 को)

(ग) बकाया ऋणों में वे चालू देयतायें भी शामिल हैं जो ऋण देते समय निश्चित तारीखों को वापिस होनी हैं। देयताओं की वसूलियों के बारे में राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार व संस्थाओं द्वारा स्वयं संवीक्षा होती है। वित्तीय संस्थाओं व राज्य सरकारों द्वारा वसूलियों के लिये अपनाये जाने के लिए अनेक कदम सुझाये गये हैं जिन में कसूरवारों पर दबाव डालना व उनके विरुद्ध कानूनी चारा जोई करना भी शामिल है।

बिड़ला प्रोद्योगिकी संस्थान मेसरा (रांची) के प्रबन्धकों के विरुद्ध आरोप

1964. **श्री रामाश्रवतार शास्त्री** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिड़ला प्राद्योगिकी, संस्थान मेसरा (रांची) के प्रबन्धकों से उक्त संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) का दर्जा दिये जाने का अनुरोध सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार की टीचर्स एसोशिएसन, वरकर्स यूनियन स्टूडेंट फोरम आफ द इन्स्टीट्यूट और फैडरेशन आफ यूनिवर्सिटी (सर्विस) टीचर्स तथा आल इन्डिया फैडरेशन आफ यूनिवर्सिटी एण्ड कालेज टीचर्स आर्गनाइजेशन्स से ऐसे पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें प्रबन्ध के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) और (ख) विगत पांच वर्षों

के दौरान बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा (रांची) को समझे जाने वाले विश्वविद्यालय का दर्जा देने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) केवल (I) अखिल भारतीय छात्र संघर्ष मोर्चा, बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा (रांची) और (II) बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान के अध्यापक संघ, मेसरा (रांची) से ही ऐसे पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें संस्थान के प्रबन्ध के विरुद्ध आरोप लगाए गए थे।

(घ) अखिल भारतीय छात्र संघर्ष मोर्चा ने यह आरोप लगाया था कि बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का समर्थक है और इसका दृष्टिकोण साम्प्रदायिक है। संस्थान के शैक्षिक प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में गड़बड़ी है।

बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान के अध्यापक संघ ने शैक्षिक स्वायत्तता के दुरुपयोग, दाखिलों, परीक्षाओं के आयोजन, अध्यापकों की नियुक्ति और पदोन्नति में अनियमितताओं तथा संस्थान के धन में कदाचार के आरोप लगाए थे।

(ङ) ये पत्र संस्थान को मामले की जांच और उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेज दिए गए हैं।

'काम के लिये अनाज' कार्यक्रम के अन्तर्गत निष्पादित योजनायें

1965. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में 'काम के लिये अनाज' कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी योजनायें निष्पादित की गई हैं, उन राज्यों के नाम क्या हैं, ऐसी कितनी योजनायें पूरी हो चुकी हैं और उन पर कितना खर्च आया है; और

(ख) क्या उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण कार्य में लगे बेरोजगार ग्रामीण लोगों को कोई उल्लेखनीय रोजगार नहीं मिला है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) विभिन्न राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों में 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' के अन्तर्गत निष्पादित निर्माण-कार्यों की संख्या तथा श्रेणी के बारे में विस्तृत ब्योरा इसके साथ संलग्न विवरणों में दर्शाया गया है। ये विवरण राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर तैयार किए गए हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 1484/80]**

(ख) कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्याप्त रोजगार सृजित हुआ है। प्रत्येक राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान सृजित कुल रोजगार को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा

1966. **श्री भोगेन्द्र झा**: क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश भर में माध्यमिक शिक्षा को निःशुल्क बनाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है और राज्यो में निःशुल्क शिक्षा और अध्यापकों को एक समान सुविधायें देना और उनके कर्तव्यों एवम् दायित्वों संबंधी राज्यवार, नवीनतम स्थिति क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : भारत के संविधान के अनुसार राज्य की यह जिम्मेदारी होती है कि वह सभी बच्चों को उनकी 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे जिसक अर्थ सामान्यतः यह होगा कि मिडिल स्तर तक की शिक्षा। तथापि, कुछ राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों ने माध्यमिक स्तर पर भी शिक्षा को निःशुल्क कर दिया है। माध्यमिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के संबंध में विभिन्न राज्यो/संघ शासित क्षेत्रों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

स्कूल शिक्षा मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। अतः शिक्षकों की सुविधाओं, कर्तव्यों और दायित्वों के मामले उन्हीं को नियमित करने होते हैं।

विवरण

राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में माध्यमिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा के संबंध में स्थित ।

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	उच्चतर माध्यमिक कक्षाएं VIII/IX-X	उच्च माध्यमिक कक्षाएं XI-XII	माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जातिय अनुसूचित जन-जातियों तथा कम आय वर्ग के लिए छूट
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	सब के लिए निःशुल्क	निःशुल्क नहीं	—
2.	असम	वही	वही	3600 रुपये तक की वार्षिक आय वाले अभिभावकों के बच्चों के लिए निःशुल्क
3.	बिहार	वही	वही	—
4.	गुजरात	वही	सबके लिए निःशुल्क	—
5.	हरियाणा	निःशुल्क नहीं	निःशुल्क नहीं	—
6.	हिमाचल प्रदेश	वही	वही	—
7.	जम्मू और कशमीर	सबके लिए निःशुल्क	सबके लिए निःशुल्क	—
8.	कर्नाटक	सबके लिए निःशुल्क	निःशुल्क नहीं	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा ।
9.	केरल	वही	वही	—
10.	मध्य प्रदेश	केवल लड़कियों के लिए निःशुल्क	केवल लड़कियों के लिए निशुल्क	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के छात्रों के लिए निःशुल्क ।

1	2	3	4	5
11.	महाराष्ट्र	निःशुल्क नहीं	निःशुल्क नहीं	4800 रु० की वार्षिक आय वाले अभिभावकों के बच्चों के लिए निःशुल्क।
12.	मणिपुर	केवल लड़कियों के लिए निःशुल्क	केवल लड़कियों के लिए निःशुल्क	अनुसूचित जाती तथा अनुसूचित जन-जाति के छात्रों के लिए निःशुल्क।
13.	मेघालय	निःशुल्क नहीं	निःशुल्क नहीं	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के छात्रों तथा उन छात्रों के लिए निःशुल्क जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 1800 रुपये है।
14.	नागालैंड	सबके लिए निःशुल्क	सबके लिए निःशुल्क	—
15.	उड़ीसा	केवल लड़कियों के लिए निःशुल्क	निःशुल्क नहीं	—
16.	पंजाब	निःशुल्क नहीं	निःशुल्क नहीं	उन लड़कियों के लिए निःशुल्क जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 3000 रु. तक है।
		*	*	*
17.	राजस्थान	केवल लड़कियों के लिए निःशुल्क	केवल लड़कियों के लिए निःशुल्क	उन लड़कियों के लिए निःशुल्क जिनके अभिभावक आयकर नहीं देते हैं तथा अनुसूचित जाति और अनुसुचित जन-जाति के छात्रों के लिए निःशुल्क।
18.	सिक्कम	केवल लड़कियों के लिए निःशुल्क	केवल लड़कियों के लिए निःशुल्क	—

1	2	3	4	5
19.	तमिलनाडु	सबके लिए नि:शुल्क	सबके लिए लिए नि:शुल्क	—
20.	त्रिपुरा	सबके लिए नि:शुल्क	सबके लिए नि:शुल्क	—
21.	उत्तर प्रदेश	केवल लड़कियों के लिए नि:शुल्क	नि:शुल्क नहीं	—
22.	पश्चिम बंगाल	सबके लिए नि:शुल्क	नि:शुल्क नहीं	—
23.	अरुणाचल प्रदेश	वही	सबके लिए नि:शुल्क	—
24.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	वही	सबके लिए नि:शुल्क	—
25.	चंडीगढ़	ग्रामीण क्षेत्र में नि:शुल्क	नि:शुल्क नहीं	—
26.	दादरा और नागर हवेली	सबके लिए नि:शुल्क	सबके लिए नि:शुल्क	—
27	दिल्ली	नि:शुल्क नहीं	नि:शुल्क नहीं	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए नि:शुल्क।
28.	गोवा, दमन और द्वीप	सबके लिए नि:शुल्क	वही	—
29.	लक्षद्वीप	वही	सबके लिए नि:शुल्क	—
30.	मिजोरम	सबके लिए व्यावहारिक रूप से नि:शुल्क	नि:शुल्क नहीं	—
31.	पांडिचेरी	सबके लिए नि:शुल्क	सबके लिए नि:शुल्क	—

नये दुग्ध संयंत्र

1967. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना के दौरान नये दुग्ध संयत्रों की स्थापना के कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) राज्य-वार कौन से स्थान चुने गये है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुर्नानर्माण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) छठी योजना (1980-85) के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के डेरी विकास कार्यक्रमों को अन्तिम रूप देने के लिए कार्यकारी दल योजना आयोग में विचार कर रहा है। अभी ब्यौरे को अन्तिम रूप दिया जाना है।

कृषि राज्य मंत्री के निजी स्टाफ द्वारा की गई मद्रास यात्रा की जांच

1968. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि राज्य मंत्री के पुत्र की शादी 22 सितम्बर, 1980 को मद्रास में हुई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि मंत्री के निजी स्टाफ के सभी सदस्य शादी में सम्मिलित होने के लिए हवाई जहाज से मद्रास गये थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि स्टाफ सदस्यों की विमान यात्रा को सरकारी यात्रा माना गया;

(घ) उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का इस मामले में एक जांच करने का विचार है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुर्नानर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री वीरेन्द्रसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) जी नहीं। कृषि मंत्रालय के राज्य मंत्री के कार्यालय में कार्य करने वाले 8 अधिकारियों में से सिर्फ 4 अधिकारियों ने सितम्बर, 1980 के दौरान हवाई जहाज से मद्रास का सरकारी दौरा किया। उनमें से दो अधिकारियों ने अर्जित अवकाश लिया, जिन्हें वापसी यात्रा के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जा रहा है।

(ङ) उपरोक्त (ख), (ग) तथा (घ) को दृष्टिगत रखते हुए, जांच करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कृषि सम्बन्धी भारत अमरीका उप-आयोग

1969. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि सम्बन्धी भारत-अमरीका उप-आयोग द्वारा गठित कृषि अनुसंधान और

शिक्षा से सम्बन्धित अध्ययन दल ने दोनों देशों के बीच भविष्य में सहयोग प्रयासों के मार्गदर्शन के लिए परस्पर हित के 12 विशिष्ट क्षेत्रों का पता लगाया था;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं पर काम के कब तक शुरु हो जाने की आशा है;

(घ) इन परियोजनाओं के लिए अमरीका द्वारा कितना ऋण अथवा सहायता प्रदान की जायेगी; और

(ङ) क्या किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) जी, हां। 23-25 सितम्बर, 1980 को नई दिल्ली में भारत-अमरीकी कृषि उप-आयोग द्वारा आयोजित अपने प्रथम सत्र में गठित कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा सम्बन्धी कार्यकारी दल की रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(ग) से (ङ) कोई औपचारिक करार नहीं किया गया है। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा सम्बन्धी कार्यकारी दल की रिपोर्ट, भारत-अमरीकी कृषि उप-आयोग [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1485/80] की रिपोर्ट (प्रथम सत्र) का अंग है। इस रिपोर्ट को आर्थिक, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकीय, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक सहयोग से सम्बन्धित भारत-अमरीकी संयुक्त आयोग द्वारा अपने आगामी सत्र में मंजूर किया जाना है। उसके बाद ही इसे क्रियान्वयन के लिए हाथ में लिया जा सकता है। इस बीच अमरीकी वैज्ञानिकों के एक दल के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के परामर्श से सहयोगी संस्थाओं/वैज्ञानिकों के बारे में पता लगाने के लिए शीघ्र भारत आने की आशा है। अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए कुल 200 लाख अमरीकी डालर के अनुदान का अनन्तिम प्रस्ताव किया गया है ताकि कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा सम्बन्धी कार्यकारी दल के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यकलापों के लिए वित्तीय व्यवस्था की जा सके।

अरहर के नये बीज

1970. **श्री वी० वी० देसाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित शीघ्र पकने वाली और अत्याधिक उपज देने वाली "अरहर" कि किस्मों के एक समूह से भारत में दालों के उत्पादन में वृद्धि करने में प्रौद्योगिकी की दृष्टि से बहुत सफलता मिल सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में दालों का उत्पादन प्रति वर्ष 120 लाख टन पर ही बना रहता है;

(ग) यदि हां, तो वैज्ञानिकों द्वारा की गई इस नवीनतम बीज का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे उत्पादन में किस सीमा तक वृद्धि हो जाएगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन : (क) जी हां, श्रीमान। हाल ही में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने कई अधिक उपज देने वाली तथा

शीघ्र पकने वाली (120-150 दिनों में) अरहर की किस्मों जो कि इस समय परीक्षण के लिए विभिन्न अवस्थाओं में पड़ी है, विकसित की है। अरहर की कम अवधि वाली किस्मों के विकास से दुफसली पद्धति से, विशेषकर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अरहर गेहूं फसल चक्र अपनाकर इस फसल के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए नये मार्ग प्रशस्त हुए हैं। अरहर की शीघ्र पकने वाली किस्मों में मोटे दाने विशेषता रखने वाली किस्म अपनाकर असाधारण उपलब्धि भी हुई है।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) कार्यक्रम के आरम्भ में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा तीन अधिक उपज देने वाली किस्में यानी पूसा अगेती, शारदा तथा मुक्ता विकसित की गई थीं। वर्ष 1978 में, मध्य क्षेत्र में बोने के लिए दाल कार्यशाला द्वारा डी एल 74-1 किस्म की सिफारिश की गई थी। इस वर्ष खरीफ की कार्यशालाओं में 4-84 तथा 4-64 किस्में आशाजनक पायी गई तथा उनकी किसानों के खेतों में परीक्षण के लिए सिफारिश की गयी।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा अरहर की विकसित की गई नई किस्मों ने पानी तथा उर्वरक के सामान्य स्तर पर प्रयोग के द्वारा करीब 25 क्विंटल प्रति हैक्टर उपज क्षमता दिखाई है।

दालों, सोयाबीन के अधिक और अल्पकालीन उत्पादन वाले नये बीज

1971. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और देश के अन्य वैज्ञानिकों ने दालों, सोयाबीन सहित अन्य फलियों तथा अन्य प्रोटीन युक्त खाद्यान्नों और तिलहनों के ऐसे जो अधिक उत्पादन दें तथा कम समय में तैयार हो जायें नये बीज विकसित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अधिक मात्रा में इनके उत्पादन के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) दालों, सोयाबीन और खाद्य तिलहनों की अनेक अधिक उपज देने वाली तथा कम अवधि में पकने वाली किस्में विकसित की गयी हैं। दालों में कम अवधि में पकने वाली अनेक किस्मों का विकास किया जा चुका है, जैसे कि मूंग की पूसा बैसाखी, पी एस-16; किस्में उड़द की टी-9 और पी०एस०-2 किस्में; लोबिया की सी-152 किस्म; अरहर की अगेती, प्रभाती, यू०पी० ए०एस०-120, डी०एल०-74 किस्में और मटर की आर०सी० 3 866 और हंस किस्में खेसारी की अन्नीगेरी किस्म। ऐसी कम अवधि में पकने वाली किस्मों की उपलब्धता के कारण गर्मियों की मूंग, अरहर-गेहूं फसल-चक्र और अरहर की मूंग या लोबिया के साथ खेती करना संभव बना दिया है। सोयाबीन की ब्राग, पंजाब-2, क्लार्क-63 और ली जैसी किस्में देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए उपयुक्त पायी गयी हैं। खाद्य तेलों के अन्य बीजों में अनेक सुधरी हुई किस्में विकसित की गयी हैं। मूंगफली के मामले में टी०एम०वी०-10 एम० 13 और जे० 113 का उल्लेख किया

जा सकता है। सूरजमुखी में अधिक तेल युक्त किस्म 116-4-2 विकसित की गयी है। खाद्य तिलहनों में, तारामिरा की टी-27, तोरिया की संगम और राया की प्रकाश किस्म भी विकसित किस्में हैं।

(ग) इन सुधरी हुई और अगेती पकने वाली किस्मों के बीजों का संवर्धन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय बीज निगम और राष्ट्रीय बीज प्रयोजना के अधीन राज्य बीज निगमों द्वारा किया जा रहा है। शुष्क और सिंचित क्षेत्रों में वर्तमान उत्पादन प्रोद्योगिकी को किसानों में लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से हाल ही में (1979-80) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा "दालों और तिलहनों में अनुसंधान और प्रशिक्षण का संघनीकरण" नाम की एक प्रायोजना शुरू की गयी है। उपयुक्त उत्पादन प्रोद्योगिकी सहित अधिक उपज देने वाली किस्मों को लोकप्रिय बनाकर तथा गहन फसली प्रणाली में दालों और तिलहनों की खेती चालू करके दालों और तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

आनन्द डेरी में विदेशी छात्रों को प्रशिक्षण

1972. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आनन्द डेरी डेवेलपमेंट में अन्य देशों के छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है; और

(ख) क्या अन्य देश अपने डेरी उद्योग के विकास के लिए कानून के बारे में एन०डी०डी० बी० की सलाह लेते हुए उससे संपर्क कर रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड शैक्षणिक पाठयक्रमों की व्यवस्था नहीं करता है, लेकिन वह ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करता है, जो भागीदारों को आनन्द डेरी की पद्धति के आधार पर डेरी विकास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

(ख) कुछ देशों ने अपने डेरी उद्योग के विकास के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड से सलाह मांगी है।

खाद्यान्न और चीनी के रक्षित भंडार

1973. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार 200 लाख टन खाद्यान्न का रक्षित भण्डार बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) क्या सरकार चीनी का रक्षित भण्डार बनाने पर विचार कर रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) : (क) सरकार बफर स्टाक के 120 लाख मीटरी टन के वर्तमान स्तर को बढ़ाकर 150 लाख मीटरी टन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। यह परिचालन स्टाक के अतिरिक्त होगा, जोकि वर्ष की विभिन्न तारीखों को 35 से 80 लाख मीटरी टन के रेंज के बीच होगा।

(ख) वर्ष 1978-79 से चीनी के उत्पादन में बराबर कमी हुई है। 1977-78 में 64.62 लाख मीटरी टन और 1978-79 में 58.44 लाख मीटरी टन के कुल उत्पादन की तुलना में 1979-80 मौसम के दौरान उत्पादन केवल लगभग 3० लाख मीटरी टन हुआ है। अतः वर्तमान स्थिति में चीनी का बफर स्टाक बनाने के प्रश्न पर विचार करने का यह सही मौका नही है। तथापि, जब कभी बफर स्टाक बनाने की नीति अपनाने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होंगी तब भविष्य में किसी समय इस नीति की समीक्षा की जा सकती है।

खंडसारी की किस्म और उत्पादन के बारे में अनुसंधान

1974. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खंडसारी के उत्पादन और किस्म में सुधार करने के लिए अनुसंधान किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो नवीनतम अनुसंधान के क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) अनुसंधान एक निरन्तर प्रक्रिया है और खण्डसारी की किस्म और पैदावार में सुधार करने विषयक राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर द्वारा किए गए अनुसंधानों के परिणाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(1) लकड़ी से बने पुराने किस्म के क्रशरों को बदलने के लिए 3 रोलर स्टील क्रशरों (नान हाइड्रालिक) का डिजाइन।

(2) नाइव्ज और गन्ना कैरियर के 2 सैटों के साथ 6 रोलर हाइड्रालिकली लोडेड क्रशरों के डिजाइन, जिनसे पिराई की मात्रा में सुधार हुआ है और चीनी 80 से 82 प्रतिशत निकाली जा सकती है तथा 65 से 68 प्रतिशत रस निकाला जा सकता है।

(3) पुरानी परम्परागत खांची प्रणाली जिसका पहले मदर लिकर से क्रिस्टल चीनी अलग करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, के स्थान पर राब का परिष्करण (मासीक्यूट्स) के लिए सेन्ट्रीफ्यूगल मशीन तैयार की गई है,

(4) ओपन पान खण्डसारी चीनी फैक्ट्रियों में अपनाने हेतु उन्नत सल्फीटेशन प्रक्रिया का विकास इस प्रक्रिया को शुरू करने से हानियों में कमी हुई है और चीनी की किस्म में सुधार हुआ है और इसकी निर्वात पात्र चीनी के साथ अनुकूल रूप से तुलना की जा सकती है।

(5) उपकरणों अर्थात् सल्फीटेशन टैंकों, स्क्रबर के साथ सल्फर बर्नरज, सैटलिंग टैंकों, बैग फिल्टरज, क्रिस्टेलाइजरज, शक्ति चालित सैन्ट्रीफ्यूगलज आदि के लिए उपयुक्त डिजाइन बनाये गए थे।

(6) भट्टियों और वायलिंग बेल्स के डिजाइनों में कई एक सुधार किए गए हैं।

(7) जहां आर्द्र/अर्द्ध आर्द्र खोई का इस्तेमाल किया जा सकता है वहां आर्द्र खोई की भट्टियों के लिए एक डिजाइन का विकास किया गया है। इस भट्टी से न केवल ईंधन और श्रम-

लागत की बचत होती है बल्कि इसे वर्षा ऋतु में पिराई कार्य के लिए भी निरन्तर इस्तेमाल किया जा सकता है।

(8) बैग फिल्टर के स्थान पर गदले रस का फिल्टर करने के लिए फिल्टर प्रेस का निर्माण किया गया है। इससे प्रेसमड में हानियों की कमी हुई है।

(9) राब की बायलिंग करने की कार्य क्षमता और उसकी उत्पादन दर में सुधार करने के लिए गट्टर पात्रों को बदलने के लिए चैनल किस्म के पात्रों का डिजाइन तैयार किया गया है।

(10) खण्डसारी चीनी फैक्ट्रियों द्वारा मोटे दाने की चीनी का उत्पादन करने के लिए तकनीक को लागू करना।

(1) चीनी को सुखाने के लिए हापर किस्म के ड्रायरज तैयार किए गए।

नोएडा द्वारा फ्लैटों का आबंटन

1975. **श्री भीखा भाई** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा कम आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के लोगों में फ्लैटों के लिए क्रमशः कितने कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) कम आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग श्रेणियों के अन्तर्गत फ्लैटों के आबंटन हेतु कितनी बार ड्रा निकाले गये और इन दोनों वर्गों के अधीन क्रमशः कितने आवेदनों पर फ्लैट आबंटन कर दिये गये;

(ग) कम आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग फ्लैट योजना सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या "नोएडा" का विचार इन वर्गों के अधीन पंजीकृत सभी आवेदनों को फ्लैट आबंटित करने का है, और

(ङ) क्या नोएडा का विचार निकट भविष्य में भी इन योजनाओं को पुनः चालू रखने का है?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ङ) यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। उस सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दालों का प्रति एकड़ उत्पादन और कुल उत्पादन

1976. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1968-69 से 1979-80 के दौरान प्रति वर्ष दालों का कुल कितना उत्पादन हुआ और प्रति एकड़ उत्पादन क्या था;

(ख) 1968 से 1980 तक देश में दालों की वर्ष-वार प्रति व्यक्ति उपलब्धता क्या थी;

(ग) दालों के उत्पादन में वृद्धि अथवा गिरावट के क्या कारण हैं; और

(घ) दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए यदि कोई कदम उठाये गये अथवा उठाये जा रहे हैं, तो वे क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) भारत में 1968-69 से 1979-80 तक दाल की फसलों के उत्पादन और प्रति हैक्टार पैदावार के अनुमान से सम्बंधित विवरण संलग्न है।

(ख) देश में 1968 से 1979 तक प्रति-दिन प्रति-व्यक्ति दालों की उपलब्धि निम्न प्रकार रही :—

वर्ष	ग्राम प्रति दिन
1968	56.1
1969	47.3
1970	51.9
1971	51.2
1972	47.0
1973	41.1
1974	40.9
1975	40.0
1976	50.8
1977	43.6
1978	45.2
1979	44.9

1980 के लिए इसी प्रकार की सूचना अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है।

(ग) दालों के उत्पादन में उतार-चढ़ाव के निम्नलिखित कारण हैं :—

(1) दालों के उत्पादन में हर वर्ष बहुत अधिक अस्थिरता बनी रहती है क्योंकि इन्हें मुख्यतः वर्षा से सिंचित परिस्थितियों में अधिकतर सीमान्त और उप-सीमान्त भूमि में बोया जाता हैं और दलहनों के अन्तर्गत बहुत कम अर्थात् 8 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र ही आता है।

(2) दालें अनेक कीड़ों, कृमिनाशियों और रोगों के प्रकोप से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती है जैसे चने और अरहर में पोड बोरर और मुरझान रोग तथा उड़द और मूंग में मोजेक रोग चना और अरहर, दोनों पाले से भी बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती है।

(3) दालें ऊर्जा सम्पन्न फसले होती है किन्तु इनकी खेती अधिकांशतः ऊर्जा रहित परिस्थितियों में की जाती है। किसान दालों में आम तौर से रसायनिक उर्वरकों अथवा कार्बनिक खादों का इस्तेमाल नहीं करते और न ही वनस्पति रक्षण उपायों को अपनाते हैं। क्योंकि दालों का उत्पादन कम होता है। दालों की उपलब्ध किस्मों पर उर्वरकों के इस्तेमाल का भी उतना अनुकूल असर नहीं पड़ता जितना कि अन्य जिन्सों पर पड़ता है।

(घ) दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) एक केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 56 जिलों में दालों के विकास के लिए एक

गहन कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत दलहन की फसल के देश के प्रमुख क्षेत्र आ जाते हैं। अन्य बातों के अलावा इस योजना का उद्देश्य किसानों के खेतों में प्रदर्शनों की व्यवस्था करना, किसानों और विस्तार कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना; रिजोवियम की खेती करना, और बीज उत्पादन कार्यक्रमों को सशक्त बनाना है।

(2) इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें भी अपने संसाधनों से दलहन के विकास कार्यक्रम चला रही है, और

(3) उत्तरी राज्यों में गेहूं की कटाई के बाद ग्रीष्म मूंग उगाने और दक्षिणी राज्यों की धान की परती भूमि में ग्रीष्म मूंग की काश्त की नयी प्रणाली को लोकप्रिय बनाने हेतु एक अभियान चलाया जा रहा है।

विवरण

दालों के उत्पादन और उपज के अनुमान

उत्पादन : हजार मीटरी टनों में
उपज : किलोग्राम प्रति हैक्टार

वर्ष	चना		तुर		अन्य दालें	
	उत्पादन	उपज	उत्पादन	उपज	उत्पादन	उपज
1	2	3	4	5	6	7
1968-69	4309	607	1816	718	4293	369
1969-70	5546	715	1842	690	4303	371
1970-71	5199	663	1883	709	4736	393
1971-72	5081	642	1683	718	4330	364
1972-73	4537	651	1928	795	3442	299
1973-74	4099	528	1409	532	4500	346
1974-75	4015	570	1834	725	4165	334
1975-76	5879	707	2099	786	5061	376
1976-77	5424	680	1725	672	4212	338
1977-78	5410	678	1930	735	4633	359
1978-79	5739	745	1887	716	4557	342
1979-80	3280	480	1739	652	3353	274

सरकार द्वारा प्राप्त भूमि पर कब्जा

1977. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 और 1980-81 (अक्तूबर, 1980 तक) के बीच सरकार ने राज्यवार, कितनी कितनी प्राप्त भूमि (एकड़ में) को अपने कब्जे में ले लिया है ;

(ख) वर्ष 1977-78 और 1980-81 (अक्तूबर, 1980 तक) के बीच भूमिहीन किसानों और कृषि-श्रमिकों में राज्यवार, कितने-कितने एकड़ प्राप्त भूमि वितरित की गई है ;

(ग) क्या प्राप्त भूमि के वितरण की प्रगति बहुत धीमी है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन से कारण जिम्मेदार हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) भारत सरकार संशोधित अधिकतम सीमा कानूनों के अन्तर्गत राज्य निहित अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण में हुई प्रगति की पुनरीक्षा करती है। उपलब्ध सूचना बताने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) व (घ) संशोधित अधिकतम सीमा कानूनों के अन्तर्गत कब्जे में लिया गया कुल क्षेत्र (लगभग 24.88 लाख एकड़) वितरित क्षेत्र (लगभग 17.29 लाख एकड़) से बहुत अधिक है। प्रगति एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न है लेकिन सामान्यत: वितरण की गति अधिक तेज हो सकती थी परन्तु इनकी वजह से तेज नहीं हो सकी (क) अदालतों द्वारा जारी किए गए स्थगन आदेश (ख) उन क्षेत्रों जहां जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक नहीं है, में कम उपजाऊ वाली भूमि के आबटन में कठिनाई (ग) पर्याप्त रू में राजस्व मशीनरी का न होना।

विवरण

संशोधित अधिकतम सीमा कानूनों के अधीन 1977-78 तथा 1980-81 के बीच सरकार द्वारा कब्जे में ली गई तथा वितरित की गई फालतू भूमि।

(आंकडे एकड़ो में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	कब्जे में लिया गया क्षेत्र	वितरित क्षेत्र	तारीख जहां तक सूचना उपलब्ध है
(1)	(2)	(3)	(4)
1. आन्ध्र प्रदेश	2,07,576	1,74,866	30-6-1980
2. असम* 1	—	60,186	31-7-1980
3. बिहार	22,882	22,882	31-8-1980
4. गुजरात	16,520	3,436	30-9-1980
5. हरियाणा	14,525	9,313	31-7-1980

*1. 1-4-1977 से पूर्व 5,01,521 एकड़ क्षेत्र कब्जे में लिया गया था और 2,52,615 एकड़ भूमि को वितरित किया गया था।

1	2	3	4
6. हिमाचल प्रदेश	16,744	632	30-6-1980
7. जम्मू तथा काश्मीर	—	—	—
8. कर्नाटक	21,902	17,789	31-8-1980
9. केरल	18,541	18,488	31-8-1980
10. मध्य प्रदेश	40,147	51,007	31-8-1980
11. महाराष्ट्र	32,401	32,401	31-7-1980
12. मणिपुर	शून्य	शून्य	31-7-1980
13. उड़ीसा	13,934	11,591	31-8-1980
14. पंजाब	3,296	964	31-8-1980
15. राजस्थान*2	—	16,862	31-7-1980
16. तमिलनाडु	29,691	9,738	30-9-1980
17. त्रिपुरा	844	918	30-6-1980
18. उत्तर प्रदेश	60,804	1,01,249	31-7-1980
19. पश्चिम बंगाल*3	31,626	13,263	30-6-1980
20. दादर तथा नगर हवेली	2,299	2,013	30-9-1980
21. दिल्ली	188	शून्य	31-5-1980
22. पांडीचेरी	281	253	31-7-1980
योग	5,44,201	5,47,851	

*2. 1-4-1977 से पूर्व 2,20,517 एकड़ क्षेत्र कब्जे में लिया गया था और 1,04,803 एकड़ भूमि को वितरित किया गया था।

*3. पश्चिम बंगाल संपदा अधिग्रहण अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत निहित भूमि शामिल नहीं है।

दिल्ली में पब्लिक और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेना

1978. **श्री चित महाटा :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली और नई दिल्ली के पब्लिक स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्योरा क्या है और नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) और (ख) जी नहीं; एक सामान्य नीति के तौर पर नहीं । फिर भी, यदि कोई विशेष स्कूल, अल्प संख्यकों का स्कूल न होते हुए, दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973 की धारा 20 के उपबन्धों की ओर ध्यान आकृष्ट करता है तो दिल्ली प्रशासन द्वारा ऐसे मामले पर विचार किया जा सकता है ।

उड़ीसा में हुडको टाइप मकान

1979. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष वार, मकानों के निर्माण के लिए "हुडको" द्वारा किसी योजना को मंजूरी और वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री निर्माण और अवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा उड़ीसा राज्य के विभिन्न आवास अभिकरणों की वर्षवार योजनाओं की संख्या, रिहायशी वासों की संख्या तथा स्वीकृत ऋण इस प्रकार है :—

	1977-78	1978-79	1979-80
स्वीकृत योजनाओं की संख्या	4	13	5
स्वीकृत ऋण (करोड़ रु० में)	1.47	8.05	2.01
स्वीकृत आवासों की संख्या	1385	5224	221

उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधायें

1980. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं का विकास करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष में वहां कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र अथवा आर० के० एक्स स्थापित करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां ।

(ख) 54 सार्वजनिक टेलीफोन घर और 4 टेलीफोन एक्सचेंज ।

विदेशों में अध्ययन कर रहे छात्रों को छात्रवृत्तियां

1981. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान, विदेशों में अध्ययन कर रहे कितने छात्रों को छात्र वृत्तियां दी गई ; और

(ख) उक्त छात्रवृत्तियां देने के लिए क्या मानदण्ड रखे गए हैं और तत्संबन्धी प्रक्रिया क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) 162 छात्र ।

(ख) सभी छात्रवृत्तियां/अधिछात्रवृत्तियाँ विज्ञापन और प्रचार निदेशालय के माध्यम से रोजगार समाचार सहित देश के प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापित की जाती है । सभी विश्व-विद्यालयों, राज्य सरकारों आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है ।

स्नातकोत्तर स्तर पर 60 और इससे अधिक प्रतिशत अंक वाले उम्मीदवार, जिनके पास, इस योग्यता के बाद सतत् दो वर्षों का शिक्षण/अनुसंधान व्यवहारिक अनुभव होता है, सामान्यत: 35 वर्ष की आयु तक डाक्टरल स्तरीय अध्ययन के लिए आवेदन करने के पात्र होते हैं । अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु में और दो वर्ष तक की छूट दी जाती है । कुछ योजनाओं के अन्तर्गत डाक्टरोत्तर अध्ययन के अवसर भी विद्यमान है ।

चयन अखिल भारतीय स्तर पर योग्यता के आधार पर, ऐसी चयन समितियों द्वारा किया जाता है जिनका विधिवत् गठन इस प्रयोजन के लिए ही किया जाता है तथा जिनमें सम्बद्ध विषय-क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं । चयन करते समय समिति उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यताओं, अनुसंधान-कार्य, बुद्धिमत्ता और साक्षात्कार के सामान्य निष्पादन और पेशकश करने वाले देश में अध्ययन/अनुसंधान के लिए उपलब्ध सुविधाओं को भी ध्यान में रखती है । इन सब बातों के समान होने पर, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है ।

शहरी भूमि अधिकतम् सीमा अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त की गई भूमि

1982. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों द्वारा शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत राज्यवार तथा शहर-वार कितनी कितनी भूमि अपने अधिकार में ली गई है और यह भूमि इस समय किसके अधिकार में है;

(ख) यह कानून अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल क्यों रहा है; और

(ग) क्या सरकार का एक नया शहरी भूमि अधिकतम सीमा कानून बनाने का विचार है और उस कानून के अन्तर्गत कितनी भूमि उपलब्ध हो सकेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 25 नवम्बर, 1980 तक विभिन्न राज्यों द्वारा अर्जित रिक्त भूमि का क्षेत्र जैसा कि भारत सरकार को बताया गया है, इस प्रकार है :—

(1) आध्र प्रदेश	94.12 हैक्टेयर
(2) बिहार	0.21 ,,

(3) गुजरात	20.85 हैक्टेयर
(4) कर्नाटक	185.53 ,,
(5) मध्य प्रदेश	182.52 ,,
(6) महाराष्ट्र	1103.00 ,,
(7) राजस्थान	10.44 ,,
(8) उत्तर प्रदेश	240.79 ,,
(9) पश्चिम बंगाल	44.66 ,,

नगरवार अर्जित भूमि की सीमा तथा उनके उपयोग के बारे में सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) यद्यपि इस अधिनियम का कार्यान्वयन कई कारणों से धीमा रहा है जिसमें भू-स्वामियों की मुकदमेबाजी भी शामिल है, इसलिए इसका निष्कर्ष यह नहीं निकाला जा सकता कि यह अधिनियम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल हो गया है । भूमि कानून सामान्यतया जटिल होते हैं और इस कारण इसके परिणामों के आने में कुछ समय लगता है ।

(ग) नगर भूमि अधिकतम सीमा पर नया कानून बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

धान और चावल की क्रय नीति

1983. **श्री हीरा लाल आर परमार :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने धान और चावल के क्रय की वर्तमान नीति में कुछ परिवर्तन किए हैं जिसके अनुसार है जिसके अनुसार सरकार चावल मिलों की कुटाई के लिए धान की पूर्ति करेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के परिवर्तन का आधार क्या है और सरकार को होने वाले सम्भावित लाभ, इस संबंध में पूर्ण विवरण सहित, क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) धान और चावल की वसूली नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । पहले की भांति, स्वैच्छिक पेशकश के आधार पर मूल्य समर्थन उपाय के रूप में धान की वसूली किसानों से बराबर सीधी की जा रही है, जबकि कुछेक राज्य सरकारों द्वारा लगायी गई अनिवार्य लेवी के माध्यम से चावल के मिल मालिकों/व्यापारियों से चावल की वसूली की जाती है । मूल्य समर्थन योजना के अधीन मिलिंग प्रभारों का भुगतान कर चावल मिलों द्वारा वसूली की गई धान से चावल बनाया जाता है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

1984. **श्री पी० जे० कुरियन :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, क्या सरकार देश के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने के बारे में कदम उठायेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा एक संकल्प के जरिए 1·68 में की गई थी ।

केन्द्रीय भण्डारागार निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार

1985. **श्री जगपाल सिंह :**

श्री राम विलास पासवान :

श्री कुम्मा राम आर्य :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 अक्तूबर, 1980 के "हिन्दुस्तान" में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें केन्द्रीय भण्डारण निगम में भ्रष्टाचार पर प्रकाश डाला गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने निगम के कार्यक्रम की कोई जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम है ; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) इस मामले की जांच की जा रही है ।

इण्डियन पीपल्स थियेटर एसोशिएशन को अनुदान

1986. **श्री के० ए० राजन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन पीपल्स थियेटर एशोसिएशन (आई पी टी ए) बम्बई ने अनुदानों के लिए सांस्कृतिक कार्य विभाग अथवा संगीत नाटक अकादमी से कोई अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह अनुरोध कब किया गया था और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान संस्कृति विभाग तथा संगीत नाटक अकादमी को इंडियन पीपल्स थियेटर एसोशिएसन, बम्बई से वित्तीय सहायता के लिए कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

बेलगांव मिल द्वारा चीनी की बिक्री

1987. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेलगांव के एक चीनी मिल ने सरकारी आदेशों का उल्लंघन करके 31,000 बोरे चीनी 4·50 रु० प्रति कि० ग्रा० के बजाय 11·30 रु० प्रति कि० ग्रा० के भाव पर बेची है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त चीनी मिल के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है और भविष्य में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय चीनी मिल्स एसोसिएशन और राष्ट्रीय चीनी कारखाना सहकारी संघ की इस स्वैच्छिक पेशकश कि उनकी सदस्य फैक्ट्रियां पहली सितम्बर से 15 नवम्बर, 1980 तक के 2½ महीनों की त्यौहारों की अवधि के लिए 450 रुपये प्रति क्विंटल, जिसमें उत्पादन शुल्क शामिल नहीं है, पर मुक्त बिक्री की चीनी बेचेंगी, को स्वीकार करने के फलस्वरूप तदनुसार फैक्ट्रियों द्वारा उपर्युक्त सहमत मूल्य पर उक्त अवधि के दौरान चीनी बेचने हेतु मुक्त बिक्री की चीनी निर्मुक्त की गई थी। बताया जाता है कि कर्नाटक के बेलगांव जिले में स्थित 6 चीनी फैक्ट्रियों में से एक फैक्ट्री अर्थात् हिराण्याकेशी सहकारी सक्कर कारखाना नियमित, सकेश्वर, जिला बेलगांव से संबंधित दो गन्ना उत्पादक सदस्यों ने उपर्युक्त स्वैच्छिक करार के विरुद्ध कर्नाटक उच्च न्यायालय से अन्तरिम आदेश प्राप्त कर लिए हैं। इस फैक्ट्री द्वारा दी गई सूचनानुसार, अक्तूबर मास की अवधि के दौरान उन्होंने 15,919 क्विंटल मुक्त बिक्री की चीनी 1,029.37 रुपये प्रति क्विंटल के औसत मूल्य पर बेची थी।

(ख) हालांकि उक्त मामला कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अन्ततः खारिज कर दिया था, लेकिन करार/योजना, जोकि, 15-11-1980 को समाप्त हो चुकी है, के स्वच्छिक स्वरूप की होने और उच्च न्यायालय द्वारा पहले पारित किए गए अन्तरिम आदेशों की दृष्टि में किसी सांविधिक उपबन्ध से उल्लंघन की अनुपस्थिति में उक्त फैक्ट्री के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई करना सम्भव नहीं है।

हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण नगरों का दिल्ली से जोड़ा जाना

1988. **श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के उन कस्बों के नाम क्या हैं जिनको सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की प्रणाली द्वारा शिमला और दिल्ली के साथ जोड़ा जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार दुरुह पर्वतीय क्षेत्रों के प्रत्येक गांव में डाकघर खोलने का है और यदि हां तो कब तक;

(ग) टेलीफोन एक्चेन्ज भवनों और डाकघर भवनों के किराये के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यवार, कितनी धनराशि दी जा रही है; और

(घ) क्या सरकार प्रत्येक राज्य में टेलीफोन एक्सचेंज और डाकघर के लिए स्वयं अपने भवन बनाने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि दी गई है और उसमें से सीमावर्ती राज्यों के लिए कितनी धनराशि रखी गई है।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) छठी योजना अवधि 1980-85 के दौरान मंडी, परवानू और धर्मशाला से शिमला तथा धर्मशाला से दिल्ली को एस०टी०डी० प्रदान करने की योजना है।

(ख) जी नहीं। दुरुह पर्वतीय क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम जनसंख्या, दूरी और आय की शर्तों के आधार पर निर्धारित विभागीय मानदण्डों के अनुसार डाकघर खोले जाते हैं।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) डाकघरों के सम्बन्ध में सभी 16 डाक सर्किलों में उत्तरोत्तर रूप से विभागीय भवनों का निर्माण किया जा रहा है। 1980-81 के दौरान, डाकघरों के भवन निर्माण हेतु 3.54 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं, जिसमें से 83.56 लाख रुपये उन 4 डाक सर्किलों के लिए पृथक तौर पर रखे गए हैं जो जम्मू और कश्मीर, पंजाब, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के सीमावर्ती राज्यों की डाक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

टेलीफोन एक्सचेंजों के सम्बन्ध में, सीमित पूंजीगत साधनों को मद्देनजर रखते हुए, यह नीति अपनाई जाती है कि जहां तक संभव हो टेलीफोन एक्सचेंजों को किराये के आवास में ही रखा जाए। यद्यपि, बड़े स्वचल एक्सचेंजों, जिनके लिए विशेष रूप से योजित भवनों की आवश्यकता होती है, के लिए सामान्य रूप से विभागीय भवनों का निर्माण किया जाता है।

अन्य मामलों में विभागीय भवनों का निर्माण केवल उस समय किया जाता है जब किराये का उपर्युक्त आवास उपलब्ध नहीं होता।

छठी योजना अवधि 1980-85 के दौरान, टेलीफोन एक्सचेंज भवनों के निर्माण हेतु 105 करोड़ रुपये का आबंटन करने का प्रस्ताव है जिसमें से लगभग 16 करोड़ रुपये जम्मू एवं कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती राज्यों हेतु आबंटित करने का प्रस्तावा है।

कानपुर में सड़े हुए गेहूं की पूर्ति

1989. **श्री एम०रामगोपाल रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 अगस्त, 1980 के "नेशनल हैरल्ड" में "एम०सी०आई० सप्लाईज राशन व्हीट इन कानपुर" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) जी हां। इस मामले की भारतीय खाद्य निगम के प्राधिकारियों और राज्य सरकार दोनों द्वारा जाँच की गई थी। यह पाया गया था कि कानपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अथवा काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए कोई क्षतिग्रस्त स्टाक जारी नहीं किए गए थे।

राज्य सरकार ने एक प्रेस विज्ञापित जारी की थी जिसमें इस सम्बन्ध में की गई जांच के आधार पर इस समाचार को "गलत" बताया था।

"सैनिक समाचार" का मुद्रण

1990. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा समाचार पत्रिका "सैनिक समाचार" जिसका दस भाषाओं में साप्ताहिक

प्रकाशन किया जा रहा है, का मुद्रण भारत सरकार के मुद्रणालय से नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुद्रण कार्य को गैर-सरकारी प्रेस को दिए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) इस "सैनिक समाचार" पत्र का मुद्रण गैर सरकारी प्रेस द्वारा किए जाने के लिए इसका ठेका दिए जाने की क्या अपेक्षाएं हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या वर्तमान समय में जो प्रेस इसका मुद्रण कर रहा है वह पूर्ण साधनों से युक्त है और विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार वांछित अपेक्षाओं तथा सुविधाओं को पूरा करने में समर्थ है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। भारत सरकार के मुद्रणालयों में सभी दस भाषाओं में मुद्रण सुविधा उपलब्ध न होने तथा अति व्यस्तता को देखते हुए इस कार्य को गैर सकारी प्रेसों से करना पड़ता है।

(ग) इस ठेके में यह अपेक्षित है कि गैर सरकारी प्रेस को मुद्रण निदेशालय द्वारा बनाई गयी नामसूची में पंजीकृत श्रेणी का "मुद्रणालय" होना चाहिए तथा उसमें सभी दस भाषाओं में और ब्लाक बनाने के लिए लैटर प्रेस/आफसेट प्रक्रिया की सुविधाएं होनी चाहिए।

(घ) यह वर्तमान प्रेस, कार्य की सभी अपेक्षितताओं को पूरा करने के लिए यद्यपि पूर्णतया सज्जित नहीं है, उसको यह कार्य लोकहित में दिया गया है, क्योंकि इस फर्म ने सबसे कम दर दी थी और इसने सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने को सुसज्जित करने का वचन भी दिया है। इस ठेके को देने का मुख्य कारण यह था कि कि इसके तथा इससे दूसरे कम बोली देने वाले के मध्य प्रत्येक संस्करण में 44,556.00 रुपये का अन्तर था। इस ठेके में ठेके की शर्तों को पूरा न करने के लिए दण्ड की धारा भी शामिल है।

कार रैली द्वारा रेडियो सुविधाओं का दुरुपयोग (कार रैली मिसयूज्ड रेडियो फैसिलिटीज) शीर्षक समाचार

†1991. **श्री एस०एम० कृष्ण** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 5 नवम्बर, 1980 के 'इन्डियन एक्सप्रैस', नई दिल्ली में "कार रैली द्वारा रेडियो सुविधाओं का दुरुपयोग" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हाँ।

(ख) रेडियो अमेच्योर (प्रेयानुशीली) को हिमालय कार रैली के लिए संचार सुविधाएं सुलभ करने के उद्देश्य से आवश्यक अनुमति देकर किसी राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय नियम को अनदेशी नहीं की गई है। इस अनुमति के दुरुपयोग की जानकारी सरकार को नहीं है। इसके विपरीत कार रैली को सफलता के साथ पूरा करने में रेडियो अमेच्यौर (प्रेयानुशीली) संचार तंत्र ने जो सहायता दी है, वह बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है।

कन्या माइनर का निर्माण

1992. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नहर पूरी तरह से राजस्थान सरकार के स्वामित्व में है;

(ख) यदि हां, तो फीरोजपुर क्षेत्र में इस नहर से सौ क्यूसेक पर वन्या माइनर का निर्माण करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस लघु नहर निर्माण के लिए राजस्थान सरकार की स्वीकृति प्राप्त की गई थी; और

(घ) क्या इस माइनर के लिए पानी दिए जाने के बदले में राजस्थान को पानी दिया गया है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) माननीय सदस्य संभवत: पंजाब क्षेत्र में बहने वाली बीकानेर नहर का उल्लेख कर रहे हैं जिसे राजस्थान क्षेत्र की गंग नहर को पानी देने के लिए हरिके बराज से पानी प्राप्त होता है। इस नहर पर राजस्थान सरकार का पूर्ण स्वामित्व है।

(ख) से (घ) पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि बीकानेर नहर के बायीं तरफ के 6590 एकड़ के छोटे से क्षेत्र की सिंचाई के लिए 1972-73 में केवल 20 लाख क्यूसेक की अधिकल्पित निस्सरण क्षमता वाली कनियावाली वितरणी नामक एक छोटी चैनल का निर्माण बीकानेर नहर से निकालकर किया गया था, क्योंकि इस क्षेत्र में सिंचाई का कोई अन्य साधन नहीं था। राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि कनियावाली वितरणी का निर्माण राजस्थान सरकार की स्वीकृति के बिना किया गया था।

पंजाब द्वारा कनियावाली वितरणी के जरिए लिए जा रहे जल का हिसाब भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड द्वारा रखे जा रहे जल-खाते में पंजाब के हिस्से के अन्तर्गत दिखाया जाता है।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाए।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम, 1980

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : श्री स्टीफन की ओर से मैं भारतीय तार अधिनियम, 1985 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 16 अगस्त, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सं०नि० 476 (ड) में प्रकाशित हुए थे; सभा पटल पर रखता हूं। **ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी-1448/80]**

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

भारतीय प्रबन्ध संस्थान बंगलौर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1979-80 की समीक्षाएं और वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : मैं निम्नलिखितपत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । **[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०-1449/80]**

(2) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । **[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी-1450/80]**

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अधीन अधिसूचना, आवासीय तथा नगरीय विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

संपदीय कार्य और निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण (क्षेत्रीय विशिष्टताओं के विकास के चरण) नियम 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 1 नवम्बर,1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 1146 में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०-1451/80]**

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति ।

(एक) आवासीय तथा नगरीय विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 19 9-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) आवासीय तथा नगरीय विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । **[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०-1452/80]**

तमिलनाडु कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1979-80 और हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ के 30 जून, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षाएं, और वार्षिक प्रतिवेदन, सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के दो विवरण,

नेशनल फैडरेशन आफ कोआपरेटिव शूगर फैक्टरीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन नेशलन फैडरेशन आफ कोआपरेटिव शूगर फैक्टरीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 और 1977-78 के कार्यकरण की समीक्षा, सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के दो विवरण तथा नेशनल हैवी इंजीनियरिंग कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के, वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की समीक्षा।

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई मन्त्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) तमिलनाडु कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तमिलनाडु कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-1453/80]

(ख) (एक) हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ के 30 जून, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ का 30 जून, 1977 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब तथा उपर्युक्त मद (1) के (क) (दो) में उल्लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ न रखे जाने के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-1454/80]

(3) (एक) नेशनल फैडरेशन आफ कोआपरेटिव शूगर फैक्टरीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फैडरेशन आफ कोआपरेटिव शूगर फैक्टरीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1455/80]

(4) नेशनल फैडरेशन आफ कोआपरेटिव शूगर फैक्टरीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(5) नेशनल फैडरेशन आफ कोआपरेटिव शूगर फैक्टरीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष

1977-78 के कार्यकरण* की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(6) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों का सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-1456/80]

(7) नेशनल हैवी इंजीनियरिंग कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 और 1977-78 के कार्यकरण** की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-1457/80]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्विकास तथा सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) : श्री आर० वी० स्वामीनाथन की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति।

(एक) चीनी (1979-80 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) दूसरा संशोधन, आदेश, 1980 जो दिनांक 23 अगस्त, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 485 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) सा० सां०नि० 506 (ङ) जो दिनांक 1 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो असम राज्य में बने अमोनियम सल्फेट और यूरिया की असम और पश्चिमी बंगाल के चाय बागानों को बड़े पैमाने पर बिक्री के सम्बन्ध में है।

(तीन) चीनी (अधिकृत विक्रेताओं द्वारा भण्डारण और बिक्री) संशोधन आदेश 1980 जो दिनांक 4 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 510 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) चीनी (1979-80 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) तीसरा संशोधन आदेश, 1980 जो दिनांक 1 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 771 (ङ) में प्रकाशित हुआ था। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-1458/80]

———

लोक लेखा समिति के विवरण

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं निम्नलिखित विवरणों के अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) फरक्का बांध परियोजना प्रतिवेदन पर 37वें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) के

*नेशनल फैडरेशन आफ कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 और 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन 28 मार्च, 1980 को सभा पटल पर रखे गये थे।

**वर्ष 1976-77 और 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन 27 मार्च 1980 को सभा पटल पर रखे गये थे।

अध्याय—एक में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा अध्याय—पांच के संबन्ध में अन्तिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण ।

(2) विदेश मंत्रालय पर 84वें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) के अध्याय—एक में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा अध्याय—पांच के सम्बन्ध में अंतिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के विवरण

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : महोदय, मैं मद 8 का उल्लेख करता हूं जिससे श्री बन्शीलाल सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की सिफारिशों के उत्तर दर्शाने वाले दो विवरणों के अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण सभापटल पर रखने वाले हैं जो उत्तर सम्बद्ध की गई कार्यवाही प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिये "सरकार ने समय पर नहीं भेजे थे ।" यह सदन की तथा समिति की अवमानना का मामला है । इस प्रकार की बात को गम्भीरता से क्यों नहीं लिया जाता है ? इसमें यह कहा गया है कि "जो सरकार द्वारा नहीं भेजे गये थे ।" यह बड़ा गम्भीर मामला है । हम चाहते हैं कि श्री बन्सीलाल इस विषय पर प्रकाश डालें । मैं सम्बद्ध विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न ला सकता हूं । यह बड़ा ही गम्भीर मामला है । समिति को सरकार ने समय पर उत्तर नहीं भेजा है । यह समिति और सदन की अवमानना का मामला है और आप इस सदन के संरक्षक हैं और आप ही निर्णय करें आपको इस मामले में दृढ़ता का परिचय देना चाहिए । (व्यवधान)

तत्पश्चात (श्री जयपाल सिंह कश्यप सभा से बाहर चले गये)

श्री बन्सी लाल (भिवानी) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की सिफारिशों के उन उत्तरों को, जो की गई कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदनों में शामिल किये जाने के लिये सरकार द्वारा समय पर नहीं दिये गये थे, दर्शाने वाले दो विवरणों के अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने स्पष्टीकरण मांगा था । सदन को विश्वास में लिया जाना चाहिये और उसे सम्बद्ध विभाग के उन अधिकारियों का ब्यौरा दिया जाना चाहिए जिन्होंने समिति के निदेशों का पालन नहीं किया क्योंकि यह समिति की गम्भीर अवमानना का मामला है । श्री बन्सी लाल इस पर वक्तव्य दें । मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सदन को स्थिति से अवगत कराया जाये और उसे विश्वास में लिया जाये । मैंने अपने पन्द्रह वर्ष के संसदीय जीवन में कभी इस प्रकार का विवरण नहीं देखा कि जब सरकारी विभाग ने सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति को निर्धारित समय के भीतर सूचना उपलब्ध न की हो । यह बड़ा ही गम्भीर मामला है । इससे तो समिति को ही समाप्त कर देना ठीक होगा । आप समितियों पर इस प्रकार धन का अपव्यय क्यों कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : पहले मुझे इसकी जांच करने दीजिये ।

---

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री बन्सी लाल इस पर प्रकाश डाल सकते हैं । वह दो मिनट में इस सम्बन्ध में प्रकाश डाल सकते हैं ।

(व्यवधान)**

(तत्पश्चात् श्री आर०एन० रकेश, सभा से बाहर चले गये)

श्री बन्सीलाल : पहला भारतीय पटसन निगम की कच्चे पटसन के सम्बन्ध में अनुचित मूल्य नीति के बारे में सरकारी उपक्रमों सबन्धी समिति (छठी लोक सभा) का आठवां प्रतिवेदन है । दूसरा भारतीय पटसन निगम—सीधी खरीद व्यवस्था—पर सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति (छठी लोक सभा) का बारहवां प्रतिवेदन है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 222 के अन्तर्गत, मैं इस बात की औपचारिक सूचना देता हूं कि इस मामले पर विशेषाधिकार समिति द्वारा विचार किया जाये ।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रिविलेज मोशन के सम्बन्ध में दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे मेरे कक्ष में मिलें ।

श्री रामविलास पासवान : डिपुटी स्पीकर ने कहा था कि वह फेक्ट्स फाइंड कर के बतायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे मिल लीजिए ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

बिहार में कुछ संदिग्ध अपराधियों को अन्धा किया जाना

श्री धनिक लाल मंडल (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"बिहार में पुलिस अधिकारियों द्वारा कुछ संदिग्ध अपराधियों को अन्धा किये जाने का समाचार ।"

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : महोदय,

भारत सरकार को बिहार के भागपुर जिले में कुछ विचारणाधीन कैदियों पर किए गए कथित अमानवीय तथा बर्बरतापूर्ण कार्य पर क्षोभ है । यह स्वाभाविक है कि माननीय संसद सदस्य इन घटनओं पर काफी दुखी हैं ।

2. भारत सरकार का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित किए जाने के तुरन्त बाद बिहार सरकार से तुरन्तु विस्तृत रिपोर्ट भेजने के लिए टेलैक्स और टेलीफोन पर सम्पर्क किया

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

गया था। राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार घटनाओं की जांच पड़ताल बिहार की सी०आई० डी० ने पहले ही शुरू कर दी है। इन प्रारम्भिक जांचों के आधार पर राज्य सरकार ने तुरन्त कार्रवाईयां की हैं। संबंधित विचारणाधीन कैदियों द्वारा जिला जज भागलपुर और उच्चतम न्यायालय दोनों के समक्ष प्रस्तुत याचिकाओं में जिन 14 पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं उनके विरुद्ध आपराधिक मामले चलाए गए हैं। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार एक उप-पुलिस अधीक्षक, एक निरीक्षक और 12 उप निरीक्षकों को पहले ही मुअतिल कर दिया गया है और उन्हें अपने क्षेत्राधिकारों से बाहर स्थानान्तरित कर दिया गया है।

3. 29 व्यक्तियों के पुलिस कर्मचारियों द्वारा अन्धा करने के आरोप लगाए हैं। उनमें 16 भागलपुर जेल में, 2 बांका उप जेल में और 11 जमान्त पर हैं। इन विचारणाधीन कैदियों द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध 14 मामले दर्ज किए गए हैं जो संबन्धित विचारणाधीन कैदियों को अन्धा करने के कार्य में अन्तर्ग्रस्त बताए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा ये निर्देश भी दिये गए हैं कि शेष विचारणाधीन कैदियों के बारे में भी मामले चलाए जाएं। इन घटनाओं में अन्धे किए गए 29 व्यक्तियों में से अब तक 22 व्यक्तियों की बिहार के उप महा-निरीक्षक सी०आई०डी० द्वारा जांच की जा चुकी है। इन 22 व्यक्तियों में से 20 व्यक्तियों ने आरोप लगाया है कि उनको अन्धे करने के लिए उत्तरदायी विभिन्न श्रेणियों के पुलिस अधिकारी हैं जबकि 2 व्यक्तियों ने बताया है कि उन्हें गाँव वालों द्वारा अन्धा किया गया था। यह मामला सर्वप्रथम एक विचारणाधीन कैदी द्वारा 6 जुलाई, 1980 को जिला जज भागलपुर को दी गई एक याचिका में सूचित किया गया था। 30 जुलाई 1980 को अन्धे किये गए विचारणाधीन कैदियों द्वारा जिला जज भागलपुर के समक्ष 10 और याचिकाएं दायर की गई थी। 15 विचारणाधीन कैदियों ने भी जेल से उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं भेजी हैं और रिट याचिकाएं सं० 1980 की 5352 (10 व्यक्ति) और 1980 की 567 (पांच व्यक्ति) उच्चतम न्यायालय में लम्बित पड़ी हैं।

4. इसी दौरान पटना मैडिकल अस्पताल के प्रमुख नेत्र विशेषज्ञों समेत डाक्टरों का एक दल इन घटनाओं में अंधे किए गए विचारणाधीन व्यक्तियों की जांच करने के लिए भागलपुर जा रहा है। बिहार सरकार ने विपक्ष के नेता समेत सात विधायकों की एक समिति गठित की है। समिति की पहली बैठक 3 दिसम्बर, 1980 को बुलाने का प्रस्ताव है और समिति द्वारा 4 दिसम्बर, 1980 को भागलपुर का दौरा करने की आशा है।

वक्तव्य के अतिरिक्त

मैं माननीय सदस्यों की सूचनार्थ, उक्त वक्तव्य के अतिरिक्त यह बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार से मिली ताजा खबर के अनुसार जिन विचारणाधीन कैदियों को अन्धा करने की शिकायत मिली है उनकी संख्या 31 है। हमें राज्य सरकार से यह भी सूचना मिली है कि इस प्रकार के बर्बर अपराध के लिए उत्तरदायी पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और भागलपुर के पुलिस अधीक्षक को मुख्यालय में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रधान मन्त्री ने

(व्यवधान) अन्धे किये गये इन विचाराधीन कैदियों के लिए प्रति कैदी 15,000 रुपये अनुग्रह स्वरूप स्वीकृत किये हैं। (व्यवधान)

श्री धनिक लाल मंडल : अध्यक्ष महोदय, आप की चिन्ता, सदन की चिन्ता और सरकार की चिन्ता इस अमानवीय घटना के प्रति जो है वह तो है ही। मैं ने इस के पूर्व भी आप के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था कि कांमी सरकार के आने के बाद और खास कर इन गृह मन्त्री के आने के बाद बिहार शनैः शनैः आदिम युग की ओर खिसकता हुआ जा रहा है, इस को बचाया जाय। धीरे-धीरे बारबेरियनिज्म के युग में बिहार चला जा रहा है। एक नहीं अनेक ऐसी घटनाएं हैं जिनसे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं और आप भी इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि जब से यह सरकार आई है बारबेरियन युग की तरफ बिहार खिसकता चला जा रहा है।

बिहार के मुख्य मन्त्री ने एक बहुत अच्छा सिद्धांत गढ़ निकाला है। उन्होंने इस को सोशल सैंक्शन बतलाया है। आप ने उस को पढ़ा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जितना आन्दोलन होना चाहिए था इस घटना को लेकर वह नहीं हुआ ? क्यों ? इसलिए कि सोशल सैंक्शन इसके पीछे है। इसलिए किसी ने इसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाई, इस को आन्दोलन का रूप नहीं दिया। यह बात सही है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मुख्य मन्त्री जी ने जो बात कही है, वह सही है कि बिहार में फ्यूडलिज्म सबसे ज्यादा मजूबत है, एग्रसिव है। हिन्दुस्तान में यदि कहीं भी आज सामन्तवाद, सामन्ती प्रथा है और वह मजूबत और एग्रेसिव है तो वह बिहार में है। वहां पर जो सामान्त लोग हैं वे कैसा व्यवहार अपने मजदूरों के साथ करते हैं, जैसा कि मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया कि बड़े सामान्त लोग, पुलिस और यह सरकार—इन तीनों का ऐसा कंबिनेशन बना हुआ है कि यह बड़े लोग पुलिस से गन्दा काम लेते हैं। यह 79 लोग जिनको अन्धा बनाया गया है वे सबके सब हरिजन और पिछड़ी जाती के हैं, खेत मजदूर और भूमिहीन की श्रेणी में हैं। यह सारे के सारे लोग एकोनामिकली गरीब हैं और सोशली हरिजन हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं बिहार में क्राइम हरिजन और पिछड़ी जाति के लोग ही करते हैं, दूसरे लोग नहीं करते हैं फिर इन लोगों के साथ ऐसी घटना हुई, इसका क्या अर्थ है ? इसका यही अर्थ है कि वहां पर फ्यूडल लोग पुलिस से गन्दे काम लेते हैं। फ्यूडल लोग बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन में भी एन्ट्रेन्ड हैं। आप इसमें सारे के सारे नाम पढ़ लीजिए, सभी लोग हरिजन और पिछड़ी जातियों की श्रेणी में ही आते हैं।

महोदय, बोधगया में क्या हो रहा है? मैंने उस रोज बोध गया की घटना के बारे में ध्यान दिलाया था। और भी बहुत सारे सदस्यों ने उस घटना के बारे में ध्यान दिलाया है कि 18 हजार एकड़ जमीन के जोतदार हैं बोध गया के महन्त। जरा इन लोगों को बताइये जोकि बीससूत्री कार्यक्रम वाले हैं कि 18 हजार एकड़ जमीन के आदमी एक पास है। वहां छात्र युवा संघर्ष वाहिनी, जिसके नेता श्री जयप्रकाश नारायण जी थे और किसान कामगार यूनियन के लोग काम कर रहे हैं, ढ़ाई हजार एकड़ जमीन पर गरीब हरिजन लोगों ने खेती की थी जिसको बिहार की सरकार पुलिस की मदद से कटवा रही है। जयराम गिरि कांग्रेस के एक बड़े आदमी हैं जोकि बोध गया के महन्त के लठैत हैं।

उपाध्यक्ष महोदय श्री मण्डल, कृपया आप विषय पर ही बोले ।

श्री धनिकलाल मण्डल : मैं वहां के फ्यूडलिज्म का नजारा दे रहा हूं । अभी सरोबाद में क्या हुआ ? एक मनीलेण्डर ने पुलिस की मदद से उस गांव में आदिवासियों पर हमला किया । सरोबाद सासाराम से 12 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर है । क्या यह सही नहीं है कि वहां के बड़े लोग, जोकि कांग्रेस (आई) के लोग हैं, खासकर जो जमीदार लोग हैं, बड़े भूमिपति और पूंजीपति हैं—इन सारे लोगों ने पुलिस की मदद से···

उपाध्यक्ष महोदय : अमानवीय अपराध किया गया है कृपया आप उसी पर ही बोले ।

श्री मनीराम बागड़ी : इसमें कुछ पोलिटिकल नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार के भी वही विचार हैं ।

श्री धनिकलाल मंडल : इस तरह से यह भूमिपति, कांग्रेस (आई) के बड़े लोग पुलिस से यह काम करवा रहे हैं । और यह घटना कब हुई ? यह घटना हुई है लोकसभा के चुनावों के बाद । लोकसभा के चुनावों में जब इनकी जीत हो गई, कांग्रेस (आई) की, तो इनके जमीदारों और भूमिपतियों के मन बहुत बढ़ गए और पुलिस की मदद से उन्होंने वहां पर यह काम शुरू कर दिया ।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब 75-76 इमरजेंसी का समय था । उस समय भोजपुर और रोहतास जिले में 148 हरिजनों को नक्सलवादी के नाम पर, बोगस-एनकाउन्टर के नाम पर गोली से उड़ा दिया गया या नहीं ? आज 79 को आपने अन्धा कर दिया । में पूछना चाहता हूं कि इन दोनों में कौन बुरा है—गोली से मार देना बुरा है या अन्धा कर देना बुरा है ? पुलिस अधिकारियों में बड़े लैवल पर बातचीत हुई । इसमें दो तरह की थ्योरी है, एक गोली से उड़ा दिया जाए और दूसरे आंख से अन्धा बना दिया जाए ।

श्री चन्द्रजीत यादव : किस लैवल पर बातचीत हुई ?

श्री धनिकलाल मण्डल : आई०जी०, डी०आई०जी०, कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर बातचीत हुई । इसलिए मैं कह रहा था कि जरा बिहार की स्थिति को समझ लीजिए । वही फ्यूडल लोग वहां पर हैं और उनके आदमी एडमिनिस्ट्रेशन में हैं । इन दोनों की मिली-भगत से ये सारी घटनायें होती हैं । इसको जब तक हाई-लैवल पर प्रोब नहीं किया जाएगा, तब तक आपको घटना की जानकारी नहीं होगी । इन छोटे अफसरों को सस्पेंड कर देने से कुछ नहीं होगा । आप बतला रहे हैं कि सुप्रीन्टेडेंट को सस्पेंड कर दिया । मैं मांग करता हूं कि क्या इस तरह की जो घटनायें हुई हैं, जिसमें मैंने भागलपुर, करसनमां, सरोबाग, बुआ और बौद्ध-गया के नाम लिए, इनकी जांच के लिए पुलिस और बड़े लोग मिलकर गरीबी हटाने के बजाय गरीबों का सफाया कर रहे हैं, उनकी जुडिशियल इन्क्वायरी करायेंगे ? आप कहते हैं कि डी०आई०जी० इन्क्वायरी कर रहे हैं, डी०आई०जी० की इन्क्वायरी करने से क्या होगा ···(व्यवधान)···

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ···(व्यवधान)*···

श्री धनिकलाल मण्डल : मेरा एक क्वैश्चन जुडिशियल इन्क्वायारी करने के बारे में हुआ । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अब इन्होंने एक नई टैकनीक, एक ना ट्रेंड अपना लिया है । अभी

मुरादाबाद में देखा गया। वहां पर जो मुस्लिम ब्रास के वर्कर्स थे, उनको पकड़ कर जेल ले जाया गया और वहां उनकी पांचों उंगलियों को तोड़ दिया गया ···(व्यवधान)··· मुरादाबाद में उनकी सारी उंगलियों को चूर कर दिया गया, जिससे कि वे काम के लायक न रह जायें, जिन्दगी से बेकार हो जायें। अब उसी घटना को बिहार में भी रिपीट किया जा रहा है। मैं पूछता हूं कि जनाब आप हिन्दुस्तान की लीबर्टी को बचाने के लिए आए हुए हैं या लोगों की जान माल को खत्म करने के लिए आए हुए हैं। ये घटनायें हर दिन घटती हैं, हर हफ्ते घटती हैं। इसलिए मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आप पुलिस ओरियेंटेशन के लिए क्या करने वाले हैं? मैंने उस वक्त भी कहा था, जब नारायणपुर में प्रधानमंत्री जी गई थी, तो देश को आश्वासन हुआ था कि अब पुलिस व्यवस्था में सुधार होगा, अच्छी पुलिस देश में बनेगी, देश के लोगों का काम होगा, लेकिन पुलिस और बरबर होती चली जा रही है, इनके आने पर, इनके आश्वासन पर।

···(व्यवधान)*···

उपाध्यक्ष महोदय : जो बात श्री मण्डल कह रहे हैं उसके अलावा और कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में नहीं जायेगा। (व्यवधान)*

श्री घनिकलाल मण्डल : मैं कैटेगोरिकली आप से यह जानना चाहता हूं कि पुलिस को ठीक करने के लिए आप कौन से कदम उठा रहे हैं? बिहार में आप जानते हैं—पुलिस की तीन जगहों पर हड़ताल हुई है—कटिहार, धनबाद, और एक अन्य जगह। आज आप की पुलिस भी विद्रोही हो रही है—आप की नीतियों के खिलाफ। इस लिए मैं आप से जानना चाहता हूं कि पुलिस को ठीक करने के लिए आप कौन से कदम उठा रहे हैं—कृपा कर के हम को बतलाइये?

तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं—पुलिस ने यह कहा है कि तथाकथित अपराधियों की आंखों से अन्धा कर देने से क्राइम-सिचुएशन इम्प्रूव कर गया है। मैं इस सम्बन्ध में 5 साल की फिगर्स जानना चाहता हूं - 975 से लेकर अप-टू-डेट 1980 तक आप फिगर्स दे कर बतलाइये कि आप का जो दावा है वह कहां तक सही है? मेरी जो जानकारी है, वह यह है कि भागलपुर में क्राइम सिचुएशन और बढ़ गया है, इम्प्रूव नहीं हुआ है। वहां 1975 में 82 मर्डर हुए थे, इस साल अक्तूबर तक 86 हुए हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपके तीन वर्ष के शासन की अवधि की सूचना भी इसमें शामिल है।

श्री घनिकलाल मण्डल : जी हां। मैं पांच साल की एनुअल एव्रेज को ले रहा हूं। डकैती 100 हुई थी, लेकिन इस साल अक्तूबर तक 100 हो चुकी है। राबरी 5 साल की एव्रेज 64 थी, इस साल अक्तूबर तक 59 हो चुक है। यह आप के पुलिस विभाग के काम का नमूना है जो आप के आइ०जी०, डी०आइ०जी०, कमिश्नर हैं इन सारे लोगों ने मिल कर किया है। दूसरी तरफ वे दावा कर रहे हैं कि क्राइम सिचुएशन इम्प्रूव कर गई है। मैंने आप के सामने आंकड़े रख दिये हैं—आप कृपा कर बतलाइये—क्या आप इन सारे अफसरों को केन्द्र में बुला

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

लेंगे ? इन को बिहार में रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन के स्थान पर अच्छे अफसरों को रखने की जरूरत है।

जैसा इन्होंने अपने बयान में कहा है कि डिस्ट्रिक्ट एण्ड शेशन जज के सामने यह मामला 6 जुलाई को आया था तथा सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला 30 अक्तूबर को आया था। एक घटना जुलाई की है और दूसरी घटना अक्तूबर की है, उस के बाद भी यह सरकार कहती है कि इनको इसकी कोई जानकारी नहीं थी। मैं इस सरकार से बाअदब पूछना चाहता हूं कि यह क्यों इतनी कुम्भकरणी नींद में सोती है, दुनिया को पता हो गया, अखबारों में मामला आ गया, कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पता हो गया, तब फिर सरकार को जानकारी क्यों नहीं हुई ? मेरा इन पर डेफिनिट अभियोग है इन को जानकारी थी, इन की योजना के अनुसार ये सारे काम हो रहे थे, वरना ये बतलायें कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा ?

ये कहते हैं कि इन्होंने अपोजीशन लीडर्स का एन्क्वायरी कमीशन बैठा दिया है—यह बिल्कुल गलत बात है। मैं सर्च लाइट पढ़ कर सुनाता हूं—

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्तर्गत आप उदधृत नहीं कर सकते आप केवल प्रश्न पूछिये।

श्री घनिकलाल मण्डल : ठीक है मैं सवाल पूछता हूं। इन्होंने कहा है कि लेजिस्लेटर्स की कमेटी बनाकर एन्कवायरी करने के लिये कहा गया है, यह बिलकुल झूट और बेबुनियाद बात है।

श्री पी० बेंकट सुब्बय्या : मैंने सदन में पहले भी निवेदन किया है कि इन लोगों के साथ यह बड़ा ही बर्बर और क्रूर अपराध किया गया है···

(व्यवधान)

श्री मनिराम बागड़ी :**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को यह कहने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। जो भी वह कह रहे हैं कार्य-वाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा। कोई व्यायधान नहीं डालेगा··· नहीं··

श्री मनीराम बागड़ी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

श्री मनीराम बागड़ी :**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह कार्य-वाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। वह समूचे विषय को खराब कर रहे हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : **

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यकाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। आपको इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

**कार्यवाही वृतान्त में समिलित नहीं किया गया।

श्री मनीराम बागड़ी :**

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में नहीं जायेगा। मैं इस व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री मनीराम बागड़ी : **

उपाध्यक्ष महोदय : इस ओर जो भी कहा जा रहा है उसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। वास्तव में आप मामले को खराब कर रहे हैं।

(व्यवधान)**

यदि सदन की कार्यवाही को सुव्यवस्थित ढंग से तथा नियमानुसार चलाना है तो इस सदन के माननीय सदस्यों को पीठ के साथ सहयोग करना होगा और यदि कोई सदस्य कानून को अपने हाथों में लेता है।...(व्यवधान) श्री मंडल ने कुछ प्रश्न उठाये हैं और मन्त्री महोदय उनका उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न पूछने के लिये अगला नाम श्री आर० के० महालगी का है, श्री बागड़ी का नहीं। अतः मैं उन्हें बैठने के लिये कैसे कह सकता हूं। उनकी आयु का विचार करते हुए, शायद आयु में वह मेरे पिता के समान होंगे और मैं उन्हें कैसे आदेश दे सकता हूं ? मैं उन्हें बैठने के लिये कह रहा हूं। किन्तु वह कहना नहीं मान रहे हैं। मैं सदन की कार्यवाही कैसे चला सकता हूं ? मैं सदन के सभी सदस्यों से नम्र निवेदन करता हूं। यदि वह पीठ के आदेश का पालन नहीं करते हैं तो हम इस सदन की कार्यवाही कैसे चला सकते हैं ? यह हमारी संस्कृति और सभ्यता के विरुद्ध है। मुझे खेद है कि हम इस प्रकार सदन की कार्यवाही नहीं चला सकते हैं। मैं श्री बागड़ी से हाथ जोड़कर बैठ जाने के लिये कहता हूं।

श्री मनीराम बागड़ी :**

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में नहीं जायेगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की स्वीकृति मैंने तब दी थी जब मैं पिछले सप्ताह पीठासीन था। मैंने जब इस सम्बन्ध में समाचार सुना था तो मुझे धक्का लगा था। यह एक ऐसा मामला है जिस पर समूचे भारत के प्रत्येक नागरिक तथा हमारी 62 करोड़ जनता को धक्का लगा है और शर्म से उनके सिर नत हुए हैं। यह एक ऐसा अमानवीय कार्य है। अतः मैंने इस प्रस्ताव की अनुमति दी है। इस देश का प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह बड़ा आदमी हो अथवा अमीर अथवा गरीब आदमी, इस कार्य पर लज्जित है। अतः इसमें राजनीति की बात क्या है। श्री बागड़ी, कृपया आप बैठ जाये। मन्त्री महोदय उत्तर देंगे। इस मामले पर दो राय नहीं है। समूचे सदन में इस मामले पर सहमति है—सभी इस कार्य की भर्त्सना कर रहे हैं। अतः इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है कृपया इस मामले को बिगाड़िये नहीं। आप बैठ जायें बागड़ी जी वह उत्तर दे रहे हैं।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : जैसा कि आपने सही कहा है, इस मामले पर यह और अथवा वह और नहीं है। इस घृणित अपराध पर समूचे सदन को धक्का लगा है।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मंडल, जो भूतपूर्व सरकार में गृह राज्य मन्त्री थे और जो बिहार के भी हैं, ने जाति सम्बन्धी जटिलताओं के बारे में बताया है। मैं इस सदन से विनम्र निवेदन करता हूं कि जहां तक अपराधियों का सम्बन्ध है, उसमें जाति के प्रश्न को महत्व नहीं दिया गया है। अपराधी अपराधी ही है। यह पुलिस के व्यक्तियों द्वारा किया गया बहुत ही घृणित कार्य है चाहे यह पुलिस के व्यक्ति किसी भी जाति के हों, उन्हें कड़ा दंड दिया जायेगा।

मैं सदन के सामने यह भी बताना चाहता हूं कि भागलपुर के पुलिस अधीक्षक हरिजन हैं। बिहार सरकार ने इस मामले में संसक्त इन व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में शीघ्र ही कार्यवाही की है। सदन के सामने दिये गये वक्तव्य में जैसा कि मैंने बताया है उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा हैऔर भागलपुर के पुलिस अधीक्षक को स्थानान्तरित कर दिया गया है (व्यवधान)। बिहार के मुख्य मन्त्री ने विधायकों की एक समिति गठित करने में जरा भी विलम्ब नहीं किया—इस समिति के विपक्षी नेता श्री कर्पूरी ठाकुर सदस्य हैं तथा भारतीय साम्यवादी दल के ग्रुप नेता भी इसके सदस्य हैं। इस समूचे मामले की जांच के लिये समिति का गठन किया गया है।

(व्यवधान)

श्री धनिकलाल मंडल : यह गलत है आप प्रतिवेदन देख लीजिये।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : बिहार के मुख्य मंत्री ने हमारे गृह मंत्री से टेलीफोन पर बात की है और उन्होंने प्रधान मंत्री से बात की है और कहा है कि एक समिति का गठन किया गया है और वह मामले की जांच कर रही है।

श्री कर्पूरी ठाकुर विधान सभा के स्वयं एक उत्तरदायी सदस्य हैं। वह विधान सभा में विपक्ष के नेता हैं। वह जब बिहार के मुख्य मन्त्री थे तो उनके शासनकाल में खुले रूप में जाति संघर्ष हुआ था।

ये वे लोग हैं जो इन सभी बातों में राजनीति ले आते हैं। पहले, कर्पूरी ठाकुर के शासनकाल के दौरान बिहार में जातिगत उलझनें पैदा की गई थीं। यह सभी जानते हैं। (व्यवधान) दूसरे, जब अक्टूबर, 1979 में दुर्घटना हुई तो वहां कांग्रेस (आई) की कोई सरकार नहीं थी। अक्टूबर, 1979 में वहां जघन्य घटना हुई, जब वहां कांग्रेस (आई) की सरकार नहीं थी। (व्यवधान) श्री मंडल जो उस समय गृहराज्य मंत्री थे, यहां बैठे हुए थे। (व्यवधान)

श्री धनिकलाल मंडल (झंझारपुर) : 1979 में···(व्यवधान)

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : दूसरी बात जो उन्होंने कही है, वह बिहार के मुख्य मंत्री के कथित वक्तव्य के बारे में है। उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ कहा था। मैं बिहार के मुख्यमंत्री अथवा अन्य किसी व्यक्ति के वक्तव्य को बिल्कुल उचित ही ठहरा रहा हूं—मैं नहीं जानता कि किस संदर्भ में उन्होंने यह वक्तव्य दिया। संभवतः उनका आशय यहा होगा कि जब ये घटनाएं हुई तो वहां लोक सभा के चुनाव थे, विधानसभाओं के चुनाव थे और जिला परिषदों के चुनाव भी थे। इन तथ्यों को जानकारी में लाया गया अथवा नहीं—मैं नहीं जानता। यदि वह इस संदर्भ में बोले थे, तो वह भी, मैं नहीं जानता। जब तक मैं तथ्यों को नहीं जानता, मैं यहां मुख्य मंत्री द्वारा कही

गई बात का समर्थन करने अथवा विरोध करने के लिए नहीं हूं और वे तथ्य बिहार सरकार द्वारा मेरे सामने लाए गए हैं।

दूसरा विषय, जिसका श्री मण्डल ने उल्लेख किया, पुलिस में सुधार लाना है। जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा, एक जांच समिति पहले ही बनायी गई है। अपराधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है और उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है।

श्री धनिकलाल मंडल : यही कारण है कि हमारा इससे सम्बन्ध हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ वहां हुआ है, उसके बारे में वे उत्तर दे रहे हैं।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : मैं माननीय सदस्य को यह बता रहा हूं कि तुरन्त कार्यवाही करने में सरकार किसी से पीछे नहीं रहेगी और बिहार सरकार को इस बात का परामर्श देनी कि जो भी कार्यवाही आवश्यक है, वह तुरन्त की जानी चाहिए।

हमारे गृहमन्त्री और प्रधानमन्त्री, बिहार के मुख्यमन्त्री के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए हैं। जो कुछ भी कार्यवाही की जानी है, वह की जाएगी। जैसा मैंने बताया है, यह कोई दलगत मामला नहीं है। (व्यवधान)

श्री धनिकलाल मण्डल : आप यह कल पता लगाएंगे···

उपाध्यक्ष महोदय : मण्डल जी, धैर्य रखिए। आपको इस तरह का क्रोध नहीं करना चाहिए।

श्री पी०वेंकट सुब्बय्या : यदि यह बातचीत चलती रही तो मैं उत्तर कैसे दे सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमान मंडल, मुझे इस बात की आशंका है कि आपको रक्त चाप हो सकता है। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आपको इस तरह का गुस्सा नहीं करना चाहिए।

श्री पी०वेंकट सुब्बय्या : हम कार्यवाही कर रहे है; जैसा कि मैंने पहले बताया, एक जांच समिति गठित की जा चुकी है। वस्तुतः यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है और सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की जानकारी है। अतः यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

इसके अलावा, राज्य सरकार ने इस मामले के लिए जिम्मेदार सभी व्यक्तियों को पकड़ने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। इसलिए, यह जांच चल रही है। दूसरा मामला जिसका श्री मंडल ने उल्लेख किया; पुलिस में सुधार करने के बारे में है। यद्यपि यह इस विषय से सम्बन्धित नहीं है मैं कहूंगा कि राज्य सरकारों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार की निरन्तर यह कोशिश रही है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने अनेक बार इस सदन में तथा बाहर यह बात कही कि पुलिस में सुधार होना चाहिए। अब भारत सरकार इस पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। पुलिस कर्मचारी, जिन पर कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं का आरोप लगाया गया, वे उन्हें जनता का मित्र दार्शनिक एवं मार्गदर्शक होना चाहिए। हमें इसे उस संदर्भ में देखना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, इन अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जांच की जा रही है। मैं पुनः एक बार सदन को इस बात का आश्वासन देना चाहूंगा कि इन वीभत्स एवं

जघन्य अपराधों में जिसका भी हाथ है, उसे गिरफतार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जायगी। सरकार कठोर कार्यवाही करने के लिए तुरन्त हर संभव कदम उठा रही है।

(समाप्त)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आर०के० महालगी। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बोलेगा।

श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में भागलपुर जेल की जघन्य घटना से समूचे राष्ट्र और संसद को आघात पहुंचा है। सारी घटना निर्दयतापूर्वक और दिल दहला देने वाली है। परपीड़न की यह कहानी इतनी भयानक है कि इस पर विश्वास नहीं होता। एक अकेला विक्षिप्त पुलिसकर्मी इस निदंनीय कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं है; वहां बहुत से सह-अपराधी थे—जेल अधिकारी, डाक्टर और ऐसे ही अनेक दूसरे सरकारी अधिकारी भी इसमें सहभागी थे। तमाम गरीब नागरिकों को बिना मुकदमा चलाए जेलों में बंद रखा जाता है, क्योंकि उनके पास जमानत देने के लिए साधन नहीं होते।

न्यायालयों में जाने तथा कानूनी सहायता के लिए वकील करने की गरीबों की असमर्थता की पूरी जानकारी होने से पुलिस के लिए आतंक फैलाना संभव हो जाता है। भागलपुर पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों का रहस्योदघाटन तो एक अन्श मात्र है। देशभर में कैदियों से अपराध स्वीकार कराने के लिए तीसरे दर्जे के तरीके अपनाना तो पुलिस के लिए एक आमबात हो गई है।

जिस भारी उदासीनता से उच्च अधिकारियों ने भागलपुर की घटनाओं के समाचारों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है, उससे यही जाहिर होता है कि कानूनी प्रक्रियाओं और सहजन्याय के भयंकर उल्लंघन को किस हद तक सहन किया जा रहा है और उसकी अनदेखी की जा रही है। जेल में विचाराधीन कैदियों के खिलाफ पुलिस द्वारा की गई बर्बरता से समूचे सभ्य संसार में भारत की निश्चय ही बदनामी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, आप अपना प्रश्न रख सकते हैं।

श्री आर०के० महालगी : मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। (व्यवधान) यह अत्यन्त ही गम्भीर चर्चा है। उन्हें हंसना नहीं चाहिए। यह केवल सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से है। जागरूक समाचार-पत्र संवाददाताओं की वजह से सारी घटना प्रकाश में आ गई है। निश्चय ही, इसके लिए सारा देश उनको धन्यवाद देगा। यदि बिहार सरकार अधीनस्थ अधिकारियों को निलम्बित कर देती है अथवा उनका इधर-उधर स्थानांतरण कर देती है तो इससे उसका गंभीर दृष्टिकोण जाहिर नहीं होता है। महोदय, बिहार के मुख्यमंत्री को संपूर्ण जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए थी और उन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए था। परन्तु, महोदय सचाई कुछ और है।

अब, मैं दो प्रश्न करूंगा।

पहला प्रश्न यह है कि मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या बिहार मंत्रिमंडल के किसी मंत्री ने (खासकर जेल मंत्री ने) गत छः महिनों के दौरान भागलपुर जेल का दौरा किया है? यदि किया है तो उसकी टिप्पणियां क्या थी? यह मेरा पहला प्रश्न है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है: क्या मैं जान सकता हूं कि इस घटना के सभी पहलुओं की

छानबीन करने के लिए क्या सरकार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की एक संसदीय समिति गठित करने के लिए तैयार है ?

महोदय, माननीय मंत्री महोदय इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मुझे दें ।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : माननीय सदस्य महोदय ने प्रश्न किया है कि क्या बिहार के जेल मंत्री ने गत छः माह के दौरान उस जेल का दौरा किया है और यदि किया है तो उसकी टिप्पणियां क्या है । यह उन्होंने पूछा है । मैं उनसे कहूंगा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है । मैं बिहार सरकार से सम्पर्क स्थापित करूंगा और इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करूंगा ।

संसदीय समिति गठित किए जाने के उनके अगले प्रश्न के सम्बन्ध में मैं बताना चाहूंगा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने पहले ही एक समिति बना दी है जिसमें विधान मंडल के सदस्य हैं; विधानसभा के सदस्य पहले से ही इस समिति में हैं । उन्होंने पहले ही इस समिति का गठन कर दिया है और वह समिति मामले की जांच कर रही है । महोदय, इस समय, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : मैं सब से पहले (इन्डियन एक्सप्रेस को बधाई देना चाहता हूं जिसने इस राक्षसी घटना को प्रकाश में लाकर एक ओर तो हमें शर्म के साथ सिर झुकाने के लिए मजबूर किया है लेकिन दूसरी ओर इस जनहित का भी संवर्धन किया है कि हमारे देश में 1980 में, भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी के देश में अभी भी इस तरह के अमानवीय अत्याचार हो रहे हैं और हम उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए देश में एक जागरूक, स्वतंत्र और निर्भीक प्रेस की आवश्यकता है ।

शासन से गलतियां होंगी——

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा; इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लोकतंत्र में शासन निरंकुश हो सकता है, अधिकारी अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर सकते हैं, आम आदमी ज्यादतियों का शिकार बनाया जा सकता है लेकिन शासन के भीतर चैक्स और बैलेंसिस की एक व्यवस्था है, उस में एक स्वतंत्र प्रेस का भी स्थान है लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि बिहार में जो कुछ हो रहा है उससे तो इस बारे में भी सन्देह होता है कि क्या वहां प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जाएगा ?

(व्यवधान) **

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

केवल वाजपेयी का भाषण कार्यवाही वृतान्त में शामिल किया जाएगा, कोई दूसरी बात नहीं ।

(व्यवधान)**

** कार्यवाही वृतान्त में समिलित नहीं किया गया ।

श्री एन०कुदंतई रामलिंगम (मयूरम) : यह प्रस्ताव के अनुरूप बिल्कुल नहीं है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार इस पर ध्यान देगी।

(व्यवधान) **

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने 23 अगस्त 1980 को सभी जिला मजिस्ट्रेटों को एक सीक्रेट सर्कुलर भेजा है, जिसमें उनसे कहा गया है कि समाचार-पत्रों को इस तरह की खबरें न मिलने दी जायें। अगर खबरें मिलने दी जाती हैं तो उन खबरों को बाहर भेजा जाने से रोका जाये। माननीय मंत्री इस बारे में जानकारी प्राप्त करें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस संबंध में कोई दो राय नहीं हैं। सारा सदन इस घटना से क्षुब्ध है। हमें असलियत पता करने दीजिए और उसके अनुसार हम कार्यवाही करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मंत्री जी ने अपने ब्यान में इस बात को स्वीकार किया है कि जिन अभागे लोगों की आंख निकाली गई और जो भागलपुर की जेल में थे, उनमें से एक व्यक्ति ने 6 जुलाई, 1980 को डिस्ट्रिक्ट जज, भागलपुर के यहां एक याचिका दाखिल की। मंत्री महोदय यह स्पष्ट करें कि बिहार सरकार के ध्यान में यह मामला उस समय क्यों नहीं आया ? वह सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है—सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन—उस फैसले में यह लिखा गया था, मैं उद्धृत कर रहा हूं :—

"जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये गये सभी आदेशों का, यदि उनके शीघ्र अनुपालन की आवश्यकता अभिव्यक्त की गई है, तुरन्त पालन किया जाये और उपधारा में विहित तरीके से उसकी एक रिपोर्ट महा-निरीक्षक को भेजी जाये।"

उसमें आगे यह कहा गया है :

"जिला मजिस्ट्रेट को यह याद रखना होगा कि उस नाते वह एक न्यायिक अधिकारी हैं और प्रमुख कार्यकारी अधिकारी नहीं और इसलिये उन्हें जेल कार्यकारी अधिकारी के बिना स्वतन्त्र रूप मे कार्य करना चाहिये। सुधार संस्थाओं में कैदियों के अधिकारों को व वहार्य बनाने के लिये हम सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को निदेश देते हैं कि वह अपने जिले की जेलों का सप्ताह में एकबार निरीक्षण करें, प्रत्येक कैदी से शिकायतें प्राप्त करें और उनकी शीघ्र ही जांच करें। यदि वह किसी तुरन्त निपटाये जाने वाले कार्य में व्यस्त हों तो पैरा 42 के अन्तर्गत उन्हें यह अधिकार है कि वह अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को जेलों के निरीक्षण के लिये भेज दें। महत्वपूर्ण बात यह है कि वह कैदियों की शिकायतें सुनने के लिये उनसे अलग अलग मिलें। इस वार्डरों अथवा अधिकारियों की उपस्थिति बाधक होगी और उससे बचा जाना चाहिये। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनकी जांच-पड़ताल गोपनीय रहे और सहज न्याय के अध्यधीन हो और वह जांच-पड़ताल ऐसी न हो कि उससे जेल के अधिकारी बदले की कार्यवाही करने लगें। नियम में यह भी

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

व्यवस्था है कि प्रत्येक निरीक्षण का रिकार्ड रखा जाये। इस नियम के अन्तर्गत उन्हें जांच करने और आदेश देने के अधिकार प्राप्त हैं।"

6 जुलाई को एक शिकायत की गई, याचिका दाखिल की गई। जिस मैजिस्ट्रेट के यहां याचिका दाखिल की गई थी, क्या वह मैजिस्ट्रेट, या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जेल में गये? क्या उन्होंने हवालाती से पता लगाने का प्रयत्न किया कि उसके साथ क्या बीती है? क्या राज्य सरकार के नोटिस में यह बात नहीं लाई गई?

उसके बाद 30 जुलाई को फिर याचिकाएं दाखिल की गईं, जिसके बाद इंस्पैक्टर-जेनेरल, प्रिजन्ज, वहां पर गये। आई जी भागलपुर गये। वह कमिश्नर को मिले। उन्होंने डी आई जी से बातचीत की। बातचीत के समय एस पी मौजूद थे। क्या इस सब अधिकारियों ने प्रदेश सरकार को अंधेरे में रखने का षड्यंत्र किया था? अगर नहीं किया था, तो प्रदेश सरकार को इस बारे में जानकारी क्यों नहीं मिली?

उपाध्यक्ष महोदय, आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखा। मगर जब सेशन्ज जज के यहां याचिका दाखिल की गई. तो सेशन्ज जज ने उसको चीफ मैजिस्ट्रेट को भेज दिया। चीफ मैजिस्ट्रेट ने अक्तूबर में पब्लिक प्रासीक्यूटर को भेज दिया और पब्लिक प्रासिक्यूटर ने पुलिस सुपरिन्टेंडेंट को भेज दिया। नागरिकों की आंखें निकाल ली गई। क्या यह "आंख के बदले आंख" का न्याय नहीं है? क्या यह उन्नीसवीं सदी के कानून और इन्साफ को लागू की कोशिश नहीं की गई? वे अपराधी थे या नहीं, इसका फैसला अदालत में होना था। पुलिस का काम है कानून और व्यवस्था की रक्षा करना। लेकिन रक्षक भक्षक बन गये।

जिन लोगों की आंखें निकाल ली गई हैं, उनमें से एक व्यक्ति ने कहा है कि अच्छा होता, मैं मार दिया जाता, गोली से उड़ा दिया जाता, एक क्षण में सारी पीड़ा समाप्त हो जाती, कौन जिन्दगी भर इस अंधेरी दुनिया में घूमेगा? कौन उसकी आंखें वापस लाने वाला है?

राज्य सरकार को पता नहीं, केन्द्र को पता नहीं। हमें भी पता नहीं। हम भी अपनी गलती मानते हैं। विरोधी दल भी इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। लेकिन हमारा देश किधर जा रहा है? हमारा समाज और हमारा शासन कहां जा रहा है? हम एक बीमार मुल्क के वासी हो गये हैं। इस तरह की बर्बरता को यह कह कर ठीक ठहराया जा रहा है कि अपराध कम हो गये! दुनिया में जहां राजनैतिक विरोधियों को वनवास में भेज दिया जाता है, साइबेरिया के जंगलों में मरने के लिए भेज दिया जाता है, वहां भी आंखें निकालने का पाप नहीं किया जाता है। इन लोगों की आंखों की ज्योति कौन वापस कर सकता है?

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या कठिनाई है जुडिशल एनक्वायरी का आदेश देने में। कहा गया है कि सी आई डी इस मामले की जांच कर रही है। सी आई डी उसी एस्टाब्लिशमेंट का हिस्सा है, जो निर्मम हो गया है, निर्दय हो गया है, संवेदना विहीन हो गया है। वह हमारा ही एस्टाब्लिशमेंट है, मगर उसके भरोसे यह मामला छोड़ा नहीं जा सकता है।

इसमें जो बड़े अफसर शामिल है, उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? एस पी को अरेस्ट नहीं किया गया है, जबकि छोटे अफसर गिरफ्तार किये गये हैं—वह

भी आज बताया है, क्योंकि इन्हें पता था कि सदन में हंगामा होगा। लेकिन इसमें बड़े अफसरों का रोल क्या है ? और वह डाक्टर—वह तथा—कथित डाक्टर—कहां गया, जो बुलाया जाता था, जो आंखों में तकुआ घुसेड़ता था, ऐसिड डालता था ? उस डाक्टर का पता नहीं है। बड़े अफसरों को क्यों छोड़ा जा रहा है ? मेडिकल रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाये। क्या कठिनाई है सरकार के सामने एक पार्लियामेंटरी कमेटी बनाने में ?

शायद ऐसी घटना फिर कभी न हो, यह इस के ऊपर निर्भर करता है कि शासन की मशीनरी को इस तरह झकझोर दिया जाय कि अब इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो।

यह राज्य का मामला नहीं। भारत एक देश के नाते सिगनेटरी है एस कोवेनेन्ट का जिस में टार्चर के खिलाफ हम ने दुनिया को वचन दिया है कि हम अपने देश में टार्चर को एलाऊ नहीं करेंगे। यह मत कहिए कि बिहार की असेम्बली ने कोई कमेटी बना दी है, अब पार्लियामेंट तस्वीर में नहीं आती। दुनिया में इस मामले को लेकर भारत की बेइज्जती होगी और अगर किसी ने पूछा यूनाइटेड नैशंस में, ह्यूमन राइट्स कमीशन में तो हम क्या जवाब देंगे ?

अधिक से अधिक गम्भीरता से इस मामले को लिया जाना चाहिए। महालगी साहब ने ठीक कहा कि इस को राजनैतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। चाहिये तो यह था कि बिहार के मुख्य मन्त्री कहते कि मेरे राज्य में वह घटना हो गई है, इस समय में मुख्य मन्त्री हूं, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, में इस्तीफा देता हूं, फिर आप उन्हें समझा बुझा कर इस्तीफा वापस करा सकते थे, मगर उन्होंने इतना भी नहीं किया। यह देश की आत्मा को झकझोरने का मौका है। हम डिबर्टिंग प्वाइंट स्कोर नहीं करना चाहते। शायद और किसी के राज्य में भी ऐसा हो सकता है। मगर जो कुछ हुआ है वह आगे न होने पाए इस की जिम्मेदारी इस सदन की है और सरकार क्या करना चाहती है, यह हम जानना चाहते हैं। ....(व्यवधान)....

गृह मन्त्री (श्री जैलसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, आनरेबल मेम्बर अटल बिहारी बाजपेयी जी ने कुछ बातें यथार्थ कही हैं और कुछ बातें विरोधी पक्ष के होने के नाते जोरदार लब्जों में कही हैं। मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता कि इस अमानवीय अत्याचार को अब तक क्यों नहीं देखा गया, मगर में अटल बिहारी जी का मशकूर हूं कि उन्होंने इस बात को मान लिया कि न उन्होंने पता किया, न वहां की सरकार ने पता किया और न सेंटर की सरकार ने पता किया। उन से मतलब विरोधी पक्ष से है। उन्होंने कहा कि हम ने भी नहीं किया, ये उनके शब्द हैं कि हमने नहीं किया, तो यह बात उनकी बड़ी यथार्थ है और यह अमानवीय घटना जो घटी है यह आगे न घटे इस के लिए इन्तजाम करना सरकार की जिम्मेदारी है। मैं इस बात को मानता हूं कि ऐसी सजा उन को दी जाय, आइन्दा के लिए ऐसा इंतजाम किया जाय कि ऐसी सजा अमानवीय दुर्घटना कभी न हो सके। मगर इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि अटल बिहारी जी तो इस से बरी हो सकते हैं, मगर उन से पहले बोलने वाले जो मेम्बर हैं उन को भूलना नहीं चाहिए कि अक्तूबर 1979 में यह काम शुरू हुआ और अब तक अखबारों की खबर के सिवाय किसी तरह भी वह खबर बाहर नहीं आई। मैं यह सोचता हूं और मानना चाहिए हाउस को कि एक ही तरीके से तेजाब डालकर उन की आंखें अन्धी की गई तो कोई न कोई साजिश जरूर हुई होगी और वह साजिश जिस रोज पहले की गई, पहले जब उन को वह साजिश और उस जुल्म को करने में उन्हें कामयाबी हो गई तब उसी तरीके से

उन्होंने किया। इसलिए इस से तो पहली सरकारी भी नहीं बच सकती और हम भी इस के लिए जिम्मेदार हैं। यह जिम्मेदारी लेने के लिए हम तैयार हैं।

सुप्रीम कोर्ट का आर्डर उन्होंने पढ़ कर सुनाया और 6 जुलाई को जो दरख्वास्तें दी गई अदालत में उसका जिक्र किया। तो यह मैं इतना तो मानता हूं कि अच्छी जानकारी उन्होंने दी है लेकिन यह कोई क्वेश्चन नहीं बनता। अगला क्वेश्चन ठीक है कि जूडिशियल एन्क्वायरी क्यों न करायी जाय? तो मैं आप की और हाउस की जानकारी के लिए कह रहा हूं कि यह ऐक्शन लेने के बाद, 14 अफसरों के खिलाफ मुकदमा दायर करने के बाद, उनकी गिरफ्तारी का आर्डर होने के बाद यह देखा जा रहा है, जैसी कि बिहार के मुख्य मन्त्री ने मुझे इत्तिला दी, कि कहीं जूडिशियल एन्क्वायरी करने से मुजरिमों को तो फायदा नहीं होगा।

अगर जुडीशियल इन्क्वायरी करते हैं इसमें देर तो नहीं हो जाएगी और यह मामला खटाई में तो नहीं पड़ जाएगा? (व्यवधान) मैं मानता हूं जुडीशियल इन्क्वायरी करनी चाहिए लेकिन इस मामले में आपको और हम सभी को यह भी देखना है कि यह जो अमानवीय घटना हुई है उसके लिए उन लोगों को तुरन्त सजा मिले और अगर जुडीशियल इन्क्वायरी शुरू हो गई तो मुझे डर है कि इसमें देरी हो जायेगी। मैं जुडीशियल इन्क्वायरी से इन्कार नहीं करता, मैं यह बात गवर्नमेन्ट से कहने के लिए तैयार हूं और इस वक्त हाईकोर्ट की सर्विस में जो जज हो उसी को इंक्वारी देनी चाहिए, इसके लिए भी मैं तैयार हूं लेकिन साथ ही इस पहलू को भी जरूर देखना चाहिए कि अगर इस मामले को जुडीशियल इन्क्वायरी के हवाले कर दिया तो इस केस के 17 मुजरिम जो थे उनकी जमानतें हो गई हैं और 14 अन्दर हैं जोकि मण्डल जी के कहने के हिसाब से बहुत गरीब अदमी हैं—गरीब भी होंगे लेकिन डाकू भी बताए जाते हैं पर यह फैसला अदालत ही करेगी, हम कुछ भी नहीं कहते लेकिन एक इनसान के नाते हमारा यह फर्ज बनता है कि जिन्होंने उनको यह सजा दी है उन्होंने बहुत घटिया से घटिया और गन्दे से गन्दा काम किया है जिससे हम सभी का सिर शर्म से झुक जाता है—उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं बाजपेयी जी से कहना चाहता हूं कि इसमें बिहार के मुख्य मन्त्री और आप सब एक जैसे जिम्मेवार हैं और इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेवारी मण्डल साहब की है जिनके जमाने में यह काम शुरू हुआ। (व्यवधान)

बाजपेयी जी ने यह कहा कि जो ऐक्शन लिया गया वह छोटे अफसरों के खिलाफ लिया गया। उसमें डी वाई एसपी और सब-इन्स्पेक्टर शामिल हैं और एक चौकीदार भी उसमें शामिल है लेकिन अगर कोई बड़े से बड़ा अफसर भी इसमें शामिल होगा तो उसको—सख्त से सख्त सजा देने से मैं गुरेज नहीं करूंगा।

बाजपेयी जी ने मेडिकल रिपोर्ट के बारे में भी कहा है। चूंकि मुकदमा अदालत में है और उनकी तरफ से डाक्टर वहां जा रहे हैं लेकिन उसके साथ हमने यह भी फैसला किया है कि हिन्दुस्तान के तमाम आंखों के माहरीन जो दूसरे की आंख लगा सकते हैं—अगर तेजाब से उनकी नस बच गई है—और ठीक हो सकते हैं तो उनका एक बोर्ड बनाकर वहां भेजेंगे और उनपर जो भी खर्चा होगा वह सरकार वर्दाश्त करेगी।

मैं समझता हूं चीफ मिनिस्टर का यह प्वाइन्ट वैलीड प्वाइन्ट है कि तीन एलेक्शंस हुए जिनमें इस दुर्घटना को उठाया जाना चाहिए था लेकिन किसी ने भी नहीं उठाया। अब मैं इस हाउस से अपील करूंगा कि जितना ही हम इसको उछालेंगे, हिन्दुस्तान की उतनी ही बदनामी होगी, केन्द्रीय सरकार की बदनामी नहीं होगी। हम वाजपेयी जी की उस बात को एप्रिशिएट करते हैं जो उन्होंने आखिर में कही। उन्होंने कहा कि घटना तो हो गई लेकिन इसका उपाय ऐसा किया जाए कि आइंदा ऐसी घटना न हो सके। मैं इस बात के लिए भरोसा दिलाऊंगा कि सरकार इसमें कोई रियायत नहीं करेगी, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी और उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मलूचन्द डागा।

एक माननीय सदस्य : वह उपस्थित नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा 2 बजकर 10 मिनट तक के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर

10 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा के मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर

अठारह मिनट पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जूट कम्पनी (राष्ट्रीयकरण) विधेयक

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : मैं श्री प्रणव कुमार मुखर्जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि जूट की वस्तुओं का जो देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं विनिर्माण, उत्पादन और वितरण जारी रखना सुनिश्चित करके जनसाधारण के हितसाधन के लिए जूट कम्पनियों के उपक्रमों का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट जूट कम्पनियों के उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का तथा उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि जूट की वस्तुओं का जो देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं विनिर्माण, उत्पादन और वितरण जारी रखना सुनिश्चित करके जनसाधारण के हितसाधन के लिए जूट कम्पनियों के उपक्रमों का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट जूट कम्पनियों के उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का तथा उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक का पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री खुर्शीद आलम खान : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : श्रीमान जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : "कि दंड प्रक्रिया संहिता का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर : स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करने का विरोध करता हूं। यह विधेयक हानिकर है। ऊपर से यह विधेयक निर्दोष लगता है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वेंकटसुब्बैय्या सदैव · · लगते हैं।

श्री चित्त बसु : इससे ऐसा लगता है कि सरकार विशेषत: हम सबके यह मित्र बिहार के जेल अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के समान हमें भी अन्धा करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : बुरी बातों को भूल जाइए।

मेरे विरोध के कारण ये हैं :

विधेयक देश में कानून लागू करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को अधिक असाधारण शक्तियां देने के उद्देश्य से लाया गया है। यह शक्ति कुछ बहानों के आधार पर दी गई है। ये बहाने हैं—समाज विरोधी तत्वों, पुराने अपराधियों के साथ प्रभावी ढंग से निपटना तथा विभिन्न ग्रुपों तथा समुदायों में विद्वेष पैदा करना है।

इस असाधारण शक्ति का, जो कानून लागू करने वाले अधिकारियों को दी जा रही है दुरुपयोग किया जाएगा तथा बिहार जेल में घटी घटनाएं पुनः घट सकती हैं। मुझे इस बात का भारी भय है, तथा सभा भी इस बारे में भय व्यक्त करेगी।

बहुत से निरोधक, दमनात्मक कानून हैं जिनके अधीन हमें गिरफ्तार किया जा सकता है, कानून लागू करने वाले अधिकारी भागलपुर के पुलिस अधीक्षक बिहार के महानिरीक्षक जैसे पुलिस अधिकारी हैं और आप मेरे साथ सहमत होंगे कि वे इतने अमानवीय हो गये और इस प्रकार की असाधारण शक्तियां आप उन्हें देने जा रहे हैं। यह अत्यन्त भयानक तथा खतरनाक बात है।

इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मुरादाबाद में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बिना सोचे समझे गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्हें झूंठे मामलों में फंसाया जा रहा है। राहत कार्य में लगे मुस्लिम युवकों को ले जाया जा रहा है तथा पुलिस उनकी जमानतें भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए कानून लागू करने वाले अधिकारियों को जमानत न मंजूर करने तथा जेल के हालात को और कठोर बनाने की शक्तियां दी जा रही हैं। इस प्रकार वे एक प्रकार के विचाराधीन कैदियों के साथ भेद-भाव करेंगे। हमें यही भय है।

फिर इन शक्तियों का उपयोग राजनीतिक दृष्टि से असन्तुष्ट लोगों के विरुद्ध किया जा सकता है क्योंकि कानून लागू करने वाली इन शक्तियों की सत्तारूढ़ दल तथा सत्तारूढ़ दल का संरक्षण प्राप्त गुण्डे लोगों के साथ साठगांठ है। ऐसी घटनाएं घटी हैं। आपको बिरदी की घटना का पता है और आप जानते हैं कि किस प्रकार पुलिस प्रशासन कानून लागू करने वाले अधिकारी समाज विरोधी तत्व तथा कांग्रेस (आई) के सदस्य का हाथ एक पत्रकार की पत्नी के साथ बलात्कार करने तथा उसकी हत्या करने में था।

यह प्रवृत्ति बढ़ रही है, प्रशासन तथा कानून लागू करने वाले अधिकारियों तथा सत्तारूढ़ दल तथा समाज विरोधी तत्वों के बीच साँठ-गांठ की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कानून लागू करने वाले अधिकारी राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध इनका प्रयोग करेंगे।

अन्त में, स्थिति का सामना करनेके लिए पर्याप्त शक्तियाँ हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चित बसु आप स्वीकार करेंगे कि राजनीतिक व्यक्ति की गिरफ्तारी उसकी उन्नति का मार्ग बनाती है। इसलिए आप राजनीतिज्ञों की गिरफ्तारी का विरोध क्यों करते हैं। (**व्यवधान**)

श्री चित्त बसु : वे सदा हमें पेशेवर आन्दोलन कारी अथवा समाज विरोधी मानते हैं तथा वे इनका उपयोग हमारे विरुद्ध करना चाहते हैं। आपने ठीक ही कहा है और मैं आपका आभारी हूं कि आपने सही टिप्पणी की है कि ये लोग हमें हमेशा···समझते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। मैंने सामान्य बात कही थी। मैंने कहा था कि एक राजनीतिक की गिरफ्तारी उसकी पदोन्नति का माध्यम है। आप लोगों को बता सकते हैं कि आप कितनी बार गिरफ्तार हुए, तथा उन्हें आपको चुनना चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री चित्त बसु : राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश जारी किया गया है तथा उस अध्यादेश का वैसा ही उद्देश्य है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : श्री वेंकटसुब्बय्या भी किसी दिन उसके शिकार हो सकते हैं।

श्री चित्त बसु : नजरबंदी का प्रश्न है। साम्प्रदायिक सदभाव का प्रश्न है तथा समाज के गरीब लोगों पर अत्याचारों का प्रश्न है। इसके लिए उन्होंने अपने पास राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश के अन्तर्गत बहुत सी कठोर शक्तियां अपने हाथ में ली हैं। परन्तु इन कठोर शक्तियों से वे सन्तुष्ट नहो हैं और अधिक शक्तियां कार्यकारिणी के लिए प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कार्यकारिणी आज इतनी सिद्धहस्त हो गई है कि उनसे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती।

इस हालात में, मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूं। मुझे उम्मीद है कि सभा विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने के विरोध करने के अधिकार का उपयोग करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य श्री ज्योतिर्मय बसु ने भी विधेयक के पुरःस्थापन के विरोध का नोटिस दिया है। यह नोटिस उन्हें प्रातः देना चाहिए था। वह वरिष्ठ सदस्य हैं। फिर भी मैं विशेष रूप से उन्हें अनुमति देता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं वकील नहीं हूं। परन्तु मैं जानता हूं कि सरकारी तन्त्र किस प्रकार कार्य कर सकता है और हममें से बहुत से शिकार हुए हैं। हमने देखा कि 19 महीने के काले दिनो में इन शक्तियों का किस प्रकार दुरुपयोग किया गया। श्री जे०सी शाह देश के प्रसिद्ध विधिवेत्ता है। उन्होंने एक चमत्कारिक कार्य किया है। वास्तव में उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात का भण्डाफोड़ किया है कि किस प्रकार संसद द्वारा पारित नियमों में अपनी सुविधा के अनुसार संशोधन किया गया है तथा विपक्ष राजनीतिक दृष्टि से विरोध करने वालों तथा पूंजीपतियों बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, निर्यातकों एवं जमाखोरों आदि का विरोध करने वालों का मुंह बंद करने के लिये इसका उपयोग किया जा सकता है। इनका उन्हें दंडित करने का कोई इरादा नहीं है। मैं विधि मंत्री को बताना चाहता हूं कि श्री एस० के० मोदी के फ्लोर मिल के मामले का क्या बना, जो मामला 1973-74 से चल रहा है, जिसमें 4900 बोरी गेहूं जप्त किया गया था। मुझे पता है कि एक स्थान पर बहुत से नोट दिये गये थे।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशकर) : यह नितान्त असत्य है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसु, क्या आप जानते हैं कि कौन सा विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि आप उसे भूल गये हैं। (**व्यवधान**)

परन्तु आप 1974-75 में पहुँच गये हैं। आप 1980 में कब लौटेंगे ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया कारण और उद्देश्य बताने वाले विवरण को देखें। उप-पैरा (चार) के अंतर्गत कार्यकारी मैजिस्ट्रेटों के न्यायालयों की में धारा 108, 109 और 110 के अधीन ले जाने को सुरक्षा सम्बन्धी कार्यवाही अधिकार दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है इसका हर समय दुरुपयोग किया जायेगा।

मैंने इस मामले को सभा में रखा। मैंने इसे सभा पटल पर रखा है कि बर्दवान के जिला मजिस्ट्रेट ने एक व्यक्ति को नजरबंद करते हुए, एक व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए यह स्वीकार किया कि उन्होंने कोरे कागज पर हस्ताक्षर किये थे। शाह आयोग के प्रतिवेदन से बारबार यह पता चला कि कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को नजरबंद करने के लिए कोरे प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने पर बाध्य किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया विषय पर ही बात करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मुझे आपकी शुभ कामना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदा आपसे अच्छा व्यवहार करता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वे अभिन्न सम्बद्ध रख सकते हैं परन्तु आप नहीं। एक उदाहरण···** आपने आज के समाचार पत्रों में पढ़ा होगा। अपहरणकर्ताओं के विरुद्ध मामले वापिस ले लिए गए हैं। एक ओर तो वे ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने उनके विरुद्ध मामले वापिस···** वे** विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले वापिस लेना चाहते हैं। परन्तु जब मामला राजनीतिक विरोध, विमत व्यक्त करने का आता है···

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय उत्तर दें।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : केवल एक मिनट के लिए ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैं उन्हें बुला रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह किस प्रकार इसका दुरुपयोग करते हैं ? यदि आप** केन्द्रीय जांच ब्यूरो के महानिदेशक···

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप कुछ पूछते हैं तो क्या आप यह नहीं चाहते कि मंत्री महोदय उसका उत्तर दें ? अथवा आपके बोलने का क्या लाभ हुआ ? आपने किसी नाम का उल्लेख भी किया है ; ऐसा करना उचित नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : केन्द्रीय जांच ब्यूरो के महानिदेशक को किस प्रकार परेशान किया गया ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो दो दशक पुराने सांसद है। मैं भला आपको क्या शिक्षा दे सकता हूँ ?

श्रीज्योतिर्मय बसु : मैं समाप्त करने वाला हूँ। मैं इस कठोर कानून का विरोध करता हूं। यह एक अन्य ऐसा काला कानून है जो राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश के अनुरूप ही है जिसे इस सरकार ने जारी किया है। इसलिए मैं इसका भरपूर विरोध करता हूं।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : उपाध्यक्ष महोदय, दोनों ही बसु बन्धु, जिन्होंने कि आपत्तियां उठाई हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं—श्री चित्र बसु ने माननीय सदस्यों को दिये गये व्याख्यात्मक ज्ञापन का उल्लेख किया है। ज्ञापन में यह बात पूर्णतया स्पष्ट कर दी गई है कि इसका उपयोग बारबार अपराध करने वालों तथा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध किया जायेगा जो दो दलों या समुदायों के लोगों के बीच वैमनस्य उत्पन्न करते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसका निर्णय कौन करेगा ?

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : मैं इस ओर बैठे अपने मित्रों को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वे इस श्रेणी में नहीं आते हैं। वे ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिनकी प्रतिष्ठा अच्छी है। हम कभी भी उन्हें पुराने अपराधी नहीं मानेंगे। यह तो केवल ऐसे ही व्यक्तियों के लिए बनाया गया है।

दूसरे, जहां तक शासक दल तथा नौकरशाही की मिलीभगत की बात कही गई है, मैं उन्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसा कहते समय वह यह क्यों भूल जाते हैं कि कुछ राज्यों में उनकी सरकारें भी हैं। नौकरशाही की शासक दल के साथ मिलीभगत तो उन राज्यों में ही है जहां उनका अपना शासन है। आज पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है ? मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। यह केवल एक साधारण सा संशोधन है जिसके माध्यम से कुछ अधिक कड़ाई करके कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को कुछ अधिक शक्तियां प्रदान की गई है जिससे कि पुराने अपराधियों तथा समाज-विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्यवाही की जा सके। मैं समझता हूं कि आजकल देश में

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

जो कुछ हो रहा है उनके सन्दर्भ में यह अत्यधिक अनिवार्य है कि दण्ड प्रक्रिया सं
किया गया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 का और संशोधन करने वाली विधेयक व
करने की अनुमति दी जाये ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में **14.40 म० प**

मत-विभाजन संख्या : 2

अब्बासी, श्री काजी जलील
अंकिनाडू प्रसाद राव, श्री पी०
अनवार अहमद, श्री
अराकल, श्री जेवियर
अरुणाचलम, श्री एस०
बरवा, श्री बनवारी लाल
बैठा, श्री डूमर लाल
बन्सी लाल, श्री
बहेरा, श्री रास बिहारी
भगवान देव, श्री
भाटिया, श्री रघुनन्दल लाल
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चव्हाण, श्री एस० बी०
डागा, श्री मूलचन्द
डामोर, श्री सोमजी भाई
देव, श्री संतोष मोहन
डूंगर सिंह, श्री
दुबे, श्री रामनाथ
गायकवाड़, श्री आर० पी०
गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते
जयदीप सिंह, श्री

पक्ष में

जैन, श्री भीकूराम
कर्मा, श्री लक्ष्मण
खां, श्री मलिक एम० एम० ए०
खां, श्री जुल्फिकार अली
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कृष्ण दत्त, श्री
लास्कर, श्री निहार रंजन
महाजन, श्री वाई० एस०
मल्लिकार्जुन, श्री
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मनोहिते, श्री यशवन्तराव
मोतीलाल सिंह, श्री
नाह्टा, श्री बी० आर०
नन्दी येल्लैया, श्री
निहालसिंहवाला, श्री जी० एस०
पदायाची, श्री एस० एस० रामास्वामी
पारधी, श्री केशवराव
पाटिल, श्री ए० टी०
पुजारी, श्री जनार्दन
प्रधानी, श्री के०
रामलिंगम, श्री एन० कुदन्तई
रणवीर सिंह, श्री
रणजीत सिंह, श्री
राव, श्री जगन्नाथ
राठौर, श्री उत्तम
रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा
साही, श्रीमती कृष्णा
संगमा, श्री पी० ए०
सईद, श्री पी० एम०

पक्ष में

सेठी, श्री पी० सी०
शिव शंकर, श्री पी०
सोलंकी, श्री नटवरसिंह
स्पैरो, श्री आर० एस०
स्वामी, श्री के० ए०
तारिक, श्री अनवर
तैयब हुसैन, श्री
टाईटलर, श्री जगदीश
वेंकटरामन, श्री आर०
वेंकटसुब्बया, श्री पी०
याजदानी, डा० गोलम
जैनुल बशर, श्री

विपक्ष में

मत-विभाजन संख्या : 2

अग्रवाल, श्री सतीश
बसु, श्री चित्त
विश्वास, श्री अजय
वोड्डेपल्ली, श्री राजगोपाल राव
बसु, श्री ज्योतिर्मय
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दंडवते, प्रो० मधु
गिरि, श्री सुधीर
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हंसदा, श्री मतिलाल
हीरो, श्री एन० ई०
महाटा, श्री चित्त
मंडल, श्री धनिक लाल
मंडल, श्री मुकुन्द

विपक्ष में

मंडल, श्री सनत कुमार
महालगी, श्री आर० के०
मुखर्जी, श्रीमती गीता
पासवान, श्री राम विलास
पटनायक, श्री जानकी वल्लव
राजदा, श्री रतनसिंह
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
संगमा, श्री पी० ए०
संसवार, श्री राशकरण
सारण, श्री दौलत राम
शमन्ना, श्री टी० आर०
शेजवलकर, श्री० एन० के०
सुन्दरसिंह, श्री
सूरज भान, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम **इस प्रकार है : पक्ष में 63 विपक्ष में 25।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री पी० बेंकटसुब्बय्या : मैं विधेयक पुन: स्थापित करता हूँ।

दण्ड प्रतिक्रिया संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 1980 के सम्बन्ध में विवरण

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी०वेंकटसुब्बय्या) : श्रीमान मैं दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अध्यादेश 1980 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभापटल पर रखता हूं।

** निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया।

पक्ष में : सर्व श्री गिरधारी लाल डोगरा, चितुरी सुब्बा राव चौधरी, एम०राजशेखर मूर्ति, शिवप्रसाद साहु, कमालुद्दीन अहमद, आर० मुथु कुमारन, वृद्धि चन्द्र जैन, ईरा अनथारासुव, के० अर्जुनन।

विपक्ष में : डा० बसन्त कुमार पंडित, श्री मोहम्मद इस्माइल, श्री ए० के० बालन, श्री जयपाल सिंह कश्यप व श्री बाजूबन रियान।

नेत्र (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग का अधिकार) विधेयक

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : मैं श्री शंकरानन्द की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि मृत व्यक्तियों के नेत्रों का चिकीत्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग करने का और उस से सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि मृत व्यक्तियों के नेत्रों का चिकित्सीय प्रयोजनों के लिये उपयोग का और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री निहार रंजन लास्कर : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बोध गया के महन्त द्वारा अत्यधिक भूमि पर कब्जा रखे जाने के सम्बन्ध में आन्दोलन

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार जितने जोर से हरिजनों, आदिवासियों एवं कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान की बात करती है, उन समुदायों पर उतने ही जोर से जुल्म और अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इसका ज्वलंत उदाहरण बिहार के बोध गया महन्त द्वारा प्रशासन की सांठ-गांठ से भूमिहीन हरिजनों पर जुल्म ढाना है।

बिहार में बोध गया महन्त के पास दस हजार एकड़ से अधिक फर्जी जमीन है, जिसे उक्त महन्त ने गलत ढंग से अपने कब्जे में कर रखा है। जमीन को भूमिहीन हरिजन जोत आबाद करते हैं और फसल को महन्त के लठैत काट कर ले जाते हैं। प्रतिरोध करने पर भूमिहीन हरिजनों की हत्यायें की जाती हैं। इस दमन-चक्र के खिलाफ भूमिहीन हरिजन छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के नेतृत्व में गत वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं। पुलिस द्वारा अपने अधिकारों के लिए मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर जुल्म किया जा रहा है। काफी संख्या में गिरफ्तारियां की जा रही हैं। महिलाओं को बुरी तरह पीटा जा रहा है। रात्रि में पुलिस एवं गुन्डे हरिजन बस्ती में जा कर भयभीत करते हैं तथा हरिजन आदिवासी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। गत वर्ष गोली चला कर दो हरिजनों की हत्यायें की गई। पूरे क्षेत्र में भय का साम्राज्य छाया हुआ है। गत साल सरकार ने महन्त की जमीन के नेचर की जांच करवाई थी। रिपोर्ट बिहार सरकार के यहां लंबित है। अभी तक उस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है।

बोध गया में जो प्रश्न उपस्थित हुआ है, वह न केवल दस हजार एकड़ जमीन पर भूमिहीन हरिजनों के अधिकार स्थापित करने का प्रश्न है, बल्कि उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न सरकार की

नीति के कार्यान्वयन का है। जब तक सरकार की नीति और नीयत में एकरूपता नहीं आयेगी, तब तक गरीबों का भला नहीं होगा। भूमि सुधार कानून के नाम पर एक व्यक्ति के पास हजारों एकड़ जमीन हो, यह कानून का खुला मजाक है।

अतः सरकार से मांग है कि सरकार अविलम्ब भूमि सुधार कानून को सख्ती से लागू करवाये तथा बिहार के बोध गया महन्त की हजारों एकड़ नाजायज जमीन को हरिजन आदिवासियों के बीच वितरण करवाये तथा इन समुदायों को प्रशासन एवं पूंजीपति की सांठ-गांठ से हो रहे जुल्म से मुक्त करे।

(दो) **नई दिल्ली स्थित केरल भवन में केरल के मुख्य मंत्री तथा उद्योग मंत्री को कमरे में बंद किये जाने के बारे में।**

श्री ए०के० बालम (ओट्टापालम) : मैं सदन का ध्यान नई दिल्ली "स्थित केरल हाउस" में 12 नवम्बर, को हुई उन अभूतपूर्व तथा दुर्भाग्यिपूर्ण गम्भीर घटनाओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। मैं उस गुन्डागर्दी का उल्लेख करने जा रहा हूं जो कि दल के कुछ कार्यकर्त्ताओं द्वारा की गई। केरल के मुख्य मन्त्री तथा उद्योग मन्त्री को जो राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली आये हुये थे, उनके केरल हाऊस स्थित कमरे में ही बन्द कर दिया गया। यद्यपि केरल हाउस के कर्मचारियों ने लगभग 15 बार पुलिस स्टेशन टेलीफोन किया परन्तु उन्हें समय पर किसी प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं करवाई गई। इस पर केरल हाउस के कर्मचारियों को उन्हें बचाने के लिए केरल हाउस के दरवाजे तोड़ने पड़े। पुलिस उपायुक्त, जो कि आधे घंटे के पश्चात् घटना स्थल पर पहुँचे, अपराधी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने से इंकार कर दिया और मुख्य मंत्री से लिखित रूप में शिकायत दर्ज करवाने के लिए कहा।

इस घटना से राजधानी में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है। यह बात इस तथ्य से और भी अधिक प्रमाणित हो जाती है कि अभी तक बाबा गुरबचनसिंह की हत्या के मामले में भी अपराधियों को गिरफतार नहीं किया जा सका है।

इस शर्मनाक घटना का उल्लेख स्वंय मुख्य मंत्री द्वारा भी राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में किया गया था।

अब मैं यह जानना चाहता हूं कि अब तक इस सम्बन्ध में कितने अपराधिओं को गिरफतार किया जा चुका है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार है। यद्यपि नियम 377 के अन्तर्गत मंत्री को इस विषय के सम्बन्ध में वक्तव्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता परन्तु फिर भी मैं आशा करता हूं कि इस विषय के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए, इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय अपने विचार व्यक्त करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमानजी, श्रीमानजी,**

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांन्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। श्री वृद्धि चन्द्र जैन (व्यवधान) श्री बालम आपतो नियमों को जानते ही हैं। यदि नहीं जानते तो उन्हें पढ़ लीजिए।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री आर०के० महलगी (ठाणे) : श्रीमान जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब दल नियम 377 के अधीन कोई विषय उठाते हैं तो उसका क्या होता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया इस सम्बन्ध में नियमों को पढ़िये। नियमों के विपरीत न तो आप कार्य कर सकते हैं और न ही मैं।

(तीन) राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में पीने के पानी की सप्लाई

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, लोक सभा की, प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 377 के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं :

भारत में 33 वर्ष की स्वतन्त्रता के उपरान्त भी देश की जनता को शुद्ध पेय जल सुलभ नहीं हुआ है। राजस्थान प्रान्त में और विशेषतः बाड़मेर और जैसलमेर में जहां तीन वर्षों में से दो वर्ष अकाल पड़ते हैं वहां पीने के पानी की समस्या गंभीरतम है। उक्त दोनों जिलों में अधिकांश ग्रामों में तीन साल से लगातार सूखा है और कुछ गांव ऐसे हैं जिन में चार साल से अकाल के कारण जल समस्या ने गंभीरतम रूप धारण कर लिया है।

गत साल प्रान्त के 33305 गांवों में से 31000 गांवों में अकाल था। राज्य के 804 गांवों में ट्रेनों द्वारा टंकियों से और रेलवे टंकियों और मिलिटरी के द्वारा ट्रकों से पानी पहुंचाया जाता था। राज्य सरकार ने उक्त जिलों में कुछ गांवों में ट्रकों से टंकियों द्वारा पानी पहुंचाना शुरू कर दिया है। गत वर्ष पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 1/4 गैलन मिलता था।

राजस्थान प्रान्त के पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्रों में अधिकांश भाग में पानी की प्राप्ति के लिए 5 से 10 मील दूर जाना पड़ता है और वहां भी खारा पानी उपलब्ध होता है।

राज्य सरकार ने उक्त ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को पानी उपलब्ध कराने के लिए कुछ ग्रामीण क्षेत्रीय योजनाएं चालू भी की हैं, वे अपर्याप्त हैं। केन्द्र सरकार ने राजस्थान में 33305 गांवों में 24037 ग्राम समस्याग्रद माने हैं परन्तु जिन ग्रामों में हर साल ट्रकों द्वारा टंकियों से अकाल के दिनों में पानी पहुंचाया जाता है वे सब से अधिक समस्याग्रद ग्रामों में हैं। अतः केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि वह राज्य सरकार को दूसरे राज्यों के बदले में अधिक राशि की व्यवस्था करे। यह प्रश्न तात्कालिक और स्थायी हल दोनों की ओर आकर्षित करता है।

(चार) जयपुर में रसोई गैस और मिट्टी के तेल की कमी

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : श्रीमानजी, आपके माध्यम से मैं पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री का ध्यान जयपुर में खाना पकाने वाली गैस तथा मिट्टी के तेल की कमी की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसके कारण वहां स्थिति बहुत ही शोचनीय हो गई है। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि यदि इस सम्बन्ध में शीघ्र उपचारात्मक उपाय न किये गये तो जयपुर की गृहिणियों को अपनी चिरकाल से चली आ रही परम्पराओं को तोड़ कर, बाजारों में प्रदर्शन के लिए आना पड़ेगा।

जयपुर में खाना पकाने की गस की कमी वैसे तो पिछले कुछ महीनों से चलती आ रही है परन्तु अब स्थिति और भी गंभीर रूप धारण कर गई है क्योंकि जिस कार्यालय का दायित्व इन दोनों का वितरण करना है, वह भी उपभोक्ताओं की कठिनाईयों के प्रति उदासीन रवैया अपनाये हुए है। गैस सप्लाई करने वाले के पास अपनी गैस की मांग को पंजीकृत करवाने के बाद, उपभोक्ता को गैस लेने के लिए कम से कम दो महीने तक इन्तजार करने के बाद गैस सप्लाई की जाती है। मेरा ध्यान ऐसे मामलों की ओर भी आकृष्ट किया गया है जिनमें कि गैस का सिलेन्डर देने वाले लड़के को कुछ दे दिया गया और उसने किसी व्यक्ति विशेष के नाम से पंजीकृत सिलेन्डर किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिसका नाम रजिस्टर में नहीं है। कुल अपने ही लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए गैस सप्लाई करने वालों द्वारा एक अन्य तरीका यह अपनाया जाता है कि जो मांग आदेश टेलीफोन पर पंजीकृत करवाई जाती हैं, उन्हें कोई महत्व नही दिया जाता, क्योंकि बाद में जाँच करने पर यह बात प्रकाश में आई है कि इस प्रकार की मांग को रजिस्टर में चढ़ाया ही नहीं गया था। कुछ उपभोक्ताओं ने मेरे पास आकर यह शिकायत भी की है कि जो कोई उपभोक्ता उसके साथ झगड़ा करता है उसे परेशान करने के लिए यह तरीका अपनाया जाता है कि वह उससे कहते हैं कि उसका पंजीकरण कार्ड ही खो गया है और उसे बनाने में उसे 4 दिन का समय लगा दिया जाता है। इसमें भी सब से अधिक दुःख इस बात पर होता है जब कि नया कार्ड बनाये जाने पर भी "डीलर" पिछली तारीख से आर्डर बुक करने से इंकार कर देता है और उसका नाम वह उसी समय लिखता है जिसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं की प्रतीक्षा-सूची और अधिक लम्बी हो जाती है। प्रायः यह देखने में आया है कि डीलर किसी प्रकार का शिकायत रजिस्टर वहां नहीं रखते और न ही दुकान पर ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति ही होता है जो कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा कर उनका उपचार सुझा सके।

शहर के कुछ भागों में मिट्टी के तेल के अभाव के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है। यद्यपि प्रशासन द्वारा यह दावा किया जाता है कि डीलर अपनी सप्लाई उठा नहीं रहे हैं तो खुदरा सप्लाईकर्त्ताओं द्वारा यह कहा जाता है कि प्रशासन द्वारा सप्लाई कम मात्रा में दी जाती है और अपनी सप्लाई प्राप्त करने के लिए बार-बार जाने में उन्हें काफी कठिनाई होती है। इस प्रकार सप्लाईकर्त्ताओं तथा खुदरा सप्लाईकर्त्ताओं के इस आपसी झगड़े के कारण आम जनता को परेशान होना पड़ रहा है और उसकी शिकायतों को सुनने के लिए कोई भी सामने नहीं आया है और यह बात करने की विशेष आवश्यकता नहीं है कि इस सम्पूर्ण घटनाचक्र में जयपुर की गृहिणियों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इन परिस्थितियों में मैं रसायन तथा पेट्रोलियम मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह शीघ्र ही किसी वरिष्ठ अधिकारी को जयपुर भेजें जोकि स्थिति सम्बन्धी निम्न पहलुओं का अध्ययन करें :—

(एक) क्या जयपुर को उसकी गैस सिलेन्डरों की मासिक मांग की पूर्ति करने में वास्तव में कमी की जाती है;

(दो) यदि जांच करने पर यह पता चले कि यहाँ और अधिक सिलेण्डरों को भेजने की

आवश्यकता है, तो सम्बद्ध अधिकारी को यह भी आँकना चाहिए कि वहां कितने सिलेण्डर और मेजने अपेक्षित हैं और उनकी सप्लाई की व्यवस्था करनी चाहिये ;

(तीन) अधिकारियों को इस समय अपनाई जा रही वितरण व्यवस्था की भी जांच करनी चाहिए और उसमें जो भ्रष्टाचार व्याप्त हैं उसका भी पता लगाना चाहिए और जनि दुकानदारोंने अपने चहेते लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया को तोड़-मरोड़ दिया है, उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए ;

(चार) वितरण व्यवस्था में इस प्रकार से सुधार किया जाये जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की कठिनाईयां उत्पन्न ही न हो ।

मैं आशा तथा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि श्री प्रकाश चन्द्र सेठी जिनका गुलाबी शहर के साथ अनेक कारणों से लगाव है, वह निश्चय ही जयपुर की गृहिणियों की भारी परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ न कुछ अवश्य करेंगे ।

(पांच) दिल्ली में एक सती के सम्मान में जलूस

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत एक अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला उठाना चाहती हूँ ।

पिछले शुक्रवार को जब आगामी सप्ताह में लिए जाने वाले कार्य पर विचार किया गया तब सती के सम्मान में जलूस और उसके सम्मान में एक मंदिर की स्थापना के बारे में मैंने एक प्रश्न इस आशा से उठाया था कि एक महिला के नेतृत्व में चल रही सरकार इस प्रकार की कार्रवाई को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाएगी । जलूस आज 1 दिसम्बर, 1980 को दोपहर 12 बजे निकालना है ।

जैसा कि आप जानते हैं भारत में नारी का दर्जा समग्र रूप से बहुत गिरा हुआ है । एक सौ पचास वर्ष पहले राजा राम मोहन राय ने कुछ कुप्रथाओं, के जो नारी की स्थिति को और गिरा रहे थे, उन्मूलन हेतु आन्दोलन आरम्भ किया था । सती प्रथा में नारी को अपना जीवन जीने का भी अधिकार नहीं था । युवा विधवाओं को उनके पतियों की चिताओं में जबरदस्ती जला दिया जाता था ।

अब बीसवीं सदी के अन्त में हमारे देश के कुछ क्षेत्रों के लोगों ने इस प्रथा को पुनर्जीवित करना आरम्भ कर दिया है । हाल के कुछ वर्षों में, राजस्थान में सती होने के 7 मामले हुए, जिनमें से तीन पिछले वर्ष हुए । यह एक चिन्ताजनक बात है कि जहां तक मुझे पता है इन मामलों में एक भी गिरफ्तारी नहीं की गई । इस तथ्य से पिछड़े हुए लोगों को स्पष्ट प्रोत्साहन मिला है इससे सती होने की घटनायें बढ़ेगी ।

अब हिसार में एक और सती हुई, और मारवाड़ी समुदाय के एक भाग ने आज 1 दिसम्बर 1980 को, दिल्ली में सती के सम्मान में एक मन्दिर की स्थापना के लिए, जलूस का आयोजन किया है । हमारा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे देश की राजधानी को गैर-कानूनी और

पतनोन्मुखी कार्यकलापों का केन्द्र न बनने दें जिससे हमारी महिलाओं को जीवन के अधिकार से वंचित न होना पड़े ।

ऐसे कामों को यदि आरम्भ में ही न दबाया गया तो ये सारे देश में खतरनाक ढंग से फैल जाएंगे ।

स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए मेरा आपसे अनुरोध है कि सभा में एक वक्तव्य दिया जाए कि सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाए हैं ।

मैं एक वक्तव्य चाहती हूं जिसका हमें आश्वासन दिया गया है । (व्यवधान)

(छः) हिमाचल प्रदेश में रेल लाइनें

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में 1947 से लेकर शिमला संसदीय क्षेत्र में कोई रेल की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे लोगों में बड़ी भारी निराशा है । हिमाचल के पर्वतीय क्षेत्र में आलू, सेव का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है । परन्तु भारत सरकार की ओर से इस क्षेत्र के किसानों को अपनी पैदावार को मंण्डियों तक पहुंचाने में भारी समय लगता है और बहुत सा माल क्षतिग्रस्त हो जाता है । यही नहीं, इस प्रदेश के अन्दर जो रेल्वे का सर्वेक्षण किया गया, जिस में पौंटा-राजबन्द लाइन जो जगाधरी से मिलाने का सर्वेक्षण किया गया तथा इसी तरह कालका से मरमानू को रेल्वे लाइन देने का सर्वे कराया गया, मगर अभी तक इस क्षेत्र की दोनों सर्वेक्षणों पर रेल्वे लाइन कोई कार्य भारत सरकार की ओर से शुरू नहीं किया गया, जिस से लोगों में भारी निराशा है । नालागढ़ क्षेत्र में रोपड़ से अंग्रेजों के समय में 20 किलोमीटर से ऊपर लाइन हिमाचल क्षेत्र में बिछी हुई थी, परन्तु वह भी उखाड़ कर बरबाद कर दी गई । हिमाचल निवासियों का यह कहना है कि आजादी के बाद किसी भी संसदीय क्षेत्र में कोई रेल्वे लाइन नहीं बिछाई गई । इस क्षेत्र के लोगों को वंचित रखा गया है । अतः मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को उन्नत करने के लिए शिमला से रामपुर तक रेल्वे लाइन बिछाई जाय तथा नालागढ़ में उखाड़ी हुई लाइन को दोबारा लगाया जाय और जिन दो सर्वेक्षणों का रेल्वे ने सर्वे किया है उन पर रेल्वे लाइन बिछाने का काम तुरन्त किया जाय ।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : उपाध्यक्ष महोदय, हम एक वक्तव्य चाहते हैं ।

(व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत खेद है । मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा । आप दोनों ही महिला सदस्य हैं । मेरी अनुमति के बिना यहां किया गया कोई भी व्यवधान सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाएगा । मुझे बहुत खेद है । मैं आपको अनुमति नही दे सकता ।

(व्यवधान**)

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अध्यादेश, 1980 के बारे में सांविधिक संकल्प

तथा

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु द्वारा 27 नवम्बर, 1980 को पेश किये गये निम्नलिखित संकल्प पर अब सभा के आगे चर्चा होगी ।

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 13 अक्तूबर, 1980 को प्रख्यापित, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (1980 का अध्यादेश संख्या 14) का निरनुमोदन करती है ।"

अब श्री चित्त बसु बोलेंगे । उन्होंने अभी अपना संकल्प पेश किया है । उन्हें अपना भाषण जारी रखना है । हम मद संख्या 14 और 15 एक साथ लेते हैं । श्री चित्त बसु ।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने संकल्प अभी पेश किया है । मैं कुछ नहीं बोला हूं ।

मैंने कतिपय कारणों से अध्यादेश का निरनुमोदन करने वाला अपना संकल्प पेश किया है । सर्व प्रथम, आप मुझसे सहमत होंगे कि सरकार अध्यादेश द्वारा शासन करने के असाधारण कदम का सहारा ले रही है । यहां तक कि आर्थिक नीतियों से सम्बन्धित विधान अध्यादेशों का सहारा लेकर बनाए जा रहे हैं । और संसद् की उपेक्षा की जा रही है । इस अध्यादेश को निरनुमोदन करने का मेरा यह पहला कारण है ।

अध्यादेश के निरनुमोदन करने का मेरा दूसरा कारण यह है कि यह हमारे देश के संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है । अध्यादेश के निरनुमोदन करने का मेरा तीसरा कारण यह है कि यदि इस विधेयक को कानून में बदला जाता है तो मैं जोर देकर कहता हूं, और मैं यह कहने के लिए बाध्य हूं कि यह हमारे देश की राष्ट्र द्वारा स्वीकृत उन आर्थिक नीतियों के अन्त की शुरूआत का सूचक होगा जो विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों तथा एकाधिकारी घरानों आदि पर प्रतिबन्ध के बारे में है । इसलिए ये कुछ कारण हैं जिनके आधार पर मैंने अध्यादेश के निरनुमोदन की मांग की है । मैं इसे विस्तार में बताना चाहता हूं ।

इस पूरे अध्यादेश का हाल ही में देश की नीति निर्धारण के संबंध में खासकर आर्थिक मामलों में हुयी कतिपय महत्वपूर्ण घटनाओं की पृष्ठभूमि मे निरीक्षण करना होगा । आपको याद होगा कि 1979-80 के आर्थिक समीक्षा में राष्ट्र द्वारा स्वीकृत आर्थिक नीतियों के उलटने का संकेत दिया गया था । जो सभा के समक्ष रखा गया था । आर्थिक समीक्षा के अनुसार अर्थ-व्यवस्था निर्यात पर निर्भर होनी चाहिए । यह निर्यातोन्मुख होनी चाहिए । 'निर्यात या विनाश' की नीति 1979-80 की आर्थिक समीक्षा द्वारा शुरू की गई थी । आपको यह भी याद होगा कि विश्व बैंक ने हमारी अर्थव्यवस्था को पुनरुज्जीवित करने के लिए कुछ उपायों की सिफारिश की थी । अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है । इसके बारे में कोई सन्देह नहीं है और उन्होंने कुछ उपायों

की सिफारिश इसके पुनरुज्जीवन के लिए की थी। उन उपायों का उद्देश्य था कि देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को गैर-सरकारी क्षेत्र, एकाधिकारियों तथा वह राष्ट्रीय कम्पनियों को सौंप दी जाए। विश्व बैंक ने सुझाव दिया था कि गैर-सरकारी क्षेत्र को सार्वजानिक क्षेत्र के प्रबंध में हिस्सा लेने की अनुमति दी जाए। उन्होंने अत्यावश्यक क्षेत्रों जैसे बिजली, कोयला इस्पातआदि में गैर-सरकारी, तथा सरकारी क्षेत्रों का प्रवन्ध होने का सुझाव दिया था। इसलिए समूचा उद्देश्य यह था कि एकाधिकारियों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अधिक से अधिक रियायतें मिलनी चाहिए और सरकारी क्षेत्र का क्षय होना चाहिए और इसका विस्तार नहीं होना चाहिए।

इसके बाद एफ० आई० सी० सी० आई० का सुझाव आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एफ० आई० सी० सी० आई० भारत के एकाधिारियों का एक अंग है। जब श्रीमती गाँधी की सरकार बनी तब उन्होंने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम सुझाते हुए एक ज्ञापन पेश किया था और 20 सूत्री कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से गैर-सरकारी क्षेत्र के रास्ते में भारत सरकार द्वारा खड़ी की गई बाधाओं को सरकार को दूर कर देनी चाहिए। उनका कहना है कि उनके द्वारा की जाने वाली लूट-पाट के रास्ते में सरकारी विधियों द्वारा लगाई गई बाधाओं को हटा करके ही अर्थव्यवस्था को पुनरुज्जीवित किया जा सकता है। यह उनका सुझाव था और उन्होंने स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया है कि सरकारी क्षेत्र का विस्तार रोका जाए। जहां हम चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र को हमारी अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छी स्थिति में लाना चाहिए वहां एफ० आई० सी० सी० आई० का कहना है कि सरकारी क्षेत्र का विस्तार रोका जाना चाहिए। उनके सुझावों के पीछे यह भावना थी। इसीलिए उन्होंने सुझाव दिया था कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम द्वारा लगाई गई रोक भी हटा दी जानी चाहिए। यह बात अध्यादेश से कुछ संगति रखती है।

हमारे मित्र, हमारे देश के वित्त मंत्री, श्री वेंकटरामन जो बजट प्रस्ताव सभा में लाए, उन बजट प्रस्तावों का लक्ष्य भी कुछ प्रतिबंधों को हटाना था, जैसा कि हस लोगों ने मांग की थी। इसके बाद एक नीतिपरक वक्तव्य दिया गया। औद्योगिक नीति की घोषणा हमारे मित्र डा० चानना ने की थी। इन दोनों नीतियों, अर्थात् बजट प्रस्तावों और नई औद्योगिक नीति वक्तव्य का लक्ष्य भी इन एकाधिकारी घरानों और बहुराष्ट्रिक कम्पनियों को रियायत-पर-रियायत देना और उन्हें और अधिक राहत प्रदान करना था।

यदि आप बजट प्रस्तावों को देखें, जो दुर्भाग्यवश पारित हो चुके हैं, तो आप पाएंगे कि जैसी आशा थी, सभा ने इन्हें केवल अपने भारी बहुमत के बल पर स्वीकृत किया है। परिवर्तनीय खण्ड में भारी परिवर्तन लाए गये और वित्तीय संस्थानों द्वारा बड़े औद्योगिक घरानों और एकाधिपतियों को ऋण प्रदान किया जाना है। क्या यह एकाधिकारी घरानों के हित में नहीं है? क्या यह बहुदेशीय निगमों के हित में नहीं है क्या यह उनके हित में नहीं है? जो अपना मुनाफा बढ़ाना चाहते है? जैसा कि आप जानते हैं बजट प्रस्तावों द्वारा निगमित क्षेत्र को काफी हद तक करों से छुट्टी दे दी गई है। उन्हें नई मशीनों और संयन्त्रों पर अधिक मूल्यह्रास की छूट दी गई तथा घन-कर के मामले में सीमा भी बढ़ा दी गई। मैंने सभा के हितार्थ अभी कुछ

उदाहरण प्रस्तुत कर यह प्रमाणित किया है कि सरकार किस प्रकार मूलभूत नीतियों अथवा कुछ स्वीकृत नीतियों से विचलित हो रही है।

डा० चानना द्वारा नई औद्योगिक नीति पर दिए गए वक्तव्य का उल्लेख मैं पहले ही कर चुका हूं। कुछ लोग कहते हैं कि वे हमारे देश में एकाधिकारी घरानों के बड़े संरक्षक हैं। प्रतिष्ठा की रक्षार्थ मैं नाम नहीं बताऊंगा, हम सभी जानते हैं, कि श्री शिव शंकर भी जानते हैं कि वे खास औद्योगिक घरानों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नई औद्योगिक नीति वक्तव्य क्या है? औद्योगिक नीति पर नया वक्तव्य कतिपय मुख्य स्तम्भों पर आधारित है। एक स्तम्भ, अतिरिक्त क्षमता को नियमित करना है और दूसरा स्वत प्रसार है। वे कौन सी श्रेणियां हैं, जो इस औद्योगिक नीति से लाभ प्राप्त कर रही हैं। अपनी बात को अच्छी तरह समझाने के लिए मैं कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा और दिखाऊंगा कि एकाधिकारी घराने तथा बहुदेशीय कम्पनियां किस प्रकार डा० चानना द्वारा घोषित नई औद्योगिक नीति से लाभ प्राप्त कर रही हैं। श्री एस० के० गोयल ने सरसरी तौर पर अध्ययन करके बताया कि यहां 565 इकाईयां हैं जिनके पास अतिरिक्त स्थापित क्षमता है। इन 565 इकाईयां में से 200 इकाई बहुदेशीय तथा 169 बड़े औद्योगिक घरानों की हैं इस प्रकार, 65% अतिरिक्त स्थापित क्षमता हमारे देश की बहुदेशीय कम्पनियों तथा बड़े औद्योगिक घरानों से सम्बन्ध रखती हैं। उन्होंने किसके हितों का ध्यान रखा और सरकार ने किसके हितों का ध्यान रखा? यह ऐसे बहुत साधारण तथ्यों से स्पष्ट है। इसी प्रकार ये बहुदेशीय कम्पनियां तथा बड़े औद्योगिक घराने स्व प्रसार के लिए भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मैं समझाता हूं कि नवगठित योजना आयोग ने आर्थिक मन्त्रालयों को एक गुप्त परिपत्र जारी किया है कि सरकारी क्षेत्र को कम किया जाए, सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के बीच प्रबन्ध गठबन्धन होने चाहिएं और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की रोकों को हटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने इन निर्देशों पर अमल करना आरम्भ कर दिया है। श्रीमान्, मैं अभी समाप्त करता हूं। अन्त में, इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे मित्र, वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि भारतीय-वाणिज्य मण्डल द्वारा जिन बाधाओं को हटाने की मांग की थी उन्हें हटा दिया गया है। परन्तु जब एकाधिकारियों के लिए बाधाएं हटाई जा रही हैं तो उनसे यह आशा की जाती है कि वे अच्छा काम करें और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के पुनरुत्थान में सहायक बनें। मैं व्यक्तिगत रूप से श्री वेंकटरामन को दोष नहीं देता। श्री वेंकटरामन वही करते हैं जो सरकार की नीति है। सरकार की नीति बाधाओं को दूर करने की है जैसी कि भारतीय वाणिज्य मण्डल, बहुदेशीय कम्पनियों और एकाधिपति घरानों द्वारा मांग की गई थी, और सरकार इनके आगे आत्मसमर्पण के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। यह आत्मसमर्पण इस समय हो रहा है जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र तेजी में है।

मैं दो या तीन आंकड़े प्रस्तुत करता हूं। तब आप समझेंगे। 10 मार्च 1980 को 'इकानामिक टाइम्स' अपने एक अनुसंधान लेख में लिखता है कि सम्पत्ति के अनुसार क्रमबद्ध चोटी के 101 बड़े भारतीय उद्योगों के लिए 1978-79 बहुत अच्छा वर्ष रहा। उनका लाभ सर्वेया सनसनीखेज रहा है। कुल लाभ में 15.3% की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष के लाभ से पांच गुना अधिक है। बड़े औद्योगिक घरानों के अलावा गैर-सरकारी सहकारी क्षेत्र की यह स्थिति है।

चोटी की 101 कम्पनियों की सम्पत्ति पिछले वर्ष के 8.4% की तुलना में 9.4% तक बढ़ गई।

अब 1979-80 की स्थिति लें। यह वर्ष भी इतना ही अच्छा रहा। 'इकानामिक टाइम्स' को स्वयं ही लिखना पड़ा, लगता है कि निगमित क्षेत्र बहुत ही अच्छा चलता रहा है। 1979 के दौरान 23 कम्पनियों के सरसरी तौर पर परीक्षण करने से पता लगता है कि निगमित आय में तेजी से बढ़ोतरी हुई हैं। इन 23 कम्पनियों का कर-पूर्व लाभ 1978 के 111 करोड़ रुपये की अपेक्षा 143 करोड़ रुपये रहा जो 29.2% की बढ़ोतरी दिखाता है। इनमें से 21 कम्पनियों के लाभ में 4% से 265% तक की वृद्धि हुई। 23 कम्पनियों की सूची में बड़े उद्योग भी शामिल हैं।"

ये रियायतें उस समय दी जा रही है जब गैर-सरकारी क्षेत्र तेजी में है। उन्हें अच्छे और सनसनीखेज लाभ हुए हैं।

इसलिए सरकार पर मेरा दोषारोपण यह है कि वह बड़े एकाधिपति घरानों और बहुदेशीय निगमों के आगे आत्मसमर्पण कर रही है और हमारे संविधान के मूलभूत उद्देश्यों को असफल कर रहे हैं।

महोदय, मैं विधेयक की संक्षेप में चर्चा करूंगा। विधेयक में व्यवस्था है कि किसी उपक्रम द्वारा भारत में उत्पादित और विदेशों को निर्यात की गई वस्तुओं को, उसी उपक्रम द्वारा उसी प्रकार की भारत में उत्पादित कुल वस्तुओं अथवा उसी प्रकार की देश में ही उत्पादित, संभरित अथवा वितरित की गई कुल वस्तुओं की गणना करते समय, हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

इसलिए जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यदि कोई औद्योगिक घराना निर्यात के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाता है, तो उस अतिरिक्त क्षमता को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धाराओं के अधीन यह निर्धारित करते समय हिसाब में नहीं लिया जाएगा कि वह उपक्रम प्रमुख है अथवा नहीं। इन परिस्थितियों में, मैं दो प्रश्न उठाना चाहता हूं जिनका स्पष्टीकरण आवश्यक है। पूरी सभा समझती है कि इस विधेयक का मूलभूत उद्देश्य क्या है। क्या यह निर्यात हेतु प्रसारित क्षमता धनोपार्जन नहीं करती ? क्या यह सम्पत्ति अर्जित नहीं करती ? क्या यह कुछ लोगों के हाथों में सम्पत्ति और धन के केन्द्रीकरण के हेतु साधन नहीं जुटाती ? यह करती है, चाहे कितने ही परिष्कृत या लम्बे दम वाले तर्क हों, यह सम्पत्ति बढ़ाती है, कुछ लोगों के हाथों में सम्पत्ति और धन का केन्द्रीकरण करती है और ऐसा करके हमारे देश के आम आदमी और अपार जनसाधारण के बीच एक गहरी खाई पैदाकर रही है। यह इस विधेयक का उद्देश्य है।

सभी जानते हैं कि उन्हें सरकार से कुछ राज सहायता मिलेगी। उन्हें करों में राहत मिलेगी। उन औद्योगिक घरानों को जो अपनी क्षमता का विस्तार करने जा रहें हैं, यह राहत मिलेगी। सरकार ही धनवान और निर्धन के बीच विषमता पैदा कर रही है और अन्तर बढ़ा रही है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि यदि निर्यात हेतु उत्पादित वस्तुएं भविष्य में विदेशी बाजार में अपना स्थान खो देती हैं तो क्या होगा ? बढ़ाई गई क्षमता वस्तुओं के निर्यात के लिए हैं न कि घरेलू उपभोग के लिए है। परन्तु किसी समय अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता बढ़ जाएगी। इन

वस्तुओं के प्रतियोगी बाजार में स्थान खोने की हर सम्भावना है। मेरा प्रश्न है कि अतिरिक्त क्षमता निर्यात के लिए पैदा की गई है। तब निश्चित वस्तुओं का उत्पादन और निर्माण होगा। वे विदेशी बाजार में निर्यात के लिए हैं। यदि वे वस्तुएं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगी नहीं होतीं तो वे बाजार में स्थान खो देंगी। तब क्या होगा ? वे अपने देश में आएंगी और घरेलू बाजार में डाल दी जाएंगी। इसलिए विधेयक में दिये गए कारण उचित नहीं हैं, ठीक नहीं हैं, वे भ्रामक हैं। वास्तव में, मैं एक समिति की सिफारिशें उद्धृत कर सकता हूं। माननीय मंत्री महोदय यह दिखाना चाहते है कि यह घरेलू बाजर के लिए नहीं है और इसीलिए यह एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापार की ओर नहीं ले जाता क्योंकि यह विदेशी बाजार के लिए है। जब वे वस्तुएं विदेशी बाजार में स्थान खो देंगी तो वे देश में वापस आ जाएंगी। और अग्रवाल समिति क्या कहती है ? इसके अनुसार इन्हें घरेलू बाजार में वापस आने की अनुमति दी जाए। और कुल उत्पादन के दस प्रतिशत से भी अधिक माल को घरेलू बाजार में बेचा जाना चाहिए ताकि इन वस्तुओं की परीक्षा हो जाए। परीक्षण के लिए इन्हें नियंत्रक के सामने रखा जाए यदि इनका वास्तव में परीक्षण करना है तो यह निश्चित करने के लिए कि ये वस्तुएं विशिष्टियों के अनुसार हैं निर्यात अथवा आवश्यकताओं के अनुरूप हैं या नहीं भारतीय मानक संस्थान जैसे संस्थान या अन्य संगठनों जैसी विशिष्ट निकायों से परामर्श किया जा सकता था वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। वास्तव में अग्रवाल समिति की ने यह सिफारिश की थी कि निर्यात बाजार के लिए उत्पादित वस्तुओं के 30 प्रतिशत भाग को देश के बाजार में हीं विक्रय की अनुमति दी जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार भी इन सिफारिशों को स्वीकार करेगी। यदि आप यह सिफारिश — 10 प्रतिशत से आप पहले ही सहमत हैं — यानि 30 प्रतिशत की बात स्वीकार करते हैं, तो श्रीमान् यही घरेलू बाजार में भी किया जा सकता है और यह प्रवृति प्रतिबंधित व्यापार व्यवसाय की ओर ले जाएगी। और इसके संशोधन से उन्हें एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की परिधि से अलग रखा जा रहा है।

अत: श्रीमान, यह विधेयक हानिकारक है। यह अनुच्छेद 123 के अन्तर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति के गलत प्रयोग का एक उदाहरण है। इसलिए मैं दोबारा कहता हूं कि यह हमारे देश की राष्ट्रीय आधार पर स्वीकृत आर्थिक नीतियों के अन्त की शुरूआत है। इसके परिणामस्वरूप और भी आर्थिक विधान बनाए जाएंगे जो हमारी अर्थव्यवस्था के स्वतंत्र और सर्वश्रेष्ठ विकास का क्षय करेगा। इन शब्दों के साथ मैं सभा से याचना करूंगा कि वह मेरे द्वारा पेश किए गए विधेयक सम्बन्धी निरनुमोदन प्रस्ताव को स्वीकार करें।

एक माननीय सदस्य : यदि वे चाहते हैं तो भी नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप पेश करें।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शिवशंकर) : उपाध्यक्ष महोदय, जसाकि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार अधिनियम, 1969 में संशोधन हेतु विधेयक के उद्देश्यों और कारणों पर संलग्न कथन में स्पष्ट किया गया है, इसका उद्देश्य निर्यात हेतु उत्पादन बढ़ाने वाले उद्योगों

के सामने आने वाली कतिपय समस्याओं को दूर करना है। भारत सरकार द्वारा 1980-81 के लिए नीति निर्धारित करने हेतु श्री प्रकाश टण्डन की अध्यक्षता में नियुक्त की गई समिति ने जो सामान्यतया टण्डन समिति के नाम से जानी जाती है, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की थी कि भुगतान संतुलन की बढ़ती हुई समस्याओं से निपटने के लिए औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्यात के लिए दिए गए प्रस्तावों पर विचार करते समय एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम के प्रयोजनार्थ कुल उत्पादन क्षमता में से पिछले तीन सालों के सम्पूर्ण निर्यात को घटा दिया जाना चाहिए। समिति की इस सिफारिश की जांच उन भुगतान सन्तुलन घाटों को ध्यान में रखकर की गई जिनके कच्चे तेल तथा तेल उत्पादों के बढ़े हुए आयात मूल्यों से बढ़ जाने की सम्भावना है। समस्या की अविलम्बनीयता को देखते हुए तथा निर्यात आय को बढ़ाने के प्रतिकूल शोधन-संतुलन में सुधार लाने के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अध्यादेश 1980 प्रख्यापित किया गया था। इस विधेयक का प्रभाव बहुत ही सीमित है। भारत में उत्पादित या सप्लाई किए गए या वितरित किए गए कुल माल या उसके अधिकांश भाग का हिसाब लगाते समय, यह निश्चित करने के उद्देश्य से कि क्या कोई उपक्रम विशेष एक प्रधान उपक्रम है या एकाधिकारी उपक्रम है या नहीं, निर्यात किए गए माल के मूल्य को हिसाब में शामिल न करने का प्रस्ताव है। मुझे विधेयक को प्रस्तुत करते समय विषय को स्पष्ट करने का अवसर मिला था। इस विधेयक द्वारा प्रस्तावित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सम्माननीय सदन से इस विधेयक का विचार करने का अनुरोध करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार, अधिनियम, 1969 का और संशोधन करने वाले विधेयक को निम्नलिखित सदस्यों की एक प्रवर समिति को सौंपा जाए, अर्थात् :—

(1) श्री सतीश अग्रवाल
(2) श्री भीखा भाई
(3) श्री नारायण चौबे
(4) श्री वी० एन० गाडगिल
(5) श्री आर० पी० गायकवाड़
(6) श्री अशोक गहलौत
(7) श्री वाई० एस० महाजन
(8) श्री अरविंद नेताम

(9) श्री चिंतामणि पाणिग्रही

(10) श्री शिवशंकर; और

(11) श्री मूलचन्द डागा

तथा इस समिति को 1 जनवरी 1981 तक अपना प्रतिवेदन देने के अनुदेश दिए जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी। वह जाना चाहती हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पसकरा) : महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब, विधेयक और संशोधन दोनों पर एक साथ चर्चा की जाएगी।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, इस विधेयक का संशोधन करने की बजाय वास्तव में यदि इस विधेयक को "एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार पुरस्कार विधेयक" नाम दिया जाता तो बेहतर होता क्योंकि इससे वस्तुतः विधायन के इस क्षेत्र में पूर्वतः नई प्रवृत्ति प्रारंभ होती है। मूल विधेयक, जिसमें संशोधन किया जाना है, 27 दिसम्बर, 1969 को अंगीकार किया गया था। यह वह समय था जब श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार अल्पमत में थी और समर्थन के लिए वामपंथियों पर भी व्यापक रूप से निर्भर थीं। यह वह समय था जब यह विधेयक पारित हुआ था। तब से गंगा में तमाम पानी बह चुका है और मूल विधेयक की भावना को समाप्त करने के लिए मूसलाधार बरिस की तरह एक के बाद एक उपाय सामने आ रहे हैं। मेरे पास समय कम है और बजट के दौरान दी गई कुछ रियायतों के सम्बन्ध में श्री चित्त बसु द्वारा पहले उल्लेख किए गए मुद्दों को मैं दोहराऊंगी नहीं।

निर्यात के नाम पर एकाधिकारियों को ये रियायतें, वर्तमान सरकार के सत्तासीन होने के एक दर्ष बाद शुरू हो गई है—इसका मतलब यह नहीं कि पिछली सरकार ज्यादा मुस्तैद थी। परन्तु अब हमारा सम्बन्ध वर्तमान सरकार से है। निर्यात के रूप में छूट के संकेत 15 अप्रैल को आयात और निर्यात नीति की घोषणा में मिल गए थे। चर्चित टण्डन समिति, जिसमें मुख्यत: निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल थे, के निष्कर्ष जून में आए। इसके तुरन्त बाद 23 जुलाई को औद्योगिक नीति संकल्प आया। यह भी एक संयोग नहीं है कि हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 16 अगस्त को उद्योगपतियों से अपनी बातचीत में कहा कि सरकार यथा संभव सीमातक उन बातों को पूर्ण करेगी जिनको उद्योगों ने उत्पादन बढ़ाने और क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए आवश्यक समझा मैं इन शब्दों पर जोर देती हूं "जो कुछ भी उद्योगों ने आवश्यक समझा"। इस तरह हम देखते हैं कि एक के बाद एक रियायतें दी जा रही हैं।

उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में मंत्री महोदय ने कहा है कि यह अत्यन्त ही अहानिकारक विधेयक है और यह मूल विधेयक के अनुरूप है। वह कहते हैं।

किन्तु, वास्तव में देश के भीतर उपलब्ध कराए गए माल के सम्बन्ध में ही प्रधानता या एकाधिकार का निवारण किया जाना है। अधिनियम का मूल आशय देश के भीतर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार में कमी लाना था।

माननीय मंत्री महोदय ने यह निष्कर्ष कहां से निकाल लिया कि प्रधानता केवल देश में उपलब्ध माल के सम्बन्ध में ही मानी गयी है। 1969 के मूल अधिनियम की प्रस्तावना में स्पष्टरूप से कहा गया है :

"इस बात का उपबंध करने के लिए कि आर्थिक प्रणाली की संक्रिया के परिणामस्वरूप आर्थिक शक्ति का जन-सामान्य के लिए अहितकर रूप में सकेन्द्रण न हो, और एकाधिकारों के नियंत्रण का, एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों के, प्रतिषेध का और उससे संबद्ध या उनके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम"।

क्या इसमें आपको इस बात का संकेत देते हुए कुछ मिलता है कि यह प्रतिबंध केवल या मुख्य रूप से देशी बाजार के लिए है ? इसमें समूची अर्थ प्रणाली आ जाती है। श्री चित्त बसु ने ठीक ही बताया कि निश्चित ही, इन नई रियायतों से धन के केन्द्रीकरण में वृद्धि होगी। यह मुख्य चीज थी जिसे रोका जाना था। देशी या विदेशी बाजार से इसका कुछ वास्ता नहीं है। इस सबके साथ, थोड़े शब्दों में मैं कहूंगी कि यहां दिया गया औचित्य पूर्णतः गलत है। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा होता कि वे 1969 के जैसे नहीं है। 1980 में यह विदेशी बहुराष्ट्रीयों और देशी एकाधिकारियों के साथ संपूर्ण सांठगांठ का एक स्पष्ट मामला है। अब यह कोई छिपी बात नहीं है। हर कोई इस स्थिति से अवगत है कि बहुराष्ट्रीयों के लिए हमारे दरवाजे इतने व्यापक हो गए हैं कि इस वर्ष नौ महीने के अन्दर ही 351 विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं जबकि गत वर्ष इनकी संख्या 160 थी। यह संख्या सिर्फ सितम्बर तक की है, और दिसम्बर तक निश्चय ही यह संख्या और ज्यादा होगी। इसलिए, यह एकाधिकारियों और उनके अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों पर किसी भी तरह के वास्तविक अवरोध को दूर करने का स्पष्ट संकेत है। बात मेरी समझ में आई होती यदि इससे उसमें कम से कम सहयोग मिला होता जिसे वे कह रहे हैं कि निर्यात बढ़ेगा। क्या माननीय मंत्री महोदय सदन को यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत में, कितने मामलों में उनकी कृपापात्र ये बहुराष्ट्रीय और राष्ट्रीय एकाधिकारी अपने निर्यात वायदों को पूरा करने में असफल रहे ? उन्होंने क्या किया अथवा क्या नहीं किया ? जहां तक मैं समझती हूं, वे कई बार असफल रहे और आप इससे इन्कार नहीं कर सकते। मैं चाहूंगी कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें। किन बड़ी आशाओं के साथ आप इस तरह के कार्य कर रहे हैं कि आप इन लोगों को प्रचुर मात्रा में रियायतें दे रहे हैं ? क्या आप आशा करते हैं कि वे अपनी वचनबद्धता का वास्तव में आदर करेंगे ? केवल दूसरे ही दिन, एक सरकारी आदेश द्वारा यह कहा गया था कि जो व्यक्ति, शत-प्रतिशत निर्यात करेंगे, उन्हें अनेक सुविधाएं दी जाएंगी। उस सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक कहने के लिए मेरे पास समय नहीं है। परन्तु उसके बाद भारतीय वाणिज्य क्या कहता है ? वह कहता है कि वे 60

प्रतिशत निर्यात करेंगे और उन सभी सुविधाओं को प्राप्त करना चाहेंगे। मैं जानती हूं कि आपने अभी तक इस सम्बन्ध में 'हां' नहीं कही है। परन्तु आपका व्यवहार क्या है? आप प्रारंभ में 'हां' नहीं कहते। परन्तु अन्ततोगत्वा आप उनपर स्वीकृति की मोहर लगा देते है जिनका बातों का उल्लंघन होता रहा है। ठीक यही बात इन दिनों आपने की है। उन्होंने अतिरिक्त क्षमता से कार्य किया और आपने इसको अपनी मंजूरी दे दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : इन बहुराष्ट्रीयों ने समाजवादी राज्यों को भी आकर्षित किया है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : वे समाजवादी राज्य, मजदूरों के राज्य हैं। वहां गैर सरकारी व्यक्तियों को कोई मुनाफा नहीं मिलता। पहले आप उस बात की गारंटी देने की कृपा कीजिए और तत्पश्चात, जो कुछ आप करना चाहते हैं इसके लिए हम किसी भी तरह की छूट देंगे। यहां, मुनाफे गैर-सरकारी क्षेत्र को मिल रहे हैं।

क्या आपको आशा है कि इससे आयात समाप्त हो जाएगा? मैं कहती हूं—नहीं। क्योंकि, अपनी आयात स्थिति पर दृष्टिपात कीजिए। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि हमारे कुल आयात मूल्य का 48 से 50 प्रतिशत मूल्य तेल आयात के कारण है। ऐसी स्थिति होने पर, ये बहु राष्ट्रीय और दूसरे एकाधिकारी क्या निर्यात करना चाहते हैं? टाटा का सर्फ, हिन्दुस्तान लीवर का तेल, किसी और की तेल पालिश टूथ पेस्ट, और क्या क्या नहीं। ये उपभोक्ता माल की मदे हैं। वे वास्तव में इनका निर्यात करना चाहते हैं? ये ऐसा स्थान हैं जहां वे लूट-खसोट करना चाहते हैं। क्या आप समझते हैं कि पश्चिमी दुनियां की अर्थव्यवस्था के साथ, जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे—आपमें से कुछ, सभी नहीं—कि ये साम्राज्यवादी आपके अच्छे दोस्त हैं और वे अपने देश में सभी उपभोक्ता वस्तुओं के आने के सम्बन्ध में खुली नीति अपनाएंगे? वह एकदम अलग विषय है, परन्तु दुर्भाग्य से वे लोग ऐसा नहीं करेंगे, जैसा कि उन विविध प्रतिकरों से, आप जानते हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ दूसरे देशों द्वारा लगाए गए हैं। इसलिए, वास्तव में आप एकाधिकारियों और बहुराष्ट्रीयों को रियायतें दे रहे हैं और दुर्भाग्य से अब तक आप उन्हें ये रियायतें सरकार के आदेशों द्वारा देते रहे हैं, और अब आप चाहते हैं कि संसद उनको अपनी मंजूरी दे दे। वस्तुतः किस तरह वे आपके व्यापार संतुलन को परिवर्तित करेंगे? आपका व्यापार संतुलन केवल तभी परिवर्तित किया जा सकता है जब देश-देश में जबर्दस्त निर्यात किया जाए और यह निर्यात पश्चिमी दुनियां के देशों को ज्यादा न हो क्योंकि वे न केवल आपकी वस्तुओं को नहीं लेना चाहेंगे अपितु वे स्वयं भी जबर्दस्त आर्थिक संकट और मन्दी के शिकार हैं। आप वह बात जानते हैं। इसलिए, व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी, यह एकाधिकारियों और बहुराष्ट्रीयों को बहुत बड़ी रियायत है जोकि वस्तुतः उनके हाथों में धन की और ज्यादा वृद्धि करने, धन का केन्द्रीकरण करने के लिए है, कोई भी इस तथ्य से इन्कार नहीं कर सकता। आप भी इससे इन्कार नहीं कर सकते। यदि ऐसी बात है, यदि आप चाहते हैं कि निर्यात को वास्तव में बढ़ाया जाना चाहिए, तो वह निर्यात देश देश में सभी वस्तुओं का होना चाहिए जैसे प्रमुख क्षेत्रों की वस्तुएं, ऊंचे मूल्य की वस्तुएं, इस्पात, इंजिन आदि। एक ओर तथा दूसरी ओर सही माइने में आपको अपनी तेल संभावनाओं और तेल उत्पादन को और सुदृढ़ करना चाहिए। तेल संभावनाओं और तेल उत्पादन के इस क्षेत्र

में भी आप बड़ी मरीचिकाओं के पीछे भाग रहे हैं। मैं आपको समय पर चेतावनी देना चाहती हूं। आपने तेल की खोज के लिये सभी पश्चिमी एकाधिकारी कम्पनियों के लिए दरवाजे खोल दिये हैं और आप उन्हें ऐसी शर्तों पर आमंत्रित कर रहे हैं जो भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। मैं जानती हूं कि कभी-कभी विदेशी कम्पनियों को आमंत्रित करना कुछ हद तक आवश्यक हो जाता है। पर इस तरीके से नहीं आपको इस बारे में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए कि आप किसको यह तेल खोज का काम सौंप रहे हैं तथा आप उसके लिए क्या शर्तें रख रहे हैं। जैसा कि मैं समझती हूं आप इस समय इस बजट को सन्तुलित करने की जल्दबाजी में, स्थिति का सही जायजा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपको इस सम्बन्ध में सावधानी बरतनी चाहिए। वे इस प्रकार के लोग नहीं हैं जो तेल की खोज में हमारे साथ अच्छे मित्र सिद्ध होंगे। आपको हमारे अपने प्राद्योगिकीविदों तथा उन दूसरे देशों के प्राद्योगिकीविदों की सेवाएं लेनी चाहिए जो वास्तव में हमारे मित्र हैं और जिनके साथ हमारे आर्थिक तथा राजनैतिक संबंध अच्छे हैं।

इन दो बातों के साथ श्रीमान मैं यह कहना चाहूंगी कि मैं समझती हूं कि वही रास्ता था जिससे आप वास्तव में यथा सम्भव सीमा तक अपना निर्यात बढ़ा सकते हैं। निर्यात-अभिमुख अर्थव्यवस्था का विश्व बैंक का नारा और इन बहु राष्ट्रीय कम्पनियों तथा एकाधिकारियों को एक के बाद एक छूट देना आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। यह मेरा दृढ मत है। इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करती हूं और में आपसे अधिनियम 196। की सभी अच्छाइयों के हित में 1980 में इन एकाधिकार कम्पनियों के "पुस्कार" विधेयक पर जोर न देने के लिए अनुरोध करती हूं। मैं श्री वित्त बसु के प्रस्ताव का अवश्य समर्थन करती हूं।

(श्री चन्द्रजीत यादव पीठासीन हुए)

सभापति महोदय : निःसन्देह इस का पहले ही समर्थन किया गया है।

श्री जगन्नाथ राव (बरहामपुर) : सभापति महोदय, श्रीमान, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। (व्यवधान)। आप मेरी बात सुनिये और आप मेरी बात से सहमत हो जायेंगे। मैं अन्त में आप को इस उद्देश्य के प्रति अपने साथ सहमत कर लूंगा।

सरकार ने हाल के महीनों में औद्योगिक विकास तथा आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए उद्योगों के लिए बड़ी रियायतें घोषित की है। पहली रियायत उस अधिक क्षमता को उसे नियमित करने की थी जो केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना उद्योगों द्वारा की गई थी। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत जहां कोई प्रधान उपक्रम या एकाधिकार उपक्रम का या तो पूंजी के विस्तार या क्षमता के बढ़ने से या उपस्कर के बढ़ने से विस्तार हो जाता है तो उन्हें केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है जो एकाधिकार आयोग को अवेदन-पत्र भेज सकते हैं और रिपोर्ट प्राप्त होने पर केन्द्र सरकार अनुमति देती है या अनुमति देने से मना कर सकती है। यह इस बात को देखने के विचार से किया गया है कि औद्योगिक विकास तीव्रता से हो।

दूसरी रियायत यह थी कि प्रधान उपक्रमों तथा एकाधिकार उपक्रमों को उनके द्वारा

उत्पादित माल जो पूर्णतया भारत से बाहर निर्यात के उद्देश्य के लिए है, की लागत को हिसाब में न लेकर उन्हें उक्त अधिनियम की परधि से अलग रखने के लिए अध्यादेश पारित किया गया था। इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है।

सरकार द्वारा दी गयी तीसरी रियायत अनुसंधान और विकास अभिप्रायों के लिए यदि वे राष्ट्रीय स्वरूप के हैं इस उपक्रमों द्वारा किए गये खर्च पर आय-कर में छूट थी।

चौथी रियायत यह थी कि सरकार ने निर्यातक विकासशील देशों को 40% तक भारतीय शेयर में निवेश करने की अनुमति दी है।

ये चार बड़ी रियायतें बहुत अच्छी रियायतें हैं। वे तीव्र विकास के लिए अपेक्षित है। परन्तु इसके बाद धारा 21 के अन्तर्गत प्रश्न उठता है जैसे कि मैंने कहा है कि विस्तार करने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति की आवश्यकता है।

उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में दिए गये इन कारणों से मैं सहमत नहीं हूँ कि केवल घरेलू उपभोग के लिए उत्पादित माल के बारे में ही आधिपत्य है। ऐसा नहीं है।

यदि आप धारा 21 (घ) पढ़े हैं···

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ राव : उन्होंने व्याख्या अपने ढंग से की है। मैं दूसरे ढंग से व्याख्या करता हूं।

सभापति महोदय : आप को इस बात पर मंत्री महोदय को न कि सदस्यों को राजी करना है।

श्री जगन्नाथ राव : मेरा काम विपक्ष को राजी करना है न कि मन्त्री महोदय को। यही मेरी परेशानी है।

धारा 2 (घ) में इस प्रकार कहा गया है : किसी भी भांति के ऐसे कुल माल के एक तिहाई से अन्यून का उत्पादन प्रदाय या वितरण··· या उसके किसी पर्याप्त भाग में मान लीजिए एक उपक्रम देश की माग का 3 $\frac{1}{3}$ % उत्पादन करता है। केवल 20% का वितरण होता है। बाकी निर्यात किया जाता है। क्या इस उपक्रम को प्रमुख उपक्रम मानलिया जाता है ? प्रमुखता तो है। उत्पादन ही पर्याप्त है। 1/3 उत्पादन व पूर्ति तथा 1/3 वितरण होनी आवश्यक नहीं है। यह हो भी नहीं सकता है। परन्तु कुछ भी हो जब प्रमुख उपक्रम, या एकाधिकार उपक्रम उत्पादन तथा औद्योगिक विकास बढाते हैं तो उसी समय कम्पनी की परिसम्पतियों का मूल्य बढ़ता है। 1969 में एकाधिकार आयोग की सिफारिश पर एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम पारित किया गया था जिससे कुछ व्यापारिक घरानों का पता लगा था जिनके पास एकाधिकार घराने के रूप में 20 करोड़ रु० के मूल्य से अधिक की परिसम्पत्तियां थी और उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण किया जाना है। यह अधिनियम 1969 में पारित किया गया था। इन सभी 10 वर्षों में इसका क्या प्रभाव हुआ ? क्या हम धन व सत्ता के केन्द्रीकरण पर नियंत्रण कर

सके ? हम केवल उत्पादन में बाधा डालने में सफल हुए हैं। हमें यह देखना है कि जब हम औद्योगिक क्षेत्र में देश में अधिकाधिक उत्पादन करते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित उपाय करने हैं कि धन तथा आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण कुछ घरानों में न हो।

मुझे कुछ सुझाव देने हैं।

श्री अजीत कुमार साहा : कोरम पूरा नहीं है।

सभापति महोदय : घंटी बजाई जाए। अब कोरम पूरा हो गया है। श्री जगन्नाथ राव को अपना भाषण जारी रखना है।

श्री जगन्नाथ राव : हमें समस्या की जांच राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में करनी है। हमने औद्योगिक नीति संकल्प 1950 पारित किया है जिससे तमाम औद्योगिक क्षेत्र दो अनुसूचियों, अनुसूची क तथा अनुसूची ख में बंट जाता है। अनुसूची 'क' केवल सरकारी क्षेत्र के लिए सुरक्षित है और अनुसूची ख केवल गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए सुरक्षित है और सरकारी क्षेत्र उस क्षेत्र में भी प्रवेश करता है।

मैं एक प्रश्न करूंगा : क्या इन प्रमुख उपक्रमों में कोई व्यापारिक घरानों की स्वामित्व वाली कम्पनिया हैं ? वे सब सरकारी लिमिटेड कम्पनियां हैं जिनमें अन्य व्यक्तियों द्वारा भी शेयर लिये गए हैं। अब इन वित्तीय संस्थाओं के पास परिवर्तनीय खण्ड के अन्तर्गत 26 प्रतिशत शेयर हैं जो इन उपक्रमों को ऋण देती हैं। इससे ये कम्पनियां वित्तीय संस्थाओं तथा प्रोत्साहक कम्पनियों के संयुक्त उपक्रम बन जाते हैं जिनके अन्य अन्शधारी भी हैं।

दूसरे गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां भारतीय कम्पनियां हैं। वे विदेशी कम्पनियाँ नहीं है। गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग कम पूंजी प्रधान, पनपने की कम अवाध तथा अधिक लाभ वाले है जबकि सरकारी क्षेत्र के उद्योग अधिक पूंजीप्रधान, पनपने की अधिक अवधि तथा कम लाभ वाले हैं। परन्तु अभी भी सरकार को आर्थिक विकास तथा औद्योगिक उन्नति के लिये मूलभूत सुविधायें देनी हैं। सरकारी क्षेत्र के लिए आर्थिक शक्ति तथा धन के केन्द्रीकरण को नियमित करने का सबसे अच्छा तरीका अनुसूची ख में दिए गए उद्योगों के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर प्रवेश करने का है। यही सरकारी क्षेत्र कर रहा है। इसने कितने ही कपड़ा मिलों, कलकत्ता के कुछ ठप पड़ी जूट मिलों को तथा इंजिनीयरिंग फर्मों को अपने स्वामित्व में ले लिया है। आर्थिक शक्ति तथा धन के केन्द्रीकरण पर प्रभावी रूप से नियंत्रण करने का यह सर्वोत्तम तरीका है।

सभापति महोदय : मैं आपसे सहमत हूं। परन्तु उन्हें केवल ठप्प पड़ी एककों को अपने अधिकार में नहीं लेना चाहिए।

श्री जगन्नाथ राव : उन्हें बड़े पैमाने पर आना चाहिए ताकि सरकारी क्षेत्र अर्थ व्यवस्था पर अच्छा नियंत्रण कर सके। अब यही सरकारी क्षेत्र कर रहा है।

तीसरे, मैं सुझाव दूंगा कि इन सरकारी क्षेत्र वाले उपक्रमों से उद्योग के मजदूरों तथा कर्मचारियों तथा आम जनता को अन्य 26 प्रतिशत इक्वीटी देने को कहा जाए ताकि अन्य व्यक्तियों

का 52 प्रतिशत अंश पूंजी पर स्वामित्व हो न कि प्रोत्साहक कम्पनियां का स्वमित्व हो। जिससे इक्विटी व्यापक बन जाए और अर्जित लाभ में इन सब लोगों का हिस्सा हो और जिससे कम्पनी की परिसम्पतियों का मूल उन व्यापारिक घरानों की परिसम्पत्तियों का मूल्य न हो जिन्होंने किसी एक विशेष कम्पनी को प्रोत्साहन दिया।

इसके बाद, मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि उद्योगों में सभी स्तरों पर मजदूरों को प्रतिनिधित्व देने पर भी विचार किया जाए जिससे कि मजदूर भी निदेशकों के बोर्ड में अपना प्रतिनिधित्व कर सके। वित्तीय संस्थाओं का निदेशकों के बोर्ड में अपना प्रतिनिधित्व है। जब इक्विटी व्यापक है तो निश्चिय ही आर्थिक शक्ति और धन का केन्द्रीकरण नहीं होगा। धन में स्वाभाविक रूप से वृद्धि होनी चाहिए। यदि धन ही है तो धन के वितरण का प्रश्न नहीं उठता। इसलिए हमें यह देखना चाहिए कि हमारे औद्योगिक उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हो और साथ-साथ हमें अपनी इक्विटी को भी व्यापक बनाना चाहिए जिससे कि लाभ को बहुत से लोगों में बांटा जा सके।

मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि हमें इन कम्पनियों पर उनके क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिये उनकेशुद्ध लाभ में से कुछ प्रतिशत लाभ सामाजिक बाध्यता के लिए देना चाहिए। कानून की दृष्टि से भी हमें उनको लाभ का कुछ प्रतिशत क्षेत्र के आर्थिक विकास पर खर्च करने के लिये बाध्य करना चाहिए।

कुछ अन्य बातें भी हो सकती है जिन पर सरकार को विचार करना चाहिए। मुझे यह मालूम नहीं है कि सच्चर समिति की क्या सिफारिशें हैं। रिपोर्ट अभी प्रकाश में नहीं आई है। यदि कुछ सिफारिशें हैं जिन का आर्थिक शक्ति तथा धन के स्वामित्व को खत्म करने के उद्देश्य को प्राप्त करना हो तो ऐसी सिफारिशों का अनुसरण करना चाहिए। अधिकांश उद्योगपति लोक हितैषी होते हैं। उन्होंने बहुत सी शैक्षणिक संस्थायें, अनुसंधान संस्थायें तथा दान-संस्थायें खोली हुई हैं। मुझे विश्वास है कि वे सब सहमत होंगे। उनकी ये भी भावनायें होंगी कि वे उनका राष्ट्र-निर्माण के महान कार्य में हिस्सा है।

इसलिए विधेयक का समर्थन करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उन पर सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए विचार करे कि धन का व्यापक रूप से वितरण हो और आर्थिक विकास हो क्योंकि व्यापार घाटा लगभग 2,000 करोड़ या अधिक रुपये है। हम घाटे को पूरा करें पायेंगे और साथ-साथ धन राष्ट्र का होगा।

धन्यवाद।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : महोदय, यह विधेयक उस अध्यादेश का स्थान लेगा जो इस वर्ष 13 अक्तूबर को प्रख्यापित किया गया था। जैसा कि आप को मालूम है और जैसा कि सभा को मालूम है कि यदि तत्काल कार्यवाही आवश्यक हो और सभा का सत्र न चल रहा हो तो अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह जानते हुए कि सभा एक महीने के अन्दर बैठने जा रही है तो ऐसी कौनसी तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता थी जिससे विधान का यह असाधारण माध्यम अर्थात् अध्यादेश का माध्यम अपनाया

गया। मेरा विश्वास है कि सरकार का सभा के प्रति तथा देश के प्रति यह कर्त्तव्य हो जाता है वह उन्हें बताए कि इसके माध्यम से निर्यात में कितनी अधिक वृद्धि हुई है। इसके दो पहलू है : कैसे इसका विचार आया और अध्यादेश जारी करने का क्या औचित्य है। इस विधेयक में निर्यात को बढ़ावा देने के कथित अथवा प्रस्तावित उदेश्य से एकाधिकारियों को कतिपय रियायतें दी गई हैं। अतः इस मामले को वैसे तो वाणिज्य मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में होना चाहिए। किन्तु माननीय विधि मंत्री ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के प्रभारी मंत्री होने के नाते इस विधेयक को सभा में लाने तथा पारित कराने आदि की जिम्मेदारी ली है। मुझे विश्वास है कि वह अपने आप इस प्रकार के गलत मार्ग पर चलने के बारे में नहीं सोच सकते थे। सिकन्दराबाद के माननीय सदस्य के प्रति जो मेरे अच्छे मित्र भी हैं, मेरी सद्भावनाएं हैं कि उन्हें वाणिज्य मंत्रालय और बड़े व्यापार गृहों के अपवित्र गठबन्धन के परिणामस्वरूप विकृत एवं अवैध बच्चे के रूप में जिन बुराइयों की उत्पत्ति हुई है वे उन्हें झेलनी पड़ रही है और उसे अपनाना पड़ रहा है।

एक माननीय सदस्य : टेस्टट्यूब बच्चा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जैसा वह कहते हैं वह सम्भवतः टेस्टट्यूब बच्चा हैं।

स्थिति इस प्रकार है। मामला बहुत गम्भीर है। इस महान सभा के माननीय सदस्यों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो उद्देश्य दिखाई देते हैं वे वास्तविक उद्देश्य नहीं हैं। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि उद्देश्यों और कारणों के कथन में इस सभा के सदस्यों को गुमराह करने का प्रयत्न किया गया है। यह विधेयक से तथा इससे पहले जो अध्यादेश जारी किया गया था। उससे इस देश में एकाधिकारियों का सरकार पर अधिपत्य और दृढ़ नियंत्रण स्थापित होता है और इन एकाधिकारियों ने सरकार को अपने आप को समर्पण करने के लिए बाध्य किया है। प्रत्येक व्यक्ति यह मानता है कि एकाधिकारियों ने निःसंदेह देश को फिरौती के लिए अपने कब्जे में रखा हुआ है और वे आप आदमी का अहितकर बड़ा भारी वित्तीय साम्राज्य बना रहे हैं। मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति इससे असहमत होगा। साथ ही इससे सरकार की अपने उन मित्रों की जीहजूरी का भी भंडाफोड होता है जिन्होंने दुख-सुख में उनका साथ दिया है और जिन्होंने सम्भवतः उनके चुनाव के खर्च के लिए भारी धन राशि का अंशदान किया है और अब उन्हें उसका लाभ इस विधेयक में दी गई रियायतों के रूप में मिल रहा है।

जहां तक एकाधिकारियों सम्बन्धी इस समस्या का अथवा देश की अर्थव्यवस्था पर इसके हानिकारक प्रभाव का सम्बन्ध है, आप जानते हैं और सभा को भी मालूम है कि एक आयोग गठित किया गया था। एकाधिकार आयोग ने इस बारे में प्रयत्न किया था और एक प्रतिवेदन दिया था। इस आयोग ने अपने प्रतिवेदन के साथ एक विधेयक का प्रारूप भी भेजा था जिसे अधिकांशतः स्वीकार किया गया था और यह 1969 का एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम बना। जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री जगन्नाथ राव ने सही कहा है कि जो कानून बनाया गया है तथा आज जो अधिनियम है उसमें इस बात पर निश्चित रूप से विचार किया गया है कि निर्यात के लिए भी कितनी मात्रा में उत्पादन तथा वितरण किया जाना

है। यह जानना बहुत आवश्यक है कि इस अधिनियम की धारा 15, में जिसमें संशोधन नहीं लाया गया है, स्पष्टरूप से उन एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों को शामिल नहीं किया गया है जो सामान्यतया इस प्रकार के व्यवहार होंगे। यदि वे केवल तथा एकमात्र निर्यात के लिए उत्पादन करते है उन्हें इस कानून की परिधि में शामिल नही किया गया है। अतः संसद ने इस पर विचार किया। एकाधिकार आयोग ने उस पर विचार किया और उन्होंने धारा 15(ग) में इसके लिए स्पष्ट व्यवस्था की जिसमें कहा गया है :

"इस अधिनियम के अधीन एकाधिकारी या अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के सम्बन्ध में किया गया आदेश इस प्रकार प्रवर्तित न होगा कि उससे—

× × ×

(ग) किसी व्यक्ति का भारत से माल निर्यात करने का अधिकार वहां तक निर्बंधित हो जहां तक कि एकाधिकारी या अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अनन्यतः ऐसे निर्यात के लिए माल के उत्पादन, प्रदाय, वितरण या नियंत्रण से सम्बन्धित हो।"

अब यद्यपि आज ऐसी व्यवस्था है कि यदि कोई निर्यात करना चाहता है और उस प्रयोजन के लिए उत्पादन करना चाहता है तो यह इस अधिनियम की परिधि के बाहर होगा। क्या हो रहा है ? उद्देश्य और कारणों के कथन में यह दृढ़ता से कहा जा रहा है। यदि आप देखेंगे तो पायेंगे कि यह कितना गुमराह करने वाला है। मुझे बहुत खेद है। सम्भवतः मंत्री महोदय का इसमें कुछ असावधानी से योगदान रहा है। इसमें कहा गया है—पैरा 2 :

"किन्तु वास्तव में केवल देश के भीतर उपलब्ध कराये गये माल के संबंध में ही प्रधानता या एकाधिकार का निवारण किया जाना है।"

कहीं भी ऐसा उद्देश्य नहीं व्यक्त किया गया है क्योंकि इस अधिनियम में अर्थव्यवस्था में आर्थिक शक्ति के संकेद्रण के सम्बन्ध में कार्यवाही करने की व्यवस्था है। अब इस देश में उत्पादन-कर्त्ता उत्पादन करेंगे। वे अधिकाधिक आर्थिक शक्ति अर्जित करेंगे क्योंकि निर्यात से उन्हें जो लाभ होगा उसे बाहर नहीं भेजा जायेगा। यह यहां होगा और इससे आर्थिक शक्ति का संकेन्द्रण होगा।

अब दूसरे वाक्य में कहा गया है :

'अधिनियम का मुख्य आशय देश के भीतर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार में कमी करना था और उस हद तक उत्पादन का निर्यातित भाग देश के भीतर उपभोक्ता के लिए सुसंगत नहीं है।"

कहीं भी उस अभिप्राय को व्यक्त नहीं किया गया है। यदि एकाधिकार आयोग की मुख्य सिफारिशों का कोई सरसरी तौर पर भी अध्ययन करे तो उसे जान पड़ेगा कि उन्होंने भी आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण पर भारी चिन्ता व्यक्त की है। उन्होंने आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण के बारे में (उद्योगोंवार) कहा है। एक विशेष उद्योग अर्थात् इंजीनियरी उद्योग में निर्यात के नाम पर वे क्षमता में वृद्धि करते जा रहे हैं। बाहर निर्यात होता है किन्तु आय उन्हें प्राप्त होती है। उनका

यहां बाजार पर नियंत्रण है। लघु उद्योग, जो इस अधिनियम की परिधि से बाहर हैं, यदि निर्यात करना भी चाहें तो भी सम्भवत: इनके साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकते हैं। यदि उत्पादन करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अथवा एकाधिकारी उपक्रम निर्यात करना चाहती हैं तो लघु उद्योग, यदि निर्यात करना भी चाहें, कैसे उनके साथ प्रतियोगिता कर सकती हैं ?

अब विशेष रियायत दी जा रही है। पैरा 2 में आप देखते हैं कि यह बात कितनी भ्रामक है जब इसमें कहा गया है कि अत: अधिनियम के मूल अभिप्राय को स्पष्ट करने की दृष्टि से अधिनियम में संशोधन करने का निश्चय किया—मूल अभिप्राय क्या है ?

दूसरी ओर अभिप्राय इसके विपरीत है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि किसी भी उपबन्ध से अथवा एकाधिकारी आयोग के प्रतिवेदन से वह यह सिद्ध करें कि मूल अभिप्राय में निर्यातित मात्रा को शामिल न करना था। यह कहीं भी नहीं दिया गया है। जहां निर्यात के बारे में विचार किया गया था वहां इसकी विशिष्ट रूप से व्यवस्था की गई है।

अब देखिए, किस हद तक गुमराह किया गया है। पिछले दिन इस देश के वित्तमंत्री ने कहा था कि आप इन बड़े व्यापारियों को कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते। पिछले दिन उन्होंने कहा कि यदि आप उन्हें 10 प्रतिशत दें तो वे 15 प्रतिशत की मांग करेंगे। यदि आप उन्हें 20 प्रतिशत दें तो वे 30 प्रतिशत की मांग करेंगे। इस सरकार के वित्तमंत्री, जिसके विधि मंत्री एक सदस्य हैं, यह कह रहे थे।

अब उन्हें निर्यात सम्बन्धी राजसहायता, सभी प्रकार का प्रोत्साहन, कर सम्बन्धी लाभ कर-मुक्ति आदि क्या नहीं मिल रहा है। इसके अतिरिक्त आज सरकार की पूरी निष्क्रियता अथवा दिवाला निकलने का भंडाफोड़ हो गया है। वे इस देश से बाहर माल का तब तक निर्यात नहीं करा सकते जबतक वे बड़े व्यापारियों के पैरों में नहीं पड़ते हैं। यह अर्थव्यवस्था है जिसे इन बड़े व्यापारियों की शर्तों पर चलाया जा रहा है। अन्यथा कोई औचित्य नहीं है। मैं आपका ध्यान एकाधिकार आयोग के प्रतिवेदन के एक अंश की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि इस देश में एकाधिकारियों का यह कब्जा बढ़ा ही है किन्तु कम नहीं हुआ है। आज यह अधिकाधिक सक्रिय हैं। आज वित्तमंत्री स्पष्टरूप से कह रहे हैं कि आप उन्हें कभी भी संतुष्ट नहीं कर कर सकते हैं और वे कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। वे अधिकाधिक मांगें करते रहते हैं। अत: मैं कहता हूं कि सरकार की इस सभा और देश को यह बताने का कर्तव्य हो जाता है कि शोधन संतुलन स्थिति में सुधार लाने के लिए वे इस प्रकार की रियायतों की आशा कैसे करते हैं। निर्यात की वे कौन सी मदें हैं जिन पर रियायत दी जानी है ? अब क्या स्थिति है ? प्रमुख उपक्रम का क्या अर्थ है ? जैसा कि आप जानते हैं कि प्रमुख उपक्रम का अर्थ ऐसे उपक्रम से है जो एक तिहाई उत्पादन नियंत्रित करता है। एकाधिकारी उपक्रम का अर्थ है ऐसा उपक्रम जो देश के कुल उपलब्ध उत्पादन में से आधे उत्पादन के निर्यात को नियंत्रित करता है। वे इससे संतुष्ट नहीं हैं। इस देश में उत्पादित माल के आधे भाग पर एक व्यापारिक उपक्रम का नियंत्रण है। वे इससे संतुष्ट नहीं हैं। वे अब निर्यात के नाम पर और सौ प्रतिशत माल का उत्पादन कर सकते हैं। उन्हें स्वीकृति के लिए सरकार के पास नहीं जाना पड़ता है।

जैसा कि आप जानते हैं और मुझे विश्वास है कि सभा को भी मालूम है कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में शक्ति के संकेन्द्रण को कम करने की व्यवस्था नहीं है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यह मालूम होना चाहिए। कुछ गलत आशंकाएं और गलतफहमी हो सकती हैं किन्तु इसमें शक्ति के संकेन्द्रण को कम करने के बारे में कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें केवल केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कतिपय शक्तियां देने की व्यवस्था है कि शक्ति का और संकेन्द्रण न हो। यदि उन्हें उस मात्रा से अधिक उत्पादन का विस्तार करना है, जिसकी अनुमति दी गई है, तो उन्हें सरकार के पास जाना पड़ेगा। केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि क्या यह जन-हित में है या नहीं अथवा स्वीकृति देने से आम आदमी की हानि तो नहीं होती है। यदि इससे आम हानि नहीं होती है तो वे स्वीकृति दे सकते हैं। कई एकाधिकारी गृहों को क्षमता का विस्तार करने की स्वीकृति दी गई है। अतः एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का उद्देश्य शक्ति का संकेन्द्रण कम करना नहीं है। किन्तु एकाधिकारी प्रभुत्व को रोकना है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : महोदय, क्या मैं माननीय अध्यक्ष जी से एक स्पष्टीकरण मांग सकता हूं ? इस पर आगे क्या प्रतिबन्ध लगाया गया है और उस पर कितना विचार किया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : महोदय, पूंजीवादी विश्व में चल रही एक बैंक अर्थात् लायड्स बैंक की 1948 में प्रकाशित एक समीक्षा से मैं उस प्रतिवेदन का एक अंश आपकी अनुमति से पढ़ देता हूं—इसमें यह कहा गया है :

> "एकाधिकारियों द्वारा अपनी एकाधिकार शक्ति का प्रयोग किया जाना सर्वदा हानिकारक होता है, क्योंकि वह अभाव उत्पन्न कर उससे लाभ उठा सकते हैं ; अर्थात् वह मूल्य-वृद्धि कर और कम बिक्री कर के ही ऐसा कर सकते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके एकाधिकार से उनको कोई लाभ नहीं होता है। वह मांगों पर प्रतिरोध लगाते हैं, क्योंकि इससे ही वह अत्यधिक लाभ कमा सकते हैं। लाभ कमाने के लिये उन्हें कहीं पर अवरोध लगाना पड़ता है।"

यदि वह निर्यात से लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें देश की मंडी पर अवरोध लगाना चाहिए ! यह विचार लायड्स बैंक की 1948 की समीक्षा में व्यक्त किये गये हैं। मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह हमें बतायें कि स्थिति क्या इससे भी बदतर है अथवा नहीं। महोदय हम आज इस देश में यह देखते हैं कि केवल यह कहने मात्र से कि जब तक हम ऐसा नहीं करते, तब तक अधिक निर्यात नहीं किया जा सकता। इसलिए इन एकाधिकारी और प्रधान उपक्रमों को सक्रिय किया जा रहा है। इसका यही अर्थ हुआ कि समूचा निर्यात उद्योग आज इन प्रभावी और एकाधिकारी उपक्रमों के शिकंजे में आ रहा है। देश को कभी भी नुकसान पहुंच सकता है।

महोदय, हम समझते हैं कि हमारा आयात बिल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसी अनेक मजबूरियां हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता है। विश्व में ऐसी अनेक घटनाएं हो रही हैं। जिन्हें सहन करना ही होगा। किन्तु अब प्रश्न यह है कि उनका समाधान कैसे किया जाये। क्या

हम कष्ट ही उठाते रहेंगे और निर्यात के महत्वपूर्ण क्षेत्र में बड़े व्यापारियों के दयापात्र बने रहें। क्या यह जारी रहेगा ? उस दिन वित्तमन्त्री महोदय ने कहा था कि वह कभी भी सन्तुष्ट नहीं होंगे चाहे आप उन्हें राज सहायता दें, कर में छूट दें और कर देने से छुट्टी दें अथवा उन्हें एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार से भी मुक्ति क्यों न दे दें। अतः उन पर कौन-सा नियंत्रण रखा जायेगा ?

महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि वे उत्पादन की गयी सभी वस्तुओं का निर्यात करेंगे तो देश की मंडियों का क्या होगा ? यह तो राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध है। जनता सरकार शासन में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सच्चर के नेतृत्व में प्रमुख व्यक्तियों की एक समिति गठित की गई थी। मुझे यह मालूम नहीं कि क्या वह इन सिफारिशों पर गुण-दोष सिद्धान्त के आधार पर विचार कर रहे हैं अथवा चूंकि यह जनता पार्टी के शासनकाल में बनी थी इसलिए उन्होंने उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है।

प्रभावी उपक्रम अथवा एकाधिकारी उपक्रम देश के एक तिहाई अथवा आधे उत्पादन पर आधारित हैं। मैं उनके विचार उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है :—

> 'हमारे देश में मंडी के अंश विशेष में "अवैधता" का कोई प्रश्न अथवा परिकल्पना नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं है कि उसी क्षेत्र में ऐसे प्रभावी उपक्रम का आगे विकास जनहित में विनियमों के अध्यधीन ही होगा।'

...और जब वे यह कहते हैं—यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उद्धृत करता हूँ :—

> "हमारे देश के विशद आकार को ध्यान में रखते हुए तथा अनेक उद्यमियों की संख्या तथा उपलब्ध किये गये औद्योगिक विकास स्तर को ध्यान में रखते हुए हमारी राय यह है कि प्रधान उपक्रमों को निर्धारित करने के प्रयोजन से मंडी के एक तिहाई अंश के वर्तमान मानदंड को घटा कर एक चौथाई कर दिया जाना चाहिये।"

और उसके पश्चात उन्होंने कहा है :—

> "अतः हम यह सिफारिश करते हैं कि 34-खण्ड (दो) और (तीन) में तथा इस धारा के खण्ड (घ) के स्पष्टीकरण—तीन में आये शब्द "एक-तिहाई से कम नहीं" को संशोधित कर एक-चौथाई से कम नहीं "पढ़ा जाना चाहिए"।

अतः उनकी यही सिफारिश है। प्रमुख व्यक्तियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने इसकी जांच की है। उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र में एकाधिकारियों का जमाव है और इन्हें एक-तिहाई और आधे से घटा कर एक चौथाई किया जाना चाहिए। उस सिफारिश को स्वीकार करने के स्थान पर सरकार ने क्या किया ? कुछ हाथों में सत्ता के केन्द्रीकरण पर रोक लगाने के स्थान पर वह अध्यादेश जारी करने की शक्ति के प्रयोग से इस देश में आर्थिक नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला रहे हैं। वह इस प्रकार के एकाधिकार को, जो एक श्राप है, समाप्त करने के स्थान पर एकाधिकारियों को अधिक से अधिक राहत दे रहे हैं। सरकार

ने इस सम्बन्ध में संसद को विश्वास में नहीं लिया है। आज हमें यह बताया जा रहा है कि टंडन समिति नाम की एक समिति है। महोदय, यह टंडन समिति किस बारे में है, हम नहीं जानते, इसकी नियुक्ति कब की गई, इसके सदस्य कौन हैं, उस समिति का औचित्य क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं आदि। इसका हमें कुछ भी पता नहीं है। इन सब बातों के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। यदि इन उपक्रमों को इस अध्यादेश के माध्यम से एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के क्षेत्र से निकाल दिया जाता है तो हमें उसके कारणों का पता नहीं है। विधि मन्त्री महोदय कहते हैं कि इन उपक्रमों का विस्तार किया जा सकता है। अब, इसका स्पष्टीकरण क्या दिया गया है ? उसका सीधा सादा-सा स्पष्टीकरण यह दिया गया है कि इस विस्तार, इस विस्तारित क्षमता के परिणामस्वरूप निर्मित वस्तुओं का मैं निर्यात करना चाहता हूं, यह केवल निर्यात के लिए हैं। वह यही कहते है, अतः उसे स्वीकार कर लिया जाता है। उन्हें एकाधिकार एवं अवरोधक व्यवहार अधिनियम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आना चाहिए। इस प्रक्रिया से वह केन्द्रीय सरकार द्वारा सामान्य जांच और एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के क्षेत्राधिकार से मुक्त हो गये हैं। वह सार्वजनिक जांच और सांविधिक आयोग द्वारा जांच से तथा संसद में इस विषय पर बहस से बचना चाहते हैं। हमें इस सम्बन्ध में पूरे तथ्य उपलब्ध नहीं किए जा रहे हैं। आज भी उसके औचित्य के बारे में कुछ मालूम नहीं है। हमें निर्यात सम्बन्धी लक्ष्य भी मालूम नहीं हैं। देश को गम्भीर रूप से नहीं लिया जा रहा है। विधि मन्त्री महोदय को इस विधेयक की आरम्भ से अन्त तक की कार्यवाही का दायित्व सौंपा गया है। हो सकता है कि वाणिज्य मन्त्रालय ने अथवा प्रधानमन्त्री के सचिवालय ने इसे तैयार किया हो। विधि मन्त्री महोदय को अब एकाएक इस विधेयक की पूरी कार्यवाही करने का दायित्व सौंप दिया गया है। मुझे यह नहीं मालूम कि विधि मंत्री का इसके साथ क्या सम्बन्ध है। मुझे ह भी नहीं मालूम कि क्या 'फिक्की' तथा अन्य लोगों द्वारा अभ्यावेदन किया गया है। क्या सदन को इस सम्बन्ध में विश्वास में नहीं लिया जाना चाहिए ? नहीं, शायद इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती और एक सुबह आप अनुभव करते हैं कि एक अध्यादेश की आवश्यकता है और आप उसे जारी कर देते हैं और उसमें अधिक से अधिक छूटें एकाधिकार गृहों को दी जाती हैं। मेरे पास समय नहीं है वरना मैंने एकाधिकार आयोग के प्रतिवेदन से उदधृत किया होता। 20 वर्ष पहले उनकी सिफारिशें आई थीं किन्तु आज तक भी वे सिफारिशें सार्थक हैं। इन सिफारिशों को स्वीकार करने के बजाय आवश्यक कानून बनाने और सच्चर समिति की सिफारिशों को मानने के बजाय उन्होंने यह कर दिया है।

वह संसद को निष्प्रभावी निकाय बना रहे हैं। वह उस कार्य को संसद के सामने ला रहे हैं जो वह पहले ही कर चुके हैं। शरारत तो पहले कर दी गई है वह अपने बड़े बहुमत के साथ सभी कुछ तहस नहस कर रहे हैं। मैंने यह सोचा था कि श्री जगन्नाथराव जैसे अति सम्माननीय और विशिष्ठ सदस्य इसका समर्थन करेंगे किन्तु वह इस विधेयक के समर्थन में एक शब्द भी नहीं बोले। वह इस विधेयक का समर्थन नहीं करते। वह नहीं कर सकते। (व्यवधान) वह उस विधेयक का समर्थन कैसे कर सकते हैं ? माननीय मंत्री तो वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा तैयार किये गये वक्तव्य को ही पढ़ सके हैं। महोदय, हम विधि मन्त्री महोदय से इस बात की मांग करते हैं कि वह हमें तथा राष्ट्र को इस विधेयक का वास्तविक औचित्य और उसका प्रभाव बतायें तथा वह वाणिज्य

मन्त्रालय द्वारा तैयार किये गये वक्तव्य और गुमराह करने वाले आंकड़े ही न पढ़ें । इन शब्दों के साथ मैं इस खतरनाक, हानिकारक, जन-विरोधी तथा राष्ट्र-विरोधी विधेयक का विरोध करता हूं। यह एकाधिकार गृहों के सम्मुख स्पष्ट रूप से झुकने वाली बात है और हम इसके विरुद्ध सशक्त विरोध प्रकट करते हैं ।

सभापति महोदय : मेरा विचार है कि माननीय मन्त्री माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई बातों पर विचार करेंगे । जब वह उत्तर दें तो यदि सम्भव हो तो उनके द्वारा उठाई गई बातों अर्थात् सच्चर समिति के प्रतिवेदन को स्पष्ट करने का प्रयास करें ।

श्री बाई० एस० महाजन (जलगांव) : सभापति महोदय, मैं विधेयक का समर्थन और श्री चित्त बसु द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प का विरोध करने के लए खड़ा हुआ हूं महोदय, हमारे औद्योगिक कानूनी के विकास में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम एक महत्वपूर्ण युगान्तरकारी घटना है । इसका उद्भव संविधान के कुछ उपबन्धों में देखा जा सकता है जिनके अन्तर्गत राज्य को अपनी नीति इस ढंग से बनानी होगी जिससे राष्ट्रीय संसाधनों पर जनता का स्वामित्व और नियन्त्रण हो और उन्हें इस प्रकार से वितरित किया जाए कि उससे सभी का हित हो। और दूसरी बात यह है कि अर्थ व्यवस्था का संचालन ऐसा न हो कि देश की सम्पदा और उत्पादन साधन जनहित के विरुद्ध कुछ हाथों में संचित हो जायें । 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में वर्तमान आय और धन में विषमताओं में शीघ्र ही कमी लाने और निजी एकाधिकार पर प्रतिबन्ध लगाने और उनके हाथों में आर्थिक शक्ति को संचित होने से रोकने की आवश्यकता पर बल दिया गया है । इन दोनों उद्देश्यों के अतिरिक्त, एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम नये उद्यमियों को जनहित विरोधी आर्थिक शक्ति के केन्द्रित होने के विरुद्ध एक प्रतिरोधी शक्ति बनने के लिए प्रोत्साहित करता है । इन उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रधान फर्म और एकाधिकारी फर्म की परिभाषा की गई है । इस अधिनियम में दी गई है परिभाषा के अनुसार एक प्रधान फर्म वह होती है जो भारत में अथवा उसके किसी पर्याप्त भाग में कुल माल के एक तिहाई से अन्यून का उत्पादन, प्रदाय अथवा वितरण करता है । विपक्षी सदस्य इस बात को भूल गये हैं । (व्यवधान) उसी प्रकार एक एकाधिकारी फर्म की भी परिभाषा की गई है कि ऐसी फर्म वह है जो भारत में निर्मित किसी भी भांति के कुल माल के कम से कम आधे पर नियंत्रण करती है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : भारत में निर्मित निर्यात वस्तुएं भी·····आपके वरिष्ठ सदस्य और सहयोगी इसे स्वीकार कर चुके हैं ।

सभापति महोदय : मेरा विचार है कि श्री महाजन उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं । (व्यवधान) व्यवधान सही हैं । क्योंकि संसदीय व्यवधान हैं । चूंकि मुद्दा श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा, जोकि एक माने हुए एडवोकेट हैं, उठाया गया था इसलिए में एकाधिकार तथा व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के संगत उपबन्ध को पढ़ देता हूं जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत में उत्पादन पर इस विचार के तहत ध्यान दिया जाता है कि क्या कोई उपक्रम विशेष प्रधान है या नहीं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : भारत में उत्पान से क्या अभिप्राय है ? निर्यात वस्तुओं का भारत में उत्पादन किया जाएगा ।

श्री वाई० एस० महाजन : धारा 2 में यह उल्लेख है :

'प्रधान उपक्रम' से वह उमक्रम अभिप्रेत है, जो या तो स्वयं या अन्य अन्तर संबद्ध अपक्रमों के साथ—उन माल या सेवाओं के, जो भारत में या उसके किसी पर्याप्त भाग में की जाती हैं, एक तिहाई से अन्यून की व्यवस्था करता है उसका अन्यथा नियंत्रण करता है"

इससे विधेयक का मूल उद्देश्य स्पष्ट होता है, अर्थात् किसी प्रधान उपक्रम की परिभाषा देश के अन्दर उत्पादन के संदर्भ में की जा सकती है । मुझे अचम्भा है कि विपक्ष के माने हुए सदस्य इस मुद्दे को भूल जाएं और गुमराह करने वाले तर्क दें ।

एक बार जब कोई उपक्रम प्रधान या एकाधिकारी फर्म की परिभाषा में आ जाता है तो उस पर इस अधिनियम के उपबन्ध लागू होते हैं और यदि वह उपक्रम उत्पादन हेतु चाहे वह निर्यात के लिए ही क्यों न हो, अपनी क्षमता बढ़ाना चाहता है तो उसे एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग में जाना होगा और हमारा यह अनुभव रहा है कि ऐसे आवदेन-पत्र एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के पास एक या दो वर्षों तक विचाराधीन रहते हैं । महोदय दो वर्षों की अवधि अधिक होती है और इस लम्बी अवधि में बहुत कुछ हो जाएगा । इस कठिनाई को दूर करने के इरादे से राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया गया था । इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों को बताने वाले विवरण में उल्लिखत है :—

"यह बात महत्वपूर्ण है कि प्रदाय के विषय में प्रधानता का अवधारण करने के लिए आयात को जोड़ा जाता है, किन्तु निर्यात को घटाया नहीं जाता, चाहे निर्यातित उत्पाद देश के भीतर बाजार में प्रदाय को प्रभावित नहीं करता"

औद्योगिक विकास और निर्यात से इस संगति को दूर करने के लिए यह विधेयक जरूरी था और इसी कारण राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक अध्यादेश जारी किया गया ।

मुझे आश्चर्य है कि यद्यपि माननीय सदस्यों द्वारा शानदार भाषण दिए गए हैं परन्तु किसी ने भी देश की अनिश्चित आर्थिक स्थिति की ओर संकेत नहीं किया है । श्रीमती गीता मुखर्जी ने अवश्य ही स्वीकार किया है कि हमारी स्थिति खराब है परन्तु यह स्थिति कितनी चिन्ताजनक है इसे स्पष्ट करने का कष्ट किसी ने नहीं किया । मैं अब इस संबंध में आंकड़े देता हूं । बड़ी कठिनाई के पश्चात् हमने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वर्ष 1976-77 में सन्तुलन हुआ था और 72 करोड़ रुपए का अधिशेष था । हालात बिगड़ गए और वर्ष 1977-78 में हमें 621 करोड़ रुपए का घाटा हुआ । 1978-79 में यह घाटा बढ़कर 1072 करोड़ रु० हो गया और वर्ष 1979-80 में यह 2262 करोड़ रुपए हो गया और इस वर्ष यह घाटा 4000 करोड़ रु० से कम होने की आशा नहीं है । इस प्रकार देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही अनिश्चित और चिन्ताजनक है । हम दिवालिया होने वाले हैं । इस हालात में यदि सरकार ने सुधारात्मक कार्यवाही न की होती तो सरकार असफल हो गई होती । अतः यह उचित है कि सरकार ने इस अध्यादेश को जारी किया

और यह अब इस विधेयक के रूप में सभा में प्रस्तुत किया गया है। हमारे निर्यात में वृद्धि हेतु भी कतिपय कदम उठाए गए हैं। इनमें से कुछ का उल्लेख मैं करता हूं। निर्यात हेतु जो सुविधाएं सान्ता क्रूज और कांडला बन्दरगाह को प्राप्त थीं अब वही सुविधाएं शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख यूनिटों को उपलब्ध कराई गई हैं चाहे वे देश में कहीं भी स्थित क्यों न हों।...(व्यवधान) माननीय सदस्य विषय से हट कर बोले हैं मानो हमारी सम्पूर्ण आर्थिक नीति पर ही चर्चा हो रही हो, मानो हमारा देश आज ही बना हो और हम आर्थिक स्रोतों, व्यापार और उद्योग को विकसित करने के लिए विचार कर रहे हों। हमारा सरकारी क्षेत्र भी है और गैर सरकारी क्षेत्र भी है और निजी क्षेत्र हमारे आर्थिक नियोजन के सिद्धान्तों के अनुरूप कार्य करता है। जहां तक निजी क्षेत्र का सम्बन्ध है यह सहकारी क्षेत्र की भांति हमारी अर्थव्यवस्था का एक अंग है।

महोदय, जहां तक इस एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का सम्बन्ध है मैं यह अवश्य कहूंगा कि इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करने वाला आयोग अपने कार्यों को वस्तुतः पूरा नहीं कर रहा है। अपने प्रतिवेदन में इसने कहा है कि वह इस तथ्य से भिज्ञ है कि वह इस अधिनियम के उद्देश्यों का पालन करने में समर्थ नहीं है। इसका साधारण सा कारण यह है कि जहां तक अवरोधक व्यापारिक व्यवहार का सम्बन्ध है, यह एक स्वायतशासी निकाय है और एक न्यायालय के रूप में कार्य करता है। यह एकाधिकारवादी व्यवहार के मामलों में अपने निर्णयों को भी लागू कर सकता है। मामला सरकार को ही भेजना होता है और इसे लागू करने का कार्य भी सरकार को करना होता है। यह आयोग सन्तोषजनक ढंग से कार्य क्यों नहीं कर रहा है, इसका दूसरा कारण यह है कि इसके पास बुनियादी सुविधायें बहुत कम है। इसके कार्यालय में एक जांच निदेशक और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार का एक पंजीकार है। इसका कार्यालय छोटा सा है और वार्षिक बजट भी 22 लाख रुपए से अधिक नहीं है। ऐसा छोटा निकाय जिसके पास बड़ा संगठन भी नहीं है, इस विशाल देश में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार जैसे व्यापक विषय के साथ न्याय नहीं कर सकता। अतः मैं सुझाव देता हूं कि सरकार इस मामले पर नए सिरे से विचार करे और एकाधिकार, अवरोधक व्यापारिक व्यवहार की नीतियों के बारे में एक व्यापक विधेयक लाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (अंबला) : माननीय सभापति महोदय, मुझे इस बिल के विरोध में यह कहना है कि पूंजीवादी तरीके को, एक ऐसी नीति से, एक ऐसे कानून के पर्दे से शक्ति प्रदान की जा रही है जो देश की आर्थिक हालत पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालेगी। कानून में इस तरह का परिवर्तन कर के, जो दूसरे देशों के लिये हम एक्सपोर्ट करते हैं, उस को इस नीति की परिधि से अलग कर के, जित तरह से यहां के पूंजीपतियों को या उन व्यक्तियों को जिन के हाथ में बड़े उद्योग हैं उन को बहुत बड़ा बल और शक्ति मिलेगी और यहां की अर्थ-व्यवस्था उन चन्द लोगों के हाथों में आ जायगी, जो इस देश पर बहुत बुरा प्रभाव डालेगी। इस समय भी जो कानून व्यवस्था थी, जो भी उत्पादन होता था, चाहे वह देश के इस्तेमाल के लिये या विदेशों को भेजने के लिये हो, जिन लोगों का एक-तिहाई उत्पादन पर प्रभाव रहता था, जिन के हाथ में रहता था, अब उन में हाथ में सारा उत्पादन दे देना, एक्सपोर्ट के नाम से, मैं समझता हूं इस से कुछ

बड़े घरानों को ही लाभ होगा और इस से इस देश की अर्थ-व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा।

इस देश में आज जो एक्सपोर्ट का माल तैयार होता है और जिस ढंग से तैयार होता है, मैं चाहता हूं सरकार उस पर थोड़ा ध्यान दे। आप कच्चे लोहे को लीजिये जो खान से निकलता है—वह मशीनों के जरिये निकाला जाता है। इस काम में हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता था। मैंने स्वयं गोआ और अन्य जगहों पर देखा है कि आयरन-ओर की खानों में मशीनें काम कर रही हैं, इन्सान काम नहीं कर रहे हैं। जहां पहले हजारो लोग काम करते थे, वहां चन्द पूंजीपति अपने फायदे के लिये आटोमेटिक मशीनें लगा कर काम कर रहे हैं, जहां हजारों लोगों को काम दिये जाने की क्षमता थी, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है और मशीनों के द्वारा माल निकाल कर विदेशों को भेजा जा रहा है। अगर उस आयरन-ओर को मजदूरों के द्वारा निकलवाया जाय तो उस से हजारों लोगों को काम मिले और साथ ही अगर उस ओर का स्टील अपने ही देश में बने तो देश में लोहे की कमी दूर हो सकती है। लेकिन हो यह रहा है कि 30 साल पहले कभी जापान के साथ कोई समझौता हुआ था, उस के तेहत सस्ते दर पर लोहा उन को भेजा जा रहा है और यह काम कुछ पूंजीपतियों को सौंप दिया गया है, जो खानों से लोहा निकलवाते हैं और बाहर भेजते हैं, जब कि इस देश के लोगों को स्टील नहीं मिल रहा है, हर रोज कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इस तरह से कुछ उत्पादन करने वाले पूंजीपतियों का फायदा हो रहा है।

इस के अलावा मुझे एक चीज और कहनी है और वह यह है कि इस कानून का खुल कर दुरुपयोग होगा। यह कहा गया कि हम एक्सपोर्ट के लिए उत्पादन कर रहे हैं और इसका देश में इस्तेमाल नहीं होगा लेकिन अगर विदेशों में उस चीज की खपत नहीं होगी, तो उसको कहां ले जाएंगे, किस मार्केट में ले जाएंगे, कहां फेकेंगे, कहां पर रखेंगे ? नतीजा यह होगा कि एक्सपोर्ट की आड़ में वह जो उत्पादन होगा, उसका उपयोग वे मनमाने तरीके से करेंगे, उस का उपयोग कुछ अन्डरटेकिंग्स मनमाने तरीके से करेंगी और उस को एक्सपोर्ट न करके डोमेस्टिक कन्जम्पशन के लिए उसका इस्तेमाल होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इस एक्ट के जरिये जो एक तरीका अपनाया जा रहा है, एक पर्दा डाला जा रहा है, जिस को अगर एक कानून-पढ़ने वाला सामान्य आदमी देखे, तो वह इसके महत्व को नहीं समझेगा, लेकिन इसका एक बड़ा असर हमारी अर्थ-व्यवस्था पर पड़ेगा। अर्थ-व्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा, कितना उत्पादन बढ़ेगा, कितना एक्सपोर्ट होगा कितनी कीमत का एक्सपोर्ट होगा, कितना मुनाफा मिल-मालिकों का बढ़ जाएगा, इस तरह के सारे आंकड़े अगर हमारे सामने आएं और देश की जनता के सामने रखे जाएं, तब इस की त्रीभीषिका और विनाशकारी मनोवृत्ति का पता चलेगा। देश की अर्थ-व्यवस्था पर कितना असर डालेगा और पूंजीवाद को कितना बढ़ावा देने वाला यह है, इस बात का लोगों को पता तभी लगेगा जब ये आकड़े सामने आएं। इसलिए पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाला, कुछ बड़े घरानों को और कुछ अन्डरटेकिंग्स को बढ़ावा देने वाला जो यह विधेयक लाया गया है, उसका मैं विरोध करता हूं और आप ने जो मुझे बोलने के लिए समय दिया है, उसके लिए आप को धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : श्री जनार्दन पुजारी।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : सदन में गणपूर्ति बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। सदन में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं गणपूर्ति का यह प्रश्न उठाया जा रहा है। इसलिए सभी इस बात को सुनिश्चित करें कि सदस्य सदन में उपस्थित रहें। अन्यथा, हम अनावश्यक रूप से सदन का समय नष्ट कर रहे हैं। गणपूर्ति की घंटी बजायी जाए··अब गणपूर्ति है। श्री पुजारी अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : मैंने इस विधेयक के विरोध में दी गई दलीलों को सुना। मैं विपक्षी दलों के इस दावे को समझ पाने में असमर्थ हूं कि वे विधेयक के उद्देश्य को समझ पाने में असमर्थ हैं क्योंकि यह अत्यन्त ही साधारण विधेयक है। मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल संसद के भीतर ही नहीं अपितु संसद से बाहर भी लोगों के मस्तिष्क में यह बात सुस्पष्ट है—देश भर में भारी शोरगुल मचाया गया है—कि उत्पादन में गिरावट आयी है; विदेशी मुद्रा में कमी हुई है। संसद में तथा संसद से बाहर दिन रात इसी बात का हो हल्ला किया गया है। इसका उत्तर है। यह विधेयक अत्यन्त ही साधारण है। परिवर्तनों का आशय और अधिक उत्पादन करने तथा और ज्यादा निर्यात करने का है। यह इस विधेयक का उद्देश्य है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : यह आपके लिए शिक्षाप्रद है।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं आपकी दलील का उत्तर दूंगा। (व्यवधान)

मैं आपका ध्यान अध्यक्ष महोदय के निर्देश संख्या 349 के खण्ड 2 की ओर आकर्षित करूंगा। (व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : कृपया व्यवधान पैदा मत करिए। मैंने भी टोकाटोकी नहीं की है। (व्यवधान)

विधेयक की धारा 2 और 3 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। संशोधन के अनुसार, विधेयक का उद्देश्य निर्यात उत्पादन आधार को व्यापक और मजबूत बनाना है। यह भारत में इस सदन में तथा इस सदन से बाहर लोगों को दिया गया साधारण उत्तर है। अब, जहां तक, मुख्य विधेयक का सम्बन्ध है, मैं इस बात को मानता हूं कि उसमें कुछ खामियां हैं। उन खामियों को दूर किया जाना है। जहां तक धारा 10 (ख) का सम्बन्ध है, मैं श्री महाजन द्वारा व्यक्त किए गये विचारों का पूरी तरह समर्थन करता हूं। अधिनियम की धारा 10 (बी) के अनुसार, आयोग अपने आप किसी भी एकाधिकारी और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार की जांच पड़ताल कर सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से धारा 31 में अनुवर्ती कार्यवाही के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए इस खामी को दूर करने के लिए विधेयक में प्रावधान किया जाना है। मैं इससे सहमत हूं। मैं इसे स्वीकार करता हूं। अब दूसरा प्रश्न अर्द्ध-न्यायिक शक्तियों के सम्बन्ध में है। अब, एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को, कम्पनियों के विवादास्पद प्रश्नों और अन्तर-कार्यों से निपटने के लिए और अधिक अर्द्ध-न्यायिक शक्तियां दी जानी चाहिए। मेरा तीसरा अनुरोध होगा कि गुमराह करने वाले विज्ञापनों तथा झूठे प्रतिनिधित्व जैसे अनुचित

व्यापारिक व्यवहारों को नियंत्रित करने लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को वास्तविक शक्तियों से अवश्य लैस किया जाना चाहिए। अब मेरा अनुरोध यह होगा कि इन एकाधिकारी संस्थानों को केवल उसी प्रयोजन के लिए बनाए गए प्रावधानों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मैं सिर्फ एक सुझाव दे रहा हूं और वह है कि जैसा कि मैंने अभी कहा, भ्रामक और झूठे प्रतिनिधित्व जैसे अनुचित व्यापारिक व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए एकाधिकार एवं अवरोध व्यापारिक व्यवहार आयोग को वास्तविक शक्तियों से अवश्य लैस किया जाना चाहिए। महोदय, एक अन्तिम बात और मैं कहूंगा, आप जानते हैं कि ऐसे कुछ पक्ष हैं, जिनकी हानि हुई है, उन्होंने आयोग को लिख कर दिया है लेकिन आयोग को खिन्न पक्ष की क्षति को पूरा करने में अवश्य समर्थ होना चाहिए। जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र का सम्बन्ध है, मैं पहले दी गई दलीलों पर आता हूं। मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी और श्रीमती गीता मुखर्जी जैसे इस सदन के कुछ उत्तेजित माननीय सदस्यों के भाषण सुने हैं। मैं समझ सकता हूं कि संसद में तथा संसद के बाहर देश में एक धारणा है कि हमारा दल समाजवाद के खिलाफ है। (व्यवधान)

मैंने बड़े ध्यान से उन माननीय सदस्यों की बात सुनी है। मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। आप सहमत हो सकते हैं, आप असहमत हो सकते हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य महोदय को सुनिए।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, जहां तक इस सिफारिश का सम्बन्ध है, यह निर्यात नीति सम्बन्धी टण्डन समिति की सिफारिश का परिणाम है। उसे लागू कर दिया गया है, इस आयोग की नियुक्ति कर दी गई है, यदि मैं भूल नहीं रहा तो जनता शासन में इसकी नियुक्ति की गई।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : कौन सा आयोग ? (व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : यह टण्डन समिति। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह सच्चर समिति है।

श्री जनार्दन पुजारी : ऐसी बात है, मैं अपनी भूल सुधार लेता हूं। महोदय, जहां तक समाजवाद का सम्बन्ध है, मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में छठी लोक सभा के दौरान सदन के भीतर तथा संसद से बाहर भी विचार व्यक्त किए गए हैं।

जनता शासन के दौरान विशेषरूप से डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सरकारी क्षेत्र विरोधी विचार व्यक्त किये थे। उस अवधि के दौरान धारणा यह थी कि देश को समाजवाद से पूंजीवाद की ओर ले जाया जा रहा था और डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी और अन्य सदस्यों द्वारा व्यक्त विचार भारतीय अर्थ व्यवस्था के नियोजित विकास के अनुसार नहीं थे। उन प्रस्तावों का उद्देश्य कुछ एकाधिकारी निजी व्यक्तियों के हाथों को मजबूत करना था। जनता शासन के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्स) जनता पार्टी का समर्थन कर रही थी। हमें सामाजिक सुधार लाने में सार्वजनिक क्षेत्र की सर्वोच्च महत्ता मालूम है। उसको कम महत्व नहीं दिया जा सकता है। कम्युनिस्ट पार्टी

(मार्क्स) समेत विपक्ष के लोगों को हमें इस बारे में सिखाने की आवश्यकता नहीं है। हमें मालूम है और हम समझ सकते हैं कि तब कितना कुछ किया जा सकेगा यदि अधिक मात्रा में उन संसाधनों को निजी क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है जो इस समय निजी व्यक्तियों के हाथों में है। हमें मालूम है कि शोषण, बेरोजगारी, सामाजिक असुरक्षा, बीमारी अदि से संघर्षरत 65 करोड़ की बढ़ती हुई जनसंख्या वाले भारत जैसे गरीब देश के लिए पूंजीवादी प्रणाली कोई समाधान नहीं है। यह कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्स) या श्री ज्योतिर्मय वसु का एकाधिकार नहीं है। हमें यह भी मालूम है कि सात असमानतायें समाज के लिए अभिशाप हैं और एकमात्र समाजवाद जनता को लाभ पहुंचा सकता है। श्री सोमनाथ चटर्जी और अन्य सदस्यों को इस समय सन्देह है कि निजी क्षेत्र को समाप्त करने का प्रयास है। नहीं, हमारा दल ऐसा नहीं करने वाला है। हमारा दल समाजवाद के लिए वचनबद्ध है। हम सरकारी क्षेत्र में अनुशासन की भावना को भरने वाले हैं। समाजवाद कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्स०) का एकाधिकार नहीं है। मैं समझता था कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्स०) तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गरीब लोगों के दल हैं। परन्तु यह धारणा मेरे दिल से मिट गई है। जिस समय इस सभा में जमाखोरों, चोरबाजारी करने वालों तथा तस्करों के विरुद्ध विधान लाया गया था तो मैंने यह समझा था कि कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्स०) इस का समर्थन करेगी। परन्तु जब मुझे मालूम हुआ कि उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया तो मुझे आश्चर्य हुआ था। आप कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्स०) के सदस्य इस बात का दावा कर रहे हैं कि आप गरीबों के मसीहा हो। आप को मालूम है कि चोर बाजारी करने वाले तथा तस्कर लोगों का खून चूस रहे हैं। तब भी आपने उस विधान का समर्थन नहीं किया। आप दो तरफी भूमिका निभा रहे हैं। राष्टीय सुरक्षा अध्यादेश चोरबाजारी करने वालों, तस्करों तथा सैकड़ों अपराधियों के विरुद्ध लाया गया है परन्तु आप इस अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं। इस प्रभाव में न रहिये कि इस देश के लोग समझ नही सकते हैं कि आप दो तरफी भूमिका निभा रहे हैं। उस भूमिका को मत निभाईये। लोग इसे महसूस करेंगे। लोगों ने हमें चुना है और हमें जनादेश दिया है। हम इस देश के लोगों के लिए कार्य करेंगे।

श्री के० पो० उन्नीकृष्णन (बड़ागरा) : सभापति महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विधान है जिसमें वर्षों से विस्तृत रूप से निर्मित नियमित व्यवस्था को नष्ट करने की नई प्रक्रिया की घोषणा की गई है। यह सत्तारूढ़ दल के नये संदर्श को बताने की भी शुरुआत है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह संदर्श सामाजिक नियंत्रण तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत से अलग है जो कांग्रेस की नीति रही है जिसे भूतपूर्व प्रधान मन्त्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत किया था। इस संदर्श का सामाजिक आधार था और इसके अपने ही सामाजिक आधार तथा आर्थिक तर्क थे। यह हमारी आशाओं व आशंकाओं के मूल प्रयास तथा भारतीय नेशनल कांग्रेस के माध्यम से महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू द्वारा भावी निर्माण की परिकल्पना से आया है। परन्तु उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के अनुसार जो इस सभा में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है वह अहानिकर विधेयक है। विधि मन्त्री महोदय द्वारा इस बात का दावा किया गया है कि अधिनियम का मूल उद्देश्य देश में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार को कम करने का था और उस हद तक उत्पादन का निर्यात किया गया भाग देशीय उपभोक्ता के लिए संगत नहीं होता है। एक उपक्रम से या तो देश में खपत या निर्यात के लिए या दोनों के लिए

उत्पादन करने की अपेक्षा की जाती है। यह असंभव कार्य है जिसे विधि मंत्री महोदय ने उद्योग के समक्ष रखा है। और मैं यह कहना चाहूंगा कि एक असाधारण कार्य में किसी कसौटी द्वारा उन्होंने उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में इस सिद्धान्त को और स्पष्ट करके आर्थिक विचार धारा के साथ कुछ बात नई जोड़ दी है। जहां तक यह हमारी समझ में आया, यह माल के उत्पादन की कुल मात्रा है जो प्रधानता या अन्यथा और आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण या राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर इसके प्रभाव को निर्धारित करती है।

एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम सामाजिक या राजनैतिक शून्यता में नहीं आया। यह न केवल राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन तथा बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और देश में सभी लोकतांत्रिक ताकतों के सामाजिक आर्थिक संदर्श के कारण आया बल्कि हमने योजना प्रक्रिया भी शुरू की थी। योजना प्रक्रिया के पीछे तर्क तथा परिकल्पना है। इसीलिए हमने औद्योगिक नीति संकल्प 1956 को स्वीकार किया। और मामला यहीं ठंडा नहीं पड़ गया। हमारे पास इस बात को समझने के लिए कई उद्देश्य तथा तथ्यों का पता लगाने वाले दल थे कि राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के साथ क्या हो रहा था। हमारे पास आय के केन्द्रीकरण के सम्बन्ध में महालानोबिस समिति थी। औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति समिति ने इस बात पर सुस्पष्ट आकड़े तैयार किये थे कि हमारी अर्थ व्यवस्था में आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण कैसे हो रहा था। यह इन यथार्थ परिस्तिथियों में इस एकाधिकार अवरोध व्यापारिक अधिनियम को संविधि पुस्तक में लाया गया। इसका जन्म शून्यता में नहीं हुआ। विधि मन्त्री महोदय को आज यहाँ आकर यह कहने में काफी देरी हो गई है कि अधिनियम का मूल उद्देश्य केवल राष्ट्रीय उत्पादन था।

मुझे आशा है कि माननीय विधि मंत्री मुझे यह कहने के लिए क्षमा करेंगे कि यह आर्थिक दृष्टि से बेतुकापन है। हमने इस विधेयक को कानूनी रूप उद्देश्यपरक विश्लेषण और व्यापक सामाजिक उद्देश्य को दृष्टि में रखकर दिया है। अब हमारे समक्ष नया औद्योगिक नीति संकल्प है जो श्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा प्रतिपादित मूल नीति के उद्देश्य को समाप्त करता है। और अब विधी मंत्री उसी घटनाक्रम में इस उपाय को लेकर सभा में उपस्थित हुए है।

(माननीय उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अच्छा होता कि सरकार ने इस संबंध में अधिक ईमानदारी दर्शाई होती और स्पष्ट कह दिया होता कि 'हम इस एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहारिक अधिनियम को समाप्त करना चाहते हैं, रद्द करना चाहते हैं या हम 'प्रधान उपक्रम' की व्याख्या को समाप्त करना चाहते हैं। यद्यपि मैं इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं होता क्योंकि यह राष्ट्रीय हित में नहीं है फिर भी मैं सरकार की ईमानदारी और स्पष्ट दृष्टिकोण का स्वागत करता हूं। अब वह कहते हैं इसका क्षेत्र सीमित है और यह केवल निर्यात में वृद्धि के लिए है। मैं जानता हूं कि इस सरकार या देश के समक्ष शोधन संतुलन और निर्यात में वृद्धि करने का विशाल कार्य पड़ा है क्योंकि व्यापार घाटे में वृद्धि का खतरा है और इससे आत्म निर्भरता की हमारी धारणा भी खतरे में पड़ सकती है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि 45,000 करोड़ रुपए का व्यापार घाटा प्रत्येक दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा घाटा है और आपको इसे दूर करना होगा परन्तु मैं आपके समक्ष जो प्रश्न रखना

चाहता हूं वह यह है कि क्या निर्यात में वृद्धि का यही तरीका है ? यदि आप पिछले कुछ वर्षों के निर्यात आंकड़ों पर दृष्टि डालें तो आपको पता लगेगा कि जब कभी किसी वस्तु या वस्तुओं ने निर्यात में विशेष सफलता अर्जित की है तो यह सफलता प्रारम्भिक रूप से लघु उद्यमियों और लघु क्षेत्र को मिली है भले ही ये सरकारी हो या इन्जीनीयरी माल हो या क ख ग क्षेत्र हो। एकाधिकारी क्षेत्र का क्या योगदान रहा है ? बहु-राष्ट्रिक क्षेत्र का क्या योगदान रहा है ? बहु-राष्ट्रिकों की न केवल अपने अन्तर्राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विश्वस्तर की योजना होती है बल्कि उनके पास बहु-राष्ट्रिक अन्तर्राष्ट्रीय विश्व विपणन नीति भी होती है। अत: वे कहते हैं, "यदि आप हमें क ख ग वस्तुओं के उत्पादन की अनुमति देते हैं तो हम पूंजी लगाते हैं।" यही कारण है कि कोई निवेश नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं कि हमने अधिनियम को रद्द नहीं किया है बल्कि इसलिए कि वे जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और निर्यात करना चाहते हैं उसकी अनुमति हम इस देश में स्थापित सम्पूर्ण नियन्त्रण-व्यवस्था में परिवर्तन किए बिना नहीं दे सकते।

यही कहानी हमारे बड़े भारतीय गृहों की है जिनके विदेशों में अब बड़े-बड़े संयुक्त उद्यम हैं। इस देश में बचत की दर में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जो कि लगभग 23 प्रतिशत है। निवेश की स्थिति क्या है जब बचत में वृद्धि हो रही है ? अर्थशास्त्री इस स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि निवेश क्यों नहीं हो रहा है। इसका कारण यही है कि उन्हें निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जाती।

निस्सन्देह, निर्यात में वृद्धि करने की बात तो ठीक है परन्तु इस अधिनियम को रद्द करने की नहीं। परन्तु उन्होंने तो एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम में परिवर्तन करना उचित समझा है। मैं इस सभा को चेतावनी देना चाहता हूं कि यह परिवर्तन आपको उसे निर्यात वृद्धि की धारणा से विमुख कर देगा, जिसकी विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा नीधि समर्थन करते रहे हैं। यह वस्तुत: इस सरकार के समाजवादी आडम्बर का एक नया रूप होगा।

महोदय, सरकार का हाल का वह निर्णय सरकार की वास्तविकता प्रकट कर देता है जिसके अनुसार कोडला और बम्बई में शान्ताक्रुज के मुक्त निर्यात व्यापार क्षेत्र में वस्तुओं के उत्पादन में लगे यूनिटों को 5 प्रतिशत तक उत्पादन देश में बेचने की अनुमति दी गई है। वे निर्यात करने में असमर्थ हैं। अत: उन्हें अब देशी बाजार में बिक्री करने की अनुमति है। मुझे बताया गया है कि 5 प्रतिशत बिक्री करने देने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। कल 10 प्रतिशत हो जाएगा और परसों 5/20 और 25 प्रतिशत हो जाएगा। मैं आपका अत्यधिक समय नहीं लेना चाहता। मुझे विश्वास है यह उपाय भी आपको उसी खतरनाक मार्ग पर ले जाएगा। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि यह सम्पूर्ण नियन्त्रण व्यवस्था को नष्ट कर देगा और अन्ततः यह हमें आर्थिक विकास से भिन्न रास्ते पर ले जाएगा और यह मार्ग देश के लिए आत्म-घाती होगा।

श्री रतनसिंह राजदा (बंबई दक्षिण) : मेरे विचार में संशोधन का प्रभाव आत्मसमर्पण मात्र होगा। 1969 में यह अधिनियम इस उद्देश्य से बनाया गया था कि अर्थ-तंत्र इस रूप में

संचालित हो कि आर्थिक शक्ति का संकेन्द्रण लोगों के अहित में न हो, एकाधिकारों पर नियंत्रण हो तथा एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आदि पर रोक लगे। इन वर्षों में हमारा अनुभव रहा है कि यह उद्देश्य कतई प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके विपरीत देश में सभी प्रकार के एकाधिकारों की प्रवृत्ति चल रही है और सरकार उसके विरुद्ध हारी हुई लड़ाई लड़ रही है।

वर्तमान विधेयक में कहा गया है कि किसी उपक्रम द्वारा निर्यात के निर्मित माल को इस प्रयोजन के लिए उसके उत्पादित कुल माल में शामिल नहीं किया जाएगा। प्रश्न यह है कि क्या सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों के उद्देश्य की उसके द्वारा लगाए जा रहे वर्तमान प्रतिबन्ध से भी सिद्धि हो सकेगी। (व्यवधान) मैं इस पर आपका विशिष्ट रूप से ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

1969-77 वर्षों के दौरान 20 प्रमुख व्यावसायिक गृहों की परिसम्पत्ति में 20 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई जबकि राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष वृद्धि 3·5% रही। इन सब वर्षों में अधिनियम ने यह कार्य किया है अब सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है और शोधन संतुलन संबंधी घाटे की व्यवस्था को सुधारना चाहती है। इसमें कुछ बाधाएं हैं। जब तक सरकार इन कमियों को दूर नहीं करती तब तक इस अधिनियम के उद्देश्यों की उपलब्धि नहीं हो सकती।

एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार और उसकी परियोजनाओं को स्वीकृति देने में बहुत विलम्ब होता है। यह सामान्य प्रथा बन गई है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक 75 करोड़ की 500 मैगावाट की बिजली परियोजना 1972 में तैयार की गई थी, पर उसे स्वीकृति 1977 में दी गई जबकि उसका खर्च बढ़कर 172 करोड़ रुपए हो गया था। ऐसी बाधाएं कार्य कर रही हैं। ऐसे उदाहरण हैं जिनमें सरकार पूंजी नियोजन तथा विस्तार कार्यों के लिए एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार संबन्धी कम्पनियों की तुलना में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम संबन्धी कम्पनियों को वरीयता देती है। वर्ष 1979-80 के औद्योगिक उत्पादन में कमी आई है। निर्यात तथा क्षमता विस्तार नीति के उदार बनाये जाने में भय है कि यह उद्देश्य पूरे नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही मुझे सन्देह है कि सरकार पिछले अनुभव को देखते हुए अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेगी। जब तक कमियों को दूर कर के ही इस बारे में कुछ किया जा सकता है। परन्तु जहां तक एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगाने का प्रश्न है, सरकार उसमें बुरी तरह विफल रही है तथा मुझे सन्देह है कि क्या इस संशोधन से भी सरकार अपना लक्ष्य प्राप्त कर पायेगी।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, आजकल हमारे विधि मन्त्री जो भी भाषण देते हैं, मैंने जितने भी उनके भाषण देखे या सुने हैं उसमें हर जगह वह दो बातें कहते हैं।

निदेशक सिद्धान्तों को मौलिक अधिकारों पर प्रभुता होनी चाहिए तथा मर्निवा मामलों में उच्चतम न्यायालय का निर्णय कि मौलिक अधिकार निदेशक तत्वों से श्रेष्ठ है, गलत है। कहीं भी हमारे कानून मंत्री गए हैं तो वहां उन्होंने यह बात कही है। वह बात तो बहुत ठीक कहते हैं, लेकिन मैं आर्टिकल 39(ट) की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ :

> कि अर्थव्यवस्था के संचालन के परिणामस्वरूप धन और उत्पादन साधनों का संकेंद्रण न हो···

लेकिन अब आप यह क्या कह रहे हैं ? मैं इसलिए इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजना चाहता हूं, मेरा दिमाग यह कह रहा है कि उस आदमी को ज्यादा पावर देने के बाद कंसेन्ट्रेशन आफ वेल्थ और कंसेन्ट्रेशन आफ मीन्स होगा। आप बता दें कि यह कंसेन्ट्रेशन आफ वेल्थ और कंसेन्ट्रेशन आफ मीन्स उससे होगा या नहीं ? अपना उत्तर देने के पहले वह यह बहाना न दें कि फूड के लिए इतना पैसा देना पड़ता है। आपके आबजेक्ट्स में ऐसी कोई बात नहीं है। आप आर्टिकिल 39 में जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उन पर स्ट्रेस कर रहे हैं और इधर प्रीऐम्बल में जो साफ लिखा है उसके खिलाफ जा रहे हैं।

"हम भारत के लोग भारत की एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय दिलाने लिए दृढ़ सकल्प हैं।"

एम आर टी पी ऐक्ट को लाने का कारण क्या था ? पहले सच्चर कमेटी या और कमेटियां बैठीं और यह महसूस किया गया कि कुछ लोगों के पास सम्पत्ति इकट्ठी हो रही है। आज भी राजनीति पर पूंजीवादी हावी है। इसको अगर कोई इधर बैठने वाला नहीं मानता है तो वह गलत कहता है। ये पूंजीवादी अपनी सत्ता पर हावी होते हैं और आज नौकरशाही पर भी ये हावी हैं। तो क्या यह इस पूंजीवादी को बढ़ावा देने का काम नहीं करेगा ? आज लाखों इंजीनियर हमारे बेकार हैं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : डागा साहब, आप सच बोलते हैं, इसलिए क्या आप कालिंग अटेंशन के समय नहीं आए थे ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं उदयपुर में था इंटक के सेशन में, इसलिए नहीं आ पाया। मैंने पूरा पढ़ा था और मैं आना चाहता था लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं हाजिर नहीं हो सका, वरना मैं जरूर आता।

मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो एम आर टी पी ऐक्ट के मुताबिक सच्चर कमेटी ने रेकमेंडेशन की उसको आप देख लें। मैंने क्यों यह प्रश्न रखा ? क्योंकि महालनवीस ने जो रिपोर्ट दी है और 1969 के अन्दर जो कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं सब यह कहते हैं कि एम. आर० टी० पी० ऐक्ट के अन्दर अमेंडमेंट होना चाहिए। जितने अर्थशास्त्री हैं उन्होंने राय दी है कि इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। कंसेंट्रेशन आफ वेल्थ बढ़ेगा इस तरह से, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या आज लाखों इंजीनियर हिन्दुस्तान में बेकार नहीं हैं ? क्या उन पर हमारा पैसा खर्च नहीं होता है ? किन्तु जैसा कि मुझे आंकड़ा याद है, शायद 55 प्रतिशत कैपिटल आज कुछ आदमियों के हाथ में है। 75 प्रतिशत लैण्ड 15 प्रतिशत लोगों के हाथ में है। सारी सम्पति का एकीकरण करने के लिए आप स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज को बढ़ायें और जो इंजीनियर्स आज बेकार हैं उनको बढ़ावा दें। आज सारे फाइनेंशियल और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन्स का कम से कम 62 प्रतिशत लोन उन्हीं लोगों को दिया जाता है। इसलिए आप जब इण्डस्ट्रियल पालिसी बनाते हैं तब ऐसा न हो कि संविधान को ही आप भूल जायें जिससे कि कुछ लोगों को ही लाभ मिले और वे अपनी पूंजी का विस्तार करते जायें। जब कन्सेन्ट्रेशन आफ वेल्थ होगा तो गांवों के लोग शहरों में आयेंगे।

परिणामस्वरूप शहरों में और स्लम्स बनेंगे। इसके अलावा बड़े लोग उत्पादन बढ़ाने के लिए साफिस्टिकेटेड मशीनरी बाहर से इम्पोर्ट करेंगे। आज लुधियाना में घर-घर में काटेज इण्डस्ट्रीज चल रही हैं जिनका माल एक्सपोर्ट होता है, हैण्डीक्राफ्ट का माल एक्सपोर्ट हो रहा है इसलिए स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज को लोन भी मिलना चाहिए।

आपने इसमें एक आब्जेक्ट लिख दिया कि क्रूड आयल के लिए एक बड़ा बजट पेश करना है, ठीक है लेकिन इसका वास्तव में आब्जेक्ट क्या है। एम० आर० टी० पी० ऐक्ट को पास करने का पर्पज यही था कि कुछ लोगों के हाथ में वेल्थ इकट्ठा न हो जाए लेकिन क्या इससे उन लोगों के पास मीन्स नहीं बढ़ेंगे ? आप रोज फंडामेन्टल राइट्स जो हैं उनकी जगह पर डायरेक्टिव प्रिंसिपुल्स पर जोर दे रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं तो 65 करोड़ की आबादी वाले जो 6 लाख गांव हैं उनमें जो हाथ से छोटे-छोटे काम करने वाले लोग हैं उनकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए। परन्तु आप चाहते हैं कि एक जगह पर ही पूंजी इकट्ठा हो जाए। मैं समझता हूँ एक तरह से इस बिल में पूंजीपतियों की राय ही मालूम होती है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप इसमें जल्दी न करें, सेलेक्ट कमेटी में बैठ कर हमें इस पर फिर से विचार करना चाहिए कि कहां हमारा आब्जेक्ट जो है उसको हम फ्रस्ट्रेट तो नहीं कर रहे हैं, जो हमारा उद्देश्य है उसको हम प्राप्त कर रहे हैं या नहीं ? मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि समाज में जितने साधन होंगे उनका अगर समान वितरण होगा तो फिर वह समाजवाद कहां होगा, वह तो पूंजीवाद हो जायेगा। इसलिए हमें इस बिल पर फिर से विचार करना चाहिए और विरोधी दल वाले भी अगर कोई बात कहते हैं तो उस पर भी विचार करना चाहिए। हरीडली इस बिल को पास नहीं करना चाहिए।

अगर आप कहते हैं कि क्रूड आयल के लिए यह पालिसी है तो फिर मैं कहूँगा कि इसका सेक्शन (66) जो है उसको आप देखें।

आपके सेक्शन 66 में लिखा है—

"आयोग विनियम बना सकेगा··· और कमेटी आन सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन ने कई बार कहा है कि आप मेहरबानी करके अपने प्रावीजन को बदलो, खासतौर से अब आप कोई नया एक्ट बनायें। अब आप यह एम० आर० टी० पी० एक्ट बना रहे हैं, लेकिन आपने उस कमेटी की बात को इगनोर किया है, आपने कह दिया है कि जरूरी नहीं है। उसमें यह था कि रूल्ज और रेगुलेशन्ज सारे के सारे सदन की टेबिल पर आने चाहिये—

> "समिति इस विषय पर अपनी पहले की गई सिफारिसों को दोहराती है और चाहती है कि ऐसे नियमों, उपनियमों को भी संसद के सभा पटलों पर रखा जाए।"

आज आप कानून को अमेण्ड करने जा रहे हैं और सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी की जो हिदायत थी उसका अनुपालन नहीं हो रहा है।

नियमों को सभा पटल पर रखा जाता है विनियमों को नहीं।

हिदायत करते-करते 15 बर्ष हो चुके हैं। पांचवी बार हिदायत की गई—समिति ने अपनी पहले की गई सिफारिशों को दोहराया और यह इच्छा प्रकट की कि इस आशय का प्रावधान संगत संविधि में होना चाहिये।

नया लेजिस्लेशन ला रहे हैं लेकिन वह भूल गये। ला डिपार्टमेंट कहता है कि हमको रिमाइण्ड किया है—

"इसी प्रकार इसके अन्तर्गत तैयार होने वाले विनियमों के प्रकाशन हेतु संगत संविधि में अपरिहार्यरूप से इसका प्रावधान होना चाहिए। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर समिति चाहती है कि भारत सरकार के मन्त्रालय विभाग उन विनियमों को बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले सभी अधिनियमों की जांच करे जिनसे उनका प्रशासनिक रूप से सम्बन्ध है तथा प्रकाशन के लिए उनमें उपयुक्त उपबन्ध जोड़े और उन अधिनियमों में ऐसे विनियमों को जोड़े जिनमें ऐसे प्रावधान नहीं है।"

अब आप नया कानून ला रहे हैं और ला मिनिस्टर साहब ला रहे हैं। उसके बाद किसको कहेंगे कि आपके रूल्ज अमेण्ड होने जरूरी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट को आप ही देख सकते हैं।

आप हमारे अधिकारों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। यदि किसी अधिनियम विशेष में कोई संशोधन किया जाता है और यदि इसमें उस उपबन्ध को नहीं जोड़ा जाता जिसकी एक समिति छः बार सिफारिश कर चुकी है तो महोदय, इससे स्थिति की जर्जरता का पता चलता है।

उपाध्यक्ष महोदय : डागा जी, हिन्दी के भाषण से आपका अंग्रेजी का भाषण कहीं अच्छा है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं समझता हूं—मैंने जिस भाषा में वोट लिया है, उसी भाषा में बोलूं। यह मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि वोट मैंने हिन्दी भाषा में बोल कर लिया और यहां मैं अंग्रेजी में बात करूं। उन लोगों से मैंने जो बात की थी वह हिन्दी में की थी, अंग्रेजी में नहीं की थी।

मैं यही कहना चाहता हूं—सिलेक्ट कमेटी को भेजने की जो मैंने मांग की है उसका परपज सही है कि इस पर सही तरीके से विचार होना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि आप सिलेक्ट कमेटी के पास इसे ज्यादा दिन रखिये, सिर्फ एक वीक के लिए सिलेक्ट कमेटी को भेज दीजिये और पांच-दस अर्थ शास्त्रियों को बुला लीजिये, कुछ और लोगों को बुला लीजिये, आप बैठ जाइये और इस पर विचार कीजिये।

आप इसके आब्जेक्ट को देखिये—आप कह रहे हैं कि अब तो बिड़ला और डालमिया ज्यादा माल बाहर भेज सकते हैं, उन पर कोई रोक नहीं होगी, करोड़ों और अरबों का भेज सकते हैं। दूसरी तरफ जो हमारा उद्देश्य रहा है कि हमारी स्माल स्केल इण्डस्ट्री बढ़े, हैण्डी-क्राफ्ट बढ़े—उसमें आप फेल हो रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कन्सेन्ट्रेशन आफ वेल्थ को दृष्टि में रखते हुए इस पर गौर किया जाए।

श्री पी० शिव शंकर : उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के सम्बन्ध में बड़ी संख्या में माननीय सदस्यों ने विपरीत टिप्पणियां की हैं। यही तो दुर्भाग्य है। बहुत से भाषण तो बहुत ही

तोड़ मरोड़ कर मिथ्या वर्णन से भरे थे। शायद वे इस संशोधन के उद्देश्य को नहीं समझ सके थे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : इनमें दिमाग ही नहीं है।

श्री पी० शिव शंकर : जो कि आपके पास है। विशेषकर सर्वाधिक महत्वपूर्ण वह भाषण है जो कि विपक्ष के एक बहुत प्रतिष्ठित सदस्य ने दिया है जो कि एक प्रसिद्ध वकील हैं। शायद वे जानबूझ कर सदन को गुमराह करना चाहते थे या संशोधन को ही नहीं समझना चाहते थे।

अब महोदय बात यह है कि अनेक सदस्यों द्वारा लगाए गए विभिन्न आरोपों का उत्तर देने से पहले, मैं इन संशोधन के उद्देश्य को, इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये किस प्रकार से प्रभावकारी होंगे। पहला संशोधन तो खण्ड 2 (घ) में किया जाता है जो प्रमुख उत्तर दायित्व को परिभाषित करता है। जब यह एक विशेष ढंग से प्रमुख उत्तदायित्व को परिभाषित करता है तो यह तो स्वयं खण्ड से स्पष्ट है कि जो कुछ उस अभिव्यक्ति के क्षेत्राधिकार से निकाला जाना है वह है स्पष्टीकरण-vi के बाद खण्ड में स्पष्टीकरण संख्या-vii को जोड़ना जो कि इस प्रकार होगा :

> "जहां किसी उपक्रम द्वारा भारत में उत्पादित किसी भांति के माल का भारत के बाहर किसी देश को निर्यात किया गया है वहां इस प्रकार निर्यातित माल को इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए संगणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।"

तब, इसमें विवरण दिया गया है। अर्थात् हिसाब के अनुसार क्या उसे धारा 2 (घ) के अन्तर्गत प्रधान उपक्रम माना जायेगा और अगर उसे प्रधान उपक्रम माना जाएगा तो क्या निर्यात की गई वस्तुओं के उस भाग को उसमें सम्मिलित नहीं किया जायेगा। उसी तरह, जब धारा 2 (च) की बात आती है—प्रधान उपक्रमों को 'एकाधिकारी उपक्रमों क्षेत्राधिकार से निकालने के लिये स्पष्टीकरण 4 के पश्चात स्पष्टीकरण 5 जोड़ा गया है।

जहां तक निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के उस अंश का सम्बन्ध है यह बड़ी सीधी सी बात है। प्रश्न यह है इसका अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों पर क्या प्रभाव है और यदि इस धारा में इस संशोधन को लाना हो तो जो तर्क अनेक रूपों में दिया गया है क्या उसे स्वीकार किया जा सकता है ?

आज की स्थिति यह है कि प्रधान उपक्रमों के साथ-साथ एकाधिकारी उपक्रमों के सन्दर्भ में जब आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण के सम्बन्ध में तीसरे अध्याय के प्रश्न की बात उठती है तो धारा 21 में यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई उपक्रम तिथि विशेष को प्रधान उपक्रमों अथवा एकाधिकारी उपक्रमों के क्षेत्राधिकार में आता है और वह वस्तुनिर्माण में वृद्धि करना चाहता है तो उसकी प्रक्रिया का धारा 21 में वर्णन किया गया है। निसंदेह प्रक्रिया में लम्बा समय लगता है इसी प्रक्रिया को उन वस्तुओं के मामले में हटाने की मांग हैं, जिनका निर्माण केवल निर्यात के लिये किया जाता है। यह बात नहीं है कि ऐसी कुछ नई व्यवस्था की गई है अथवा कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे विभिन्न उपबन्धों पर प्रभाव पड़ता हो। मैं जाधवपुर के माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई बातों का अवश्य उत्तर दूंगा। मैंने उन्हें

लिख लिया है। किन्तु मैंने यह सोचा है कि मुझे आरम्भ में किये जाने वाले संशोधन के उद्देश्य को बताना चाहिए।

अब समूचा प्रश्न यह है : समूचे विश्व में फैली प्रवृत्तियों के कारण देश के व्यापार सन्तुलन के घाटे को ध्यान में रख कर, क्या विभिन्न उपक्रमों को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में धारा 21 में वर्णित प्रक्रिया के अनुपालन का निदेश दिया जाए अथवा इस मामले में तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रख कर क्या हम इस प्रक्रिया का निराकरण नहीं कर सकते और उसके स्थान पर ऐसी प्रक्रिया लाई जाए जिससे आपको यह सभी प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी न करनी पड़े और उद्देश्य-पूर्ति भी हो जाये। महोदय, सरकार ने अपने दिमाग से यह सोचा है कि वह इस वाद वाली प्रक्रिया को अपनाएं।

अब, जो तर्क दिये गये हैं वह यह है मेरे मित्रों में से एक मित्र ने उद्देश्य और कारणों के विवरण के पैरा 2 की भाषा के लिए हमारी कटु आलोचना की है और मुझे खेद है कि उन्होंने अपना ध्यान प्रयुक्त शब्दों पर केन्द्रित नहीं रखा है। महोदय, उन्होंने कहा है कि उद्देश्यों और कारणों के विवरण के पैरा 2 में यह सम्मिलित किया गया है :

> "अधिनियम का मूल उद्देश्य देश में एकाधिकारी एवं अवरोधक व्यापार व्यवहारों में कमी लाना था।"

उन्होंने कहा है कि यह एक नई बात कही गई है और उन्हें इस पर आश्चर्य हुआ है। मैं यह माननीय सदस्य के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। उन्होंने शायद "एकाधिकार व्यापारिक व्यवहार तथा अवरोधक व्यापार" व्यवहार शब्दों पर ध्यान नहीं दिया है। यदि आप देखें तो आपको पता चलेगा कि उस पैरा में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसमें हमने कहा है कि देश में इनमें कमी करने की दृष्टि से .....

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : आप पूरा वाक्य पढ़िये। आप सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। यदि आपने मेरे तर्क की भावना को समझा होता तो आपको इस सदन में शर्मिन्दगी न उठानी पड़ती। आप वाक्य का पहला भाग पढ़ रहे हैं (व्यवधान)

श्री पी० शिवशंकर : मैं आपके लिये पूरा वाक्य पढ़ देता हूं ताकि आप अनावश्यक रूप से गर्म न हो और मैं उसे दुबारा स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं। आप यह विश्वास रख सकते हैं कि मैं आपकी बात का उत्तर दे सकता हूं। मैं पूरा वाक्य पढ़ देता हूं :

> "इस अधिनियम का मौलिक उद्देश्य देश में एकाधिकारी एवं अवरोधक व्यापार व्यवहारों को कम करना है तथा उसी सीमा तक, निर्यात किया गया उत्पादन का अंश देश के उपभोक्ता के लिए संगत नहीं है।"

मैंने पूरा वाक्य पढ़ दिया है। वाक्य के बाद के अंश का कोई संदर्भ नहीं है किन्तु फिर भी मैं उसे स्पष्ट करता हूं। हमने "एकाधिकारी एवं अवरोधक व्यापार व्यवहार" पर जोर दिया है। हमने यह कहा था कि जहां तक पैरा 2 का सम्बन्ध है वह देश में इसमें कमी लाने की दृष्टि से तथा उस सीमा तक माल का निर्यात न करने के बारे में हैं। हमने धारा 2 में इसे इस प्रकार जोड़ा हैं। मेरे मित्र ने

दुर्भाग्य से अधिनियम में दिये गये उपबन्ध को नहीं देखा है। यदि वह उसे पढ़ते तो बात स्पष्ट हो जाती। यदि वह एकाधिकारी व्यापार व्यवहार की परिभाषा तथा उस पैरे में दिये शब्दों तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार शब्दों को पढ़ लेते तो यह स्पष्ट हो जाता कि इस उपबन्ध का प्रवर्तन देश के भीतर ही होगा। इससे समूची बात स्पष्ट हो जाती है। यदि इन दो परिभाषाओं को पढ़ा जाये यह स्पष्ट हो जायेगा कि इसका प्रवर्तन देश के भीतर ही सीमित होगा। (व्यवधान)

अब स्थिति यह है कि एकाधिकार व्यापार व्यवहार की धारा 2 (क) में परिभाषा दी गई है। महोदय, एकाधिकारी व्यापारिक व्यवहार से ऐसा व्यापारिक व्यवहार अभिप्रेत है जिसका प्रभाव निम्नलिखित है या होना संभाव्य है अर्थात्

(i) किसी भांति के माल के उत्पादन, प्रदाय या वितरण को या किन्हीं सेवाओं के प्रदाय को परिसीमित करके, घटा करके, अथवा अन्यथा नियंत्रित करके अथवा किसी अन्य रीति से, कीमतों को अनुचित स्तर पर बनाए रखना,

(ii) किसी माल के उत्पादन, प्रदाय या वितरण में या किन्हीं सेवाओं के प्रदाय में प्रतियोगिता को अनुचित रूप से निवारित करना या कम करना,

(iii) प्राविधिक विकास या पूंजी विनिधान को, जनसामान्य के लिए अहितकार रूप में परिसीमित करना या भारत में उत्पादित, प्रदाय, वितरित किये गये किसी माल की क्वालिटी में या की गई किन्ही सेवाओं में गिरावट होने देना। यह सभी संचालन देश के भीतर ही होंगे। उसी प्रकार, यदि आप अवरोधक व्यापार व्यवहार ''देखे तो उसका अर्थ है एक ऐसा व्यापार व्यवहार, जो किसी भी तरीके से प्रतिस्पर्द्धा को रोकने, विकृत करने अथवा अवरोध पैदा करने का प्रभाव होगा या होना सामान्य होगा '''आदि···आदि'''। वह भी देश के भीतर ही होगा। उद्देश्यों और कारणों सम्बन्धी विवरण के पैरा 2 में इसी बात पर बल दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति इन दोनों की परिभाषा पढ़े बिना इसे पढ़ता है तो निश्चय ही उसे इसमें नयापन दिखाई देगा और आश्चर्यजनक भी लगेगा। उद्देश्यों और कारणों सम्बन्धी विवरण के पैरा 2 में प्रयुक्त शब्दों का अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों से निश्चित सम्बन्ध है। मेरे एक मित्र ने धारा 15 (ग) पढ़ली और धारा 15 (ग) तो मौजूद है ही, आप इसमें संशोधन क्यों कर रहे हैं? अब मैं उनके लाभ के लिए धारा 15 का आरम्भिक अंश पढ़ देता हूं, यह खण्ड (ग) के बीच में आधा अंश है। यह धारा आयोग के क्षेत्राधिकार शक्तियों और प्रक्रियाओं के अन्तर्गत आता है। यह आयोग द्वारा नियन्त्रण के सम्बन्ध में अध्याय II के अन्तर्गत है।

इसमें कहा गया है कि 'इस अधिनियम के अन्तर्गत एकाधिकारी या अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के सम्बन्ध में जारी किया गया कोई आदेश ··· सीमित करने के लिए प्रभावी नहीं होगा''' आदि। मैं फिर माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि आयोग द्वारा जो आदेश जारी किया जायेगा वह एकाधिकारी व्यापारिक व्यवहार या अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के सम्बन्ध में होगा और प्रधान उपक्रमों या एकाधिकारी उपक्रमों के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं होगा। वास्तव में मेरे मित्र द्वारा इसी तथ्य को समझने की कोशिश नही की गई है। जो आदेश जारी किया जाएगा, उसका सम्बन्ध अधिनियम में एकाधिकारी व्यापारिक व्यवहार या

अवरोधक व्यापारिक व्यवहार की जो परिभाषा की गई है और जो परिभाषा इस संशोधी विधयक में की जा रही है, उस से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। यह इस प्रकार की शब्दावलि तथा परिभाषा के सम्बन्ध में है, जो आदेश के जारी हो जाने पर धारा 15(ग) के अन्तर्गत आती हैं। मेरे मित्र इसके अन्तर्गत प्रमुख उपक्रमों तथा एकाधिकारी उपक्रमों की परिभाषा को भी ले आये हैं, जो दुर्भाग्यवश 15 (ग) के अन्तर्गत नहीं आते हैं। यह तर्क दिया गया है : देखिए, आयोग की शक्तियों को कम किया जा रहा है, उसकी सत्ता को समाप्त किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप आयोग व्यवहारिक रूप से लगभग बेकार बन कर रह गया है। इस संशोधन को लाए जाने के विरोध में यही तर्क दिया गया था। अब श्रीमान मैं सभा का ध्यान धारा 10 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें आयोग की शक्तियों तथा क्षेत्राधिकार वर्णित है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप यह समझने का प्रयास कीजिये कि क्या इस संशोधन के पारित होने पर आयोग की शक्तियों तथा क्षेत्राधिकार में किसी प्रकार कमी आ जायेगी। इसका उल्लेख धारा 10 में किया गया है। इसमें लिखा है :—

"आयोग (क) किसी भी अवरोधक व्यापारिक व्यवहार की ···जांच कर सकता है" वह कृत्य धारा (ख) के अन्तर्गत आयोग जिसमें कहा गया है।

(ख) किसी भी एकाधिकारी व्यापारिक व्यवहार···" यह पुनः 2 (एक) के अन्तर्गत आता है। स्थिति यह है कि 2 (च) या 2 (ज) के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यही हम संशोधन करने जा रहे हैं। यदि हम किसी प्रकार से "एक प्रधान उपक्रम या एकाधिकारी उपक्रम" शब्दों को लोप कर रहे होते, तो उनके इस तर्क को कुछ युक्तिसंगत माना जा सकता था। इनके इस तर्क का इन दोनों प्रमुख अभिव्यक्तियों के साथ कोई सम्बन्ध नही है। जैसा कि मैंने कहा मेरे मित्र ने सम्पूर्ण तर्क को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करते हुये, अपनी बात बिना किसी आधार के कहने का प्रयास किया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : संशोधन करने का आपका उद्देश्य क्या है ?

श्री पी० शिवशंकर : यदि आपने इस पर तनिक भी विचार किया हो तो उद्देश्य अपने आप में स्पष्ट है। मैं इतना कह देना चाहता हूं कि देश के उत्पादन में वृद्धि होगी, अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा और निर्मित वस्तुओं के बड़े भाग का निर्यात किया जाएगा। अब प्रश्न यह है कि त्रुटि कहां है ? आपने त्रुटियों के बारे में कुछ नहीं कहा है। आप केवल कुछ ही धाराओं को बिना किसी आधार के मिला जुला कर भ्रामक रूप से प्रस्तुत कर रहे थे। आयोग का उल्लेख किस सन्दर्भ में किया गया है ? आयोग का सम्बन्ध केवल एकाधिकार या अवरोधक व्यापारिक व्यवहार से ही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : केन्द्रीय सरकार के पास ऐसी शक्तियां हैं··· (व्यवधान)

श्री पी० शिवशंकर : आपने गलत मामले की वकालत की थी। यह खुशी की बात है कि अब आप इसे स्वीकार कर रहे हैं। (व्यवधान) आप कभी-कभी सच्चाई को स्वीकार करते हैं, जिसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्रीमान, अब मन्त्री महोदय को अपना कार्य करने, वक्तव्य पढ़ने तथा यहां भाषण देने के लिए जो परिश्रमिक दिया जाता है वह प्राप्त नहीं है··· (व्यवधान)

श्री पी० शिवशंकर : उस ओर बैठे मेरे मित्र का यह विशेषाधिकार है कि वह बिना संशोधन का अध्ययन किये या उसे समझे उसके बारे में बोले, जबकि मैं ऐसा नहीं कर सकता। (व्यवधान) श्रीमान, इस सम्बन्ध में मेरे मित्र सच्चर समिति के प्रतिवेदन पर निर्भर कर रहे हैं और हमारे एक साथी ने तो उस प्रतिवेदन के कुछ अन्शों की ओर सदन का ध्यान भी आकृष्ट किया है और सभापति महोदय ने कहा था कि विधी मंत्री इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। वह धारा 2 (घ) तथा 2 (ज) के सन्दर्भ में प्रधान उपक्रमों तथा एकाधिकारी उपक्रमों को बनाये रखने के सन्दर्भ में था। इन दोनों खन्डों के अन्तर्गत इस समय एकाधिकारी तथा निर्बंधनकारी व्याहारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत वस्तुओं या सेवाओं का एक तिहाई भाग आ जाता है। सच्चर समिति का यह विचार इस समय ब्रिटेन तथा अमरीका में प्रचलित तौर-तरीकों पर आधारित है और मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम एक बार तो मेरे मित्र ने अमरीका या ब्रिटेन के उदाहरणों पर निर्भर किया। मुझे इसकी खुशी है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : लायडज बैंक जैसे पूंजीवादी देशों के बैंकों ने भी एकाधिकारियों के खतरों के बारे में टिप्पणी की है। लायडज बैंक की टिप्पणी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। (व्यवधान)

श्री पी० शिवशंकर : उस पैरा में जस्टिस श्री सच्चर तथा उनकी समिति ने एक तिहाई निर्मित वस्तुओं के इन देशों द्वारा स्वीकार किये गए सिद्धान्त को आधार बनाया है और मेरे मित्र ने उसे अच्छी तरह से पढ़ा है। इसीलिए तो मैंने उनकी सराहना की है। मैं उन्हें दायें हाथ से सलाम कर रहा हूं जबकि वह बाये हाथ का सलाम स्वीकार करना चाहते हैं। इसमें भला मैं क्या कर सकता हूं ?

इस लिए मेरे विचारानुसार यह एक ऐसा मामला है जिसका संशोधन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। आज यह एक तिहाई है। इस संशोधन के माध्यम से हम निर्यात के लिए कुछ भाग अलग से निर्धारित करना चाहते हैं। यदि इसे एक चौथाई भी कर दिया जाये तो भी संशोधन की दृष्टि से इसका कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा। इस संशोधन के माध्यम से उन वस्तुओं को अलग करना है जिनका निर्यात किया जाता है।

जहां तक इस प्रतिवेदन को स्वीकार करके उसके बारे में संशोधन प्रस्तुत करने का सम्बन्ध है, वह एक अलग मामला है और इस सम्बन्ध में मैं अपने मित्रों को आश्वासन देना चाहता हूं कि शीघ्र ही मैं इस अधिनियम के सम्बन्ध में एक व्यापक संशोधन प्रस्तुत करने वाला हूं। वह निश्चय ही एक अलग मामला है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस बीच यह लूट चलती रहेगी। निर्यात कार्यकरण पर इस अध्यादेश का क्या प्रभाव होगा ? अध्यादेश जारी क्यों किया गया था ? आखिर इस अध्यादेश का हमारे निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा है जोकि सरकार ने संसद की सज्ञा का अतिक्रमण करके जारी किया था।

श्री पी० शिवशंकर : जब यह अध्यादेश लागू किया गया था, उस समय विश्व मन्डी में तेल की कीमतों में वृद्धि हो रही थी और हमें यह आशंका थी कि यदि सम्पूर्ण विदेशी मुद्रा इसी पर लग जाएगी तो फिर शीघ्रता से घटित हो रही इस स्थिति पर काबू पाने के लिए हमारे पास प्रयाप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध नही होगी। अतः उस समय घटित हो रही घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए हमें व्यापार में सन्तुलन बनाए रखने के लिए इस सम्बन्ध में नीति निर्णय लेना पड़ा। अतः केवल इसी सन्दर्भ में तथा इन्हीं परिस्थितियों में हमें तुरन्त ही इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ा। इन परिस्थितियों में यह निर्णय लेकर हमने संशोधन जारी किया ताकि निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। जहां तक आंकड़ों का सवाल है, उन्हें इस समय देना मेरे लिए सम्भव नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसका कारण सम्भवतः यह है कि यह मंत्रालय आप का नहीं अपितु किसी अन्य का है।

श्री पी० शिवशंकर : यद्यपि यह किसी अन्य का मन्त्रालय ही है परन्तु है तो मेरे ही पास। मैं आपको तो नहीं दे रहा।

सदस्यों द्वारा मोटे रूप से यही सब प्रश्न उठाये गये थे। जैसा कि मैंने निवेदन किया इस संशोधन का उद्देश्य इस अधिनियम तथा उसके उद्देश्यों को व्यापक बनाना है। अतः निर्यात को बढ़ावा देना देश के हित में ही है और इसी उद्देश्य से धारा 2 (घ) और 2 (ञ) में संशोधन किया जा रहा है। अतः इसी सन्दर्भ में मैं श्री चित्तबसु के संकल्प का विरोध करता हूं। मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि यह मामला प्रवर समिति को सौंपा जाये। इसका साधारण सा कारण यही है की यह एक अध्यादेश है और यदि संसद की बैठक आरम्भ होने के छः सप्ताह के अन्दर ही इस विधेयक को पारित न किया गया तो यह निष्क्रिय तथा बेकार हो जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं उन सदस्यों को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कि विधेयक की चर्चा में भाग लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति द्वारा इसके लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया था और हमने इस पर 2 घंटे 40 मिनट चर्चा कर ली है। अतः मैं श्री चित्तबसु से निवेदन करता हूं कि वह अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : श्रीमान जी चर्चा के दौरान कुछ आधारभूत मुद्दों को उठाया गया था। इनमें से एक आधारभूत प्रश्न यह था कि अर्थ-व्यवस्था सम्बन्धी इस अध्यादेश को जारी करने की आवश्यकता क्या थी। अतः मेरी आपत्ति मुख्य रूप से इसी बात पर आधारित है कि जब इस अध्यादेश का सम्बन्ध देश की आर्थिक नीति से है तो फिर इसके बारे में अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता क्या थी ? संसद की बैठक के आरम्भ होने से पहले ही यह कार्य सम्पन्न कर दिया गया। क्या आपने इस ओर ध्यान दिया है कि मंत्री महोदय ने इसका उत्तर दिया है या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यापार का संतुलन बिगड़ रहा था। अतः हमें शीघ्र ही निर्णय करना पड़ा। मैंने इस ओर ध्यान दिया है कि उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है।

श्री चित्त बसु : इसका निर्णय करना आपका कार्य है ···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमें निर्णय लेना पड़ा। सदस्यों की जानकारी के लिए मैं यह कह देना चाहता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति द्वारा इसके लिए केवल दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है। हमने पहले ही इस पर 2 घंटे 40 मिनट तक विचार कर लिया है। अतः आप अपनी बात संक्षेप में कहिये।

श्री चित्त बसु : श्रीमान जी, इसके बारे में शीघ्र यह प्रश्न उठता है कि निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है और व्यापार संतुलन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यही तो उन्होंने कहा है। यदि आपको इसके बारे में संदेह है तो श्री उन्नीकृष्णन् आप कार्यवाही वृत्तांत का अध्ययन कर सकते हैं।

श्री चित्त बसु : मैं जानता हूं कि इस समय अन्तराल को कम करने का उद्देश्य था ताकि आयात तथा निर्यात के बीच की खाई को पाटा जा सके। अतः 13 अक्टूबर से लेकर आज तक के समय के बीच इसे किस सीमा तक कम किया जा चुका है। इससे स्थिति की अविलम्बनीयता तथा उसके सन्दर्भ में अध्यादेश जारी करने को न्यायोचित ठहराया जा सकता है। श्रीमान जी, आप इस बात की ओर ध्यान दीजिये कि इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्रीमानजी, दूसरे आर्थिक नीतियों के सन्दर्भ में बहुत महत्वपूर्ण मामलों को उठाया गया है। क्या इससे औद्योगिक-गृहों की परिसम्पतियों में वृद्धि नहीं होगी ? क्या इससे गृहों की धन सम्पति में वृद्धि नहीं होगी ? परिसम्पतियों तथा धन सम्पति में होने वाली इस वृद्धि के परिणाम-स्वरूप कुछ लोगों तथा देश के आम लोगों की आय के बीच की खाई में और अधिक वृद्धि नहीं होगी ? यदि ऐसा होता है तो क्या यह अनुच्छेद 39-C की भावना के विपरीत नहीं होगा ?

श्री उन्नी कृष्णन् : इसका उत्तर उन्होंने पहले नहीं दिया है।

श्री चित बसु : इन आधारभूत प्रश्नों का उत्तर देने की अपेक्षा वह कुछ कानूनी पहलूओं पर चर्चा कर रहे है। इसलिए श्रीमान जी मैं पुनः नहीं कहना चाहता हूं कि सरकार का उद्देश्य व्यापार में इस प्रतिकूल संतुलन को कम करना नहीं है। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार का मुख्य उद्देश्य देश के बड़े बड़े औद्योगिक गृहों के समक्ष घुटने टेकना है। वह रियायतों की मांग करते आ रहे हैं और उन्हें कुछ रियायतें पहले ही दी जा चुकी हैं।

एक माननीय सदस्य : किसके बदले में ?

श्री चित्त बसु : चुनाव के दौरान उन्हें जो बहुत बड़ी धनराशि दी गई थी उसके बदले में।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें दलों की धनराशि के बारे सदन में विचार नहीं करना चाहिये।

श्री चित्त बसु : यह तो घुटने टेकने वाली नीती है। बड़े औद्योगिक-गृहों को और अधिक रियायतें देने की नीति है। मैं पहले ही उन आंकड़ों का उल्लेख कर चुका हूं जिन में स्वचालित विस्तार के फलस्वरूप औद्योगिक गृहों को लाभ हुआ है ; बहुराष्ट्रीय निगमों को अतिरिक्त क्षमता का लाभ किस प्रकार हुआ है। मैं पहले ही आंकड़े दे चुका हूं। मैं यह बात आप ही पर छोड़ देता हूं कि क्या उन्होंने इन सब प्रश्नों का उत्तर दिया है ? मैं जानता हूं कि वह इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते क्योंकि उनकी सरकार समर्पित है ···

उपाध्यक्ष महोदय : लोगों के प्रति ।

श्री चित्त बसु : आपको गलतफहमी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप चूंकि वहां रूक गये थे इसलिए मुझे आपका वाक्य पूरा करना पड़ा ।

श्री चित्त बसु : में आशा करता हूं कि यह आपका···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उनके दल का बहुमत है इसीलिए मैंने कह दिया कि उनका दल लोगों के प्रति प्रतिबद्ध है ।

श्री चित्त बसु : मैं आशा करता हूं कि आप के विचार ऐसे नहीं है, ऐसा आप इसलिए कह रहे हैं कि आप वहां बैठे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु यहां बैठे हुये भी मेरे कुछ सिद्धांत हैं ।

श्री अटल विहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : आपको टिप्पणी करते समय आंशिक सतर्कता बरतनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह वहां आकर रूक गये थे इसीलिए मुझे उनकी सहायता करनी पड़ी ।

श्री चित्त बसु : सरकार एकाधिकारी तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रति प्रतिबद्ध है । लोगों के प्रति नहीं । अतः इस सम्बन्ध में तर्क करना बेकार है क्योंकि उन्होंने अन्य लोगों के प्रति आंखें मूंद रखी हैं तथा कुछ लोगों के प्रति समर्पित हैं । हम लोगों के प्रति समर्पित हैं जबकि वह लोगों के शत्रुओं के प्रति समर्पित हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप 'प्रति' पर रूकियेगा नहीं ।

श्री चित्त बसु : इसलिए इनसे हम बाहर तथा अन्दर दोनों ही जगह लड़ना चाहते हैं । मैं इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि उन्होंने इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया है और एक बार फिर अपनी असली मंशा को छिपा लिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सांविधिक संकल्प सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं । प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 13 अक्तूबर 1980 को जारी किये गए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार, अध्यादेश, 1980 (1980 का अध्यादेश संख्या 14) निरनुमोदन करती है ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : इसके पूर्व कि मैं विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव को सभा के समक्ष रखूं श्री मूलचन्द डागा के इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने सम्बन्धी संशोधन को निपटाया जाना जरूरी है ।

श्री मूलचंन्द डागा (पाली) : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री मूलचन्द डागा को अपना संशोधन वापिस लेने के लिए सदन की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री मूलचन्द डागा द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन संख्या 1 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 1 सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : मैं विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ किया जाएगा । प्रश्न यह है : "कि खण्ड 2 तथा 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक में जोड़ दिये गए ।
खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : महोदय, में प्रस्ताव करता हूं : "कि विधेयक पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया "विधेयक पारित किया जाए । श्री ज्योतिर्मय बसु आपको केवल तीन मिनट मिलेंगे । तीसरा वाचन । (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : नहीं, नहीं (व्यवधान) महोदय मैं हैरान हूं ।

(व्यवधान)

महोदय, मैं हैरान हूं क्योंकि यह एक ऐसा विधेयक है जिसके लिए उद्योग और वाणिज्य मंत्रियों का उपस्थित रहना आवश्यक था तथा विधि मंत्री कानून बनाने के मामले में उनकी सहायता कर सैकते थे । (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : एक गैर-कानूनी चीज को कानूनी रूप देना है । (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह अध्यादेश और विधेयक। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी आप इस पर बहिर्गमन तो नहीं कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे 1974 में जो कुछ हुआ था वह स्मरण हो आता है। (व्यवधान) अमेरिका के निजी क्षेत्र के बहुराष्ट्रिकों ने, जिन्हें उनका एकात्मक राष्ट्रिक कहना उचित होगा कुछ विलक्षण रियायतों की मांग की थी जिनमें विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम आयकर अधिनियम, सीमाशुल्क आदि-आदि बन्धनों से मुक्ति शामिल है। यह अधिनियम एक खोखले उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है। और जिस जल्दी से इस अध्यादेश को जारी किया गया है और कानून बनाया जा रहा है, उससे कोई भी विचारवान सन्देह में पड़ सकता है। यह सारा मामला एक अस्थिर उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है। महोदय, वे कहाँ कार्य कर रहे हैं ? इससे बहु-राष्ट्रिकों को ही अत्यधिक लाभ होगा और उनका लक्ष्य क्या है ? उनका लक्ष्य कम प्राथमिकता वाली उपभोक्ता वस्तुओं का क्षेत्र है जो कि अत्यधिक लाभपूर्ण है। महोदय, समय धीरे-धीरे आपको इससे अवगत करा देगा। सरकार के सम्बन्ध में मैं यह नहीं कहूंगा कि वे भ्रम में हैं। इस कार्य के लिए वह देश के साथ खिलवाड़ कर रही हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इस प्रकार के अध्यादेश और विधेयक पारित करने से क्या लाभ होने वाला है। मैंने टंडन समिती का नाम सुना है। हमारे कितने मित्र जानते हैं कि श्री टंडन हिन्दुस्तान लीवर के अध्यक्ष थे जो कि बहु-राष्ट्रीय कम्पनी है। यह कम्पनी निजी लूटपाट कम्पनी है और डाकुओं की एजेन्सी है ? (व्यवधान)

अत: महोदय, देश को उन्हीं बहु-राष्ट्रिकों के हाथों में सौंपा जा रहा है और ये बहु-राष्ट्रिक वही कहेंगे जो उन्होंने लातिनी अमेरिका और चिली में किया है। हम देख चुके हैं कि बहु-राष्ट्रिक प्रशासकीय तंत्र को हजम कर जाएंगे और यही सब हो भी रहा है। यह डाकुओं और आर्थिक अपराधियों की मिलीभगत से उनके लूटने के लिए द्वार खोल देना होगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दल के एक या दो सदस्यों ने और बोलना है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे श्री चटर्जी से कुछ नहीं लेना। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वे आपके दल के प्रतिनिधि हैं। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप इस पर हंस रहे हैं। श्री चटर्जी का इस दल से कोई संबंध नहीं है। (व्यवधान) आप एक तरफ तो आयात और निर्यात का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं और दूसरी बहु-राष्ट्रिकों के लिए द्वार खोल रहे हैं ताकि वे कुछ भी कर सकें (व्यवधान) यह एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम संशोधित है। वे एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं। वे एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, पुस्तकों, दस्तावेजों और सारे सम्बन्धित कागजों को यमुना नदी के पवित्र पानी मे क्यों नहीं फेंक देते क्योंकि मैं जानता हूं कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग किस प्रकार काम कर रहा है। एक अध्यक्ष ने तो वक्तव्य जारी किया था, सार्वजनिक वक्तव्य — कहा था सरकार एकाधिकारी मामले हमारे पास नहीं भेज रही है। इसलिए हम बेरोजगार हैं।

संशोधन तो एक मोहरा है। परन्तु वे इसे मोहरे के रूप में नहीं ले रहे हैं। वे कोई संशोधन भी नहीं करना चाहते हैं। वे निर्यात आदि की बात करते हैं। (व्यवधान)

जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसु, समय (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : चिन्ता मत कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बोलते चले जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप समाप्त कर चुके हैं···? (व्यवधान) आप एक घंटे से भी अधिक समय ले चुके हैं। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : तो मैं नहीं बोलना चाहता। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अराकल। वे नहीं बोलना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : उपाध्यक्ष महोदय ने (व्यवधान) मैं इस प्रकार नहीं बोलना चाहता।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अराकल।

श्री जेवियर अराकल : मैं नहीं बोलना चाहता।

एक माननीय सदस्य : उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : वे नही बोलना चाहते हैं। मैं उन्हें विवश नहीं कर सकता। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने कहा है कि आप नहीं बोलेंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सस्दय : वो इस तरह की धमकी नहीं दे सकते। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम एक घंटे से अधिक समय पहले ही ले चुके हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अब आप बोलेंगे ? या नहीं। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : तृतीय वाचन के लिए कितना समय दिया जाता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

जो पैक्ष में हैं वे 'हां' कहेंगे

कुछ माननीय सस्दय : 'हां'।

उपाध्यक्ष महोदय : जो विपक्ष में है वे 'नहीं कहें।'

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में निर्णय 'हां' वालों के पक्ष में हुआ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरे विचार में निर्णय नहीं वालों के पक्ष में हुआ। यदि आप विपक्षी सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं देंगे तो मतविभाजन होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी जाएं। (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इन सभी बातों को कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। अब छः बजे से अधिक समय हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी छः से अधिक समय नहीं हुआ है।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन् : अब छः से अधिक समय हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह पहले ही आरम्भ हो गया था। दीर्घाएं खाली की जा रही हैं और मतविभाजन, आदि सब पहले कहा जा चुका है। मैं इसे बीच में नहीं रोक सकता। मैं मतदान पूरा करूंगा। अब, दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभा पटल पर रखे गए पत्र

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अधीन अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं।

(1) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 237—सीमा शुल्क (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 1 दिसम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा कॉफी पर निर्यात शुल्क में कटौती के बारे में एक व्याख्यात्मक टिप्पण। (ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए एल० टी० सं० 1462/80)

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या 185—सी ई (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा 1 मार्च 1975 की अधिसूचना संख्या 43/75—के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि अल्युमीनियम सर्किलों को भी उस अधिसूचना के अन्तर्गत उत्पादन शुल्क में समस्त/आंशिक छूट का लाभ मिल सके जिनकी मोटाई 0.56 मिली मीटर अथवा इससे अधिक हो किन्तु 2.00 मिली मीटर से अधिक न हो । (ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए एल० टी० संख्या 1463/80)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11-00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है । 6-00 म० प०

तत्पश्चात लोकसभा मंगलवार, 2 दिसम्बर, 1980, 11 अग्रहायण, 1902 के 11-00 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

———